ISSN : 2394-4366

Abhinav Gaveshna

(Multi Disciplinary Quarterly International Refreed/Peer Reviewed Research Journal)

Our PATRON

Sri Manvendra Swaroop, En. Gaurvendra Swaroop

Secretary : Dayanand Shikshan Sansthan, Kanpur

Dr. Shiv Balak Dwivedi (Ex. Principal) Badri Vishal (P.G.) College, Farrukhabad

Editor-in-Chief

Dr. Ranju Kushwaha

Head & Asso. Professor Dept. of H. Science

Juhari Devi Girls (P.G.) College, Kanpur (U.P.)

Editor

Dr. Jaya Mishra

Asso. Professor Depty. of Economics,

Juhari Devi Girls (P.G.) College, Kanpur (U.P.)

Peer-Review Board

◆**Dr. Ram Babu Gautam** (Prof. & President-International Hindi Asso.) New Jersi 220, Wheeler Street, Clifsite Park, New Jersi-07010 (America) ◆**Dr. Ram P. Dwivedi** (Visiting Prof.) Tokyo University of Foreign Studies (America) ◆**Dr. Bindeshwari Aggarwal** Prof.-Dept. of Hindi, Newyork University (America) ◆**Dr. Sirish Kr. Pandey** (Prof. - Hindi) Ul Litawashka 37, 51-354, Ursaw (Poland) ◆**Dr. Nitai C. Naag** Prof.-Economics, Chittgang University, Dhaka (Bangladesh) ◆**Dr. Filip Rodriguez-e-Melo** (Principal) S.S. Ambiye Govt. College of Arts & Commerce, Virnoda, Pernem (Gova) ◆**Dr. M. G. Kalavadiya** (Principal) Smt. R. P. Bhalodiya Mahila Arts, Commerce & Science College, Upleta, Rajkot (Gujrat) ◆**Dr. Ajai Saxena** (Principal) D. A-V. College, Dehradoon (U.K.) ◆**Dr. Shyla** (Principal) Kuriyakose Gregorios College, Pampady, Kottayam (Kerala State) ◆**Dr. Alok Kumar** Chinmaya. Degree College, Ranipur, Haridwar (U.K.), ◆**Dr. Mukesh Kr. Rathore** D. N. (P.G.) College, Fatehgarh (U.P), ◆**Dr. Amit Saxena** Khalsa Girls Degree College, Kanpur,◆ **Dr. Amar Srivastava** H. S. (P.G.) College, Kanpur ◆ **Dr. Archna Verma** D. G (P.G.) College, Kanpur◆ **Dr. Vipin Chandra Kaushik** V. S. S. D. College, Kanpur, ◆ **Dr. Anil Kr. Mishra** D. B. S. College, Kanpur, ◆ **Dr. Geeta Asthana** J.D.V.M., Kanpur, ◆**Dr. Mukesh Kr. Singh** Armapur (P.G.) College, Kanpur, ◆ **Dr. Mamta Verma** Juhari Devi Girls (P.G.) College, Kanpur ◆ **Dr. Surachna Trivedi** B.D. Arya Kanya Mahavidyalaya, Lakhimpur-Khiri (U.P.)

Editorial Board

Hindi-

Dr. Priya A. Kuriyakose Gregorios College, Pampady, Kottayam, Kerla
Dr. Amrita Desai Dhinge S. S. Ambiye Govt. Arts, Science & Comm. College, Virnoda, Pernam (Gova)
Dr. Rashmi Chaturvedi M. M. V. Kanpur
Dr. Rakhi Upadhyay D. A. V. (P. G.) College, Dehradoon (Uttarakhand)
Dr. Daya Dixit D. A. V. (P.G.) College, Kanpur
Dr. Alka Dwivedi J. D. G. (P.G.) College, Kanpur
Dr. Premila K. V. M. (P.G.) College, Kanpur

English-

Dr. Nishi Singh M. M. V., Kanpur
Dr. Poonam Dubey D.S.N. College, Unnao
Dr. Nivedita Tandan D.G.(P.G.) College, Kanpur
Dr. Indu Mishra M. M. V., Kanpur
Dr. Manju Tiwari D.A.V. College, Kanpur

Sanskrit-

Dr. Savita Bhatt D. A. V. (P. G.) College, Dehradoon (Uttarakhand)
Dr. Preeti Vadhwani T. D. College, Auraiya
Dr. Puja Srivastava M. M. V., Kanpur
Dr. Shobha Mishra V.S.S.D. College, Kanpur

Education-
Dr. Alpna Rai J.D.G. (P.G.) College, Kanpur
Dr. Geetanjali Maurya D.G. College, Kanpur
Dr. Bindumati Dwivedi Sanskrit University, Haridwar (U.K.)
Dr. Kirti Verma A. N. D. College, Kanpur
Dr. Reeta Srivastava A.N.D. College, Kanpur

Political Science-
Dr. Rajiv Dwivedi Atarra (P.G.) College, Atarra
Dr. Archna Dixit J. D. Girls P.G. College, Kanpur
Dr. Pravita Tripathi R. P. J. D. Colleghe, Hardoi

Sociology-
Dr. Smrit Purwar D.A.V. (P.G.) College, Kanpur
Dr. Satyam Dwivedi D.A-V. (P.G.) College, Ddn
Dr. Archna Mishra M. M. V. Kanpur (U.P.)

Economics-
Dr. Jaya Mishra J.D. G. (P.G.) College, Kanpur
Dr. N. K. Garg S. M. J. N. (P. G.) College, Haridwar (U.K.)
Dr. Alka Soori D.B.S. College, Dehradoon

Phychology-
Dr. Rashmi Rawat D. A. V. College, Dehradoon
Dr. Monika Sahai S.N.Sen (P.G.) College, Kanpur
Dr. Pratima Verma M. M. Vidyalaya, Kanpur

Math-
Dr. Anila Tripathi D. A. V. College, Kanpur
Dr. Anokhe Lal Pathak B.N.D. College, Kanpur
Dr. Shikha Gupta Chinmay College, Haridwar

History-
Dr. Chandani Saxena J.D.G. (P.G.) College, Kanpur
Dr. Archna Shukla M.K.P. College, Dehradoon
Dr. Meera Tripathi M. M. V. , Kanpur
Dr. Shalini Gangwar J. D. P. G. College, Kanpur

Drawing & Painting-
Dr. Hradya Gupt D. A. V. College, Kanpur
Dr. Sarika Bala A.ND.N.N.M. College, Kanpur
Dr. Saurabh Saxena B.J.G.P. (P.G.) College, Unnao

Physics-
Dr. A. K. Agnihotri B.N.D. College, Kanpur
Dr. Prakesh Dubey Janta Degree College, Bakever
Dr. Manoj Kr. Verma S.V.(P.G.) College, Aligarh

Chemistry-
Dr. Archna Pandey B. N.D. College, Kanpur
Dr. (Smt.) Roli Agarwal S.V.(PG) College, Aligarh
Dr. Om Kumari K. K. College, Etawah

Zoology-
Dr. Alok Kr. Srivastava D.B.S. College, Kanpur
Dr. Ajai Kumar Chinmay College, Haridwar
Dr. Madhu Sahgal Jalta College, Ajitmal-Auraiya

Botany-
Dr. Vishal Saxena D. A. V. College, Kanpur
Dr. Manisha Ji Chinmay College, Haridwar
Dr. Santosh Bhatnagar A.N.D. College, Kanpur

Geography-
Dr. Anita Nigam D. B. S. College, Kanpur
Dr. K. C. Tripathi D. B. S. College, Kanpur
Dr. Anjana Srivastava D. G. College, Kanpur

Commerce-
Dr. Nalin Srivastava Christ Church College, Kanpur
Dr. Yogesh Shukla Janta Degree College, Bakever
Dr. Piyush Ji D.A.V. College, Kanpur
Dr. Sudhansu Chaman Ji D.A.V. College, Kanpur
Dr. Alekha Mittal I.M.C.O.S.T., Mumbai (Ms.)

Music-
Dr. Sunita Dwivedi Juhari Devi College, Kanpur
Dr. Nishtha Sharma M.G. College, Firozabad
Dr. Kajal Sharma A. N. D. College, Kanpur

Home Science-
Dr. Ranju Kushwaha Juhari Devi Girls (P.G.) College, Kanpur
Dr. Alka Tripathi D. G. (P.G.) College, Kanpur
Dr. Richa Saxena Juhari Devi (PG) College, Knp.

Managing Editor & Publisher-
Sarveish Tiwari `Rajan'
World Bank Barra, Kanpur-208027

सभी संपादकीय दायित्व पूर्णतः अवैतनिक हैं।

नोट- प्रकाशित आलेखों के विचारों से सम्पादक व प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है । समस्त वाद का क्षेत्र कानपुर होगा।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं प्रबन्ध सम्पादक सर्वेश तिवारी `राजन'** द्वारा **पूजा प्रिन्टर्स** हमीरपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर-208022 से मुद्रित एवं **सुपर प्रकाशन** के-444 `शिवराम कृपा', विश्व बैंक बर्रा, कानपुर-208027 से प्रकाशित। सम्पादक- डॉ. जया मिश्रा मो. **9984578999 । **सम्पर्क -** मो.- 08896244776, 09335597658 **E-mail: super.prakashan@gmail.com, Website : www.abhinavgaveshana.com**

From the Editer Desk .....

A part from the failure to redistributive land and the subsequent neglect of the Agricultural sector, neglect of human development etc. are the major factors that are involved to explain the economic decline of Kanpur. On another level, rampant corruption, the problem of traffics a dismal law and order situation, the breakdown of public infrastructure, the lack of proximity to major ports and labour current have thwarted the Industrial Development of the city Kanpur.

An insecure New Delhi too played a role to block the emergence of leaders in a promise that controlled nearly 120 seats in the house of parliament before the formation of Uttarakhand. The resultant lack of political stability meant insufficient attention to the problems of Uttar Pradesh that is more populous than Brazil; Hence no need to talk about Kanpur only.

The decline of this Old Industrial City, located in the Centralwestern part of the state Uttar Pradesh, was founded way back in 1803, and became one of the most important commercial and military stations of British India; started declining mainly after 1980s. Untill 1980s, some of the engineering graduates from the prestigious IIT, Kanpur used to find jobs in the city itself, but the scene changed with the advantage to globalisation, when no one stayed back. And, after the decline of its industries, Kanpur returned to seed with undue haste. It used to be a modern city equipped with a whole range of leading higher education and tertiary healthcare institutions, an array of railway stations, an airport, power plants, wide roads, a variety of cinema halls, libraries, a bustling philatelic bureau and a leading Hindi daily. A city so vibrant lost its glory, but it went unnoticed, or we can say no efforts have been taken to take care of the city. A city located very close to the capital city of Uttar Pradesh, i.e., Lucknow has been lagging for behind in the field of development. Kanpur, was treated mostly as a step child by the political power of the state, while the contribution of the city in the GDP of Uttar Pradesh comes under the top five cities.

We know, that the biggest setback in the development of Kanpur was the

labour unrest, which forced the industries to shut down. Labourers, became unemployed; Some of them got shelter in Rickshaw Pulling, Vending fruits vegetables etc., white others opted the path of theft, pickpoketing etc. Some of the industrialists, shifted their bases to other cities, while some stayed back. Many of the world Famous Industries closed down, and the city came to standstill. But the problem didn't affect Kanpur only, the neighbouring cities Unnao, Etawah, Auraiya etc. were also affected as the labourers from these cities used to work in the Kanpur, are forced to migrate to Agra, New Delh, Noida, Ghaziabad etc. for their livelihood.

Many of such problems are discussed in this volume of "Abinav Gaveshna'. I hope that our learned readers will be benefitted by the articles published in this volume. And, hope that we'll come out with more such articles in the near future.

- Dr. Jaya Mishra
Associate Professor -
Department of Economics,
Juhari Devi Girl's (P. G.) College,
Kanpur-208004 (U.P.)

Index

Editorial Board -

Dr. Ranju Kushwaha - Chief Editor- Abhinav Gaveshna (Multi Disciplinary Quarterly International Refreed / Peer Reviewed Research Journal) & Associate Professor & Head, Dept. of Home Science, Juhari Gevi Girl's (P.G.) College, Kanpur-208004 (U.P.)

&

Dr. Jaya Mishra : Editor - Abhinav Gaveshna (Multi Disciplinary Quarterly International Refreed / Peer Reviewed Research Journal) & Associate Professor, Dept of Economics, Juhari Devi Girl's (P. G.) College, Kanpur-208004 (U.P.).

1-	**'A Study on Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) Industry in India'**	- Dr. Ravi Rastogi	**07**
2-	**The Significance of Patriotism and Feminism in the Poetry of Sarojini Naidu**	- Dr. Mohd. Umar	**12**
3-	**Environmental Impact of Bioethanol Production from Renewable Agro Waste**	- Pf. Sapna Tripathi	**19**
4-	**Conceptual Perspective of Change Management**	- Dr. Sona Shukla	**26**
5-	**Need for Sustainable Development**	- Ashok Kumar	**29**
6-	**Agroforestry in Conservation of Degraded Environment**	- Dr. Jeinandera Kumar	**35**
7-	**An Overview of Consumers' Cooperative Movement in India**	- Dr. Vijay Kumar Gupta	**40**
8-	गद्यकार महादेवी वर्मा एवं सर्वहारा वर्ग	– डॉ. स्वाति पुरवार	**44**
9-	माध्यमिक स्तर के छात्रों के सक्रिय स्व–अधिगम पर रचनावाद शिक्षण उपागम के प्रभाव का अध्ययन	– उत्तमा सिंह	**47**
10-	हिन्दी नवगीतों में मुक्ति चेतना के स्वर	– सीता सरोज	**52**
11-	मलिक मुहम्मद जायसी कृत पद्मावत में मानवीय मूल्यों का समावेश	– वीरेन्द्र कुमार – डॉ. रमाशंकर यादव	**56**
12-	सांस्कृतिक व साहित्यिक दृष्टि में उन्नाव जनपद	– डॉ. नरेन्द्र कुमार	**60**
13-	हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय सौहार्द्र और प्रेमाभिव्यक्ति	– डॉ. शुभा अग्रवाल	**64**
14-	औपनिवेशिक शासन काल में भारत में श्रमिक संगठनों का विकास एवं कानपुर में उसका प्रभाव	– डॉ. जितेन्द्र सिंह	**67**
15-	मानवाधिकार एवं महिलाएँ	– डॉ. आभा पाण्डेय	**73**
16-	पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी : एक	– डॉ. श्रद्धा शर्मा	**79**

	समाजशास्त्रीय अध्ययन	– श्रीमती सीमा अग्रवाल	
17-	**खाद्य संरक्षण के सिद्धान्त : एक विस्तृत अध्ययन**	– डॉ. अनुपमा सिंह	**82**
18-	**असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का अभाव**	– डॉ. मेघना मिश्रा	**90**
19-	**किन्नर विमर्श : (मंगलामुखी उपन्यास के विशेष सन्दर्भ में)**	– प्रा. डॉ. महादेव चिंतामणि खोत	**95**
20-	**वर्तमान परिदृश्य में झारखण्ड का आदिवासी समाज**	– डॉ. आलोक आनन्द	**98**
21-	**लोक संगीत – लोक मानव की अमूल्य अभिव्यक्ति : एक अभिव्यक्ति**	– डॉ. मोहिनी शुक्ला	**101**
22-	**उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायतों के विकास में ग्राम प्रधानों द्वारा समस्या व सुझावों का वर्गीकरण**	– राम करन – डॉ. सीमा रानी	**109**
23-	**मानवीय मूल्य : स्वरूप और ह्रास**	– डॉ. अनुराधा मिश्रा	**114**
24-	**भारत की कूटनीतिक सफलता**	– डॉ. डी. के. उपाध्याय	**120**
25-	**वैश्वीकृत हिन्दी कविता और साम्प्रदायिकता**	– डॉ. प्रियंका कुमारी	**123**
26-	**भारतीय ग्रामीण विकास में (नाबार्ड) की भूमिका : संगठन, प्रबन्धन, सुविधायें एवं प्रगति के सिद्धान्त**	– डॉ. पूजा सिन्हा	**128**
27-	**समकालीन हिन्दी दलित आत्मकथाओं में संघर्ष**	– दिनेश कुमार	**133**
28-	**वैदिक साहित्य में वर्णित व्यक्ति–व्यक्तित्व : एक खोज**	– डॉ. सपना राठौर	**136**
29-	**पुराण साहित्य में माँ पार्वती चरित्र का विकास**	– प्रो. दिनेश कुमार शुक्ल	**140**
30-	**घरेलू कार्यों के सम्बन्ध में कार्य सरलीकरण पर किये गये शोध कार्य : एक अध्ययन**	– डॉ. रंजू कुशवाहा	**143**
31-	**बुन्देलखण्ड के रासो काव्यों में बुन्देली लोक संस्कृति**	– डॉ. आशुतोष त्रिपाठी	**150**

ISSN : 2394-4366

Received: 03 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

'A Study on Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) Industry in India'

- Dr. Ravi Rastogi
Assistant Professor -
Department of Commerce,
Dr. R. M. L. (P.G.) College,
Kalyanpur-Kanpur-208017
(U.P.)

E-mail:
ravirastogi1981@gmail.com

Abstract

In today's scenario Consumer is the king because he got various choices around him. The FMCG sector is incredibly fast paced. It's not just the products but the processes as well that change at an exceptionally fast rate. Fast moving consumer goods FMCG are a specific category of consumer goods that are sold quickly and at a relatively Low cast. They are called fast moving because they move through the value chain very quickly- from production distribution and marketing to the point of final consumption. Common example of FMCG are packaged foods soft drinks and other beverages, cosmetics and personal care product, stationery, toiletries, etc. they are sold out quickly either because of high demand (sanitizers are a good example- especially doing current times or because they are perishable(dairy products, confectioneries, etc). This Research Paper basically deals with market Size, Growth of FMGC sector. Moreover this paper also focuses on the role of the government to promote of Fast moving consumer goods sector.

Keywords: ***FMGC, GDP, Growth, Consumer, Goods, Retail.***

Introduction -

The Fast-moving consumer goods (FMCG) sector is the 4th largest sector of the Indian economy. It is characterized by high turnover consumer packaged goods, i.e. goods that are produced, distributed, marketed and consumed within a short span of time. FMCG products that dominate the market today are detergents, toiletries, tooth cleaning products, cosmetics, etc. The FMCG sector in India also includes pharmaceuticals, consumer electronics, soft drinks packaged food products and chocolates. Since the sector encompasses a diverse range of products, different companies dominate the market in various sub-sectors. However, some of the top FMCG companies in India are- Dabur (60%), Colgate (54.7%), Hindustan Unilever (54%).

The FMCG sector in India expanded due to consumer-driven growth and higher product prices, especially for essential goods. FMCG sector provides employment to around 3 million people accounting for approximately 5% of the total factory employment in India. FMCG sales in the country was expected to

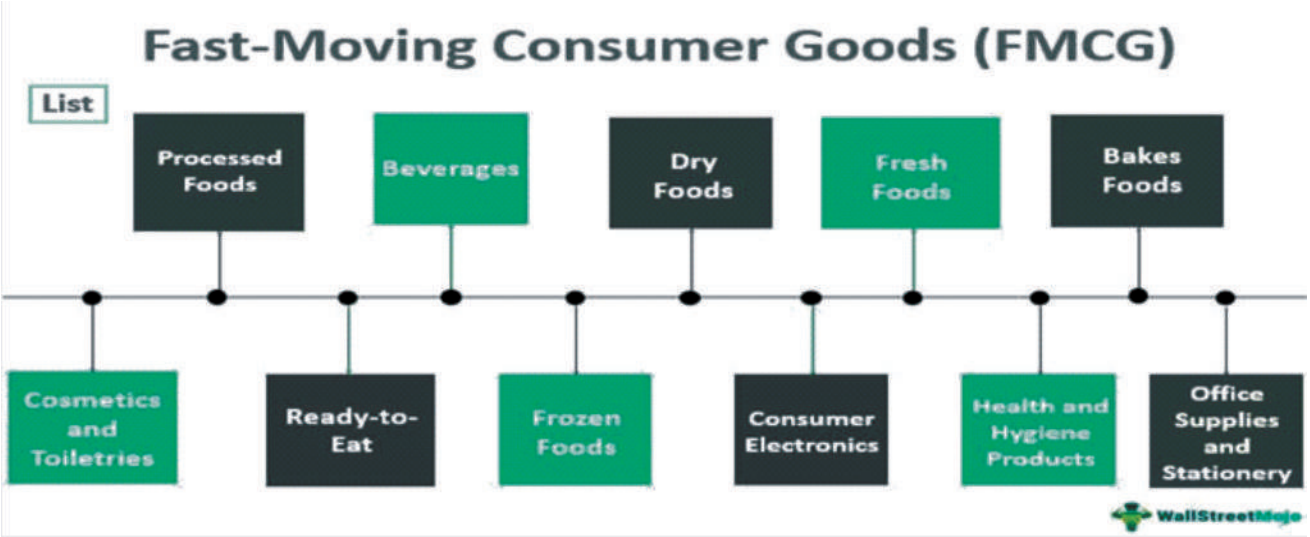

grow 7% to 9% by revenues in 2022-23. The key growth drivers for the sector includes favorable Government initiatives & policies, growing rural market and youth population, new branded products, and growth of e-commerce platforms. Resilience needs to be the key factor in the manufacturing process, daily operations, retail and logistic channels, consumer insights and communication will also help FMCG companies to withstand the test of time and create more value for consumers in the long run.

Fast Moving Consumer Goods in India -

1 – Processed Foods
2 – Beverages
3 – Dry Foods
4 – Fresh Foods
5 – Bakes Foods
6 – Cosmetics and Toiletries
7 – Ready-to-Eat
8 – Frozen Foods
9 – Consumer Electronics
10 – Health and Hygiene Products
11 – Office Supplies and Stationery

Properties of FMCG Products -

The lifespan of FMCG goods is very short, and the products have usually been sold or replaced within a few days / few weeks / within a few months or in a short time. Although sales profitability is weak in FMCG products relative to others, net profit is still higher as they are sold commercially in a large quantity. The globalization of the internet and the development of the brand population that has occurred over the past quarter of a century have contributed to a large extent to demand FMCG goods. FMCG 's achievement with the company relies largely on brand value, promotions, the distribution system and comprehensive knowledge of customer behaviour and request. Characteristics of FMCG products are described below.

The Consumer Perspective-

High availability- FMCG products are usually widely available and sold in several stores and supermarkets worldwide. This allows consumers to purchase these products easily without too much trouble.

Purchased frequently- FMCGs include products that consumers frequently require, usually daily or near-daily. For example, breads and coffee are generally bought at least once a week.

Low buying effort- FMCGs are usually low effort purchases for the consumer. For example, with shampoo, most people know that they prefer a particular brand or type without testing it. This means that most people enter the store knowing exactly what they want and buy it straight away.

Low Cost- FMCGs are usually inexpensive compared to other products on the market, therefore taking up a smaller proportion of consumers' income.

Rapid Consumption- The time between buying the product and consuming it is very short,

often only a number of hours. For example, a loaf of bread might be purchased in the morning and consumed at lunchtime that same day.

The Retailer Perspective-

High Turnover Rate- FMCG sales are higher than other product types' sales as they are purchased frequently by consumers. This means that retailers can keep inventory for these products for shorter periods of time, which ultimately reduces costs.

Highly Distributed- Since these goods have high demand and low cost, they usually need to be widely available and distributed across different locations and regions. For instance, there might be several different supermarkets in a town that all sell the same bread brand.

Low Unit Cost- As FMCGs have a high demand and low cost, they usually have a low unit price for consumers. This means that retailers can sell these products at a low price and still retain the same profit margin. This is different from luxury items that usually have a high unit cost but lower demand, meaning that they must be sold at a higher price to maintain the retailer's desired level of profit.

Non-durability- FMCGs are not built to last. This is because they have a short time span from production until consumption. They are also required in large quantities so manufacturers do not need to preserve them for long periods of time, which allows them to be sold at lower prices.

FMCG Market in India -

The FMCG sector is one of the largest sectors of the Indian economy. According to an FMCG industry overview, revenues of the FMCG sector reached $ 52.75 bn in FY18, and reached to reach $ 103.7 bn in 2020. As consumption in India grows at an unprecedented rate, the FMCG industry remains a key sector for investors. Acknowledging these trends in the FMCG industry profile, the Government of India has undertaken various initiatives to promote the sector. For instance, 100% FDI is permitted in SBRT and cash-and-carry models of retail, and the minimum capitalization for foreign FMCG companies to invest in India is $ 100 mn. However the implementation of GST in India has had far-reaching consequences for the sector, as the highest selling FMCG products such as soap, toothpaste and hair oil now comes under the 18% tax bracket (as opposed to the previous 24%).

Top players in the Indian FMCG market-

- Hindustan Unilever Ltd- Market Value: ₹5,59,214 Crore.
- ITC Limited- Market Value: ₹3,38,335 Crore.
- Nestle India- Market Value: ₹1,63,797 Crore.
- Dabur India- Market Value: ₹1,07,618.26 Crore.
- Godrej Consumer Products Ltd.- Market Value: ₹94,031.44 Crore.
- Britannia Industries Ltd-Market Value: ₹86,028.52 Crore.
- Tata Consumer Products Ltd.-Market Value: ₹76,677.71 Crore.
- Marico - Market Value: ₹69,997.93 Crore.
- Varun Beverages Ltd.Market Value: ₹41,122.99 Crore.
- Glaxo Smith Kline Consumer Healthcare Ltd-Market Cap: ₹37,727 Crore.

Investments in FMCG Industry-

Favorable demand drivers such as rising income levels and growing urbanization, among others, have recently encouraged major and diverse investments in the FMCG sector. While top FMCG companies are expanding their capacity to feed the growing domestic demand, homegrown brands have ventured into international markets. Some of these include-

1. Patanjali- Their success has encouraged the brand to look at the international stage, with plans to set up a 100% export-oriented manufacturing unit in Milan SEZ, Nagpur .

2. RP-Sanjiv Goenka Group- They have created a venture capital fund of $ 14.74 mn to invest in FMCG startups. This move was made taking into account the capital appreciation in the FMCG sector-

Growth of FMCG Industry in India -

India's e-commerce industry recorded a 36.8% year-on-year growth in 2022. Indian e-commerce market is anticipated to reach a value of Rs. 26,459.18 billion (US$ 319.3 trillion) by the end of 2027, expanding at a CAGR of ~26.71% during the 2022-27 period. The market has grown exponentially over the past five years due to the surge in internet and smartphone users, improved policy reforms, and increase in disposable income. Mobile wallets, Internet banking, and debit/credit cards have become popular among customers for making transactions on e-commerce platforms. As of 2021, there were 1.2 million daily e-commerce transactions. The total value of digital transactions stood at US$ 300 billion in 2021 and is projected to reach US$ 1 trillion by 2026.

The India online grocery market size has been projected to grow from US$ 4,540 million in 2022 to US$ 76,761.0 million by 2032, at a CAGR of 32.7% through 2032.

FMCG giants such as Johnson & Johnson, Himalaya, Hindustan Unilever, ITC, Lakmé and other companies (that have dominated the Indian market for decades) are now competing with D2C-focused start-ups such as Mamaearth, The Moms Co., Bey Bee, Azah, Nua and Pee Safe. Market giants such as Revlon and Lotus took ~20 years to reach the Rs. 100 crore (US$ 13.4 million) revenue mark, while new-age D2C brands such as Mamaearth and Sugar took four and eight years, respectively, to achieve that milestone.

Advertising volumes on television recorded healthy growth in the July-September quarter, registering 461 million seconds of advertising, which is the highest in 2021. FMCG continued to maintain its leadership position with 29% growth in ad volumes against the same period in 2019. Even the e-commerce sector showed a healthy 26% jump over 2020.

Government Policies to Promote the FMCG sector in India -

The major initiatives taken by the Government to promote the FMCG sector in India are as follows-

- The Union Budget 2023–2024 offers incentives for advances in food infrastructure research & development, and innovation, which is extremely encouraging for the FMCG sector's modest growth.
- The government's initiative to promote millets for its health benefits would increase the consumption and production of the millets in the nation. To support this, the government declared that the Indian Institute of Millet Research in Hyderabad will become a worldwide centre of excellence for the exchange of best practices, knowledge, and innovations.
- In 2022, Government announced that the food processing industry has invested Rs. 4,900 crore (US$ 593 million) so far under the PLI scheme, which was approved in March 2021, with a budget outlay of Rs. 10,900 crore (US$ 1.3 billion), likely to increase sales and exports of food products.
- In 2022, a total of 112 food processing projects were completed and operationalized, leveraging the private investment of Rs. 706.04 crore (US$ 85.4 million) and generating direct and indirect employment for 25,293 people.

As per the Union Budget 2022-23-

- Rs. 1,725 crore (US$ 222.19 million) has been allocated to the Department of Consumer Affairs.
- Rs. 215,960 crore (US$ 27.82 billion) has been allocated to the Department of Food and Public Distribution.
- In 2021-22, the government approved Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI) with an outlay of Rs. 10,900 crore (US$ 1.4 billion) to help Indian brands of food products in the international markets.
- In November 2021, Flipkart signed an MoU with the Ministry of Rural Development of the Government of India (MoRD) for their ambitious Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) programme to empower local businesses and self-help groups (SHGs) by bringing them into the e-commerce fold.
- The Goods and Services Tax (GST) is

beneficial for the FMCG industry as many of the FMCG products such as soap, toothpaste and hair oil now come under the 18% tax bracket against the previous rate of 23% to 24%. Also, GST on food products and hygiene products has been reduced to 0% to 5% and 12% to 18% respectively.

Opportunities in the FMCG Industry -

Open Work Opportunity Diverse business fields, and large consumer demand, promise to bring have job opportunities for employees. Besides, the labor market is also very diverse. The commodity industry requires a large labor force at all levels and positions. No matter what industry you are in, this environment offers job opportunities.

1. Encourage Creativity and Adaptability-

The FMCG industry has great competitive pressure from the market and competitors. Therefore, businesses must be at the forefront of all trends. They must find creative, novel ideas, communication campaigns, and marketing to stimulate consumers. Therefore, this is an extremely "fertile" land for creative minds to exploit, plant ideas, and be highly adaptable.

2. Opportunity To Work In Big Corporations-

FMCG companies are usually well-known businesses with a long history and strong development, which is a dream working environment for employees. When working at international corporations such as Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, P&G, Nestle, and Johnson & Johnson... you will have the opportunity for promotion and excellent benefits.

3. Working with Outstanding People-

When you work at big companies, you will have the opportunity to learn from excellent people. Especially for people working in back-office blocks such as branding, trade marketing, and distribution, face-to-face meetings with leaders will be a great opportunity to learn and expand relationships.

Conclustion -

Indian Market is becoming the 'dream market' for FMCG Sector which is rapidly increasing demand for all classes of product. FMCG is an abbreviation for fast-moving consumer goods, these products are part of our everyday life as we see and use them regularly such as; beverages, cleaning products, clothes, consumer electronics, OTC medications etc. these goods are purchased and consumed rapidly because of high requirement and low price.

The fast-moving consumer goods market is large. Top leading companies like Coca-cola, Nestle, and Unilever are key market players. Apart from manufacturers, there are wholesale and distribution opportunities in FMCG. The industry is huge in manufacturing, distribution and retail.

Reference

1. Mckinsey & Company, (2013) .The 30$ trillion decathlons : How consumer companies can win in emerging market .
2. Sauri Gudlavalleti, Shivanshu Gupta and Anath Narayanan (2013), Developing winning product for emerging market Mckinsey quarterly.
3. Singaravelu, K and Chella Durai(2013), Distribution System on Fast Moving Consumer Goods- Changes and Challenges' Asia Specific Journal Research 1.8,19-26.
4. Sharanya, A. M. (2018) A Study on Marketing Perspective of Fast Moving Consumer Goods (FMCGs). IJAR5-3 (March, 2017) :1106-1110.
5. Muneeswaran, K and Vethirajan, C, (2013 Consumer Behaviour on Fast Moving Consumer Goods- A study with Reference to Personal Care Product in Maduari, Internal Journal of Research in Computer Application and Management , Vol3, Issue 5 pp 22.
6. Bhagat, Kishori Jagdish (2012) Consumer Behaviour of Teenager with Reference to Fast Moving Consumer Goods - in the Mumbai Region-Maharashtra India, Proceedings of International Conference on Business amazement.
7. Akash, S. Savalasang (2014)' 'The Changing Face of FMCG Marketing in Rural Sector' Internal Journal of Business and Administration Research Review 1.5,1-5.
8. Kavitha T.C. (20120 ' A Comparative Study of Growth Challenges and Opportunities in FMCGs of Rural Market' Inter- science Management Review (IMR) 2.3 23-28.
9. Ms.Uma Priyaadharshini and Dr. S. A.LOURTHURAJ, An Empirical Analysis on Semi Strong From Efficiency in Select FMCG Companies listed in Nse. International Journal of Management 6(10, 2015,pp343-347.
10. Indian brand Equity foundation (2016), FMCG Report.
11. Indian brand Equity foundation (2017), FMCG Report.
12. Indian brand Equity foundation (2020), FMCG Report.
13. Indian brand Equity foundation (2022), FMCG Report.

ISSN : 2394-4366

Received: 03 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

The Significance of Patriotism and Feminism in the Poetry of Sarojini Naidu

- Dr. Mohd. Umar
Assistant Professor -
Department of English,
A. M. Degree College, Rae Bareli-243001 (U.P.)

E-mail:
omshah934@gmail.com

Introduction -

Sarojini Naidu (**Chattopadhyay**) was born on 13 February 1879 and died on 2 March 1949. She was an Indian independence activist and poet. She was born in a Bengali Hindu family at Hyderabad and was educated in Chennai, London and Cambridge. Her father's name was Aghorenath Chattopadhyay. and mother's name was Barada Sundari Devi Chattopadhyay, was a poet and used to write poetry in Bengali. She was the eldest of the eight siblings. Her brother Virendranath Chattopadhyaya was a revolutionary, and another brother Harindranath was a poet, a dramatist, and an actor. She was known as **"The Nitingale of India"** She married with Dr. Govindarajulu Naidu and settled down in Hyderabad. She took part in the National Movement, became a follower of Mahatma Gandhi and fought for the attainment of Swaraj. She became the President of Indian National Congress and later she was appointed to the Governor of the United Provinces, now Uttar Pradesh.

Her Indian weavers, corn Grinders and such different ballads are noted for their rhythmic flow and trademark Indian imagery. Patriotism has been very solid in Sarojini Naidu since her youth days. Love for homeland is a passion with her, and for a mind-blowing duration she is seen struggling between two similarly powerful forces in her – her craving to sing tunes of excellence, love and life and her urge to serve her nation. Governor of united Provinces (15 August 1948 – 2 March 1949 in uttar Pradesh (India). Her parental home was at Brahmangaon in Bikrampur (in present-day Bangladesh Sarojini Naidu, having passed her matriculation examination from the University of Madras, took a four-year break from her studies. In 1895, H.E.H. the Nizam's Charitable Trust founded by the 6th Nizam, Mir Mahbub Ali Khan who gave her the chance to study in England, first at King's College London and later at Girton College, Cambridge. She was Known as the **'Nightingale of India'** she was also a noted poet. Her poetry includes children's poems, nature poems, patriotic poems and poems of love and death. She also wrote poetry in praise of Muslim figures like Imam Hussai She was the first Governor of uttar pradesh . and firtiest presisident of congress in india. Sarojini Naidu was a standout amongst the most melodious poets in Indian English poetry. She began composing

poetry at eleven years old years in 1890. At the age of thirteen, She wrote a long sonnet of 1300 lines called **The Lady of the Lake** in six days as it were. Her poetry is pictorial has the sentimental clouring and smooth rhythms of the Georgians and shows ideal mastery over her picked medium. She makes progress in the treatment of Indian imagery and the statement of Indian personality.

Sarojini met Paidipati Govindarajulu Naidu, a physician, and at the age of 19, after finishing her studies, she married him. At that time, Inter-caste marriages were not as common as they are today, but both their families approved their marriage.The couple had five children. Their daughter Paidipati Padmaja also joined the independence movement and was part of the Quit India Movement. She was appointed the Governor of the State of West Bengal soon after Indian independence.

Objectives of the Research Study-

It's universal truth said that the successful life is exists or depends by the hands of woman . which followes truly to sarojini naidu in Indian. And in the life of all the women in India. She was the braviour and revoulator also for independence of india. So it is universal truth said in Indians idioms and phrase that the victorious peoples are succeed by the hand support of the woman. Which is absolutely observing and helping in the life of modern , social works and achievements life of women in india. Like that the sarojini naidu inspired to all women and society of india for hard works, literary acheivemrnts, contribution for indianship, social reformers, and democratic revolutions in the forms of patriotism and feminism in her poetries. Along this the following points can approve that the sarojini naidu gave the biggest bless and weapon of active and all over developments for female in this 20th era's India. We can show the strictly examples of that's the ideal of sarojini naidu. Like Kalpana Chanwla Famous Austronotist Kiran Vedi,, and in biggest leadershs Pratibha Devi Singh Paatil, Bachhendri Paal,, Indira Gandhi,, Jhaansi ki Raani, as well as loksabha speaker Sumitra Mahajan etc. then finally we can prove and justify that these referenced greatest and warrior women are also the credit and Inspiration receipient by Sarojini Naidu.

1. To trace the origin of Indo-Anglian poetry and also discussed the development of Indo-Anglian poetry during different stages.

2. To depict the theme of nature through Sarojini's Naidu'poems and endeavoured to reflect as to how nature in its human context.

3. To depict the Sarojini Naidu as a poetess of love through her many lyrics on the theme of love.

4. To understand Indian folk, culture, values, landscape, through Sarojini Naidu's poetry.

5. To know the eternal truths about life and death through Sarojini Naidu's poems on life and death.

6. To present Sarojini Naidu's secular outlook, patriotic ardour and a veritable picture gallery of Indian life.

Political Career-

Sarojini Naidu (extreme right) with Mahatma Gandhi during Salt Satyagraha, 1930. Naidu joined the Indian national movements in the wake of partition of Bengal in 1905. She came in contact with Gopal Krishna Gokhale, Rabindranath Tagore, Muhammad Ali Jinnah, Annie Besant, C. P. Ramaswami Iyer, Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru.[citation needed] Sarojini Naidu began writing at the age of twelve. Her Persian play, Maher Muneer, impressed the Nawab of Hyderabad. In 1905, her first collection of poems, named The Golden Threshold was published The volume bore an introduction by Arthur Symons. Her poems were admired by prominent Indian politicians like Gopal Krishna Gokhale.

The Father of The Dawn which contained poems written in 1927 by Naidu was edited and published posthumously in 1961 by her daughter Padmaja Naidu.[7] In 1915–18, she travelled to different regions in India delivering lectures on social welfare, women's empowerment and nationalism. She also helped to establish the

Women's Indian Association. She was sent to London along with Annie Besant, President of home rule league and Women's Indian Association, to present the case for the women's vote to the Joint Select Committee. In April 1947 she was present at the Asian Relations Conference in Delhi where the Tibetan Government Representative, Sampho Theiji, said, "In a similar way we are very glad to meet representatives from all the Asian countries in this Conference and we wish to express our sincere gratitude to the great Indian leaders, Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and Mrs. Sarojini Naidu, and to all the distinguished representatives who have gathered in this Conference.

Congress Party President-

In 1925, Naidu presided over the annual session Sof Indian National Congress at Cawnpore (now Kanpur). In 1929, she presided over East African Indian Congress in South Africa. She was awarded the Kaisar-i-Hind Medal by the British government for her work during the plague epidemic in India. Sarojini Naidu plants a tree in Mehrauli, Delhi. In 1931, she participated in the second round-table conference with Gandhiji and Madan Mohan Malaviya. She was jailed, along with Gandhi, Jawaharlal Nehru, Madan Mohan Malaviya, and others for participating in the Salt March, when 1st Round Table Conference took place in London. She played a leading role in the Civil Disobedience Movement and was jailed along with Gandhi and other leaders. In 1942, she was arrested during period of the "Quit India Movement.

Death and Legacy-

The ashes of Sarojini Naidu kept at Golden Threshold, Hyderabad before immersion Naidu is commemorated in the names of several institutions, including the Sarojini Naidu College for Women, Sarojini Naidu Medical College, Sarojini Devi Eye Hospital and Sarojini Naidu School of Arts and Communication, University of Hyderabad. Aldous Huxley wrote "It has been our good fortune, while in Bombay, to meet Mrs. Sarojini Naidu, the newly elected President of the All-India Congress and a woman who combines in the most remarkable way great intellectual power with charm, sweetness with courageous energy, a wide culture with originality, and earnestness with humour. If all Indian politicians are like Mrs. Naidu, then the country is fortunate indeed. Her 135th birth anniversary (2014) was marked by a Google Doodle on Google India's homepage. In 2018, she was among 150 "Leading Women" featured by the University of London to mark the 150 years since women gained access to higher education in the UK in 1868.

The Golden Threshold is an off-campus annexe of University of Hyderabad. The building was the residence of Naidu's father Aghornath Chattopadhyay, the first Principal of Hyderabad College. It was named after Naidu's collection of poetry. Golden Threshold now houses Sarojini Naidu School of Arts & Communication of University of Hyderabad. During the Chatto-padhyay family's residence, it was the centre of many reformist ideas in Hyderabad, in areas ranging from marriage, education, women's. empowerment, literature and nationalisism.

Sarojini Naidu's Feminism Poetries

Royal Tombs of Golconda-

- The Gift of India.
- The Humayun To Zobeida.
- Palanquin Bearers.
- Indian Weavers.
- Autumn Song.
- An Indian Love Song.
- Life.

Sarojini Naidu was not a beginner, as was Margaret Cousins nor a radical activist like Pandita Ramabai, nor a staunch feminist, as she often declared in her various conferences. She was a controversial figure in Chiara Corazza DEP n. 37 / 2018 66 feminist studies also for her poetry, ambiguously exalting social injustices, like sati and purdah, and the patriarchal status quo of a feudal society in which women are subjugated by men. However, it is interesting to compare her controversial poetry to her life experience, which

are dissonant. She was an emancipated woman: Sarojini, member of a Brahmin family, had an inter-caste marriage with a doctor; she was educated abroad, in England. She travelled a lot, giving lectures and public speeches about poetry and politics. She led civil disobedience while Gandhi was in prison, she actively took part in marches, parades, public speeches and the satyagraha movement. She was appointed President of the Indian National Congress and President of the All-India Women Conference. She was Governor of Uttar Pradesh. She fought for women's education, women's franchise, and women's advancement in society. She wanted to find a different path from Western-style feminism for Indian women. She did not want conflict between the sexes, but mutual cooperation for a common causes.

Sarojini Naidu's Deeds and Achievements -

- Alumni of King's College London
- Alumni of Girton College, Cambridge
- Indian independence activists from Andhra Pradesh Indian.
- English-language poets from India
- Presidents of the Indian National Congress
- Brahmos
- Indian women poets
- Women state governors of India
- People from Bikrampur
- Women in Uttar Pradesh politics
- Indian National Congress politicians from Telangana
- Women Indian independence activists
- 19th-century Indian women politicians
- 19th-century Indian politicians
- 20th-century Indian women politicians
- 19th-century Indian women writers
- 20th-century Indian women writers
- 19th-century Indian poets
- Women writers from Telangana
- Bengali female poets.

Patriotism and Contributed Works -

Patriotism means the conservations and lookafter of nations by the useful and utilisated creationa and articles. a noble sentiment of love, pride and sacrifice for the sake of country and its people. It is spiritual ideal. The glory of India lies in the immense patriotic fervour and zeal of all Indians, their devotion and love to serve their country with head and heart. The holy passion of patriotism flows in their blood. They may be belonging to any religion caste or creed but they are Indian first and Indian last. They worship 'Bharat Mata' as their own mother. This deep love for the motherland is because the mother conceived is not an ordinary religious deity but a living entity, the mother country in which they are born, they live and move. The history of India's freedom shines through the immortal courage of the heroic personalities like Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Jawahar Lal Nehru, Gopal Krishna Gokhale, Vivekananda, Ravinder Nath Tagore, Sri Aurbindo, Bakim Chandra Chatterjee, Keshab Chandra Sen, Sarojini Naidu, Bhagat Sigh, Rajguru, Sukhdev, Udham Singh, Chandra Shekhar Azad, and above all Subhash Chandra Bose and many more who lived in the age of national upsurge and sacrificed their whole life for the sake of their beloved country India. They regarded their country as the breath of their being. They were the true spiritual heroes, the self denying 'tapasvies' who merged their being in the being of their country. It is in India no where else in the whole world, that we come across of self passionate intensity of patriotism.

The Famous and Feminism Related Poetries -

- An Indian Love Song
- Humayun to Zubeida
- The Poets's Love Song
- The Dance of Love
- A Rajput Love Song
- Persian Love Song and
- The Song of Radha.

Sarojini Naidu's Eugenic Feminist Renaissance-

My research scope and verified that the sarojini naadu's achievements improved the

miserable conditions into rightful luxurious life of women in india. nationalist feminist poet Sarojini Naidu's speeches and nationalist poetry from the first part of the twentieth century up to Indian independence in 1947. In her work, Naidu challenged both patriarchal national and imperial feminist discourses by insisting that nationalist regeneration can only happen through the agency of Indian women. She posited the new bourgeois Indian woman as the model for a feminist modernity. Naidu sought to oppose in her political speeches that resurfaces in her pastoral poems a Romantic nostalgia that insists subalternity cannot be a part of the modernizing nation. Minnesota Scholarship Online requires a subscription or purchase to access the full text of books within the service. Public users can however freely search the site and view the abstracts and keywords for each book and chapter.

"As long as I have life, as long as blood flows through this arm of mine, I shall not leave the cause of freedom…I am only a woman, only a poet. But as a woman, I give to you the weapons of faith and courage and the shield of fortitude. And as a poet, I fling out the banner of song and sound, the bugle call to battle. How shall I kindle the flame which shall waken you men from slavery…"

There is one person whose contributions made a lot of difference for women in a country where they were simply "caretakers" and "nurturers"; the poet and politician Sarojini Naidu. She was the first female governor of an Indian state and the first Indian woman to be President of the Indian National Congress (INC) party.Sarojini Naidu was born on February 13th, 1897 in Hyderabad, to Aghore Nath Chattopadhyay and Barada Sundari Devi. Her father was the founder and the administer of Hyderabad college, which later came to be known as Nizam College, Hyderabad. Sarojini married Govindarajulu Naidu at the age of 19 which was an inter-caste marriage. They had 5 children including their daughter Padmaja who herself was a voice in Indian freedom movement. Padmaja Naidu went on to become the Governor of West Bengal on 3rd November 1956.

Political Career-

Sarojini Naidu was a prominent figure as a woman in Indian politics. She joined politics after the partition of Bengal by **Lord Curzon**, viceroy of India, in 1905, which affected her deeply. She met Gopal Krishna Gokhale through whom she came into contact with several prominent faces of India's freedom struggle including Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore and Annie Besant. She was urged by Gokhale to use her intellect for the cause and she dedicated herself to politics and Indian freedom movement, taking a respite from writing.

In 1916, she fought against the British for the rights of farmers in **Champaran**, Bihar, who were forced to grow indigo instead of the food crops that they required for their survival. She went to England as one of the members of All India Home Rule deputation as a delegate in 1919. In 1925, she joined Congress party and presided over in the annual INC session and, was the second female president of the same after Annie Besant (who took over in 1917). She took over authority in East African Indian Congress in South Africa. In 1931, she participated in the round table conference with Mahatma Gandhi and Madan Mohan Malaviya. One of the major aspects of Sarojini Naidu's role in India's freedom struggle was during **Salt Satyagraha**, where she participated with many women protesters at Dharsana Salt Worksin Gujarat. The Salt Satyagraha movement met with flak from British forces but received a lot of publicity from around the world which led to the questioning of the legitimacy of British rule in India. She was a leading freedom fighter in the Civil Disobedience Movement where she was jailed along with many other leaders and, during the **Quit India** movement. Sarojini Naidu was the first female governor of India – she served as the Governor of United Provinces in Agra and Oudh from 1947 to 1949.

Literary Career-

As a child, Sarojini was a very bright

student. She was proficient in 5 languages; Hindi, English, Persian, Urdu, Telugu and Bengali. She began writing fiction at the age of 12. Her father, after she aced her matriculation exams from the Madras University, wanted her to be a mathematician but Sarojini expressed her desire to be a poet. She wrote a poem that was 1300 lines long called "Lady Of The Lake" which impressed her father, who went on to encourage her work. Her Persian play "Maher Muneer" was well received by the Nawab of Hydera bad, Nizam who subsequently granted her a scholarship to study overseas.

In 1905, her first collection of poems was published under the title "The Golden Threshold". Later, her poem collections "The Bird of Time" and "The Broken Wings" were published. Both of these attracted a wide readership in India and England. She also wrote essays and articles about her political views and women's rights issues in India. In 1961, her daughter Padmaja helped in editing and publishing of her poem collection "The Feather Of The Dawn" posthumously.

Sarojini Naidu is one of the most celebrated poets of India known for the lyrical and musical nature of her writings, using many rhymes and meters filled with rich imagery. This earned her the title "Nightingale of India".

Role in Women's Rights Movement in India-

Sarojini Naidu played an important role in women's rights struggle in India. She helped in shaping Women's Indian Association in 1917 with Annie Besant and others. The Association sought equal rights including the right to vote and represent. She presented the need to include more women in the Congress and in the freedom struggle. During 1918, British and Indian feminists including Naidu set up a magazine called "Stri Dharma" to present international news from a feminist perspective. Along with Annie Besant, who was the President's Rule League at that time, she went to London to present the case for women's right to vote to the Joint Select Committee. In 1931, the Congress promised to established women's right to vote when it came in power. It was enacted along with India's independence in 1947 and universal suffrage is a major facet in the Indian constitution. During the time period 1915-1918, she traveled to different regions in India to lecture on women's rights, social welfare of women and nationalism. A contemporary poet, Bappaditya Bandopadhyay quoted "Sarojini Naidu inspired the Indian Renaissance Movement and had a mission to improve the life of Indian woman."

Apart from her role as a poet, governor and women's rights activist, she has had many achievements. She was awarded the Kaiser-i-Hind medal by the British government for her vehement work during the plague epidemic in India. The name "**Kaiser-i-Hind**" literally means "emperor of India" and it was given to "any person without distinction of race, occupation, position, or sex … who shall have distinguished himself (or herself) by important and useful service in the advancement of the public interest in India" by the British Monarch. She followed Gandhi's "non-violent" protest and traveled around India for the same. She is also regarded as the first person to hoist the Indian flag on an international platform; in the United States of America and England. For her selfless contribution during Indian freedom struggle, she was appointed as the president of INC. She died on March 2nd, 1949 and until her death, she served her role as the governor of united provinces in Agra and Oudh. Sarojini will live on as the major contributors in India's freedom movement as well as the women's rights movement.

Conclusion of the Research Study-

The Conclusion of my research study goes particularily in the fevour of the all societies women in India that The woman power is omnipotential power which can change earth into heaven. As well as my research will inspire to the peoples that **Everything is possible, Even Impossible says I'm possible** but needs to desire and intensily hardwork. How can it be, that the subject, taken to be the condition for, and instrument of agency, is at the same time the effect

of subordination, understood as deprivation of agency? (Judith Butler, The Psychic Life of Power: Theories in Subjection: 10) In the Indian women's movement, Sarojini Naidu was not a beginner, as was Margaret Cousins nor a radical activist like Pandita Ramabai, nor a staunch feminist, as she often declared in her various conferences. She was a controversial figure in Chiara Corazza DEP n. 37 / 2018 66 feminist studies also for her poetry, ambiguously exalting social injustices, like sati and purdah, and the patriarchal status quo of a feudal society in which women are subjugated by men. However, it is interesting to compare her controversial poetry to her life experience, which are dissonant. She was an emancipated woman: Sarojini, member of a Brahmin family, had an inter-caste marriage with a doctor; she was educated abroad, in England. She travelled a lot, giving lectures and public speeches about poetry and politics. She led civil disobedience while Gandhi was in prison, she actively took part in marches, parades, public speeches and the satyagraha movement. She was appointed President of the Indian National Congress and President of the All-India Women Conference. She was Governor of Uttar Pradesh. She fought for women's education, women's franchise, and women's advancement in society. She wanted to find a different path from Western-style feminism for Indian women. She did not want conflict between the sexes, but mutual cooperation for a common causes.

References

1- Kiran Sharma (2015) "Sarojini Naidu's Poetry: An Evergreen Plant of Poetic Fragrance" International Journal of Multidisciplinary Research and Development Volume 2; Issue 11; November 2015; Page No. 36-38

2- Dr. Madhu Jindal (2014) "Sarojini Naidu: A True Nightingale of India – With Particular Reference to Her Poem "Song of Radha, the Milkmaid" Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) November 2014, Volume 1, Issue 11 www.jetir.org (ISSN-2349-5162) pp-188-193

3- Roy, Vijay. (2013). A Study of Ecology and Literature with Special Reference to the Major Poems of Rabindranath Tagore and Sarojini Naidu. Virtuoso. 3. 15-21.

4- Sarojini Naidu, "Suttee" from the Sceptred Flute, p.18.

5- Women in Modern India. Cambridge: Cambridge University Press. George, Betsy. 2016.
The Evolution of Feminism in India through Women Writers of the Colonial Period, University of New York. Thesis. Ghadai, Ummekulsoom. 2014.

6- A Postcolonial feminist analysis of Sarojini Naidu's Political Rhetoric (1915-1918).

7- The Role of Women in the Freedom Movement (1857-1947). New Delhi: Sterling. Kumar, Anu. 2014.

8- Sarojini Naidu. The Nightingale and the Freedom Fighter. Hachette India. E-edition. Nair, Janaki. 2008. "The Troubled Relationship of Feminism and History". Economic and Political Weekly, 43 (43): 57- 65. Chiara Corazza DEP n. 37 / 2018 69 Morton, Eleanor. 1954.

9- Women Behind Mahatma Gandhi. London: Max Reinhadt. Naidu, Sarojini. 1905.

10- The Golden Threshold. London: William Heinemann. – 1912.

11- The Bird of Time. Songs of Life, Death and the Spring. London: William Heinemann. – 1917.

12- Sarojini Naidu. Selected Letters 1890s to 1940s. New Delhi: Kali for Women. Paranjape, Makarand R. 2012.

13- Modernist Voyages: Colonial Women Writers in London (1890 – 1945). New York: Cambridge University Press. Sutherland, Sally J. 1989.
The Mahatma and the Poetess. Being a selection of letters exchanged between Gandhiji and Sarojini Naidu. Mumbai: Kulapati Munshi Marg. Sengupta, Padmini. 1966.

ISSN : 2394-4366

Received: 11 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

Environmental Impact of Bioethanol Production from Renewable Agro Waste

- Pf. Sapna Tripathi
Professor - Dept. of Chemistry, D. B. S. (P.G.) College, Kanpur-208005 (U.P.)

E-mail:
sapanashukla097@gmail.com

Abstract

Alternatives to petroleum-derived fuels are being sought in order to reduce the world's dependence on non-renewable resources. The most common renewable fuel today is ethanol derived from corn grain (starch) and sugar cane (sucrose). It is expected that there will be limits to the supply of these raw materials in the near future, therefore lignocellulosic biomass is seen as an attractive feedstock for future supplies of ethanol. However, there are technical and economical impediments to the development of a commercial processes utilizing biomass. Technologies are being developed that will allow cost-effective conversion of biomass into fuels and chemicals. These technologies include low-cost thermochemical pretreatment, highly effective cellulases and hemicellulases and efficient and robust fermentative microorganisms. Many advances have been made over the past few years that make commercialization more promising. Agro-industrial wastes are generated during the industrial processing of agricultural products. These wastes are generated in large amounts throughout the year, and are the most abundant renewable resources on earth. Due to the large availability and composition rich in compounds that could be used in other processes, there is a great interest on the reuse of these wastes, both from economical and environmental view points. The economic aspect is based on the fact that such wastes may be used as low-cost raw materials for the production of other value-added compounds, with the expectancy of reducing the production costs. The environmental concern is because most of the agro-industrial wastes contain phenolic compounds and/or other compounds of toxic potential; which may cause deterioration of the environment when the waste is discharged to the nature. Although the production of bioethanol offers many benefits, more research is needed in the aspects like feedstock preparation, fermentation technology modification, etc., to make bioethanol more economically viable.

Keywords*: Bioethanol, Lignocellulosic waste, Immobilization, Mutagenesis, SSF.*

Introduction:

Lignocelluloses are the most abundant organic mass in the biosphere, which accounts for approximately 50% of the biomass. In nature the annual production of biomass is estimated to 10 to 50 × 109 tons .They get generated in large concentration through activation of agricultural, forestry, fruits and vegetable processing operation as residual waste Hemicelluloses constitute an important fraction of lignocelluloses and the conversion of hemicelluloses into fuel ethanol with utmost yields is the deciding factor for the overall economization of the process. Hemicellulose unlike cellulose is heteropolymer comprised of xylose linked backbone branched with other sugars like arabinose,mannose, galactose and glucose etc For bioconversion, pretreatment of such material is necessary. Several approaches including physical, thermal, chemical, biological or combination of these are being explored in order to obtain polymeric components of the lignocellulosic materials in maximum yield and purity The resulting hydrolysate after pre-hydrolysis and hydrolysis contain varying amounts of monosaccharides, both pentoses and hexoses and broad range of substances as reaction by products from sugar and lignin degradation. Many of these substances have an inhibitory effect on th microorganism in subsequent fermentation steps. The bioconversion process would hold more promises of both hexoses and pentose sugars from lignocellulosic materials. The fermentation technology using bacteria and yeast to produce chemicals from hexoses is well known but the information of the ability of these organisms to ferment pentose sugars is somewhat scanty Rather than summarizing all of the existing literature on pentose sugar conversion into ethanol, the present article deals with the crucial parameters for developing an indigenous pentose sugars fermentation technology. Here we review the methods of hemicelluloses hydrolysis and the conversion of pentose sugars into ethanol, microorganisms for ethanol production, methods used for strain improvement and the future needs for making this sustainable technology successful at large scale. Unlike cellulose, hemicelluloses (also a polysaccharide) consist of shorter chains 500 - 3,000 sugar units as opposed to 7,000 - 15,000 glucose molecules per cellulose polymer. In addition, hemicellulose is a branched polymer, which is composed of both linear and branched heteropolymers of D-xylose, L-arabinose, D-mannose, D-glucose.

Since the late 19th century, the mean temperature on earth has increased with 0.8°C and the major part of this increase is likely due to anthropogenic emissions of greenhouse gases. Carbon dioxide is the type of greenhouse gas with largest emission and this originates from the combustion of fossil fuels as coal, oil and natural gas (Sun and Cheng 2002). In USA, transportation accounts for 30% of the total energy consumption. Burning fossil fuels such as coal and oil releases CO_2, which is a major cause of global warming. With only 4.5% of the world's population, the US is responsible for about 25% of global energy consumption and 25% of global CO_2 emissions. The average price of gasoline in 2005 was $2.56 per gallon, which was $0.67 higher than the average price of gasoline in the previous year. Yet in June 2008, the average price of gasoline in the US reached $4.10 per gallon (Kumar et al. 2009). Soaring oil prices associated with concerns of climate change and national energy security are driving us to utilize sustainable alternative energy sources, such as solar energy, nuclear energy, wind energy, hydropower, tidal energy, and so on (Lynd et al. 2003). With the inevitable depletion of world's energy supply, there has been an increasing interest worldwide in alternative sources of energy. Unlike fossil fuels, ethanol is a renewable energy source produced through fermentation of sugars and used as a partial gasoline replacement in a few countries of the world (Sharma et al. 2007). Bioethanol market is expected to reach 100 x109 liters in 2015. Ethanol contains 35% oxygen, which results in a complete combustion of fuel and thus lowers the emission of harmful gases. Moreover, ethanol production uses energy from

renewable sources only; hence, no net carbon dioxide is added to the environment, thus reducing green-house gas emissions. It has also been well established now that ethanol increases the octane number, decreases the Reid vapor pressure and produces fuel with clean burning characteristics (Dhillon et al. 2007). Moreover, neat (unblended) ethanol can be burned with greater efficiency, and is thought to produce smaller amounts of ozone precursors (thus decreasing urban air pollution), and is particularly beneficial with respect to low net CO_2 put into the atmosphere. The increasing demand for various industrial purposes such as alternative source of energy, industrial solvents, cleansing agents and preservatives, has necessitated increased production of ethanol (Brooks 2008). Furthermore, ethanol by fermentation offers a more favorable trade balance, enhanced energy security, and a major new crop for a depressed agricultural economy. Ethanol is considerably less toxic to humans than is gasoline (or methanol). Ethanol also reduces smog formation because of low volatility; its photochemical reactivity and low production of combustion products. Furthermore, low levels of smog-producing compounds are formed by its combustion (Wyman and Hinman 1990). In addition, the low flame temperature of ethanol results in good engine performance. Currently, bioethanol is being commercially produced only from edible feedstock such as corn-starch and sugarcane juice.The use of fuel ethanol has been quite successful in Brazil, where it is being produced at a very low cost by fermentation of sugarcane. In the US, corn is the dominant biomass feedstock for production of ethanol, and in the EU, straw and other agricultural wastes are the preferred types of biomass for ethanol production (Raposo et al. 2009). These bioethanol production systems pose a concern about competition with food and feed supplies. To avoid this competition, bioethanol production from non edible lignocellulosic biomass such as wheat straw, rice straw, bagasse, corn stover, wood, peels of fruits and vegetables is attracting keen interest. The current production and use of bioethanol processes are a starting point. It is our belief that the next generational change in the use of bioresources will come from a total integration of innovative plant resources, synthesis of biomaterials, and generation of biofuels biopower .

Lignocellulose substrates used for ethanol production-

Sweet sorghum bagasse can be converted efficiently into fermentable sugars (and is a new potential raw material for fuel ethanol production) by SO_2 catalyzed steam pretreatment at 190°C for 10 min or 200°C for 5 min followed by enzymatic hydrolysis with a result of 89-92% glucan conversion (Sipos et al. 2009). Hemp and ensiled hemp can be converted into ethanol with steam pretreatment (2% SO_2 catalyst, 210°C for 5 min) followed by simultaneous saccharification and fermentation at high solid loading (7.5% water insoluble solidswith a result of 171163 g ethanol/kg raw material (Sipos et al. 2010). In Brazil, ethanol is usually produced from cane juice, whereas in USA, starch-crops such as corn are usually used for ethanol production (Sanchez 2009). Using sugars or corn as the main source for ethanol production caused a great deal of controversy due to its effect on food production and costs, which has made it difficult for ethanol to become cost competitive with fossil fuels. These concerns became a driving force in the generation of new biofuel research using lignocellulosic wastes produced by many different industries. Apart from corn and cane juice; wheat, oat and barley straw has also been routinely used to produce up to 0.52 million gallons of ethanol per year (Hahn et al. 2006). with the output exceeded 100 M tons in 2005 (Lu et al. 2006). Zhang et al. (2011) reported sweet potato as an attractive feedstock for bioethanol production from both economic and environment friendly standpoints. Lignocellulosic wastes are produced in large amounts by different industries including forestry, pulp and paper, agriculture and food, in addition to different wastes from municipal solid waste (MSW), and animal wastes (Sims 2003, Kim and

Dale 2004, Kalogo et al. 2007). Those derived from agricultural activities include materials such as straw, stem, stalk, leaves, husk, shell, peel, lint, seed/stones, pulp or stubble from fruits, legumes or cereals (rice, wheat, corn, sorghum, barley), bagasses generated from sugarcane or sweet sorghum milling, spent coffee grounds, brewer's spent grains, and many others. These potentially valuable materials were treated as waste in many countries in the past, and still are today in some developing countries, which raises many environmental concerns (Palacios-Orueta et al. 2005).

Significant efforts, many of which have been successful, have been made to convert these lignocellulosic residues to valuable products such as biofuels, chemicals and animal feed. Banana peel, an agro waste can be used as a substrate for ethanol production owing to its rich carbohydrate, crude proteins and reducing sugars. Moreover, banana peels are affordable and renewable low cost raw material which makes it potential feedstock for ethanol production (Bhatia and Paliwal 2010). Similarly pineapple is the second harvest of importance after bananas, contributing to over 20% of the world production of tropical fruits (Coveca 2002). Thailand, Philippines, Brazil and China are the main pineapple producers in the world supplying nearly 50% of the total output. Other important producers include India, Nigeria, Kenya, Indonesia, México and Costa Rica and these countries provide most of the remaining fruit available (50%). assayed the feasibility of obtaining ethanol from pineapple waste with the purpose of obtaining a valuable product from the residues of the juice and canning industries. Large volume of bagasse is generated during sugarcane processing. Agricultural profitability and environmental protection issues are associated with disposal of bagasse. In recent years, potential efforts have been directed towards the utilization of cheap renewable agricultural resources, such as sugarcane bagasse as alternative substrate for ethanol production (Bhatia and Paliwal 2011). Rice is the major crop grown worldwide with an annual productivity around 800 million metric tonnes that corresponds with the large production of rice straw. In search for viable alternatives of biofuels, paddy straw has been pursued as suitable lignocellulosic waste for etha nol production .

Environmental Benefits of Fuel Ethanol-

Increasing industrial activity and population growth has resulted in a rising concentration of 'greenhouse gases' in the atmosphere that contribute to the 'Greenhouse Effect'. These gases include carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. The term 'Greenhouse Effect' refers to the Earth's trapping of the sun's incoming solar radiation, causing warming of the Earth's atmosphere. This offsets the Earth's natural climatic equilibrium, and results in a net increase in global temperatures. 'Global Warming' is a term used to describe the increasing average global temperature. The term 'Climate Change' refers to a wide range of changes in weather patterns that result from global warming. A substantial increase in the Earth's average temperature could result in a change in agricultural patterns and melting of polar ice caps, raising sea levels and causing flooding of low-lying coastal areas. The Earth's climate is already adjusting to past greenhouse gas emissions, and the average global temperature is expected to rise by 1°C to 3.5°C by the year 2100 (This increase in average temperature is larger than that which has been experienced over the last 10,000 years!). By 2100, the Earth's average sea levvel is predicted to rise by approximately 50 cm. These phenomena could have serious repercussions on the natural and physical environment, as well as on human health.

Carbon Dioxide-

Carbon dioxide from the burning of fossil fuels is the largest single source of greenhouse gases from human activities, representing about half of all greenhouse gas emissions. Use of 10% ethanol-blended fuels results in a 6-10% CO_2 reduction and higher levels of ethanol can further reduce the net quantity of CO_2 emitted into the atmosphere. More CO_2 is absorbed by crop growth than is released by manufacturing and using ethanol.

Carbon Monoxide-

Carbon monoxide, formed by the incomplete combustion of fuels, is produced most readily from petroleum fuels, which contain no oxygen in their molecular structure. Because ethanol and other "oxygenated" compounds contain oxygen, their combustion in automobile engines is more complete. The result is a substantial reduction in carbon monoxide emissions. Research shows that reductions range up to 30%, depending on type and age of automobile, the automobile emission system used, and the atmospheric conditions in which the automobile operates.

Nitrous Oxide (N_2O)-

Agricultural grain production for ethanol may generate a slight increase in nitrous oxide (N_2O) emissions resulting from heavy fertilizer use. However, research and advances in agricultural technology in grain production are resulting in a reduction of these emissions, often to levels below other common crops.

Other Octane Additives-

Because of its high octane rating, adding ethanol to gasoline can permit the reduction or removal of aromatic hydrocarbons (such as benzene), and other hazardous high-octane additives commonly used to replace tetra-ethyl lead in gasoline.

Ozone -

Because of its effect in reducing hydrocarbons and carbon monoxide in exhaust (that causes respiratory problems), adding ethanol to gasoline results in an overall reduction in exhaust ozone-forming potential. Adding ethanol to gasoline can potentially increase the volatility of gasoline. This potential is controlled if all ethanol-blended gasoline sold in Canada meets the volatility standards required for other types of gasoline. In contrast, the U.S. Clean Air Act allows gasohol (gasoline plus 10% ethanol) to have a higher volatility than that of gasoline. This results in greater "volatile organic compounds" emissions. Therefore, the Canadian ethanol blend has less potential to form ozone than the American counterpart. Adding of ethanol to gasoline does create slightly greater amounts of aldehydes during fuel combustion. Yet the resulting concentrations are extremely small and are effectively reduced by the three-way catalytic converters in the exhaust systems of all recent-model cars.

Environmental behaviour-

Recent reviews of the environmental behavior of gasoline oxygenates generally note that ethanol is not likely to accumulate or persist for long in the environment. For example, the Interagency Assessment of Oxygenated Fuels observes that ethanol is expected to be rapidly degraded in groundwater and is not expected to persist beyond source areas. Ethanol in surface water is also expected to undergo rapid biodegradation, as long as it is not present in concentrations directly toxic to microorganisms. The half-life of ethanol in surface water is reported to range from 6.5 to 26 hours. Atmospheric degradation is also predicted to be rapid.

Health Effects-

Ethanol, the active ingredient of alcoholic beverages, has been part of the human diet and the human environment for thousands of years. It is produced by fermentation by fungi and other microorganisms, and is found at low levels in the blood and breath of persons who do not drink alcohol. Ethanol is widely ingested in alcoholic beverages, usually with only mild effects. However, at sufficiently high doses, ethanol can cause toxic effects in humans, both short-term (such as inebriation) and long-term (such as cirrhosis of the liver). If ethanol becomes a common fuel additive, there may be opportunities for exposure by inhalation: ethanol vapors might be inhaled at gasoline stations or in automobiles, for example. Thus, concern has been raised about the possible health consequences of using ethanol for this purpose. The scientific literature contains virtually no reports of injury to humans from inhaled ethanol. The apparent lack of harm may be attributable to rapid metabolism of ethanol and the difficulty in significantly raising blood ethanol

concentrations by inhalation exposure, which keep internal doses extremely low except in unusual situations, such as heavy exercise in the presence of concentrated vapors.

Energy Value-

Many have wondered whether ethanol makes sense, from an energy use perspective. In fact, each litre of ethanol contains at least 2-4 times as much energy as is required for inputs for crop production (fuel, machinery, fertilizers, etc.), and ethanol manufacture. Although petroleum-derived energy is used in the manufacture and transportation of inputs, this is more than offset by the solar energy captured through photosynthesis. This positive energy balance is predicted to improve, by up to 25%, as more energy efficient crop and ethanol production becomes common over the next decade.

An example of the reductions that can be observed when using ethanol blends in your engine is the following (per vehicle mile) Current Corn and Ethanol Production Case for Corn-Based Ethanol-

Use of E10 (10% ethanol and 90% gasoline by volume) achieves-

- 6% reduction in petroleum use,
- 1% reduction in GHG emissions, and
- 3% reduction in fossil energy use.

Use of E85 (85% ethanol and 15% gasoline by volume) achieves:

- 7375% reduction in petroleum use,
- 1419% reduction in GHG emissions, an
- 3435% reduction in fossil energy use.

Use of E95 (95% ethanol and 5% gasoline by volume) achieves:

- 8588% reduction in petroleum use,
- 1925% reduction in GHG emissions, and
- 4244% reduction in fossil energy use.

Future prospects-

It is considered that lignocellulosic waste will become the main feedstock for ethanol production in the nearfuture. In the case of large scale biomass production, additional waste stocks can be tested and used as substrates to meet the needs. On the other hand,biotechnological approaches including systems biology and computational tools are likely good candidates to overcome these issues. Future trends for costs reduction should include more efficient pretreatment of biomass, improvement of specific activity and productivity of cellulases, improvement of recombinant microorganisms for a greater assimilation of all the sugars released during the pretreatment and hydrolysis processes, and further development of co-generation system. Undoubtedly, ongoing research on genetic and metabolic engineering will make possible the developmentof effective and stable strains of microorganisms for converting cellulosicbiomass into ethanol. Process engineering will play a central role for the generation, design, analysis and implementation of technologies improving the indexes of global process, or for the retrofitting of employed bioprocesses.

Undoubtedly, process intensification through integration of different phenomena and unit operations as well as the implementation of consolidated bioprocessing of different feedstocks into ethanol (that requiresthe development of tailored recombinant microorganisms), will offer the most significant outcomes during the search of the efficiency in fuel ethanol production.This fact will surely imply a qualitative improvement in the industrial production of fuel ethanol in the future.

References

- Sun YE, Cheng J (2002) Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a review. Bioresour Technol 83(1) :111.
- Kumar P, Barrett DM, Delwiche MJ, Stroeve P (2009) Methods for pretreatment of lignocellulosic biomass for efficient hydrolysis and biofuel production. Ind Eng Chem Res 48:37133729
- Lynd LR, Jin H, Michels JG, Wyman CE, Dale B (2003) Bioenergy: background, potential, and policy. Center for Strategic & International Studies, Washington, DC Sharma N, Kalra KL, Oberoi HS, Bansal S

(2007) Optimization of fermentation parameters for production of ethanol from kinnow waste and banana peels by simultaneous saccharification and fermentation. Ind J. Microbiol 47:310316.

- Dhillon GS, Bansal S, Oberoi HS (2007) Cauliflower waste incorporation into cane molasses improves ethanol production using Saccharomyces cerevisiae MTCC 178. Indian J Microbiol 47:353357.
- Brooks AA (2008) Ethanol production potential of local yeast strains isolated from ripe banana peels. African J of Biotechnol 7(20):37493752.
- Wyman CE, Hinman ND (1990) Ethanol. Fundamentals of production from renewable feedstocks and use as a transportation fuel. Appl Biochem Biotechnol 24:735753.
- Raposo S, Pardao J. M., Diaz I, Costa MEL (2009) Kinetic modelling of bioethanol production using agro-industrial by-products. Int J of Energy Env 3(1):8.
- Sipos B, Reczey J, Somorai Z, Kadar Z, Dienes D, Reczey K (2009) Sweet sorghum as feedstock for ethanol production: enzymatic hydrolysis of steam pretreated bagasse. Appl Biochem Biotechnol 153:151162.
- Sipos B, Kreuger E, Svensson S-E, Reczey K, Bjornsson L, Zacchi G (2010) Steam pretreatment of dry and ensiled industrial hemp for ethanol production. Biomass Bioenergy. doi : 10.1016/j.biombioe. 2010.07.003. IF (2009) : 3.326 CI: 0.
- Sanche Z C (2009) Lignocellulosic residues : biodegradation and bioconversion by fungi. Biotechnol Adv 27(2):185194.
- Hahn-Hagerdal B, Galbe M, Gorwa-Grauslund MF, Lidan G, Zacchi G (2006) Bioethanol- the fuel of tomorrow from the residues of today. Trends Biotechnol 24 (12):549556.
- Lu GQ, Huang HH, Zhang DP (2006) Application of nearinfrared spectroscopy to predict sweet potato starch thermal properties and noodle quality. J. Zhejiang University (Eng. Sci.) 6:475481.
- Zhang L, Zhao H, Gan M, Jin Y, Gao X, Chen Q, Guan J, Wang Z (2011) Application of simultaneous saccharification and fermentation (SSF) from viscosity reducing of raw sweet potato for bioethanol production atlaboratory, pilot and industrial scales. Bioresour Technol 102:45734579.
- Sims R (2003) Biomass and resources bioenergy options for a cleaner environment in developed and developing countries. Elsevier Science London, UK.
- Kim S, Dale BE (2004) Global potential bioethanol production from wasted crops and crop residues. Biomass Bioenergy 26:361375.
- Kalogo Y, Habibi S, MacLean HL, Joshi SV (2007) Environmental implications of municipal solid waste-derived ethanol. Environ Sci Technol 41:3541.
- Palacios-Orueta A, Chuvieco E, Parra A, Carmona-Moreno C (2005) Biomass burning emissions: a review of models using remote-sensing data. Environ Monit Assess 104:189209.
- Bhatia L, Paliwal S (2010) Banana peel waste as substrate for ethanol production.
- International J of Biotechnol and Bioeng Research 1(2):213218.
- Coveca (2002) Comision veracruzana de comercializacion agropecuaria. Gobierno del Estado de Veracruz, Mexico.
- Bhatia L, Paliwal S (2011) Ethanol producing potential of Pachysolen tannophilus from sugarcane bagasse. International J of Biotechnol and Bioeng Research 2(2):271276.

ISSN : 2394-4366

Received: 02 Oct., 2022; **Accepted:** 18 Nov.,-2022, **Published:** January-March, 2023, Issue

Conceptual Perspective of Change Management

- Dr. Sona Shukla
Assistant Professor &
Head, Department of Commerce,
D. B. S. (P.G.) College, Kanpur - 208006 (U.P.)

E-Mail:
sonashukladbs@gmail.com

Abstract

The reason for this paper is to show different hypothetical viewpoints, taking everything into account. The progression of the paper is through the set of experiences to the ongoing phase of the change on the board. Separated, different verifiable points of view are covered into something very similar. The paper presents the summary of the different works done by various creators and specialists over the number of years and gives experiences on how reasonable change is accomplished to drive an element towards business greatness. It is particularly vital to deal with the change effectively and productively. These abilities are critical to procure. In the event that the equivalent isn't overseen skillfully then it can result in an emergency. The paper likewise proposes how to successfully deal with the change.

Keywords : ***Change management, managing change, sustainability.***

Introduction -

Change the executives alludes to anyway to deal with progressing people, groups, and associations utilizing strategies planned to re-direct the utilization of assets, business processes, spending plan distributions, or different methods of activity that essentially the full association and what necessities to change.

History of change Management -

(See Table-1 on next page)

Definition -

Change Management can be characterized as an arranged target to alter an organization's course from the ongoing situation to an ideal future situation in the business climate in light of new difficulties and potentially open doors. It incorporates the projection of another vision,

Along with wide counsel with representatives at all levels to beat obstruction and gain acknowledgment. It is additionally fundamental that the imperative authority abilities. Responsibility at all levels, and both human and monetary assets are accessible to carry out the ideal change.

Dr. John Kotter, Professor of Harvard Business School,

History of change Management : (See Table-1 on first page)

Sr. No.	Year	Author	Development
1	1960	Everett Rogers	According to his work mentioned in **"diffusion of innovations"**, he suggested that change must be understood according to the time, different channel of communications and its impact on associated people (2)
2	1980	Robert Marshak	Came up with entire different process in terms of reengineering services for the change management process(3)
3	1982	Julien Phillips	Published a model of change management (4)
4	1993	Daryl Conner	In the book, **"managing at the speed of change"**, he came up with a term 'Building Platform', into which he focused on human performance & adoption techniques in terms of technological innovations. (5)
5	2000	Linda Ackerman Anderson	created the role of the change leader to take responsibility & Accountability for the human side of the change.(6)
6	2010	Christina Dean	Change management is now an established and formal vocation. (7)
7	2016	The Association of Change Management Professionals	Announced a new certification to enhance the profession: Certified Change Management Professional. (8)

Table-2 : Change Management : Behaviour & Action

Behaviour	Action
Determine the need for change	Establish the objectives and processes
Prepare and Plan for Change	implement the plan, execute the process, make the product
Implement the Change	study actual results and compare against the expected results
Sustain the Change	Enact the new standards

John Kotter's 8 - Step process for change Management

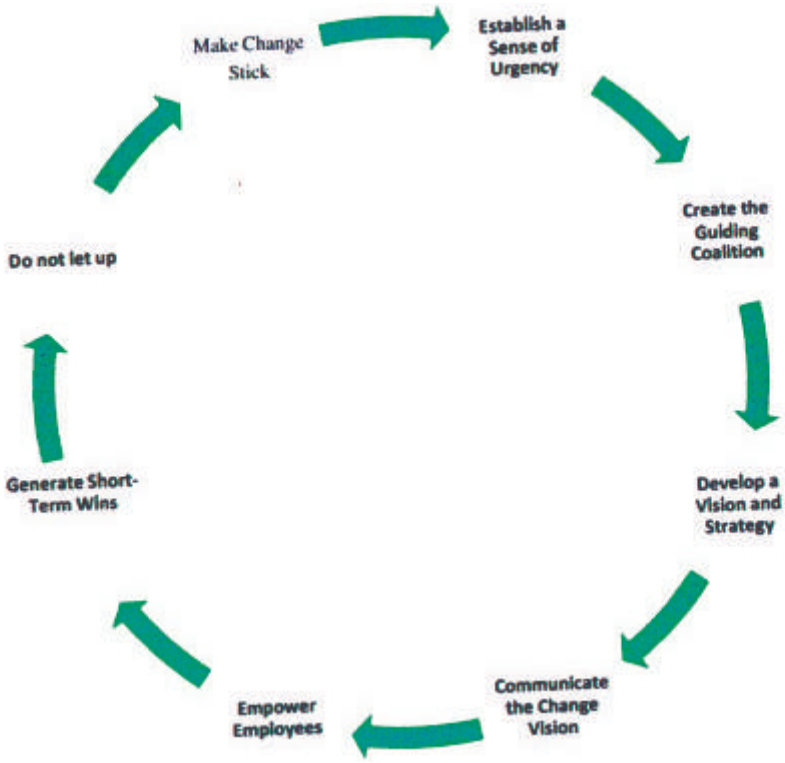

has come up with a process of change management consisting of eight steps.

1. Establish a Sense of Urgency -

In this stage, the organization needs to look at the market and serious real factors to comprehend and execute the change. Aside from the equivalent, the ID of a different kind of emergency and significant chances to defeat the equivalent must be examined. Once, a similar has been done, giving the proof of the necessary

change is additionally fundamental.

2. Create the Guiding Coalition -

The gathering must be collected with the goal that the change endeavors can be placed in more eagerly. Likewise, the responsibility of individuals is fundamental for the equivalent. The organization needs to urge individuals to cooperate collectively.

3. Develop a Vision and Strategy -

The legitimate vision and distinct methodology can assist with implementing change in a superior way.

4. Communicate the change Vision -

The change must be adjusted and imparted appropriately to accomplish the ideal outcomes. The legitimate and straightforward correspondence can be useful to improve the exhibition level and versatility of the association.

5. Empower Employees -

The change can be authorized appropriately by enabling representatives in a legitimate way. The impediments are to be eliminated prudently which are arriving at a method of dynamic change. The cooperation and strengthening of the representatives can be demonstrated useful for the equivalent.

6. Generate Short-Term Wins -

The transient objective accomplishment can lift up the feeling of confidence for the representative regarding the change. The equivalent can smoothen the cycle with regards to mental angle. Likewise, the prizes and acknowledgment can work on the acknowledgment and receptivity level.

7. Do Not Let up -

The persistent improvement must be a piece of the change in the executive's interaction. The escape clauses are to be dispensed with quickly once the cycle has been carried out in undeniable terms.

8. Make change Stick -

Similar assists with articulating the associations between the new ways of behaving and the corporate achievement.

Suggestion and Conclusion -

This paper presumes that to oversee and support the change, it is a lot of vital than the representatives ought to be conveyed on a similar part, all things considered. Every one of the regions of the novelty ought to be conveyed in a legitimate way. When the change has been carried out, the persistent assessment must be finished. So, change ought to be embedded with regards to appropriate approach making and execution.

References

1. "Home", International Organizational Change Management Institute. Retrieved 2015-12-08. 2. Welbourne, Theresa M. "Change Management Needs a Change".
2. Marshak, Robert J. (2005). "Contemporary Challenges to the Philosophy and Practice of Organization Development". In Bradford, David L.; Burke, W. Warner. Reinventing Organization Development: New Approaches to Change in Organizations. Pp. 19-42, ISBN : 978-0-7879-8159-4.
4. Phillips, Julien R. (1983). "Enhancing the effectiveness of organizational change Management". Human Resource Management . 22 (1-2): 183-99. doi : 10.1002/hrm.3930220125.
5. Conner, Daryl (August 15, 2012). "The Real Story of the Burning Platform"
6. Anderson, D. & Anderson, L.A. (2001). Beyond Change Management: Advanced Strategies for Today's Transformational Leaders. San Francisco: Jossey Bass /Pfeiffer.
7. Dean, Christina (2009). RIMER Managing Successful Change. Australia: Uniforte Pty Ltd.
8. Skelsey, Dan (29 July 2013). "Why Do People In Business Resist Change?". Project Laneway.
9. Editorial Team, Mind Tools (18 February 2016). "Kotter's 8-Step Change Model". Mind Tools. Retrieved 18 February 2016.

ISSN : 2394-4366

Received:15 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

Need for Sustainable Development

- Ashok Kumar
Research Scholar-
NET JRF,
Department of Geography,
D. A-V. College, Kanpur-208001
(U.P.)

E-mail:
ashokpathak037@gmail.com

Abstract

Public attention has been called to the conflicts between economic development and environmental enhancement. This is a problem worldwidebut has particular sensitivity for low income countries whose economic development must be enhanced markedly in the years ahead. The major challenge to agriculture is not only to minimize these conflicts, but also tobring about synergism between development and environmental enhancement. Scientific research and technology transfer can play a pivotalrole in bringing about the synergism. Changes can be made that willsimultaneously increase food production and enhance environmental quality. In the next 30 years, developing countries must greatly increasetheir food production but they must do it differently from what has been thecase in the past. Curtailedfinancial support worldwide for socioeconomic, geographical and agricultural science is forcing researchers to focus only onhigh priorities that are related to both economic development and environmental enhancement, and that have high potential for success.

Introduction -

Sustainable development has been widely accepted as a concept that must be central to all future endeavors. This concept has evolved from the so called Bruntland Commission report on "Our Common Future" (WCED 1988), which states, "Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of the future to meet their own needs." Though this concept is widely debated, it has been generally accepted among the leading development specialists around the world. It was the central theme of the recent UN Conference on Environment and Development (UNCED) in Brazil. While there was not a complete agreement as to how it could be achieved, the goal of universal sustainable development was generally accepted by countries from the Noah and South and by government and nongovernment officials.

Development versus Environment

The need to resolve the conflicts between emphasis on food production and on sustainability of natural resource

quality is illustrated by a survey and subsequent conference of 135 US high-level natural resource scientists, professionals and other leaders (RNRF-1992). These leaders, 56 of whom were from universities, 43 from government agencies, 24 from NGOs, foundations and professional societies and 8 from the private sector, were asked to rate the importance of some 121 issues related to six different natural resource management themes. In five out of the six themes, it is noted that sustainability was rated as most significant, but some conflicts exist. Issues such as "growth vs. environment", "ecology vs. economy", "environment vs. jobs" and "production vs. sustainability" were used to headline the conflicts.

It is encouraging to see this assessment of the need to protect our natural resources and to be concerned about the welfare of future generations. The world can no longer accommodate the steady destruction of our natural resources in the name of providing for human needs. At the same time, we must recognize that this quality assessment was not made by the millions of fathers and mothers in developing countries who as children were hungry and who as parents witness the hunger and malnutrition of their children. It was not made by the African mother of six children, three of whom died of poverty-related diseases before they were live five years old. It was not made by the landless labourers or by small-land owners whose incomes are too low to provide food for their families between harvests, and who are victimized by moneylenders who charge outrageously high interest rates for loans to purchase food.

Mohamed El-Ashry, head of the World Bank's Environmental Department and Chairman of the Global Environmental Facility (GEF), provides a challenge for developing countries as he states, "Balancing economic development and environmental protection in developing countries requires a refocusing of economic activity- not towards producing less, but producing differently." Indeed, in the case of agriculture, the goal will be to produce more using different methods, as the following sections will illustrate.

The Green Revolution and Sustainable Development

Agriculture in the Third World can be justly proud of its accomplishments since the 1960s. In all major regions of the world, except sub-Saharan Africa, per capita food production has increased and agriculture has contributed to overall economic development. Researchers developed high-yielding varieties of wheat, rice and maize. Their yields responded to inputs of irrigation and fertilizers, the uses of which were greatly expanded. Also, national policies were changed to make it profitable for the inputs to be used. This cereal based green revolution opened the eyes of politicians and statesmen alike, and gave to science a new sense of responsibility. Researchers and policy makers joined forces to make the improved systems work.

But these successes were accompanied by two shortfalls. First, there was considerable unevenness in the food production progress in different commodities and ecologies. The production of rice, wheat and corn fared well since most of the expanded research was on these crops and they are produced in ecologies and management systems that provide good levels of water and plant nutrients. But the production of most other crops grown in regions less well endowed with crop producing potential was not as successful. Vast areas of Africa are deficient in rainfall and do not produce wheat and rice. Irrigation is not as widespread as in Asia and fertilizer use is a fraction of that for Asia and Latin America. Also, Africa's research institutions are not well established and supported.

Major Challenges of the Future -

Experience of the past plus an intelligent assessment of future needs to achieve sustainable agricultural development suggests three major challenges. Firstly, because of unparalleled increase in human populations in developing countries, future increases in food production must even exceed those of the remarkably successful past three decades. More than 90 million people are being added each year, a billion a decade. In

terms of calories, the world must produce more calories in the next 35 years than has been produced since the dawn of agriculture 10,000 years ago. The expa-nded food needs must be met without great expansion in the area of land under cultivation. Most highly productive lands are already farmed and environmentalists will firmly resist further clearing of forests and grasslands for crop production. It is not likely that more than 25% of the expanded food needs will come from newly cleared lands (Crosson and Anderson 1992). The added production must come primarily from increases in yields per hectare.

The second challenge is to move the green revolution into ecologies, systems, and population segments that up to now have not benefited significantly from technological advances. This means improved technologies and system, for areas less endowed with water and productive soils and gaining a better understanding of the hitherto by passed poor, their cultures and community structures. It means policy changes that will permit low-income people to share in the benefits of these new technologies and systems (MCLure 1988) and learning how their lives can be improved.

The third challenge is to couple food production efforts. With those that enhance environmental quality. This coupling is essential first of all for the developing countries which depend upon their natural resources to underpin food production. It is also essential in a global scale as countries of the South join with their industrialized partners in reducing environmental contamination and natural resource destruction. It is essential to ensure sustainable agriculture (El-Ashry 1993).

Importance of Research

The green revolution of the past 30 years clearly illustrated what science can do to help the world feed itself (Baum 1986). Furthermore, the problems that are on the horizon for the coming decades suggest that research should be even more critical in meeting world food needs than it has been in the past. Research-created technologies to enhance yields per hectare will be the primary source of future food production increases.

Research is also critical in meeting the two other agricultural challenges discussed in the previous section. If the green revolution is to be extended into areas less endowed with rainfall, irrigation and productive soils, new and improved technologies and systems will be needed. Likewise, research will be needed to provide technologies tailored for the needs of the truly poor, and to ascertain policies and systems changes that will permit them to obtain these improved technologies.

Research Support and Priority Setting -

There is a greater need to sharply focus research priorities today than 10 to 20 years ago. This is due in part to the declining financial support of developing countries and international and bilateral donors for agricultural research and projects. Worldwide economic stagnation has forced governments to reduce support for long-term development activities such as research and education. Agriculture-related loans for the World Bank have declined sharply in the past five years, as has bilateral support for agriculture. For example, the support of United States Agency for International Development (USAID) for technology development and transfer activities (research and extension) in Africa has declined from 34% of the agency's Development fund for Africa in 1986 to 14% in 1991 (Oehmke and Crawford 1992). Comparable reductions have been made in technical staff to manage these activities. Anecdotal evidence suggests similar cutbacks in other regions of the world.

While one might hope for a turnaround in support for agricultural research, it is likely that financial constraints will continue to be serious. This situation calls upon research institutions to reassess their priorities and to focus their research on only the highest priorities. In the present political framework worldwide, sustainable development with its economic and environmental components must receive high priority.

Agricultural Research Focus Areas-

The setting of research priorities is not a

simple task. Some priorities will tend to be regional or location- specific since the nature of agriculture and the constraints on its performance will vary from one ecological and economic condition to another. Even so, there are some common constraints that tend to permeate different ecologies and economic systems, and that must receive universal consideration. Likewise, there are some research thrusts that are needed in almost every agricultural situation. I shall identify a new point that I think should be on the high priority list, although their relative importance may well vary from one ecology system to another. The list includes three major biological and natural resource priorities and two concerned with social sciences and economics.

Genetic Improvement -

The incorporation into the genetic makeup of plants and animals of traits of importance to both economic production and environmental quality remains a very high priority. This involves continued concern with yields and production efficiency. It also means focus on host resistance to insect pests and diseases, tolerance of adverse soil and climatic conditions, and agronomic or nutritional traits that fit the economic and social needs of the producer and the consumer. It also addresses the requirements for vegetative cover of the soil to reduce water runoff and soil erosion. Vegetative cover will be hard to come by if plants do not grow well on the soil that is to be protected.

Unfortunately, some have misjudged past efforts of crop improvement specialists in developing countries and have assumed that these efforts were focused solely on increasing production. Host resistance to insect pests and diseases and tolerance of adverse weather and soil conditions have been part of the research portfolio of international and national research centers for years. However, increased interest in environmental issues and the need to address the problems which have been bypassed by the green revolution should stimulate increased research efforts to develop effective pest management systems that reduce or even eliminate the need for chemical pesticides. This research clearly illustrates how crop improvement benefits both the economy and the environment.

The use of biotechnology in improving crops and animals will be enhanced by new links between international and national research institutes in developing countries and counterpart institutions in industrialized countries. It will also mean new partnerships between these third World institutes and private sector research centers in both the developing and industrialized countries, since most of the progress on crop and animal improvement is being made in private companies.

Environmentally Sound Pest Management -

Plant and animal pests and diseases have always been serious constraints in agricultural production, especially with small land holders whose management flexibilities are limited. These pests also have serious environmental implications since the chemical pesticides that have been used increasingly to try to manage them have serious environmental consequences. The residue of these chemicals can be harmful for humans and other creatures. They also damage natural enemies of the pests they are meant to control. Lastly, the continued use of pesticides stimulates genetic changes in the pests so that they become resistant to the chemicals and new pesticides must be found. All in all, it is to the advantage of both the agriculturalists and the environmentalists to develop and use pest management systems that minimize or even eliminate the need for chemical pesticides.

Pest management researchers should be willing to participate as partners with farmers, NGOs, extension services and the private sector as and when IPM programs are conceived and implemented. They should also be willing to provide scientific backstopping as the programs progress.

The Sustainable Management of Water and Plant Nutrient Supplies -

Crop production is largely dependent upon the availability and use of adequate water and plant nutrients. Likewise, natural resource conservation

is markedly affected by how water and nutrients are managed. Water runoff and soil erosion are major components of natural resources degradation, accounting for more than half the soil degradation worldwide (Oldeman et. al. 1991). Water deficiency (drought conditions) gives rise to wind erosion (28% of soil degradation) and to chemical degradation (12% soil degradation). The adequacy of vegetative cover to protect soils from erosion is determined to a considerable extent by the water and plant nutrient supply for plants.

Research to develop soil and water management systems that assure adequate vegetative cover of soils is imperative. Such cover will not enhance the infiltration of water into the soil but also simultaneously decrease water runoff and soil erosion. This research must cover not only physical and biological issues but any socioeconomic constraints that limit the use of crop residues as soil cover. The effect of soil erosion on crop productivity is generally greater in the tropics than in temperate zones. This is thought to be due to the greater concentration of soil organic matter in the surface horizons of tropical soils (Lal 1984). When erosion removes these upper layers, where much of the soil nutrients and water-holding capacities are found, soil productivity is negatively affected.

Research is needed to develop soil and crop management systems that maximize water use efficiency and minimize soil erosion. ICRISAT scientists have had some success in developing soils management systems for vertisols that achieve these objectives. Recently in Mali, studies have demonstrated increased water use efficiency from ridge tillage and fertilizer application (Kouyate and Wendt 1992). Such results can be transferred to farmer's fields needs to be assessed. The modeling of soil, crop and atmospheric conditions should be further evaluated as means of better assessing options for management changes to increase productivity. Interdisciplinary approaches will be needed to carry out studies that can greatly increase the efficiency of technology dissemination.

Policy Studies -

Increases in agricultural productivity and equity in receiving the benefits from such increased productivity, along with the environmental consequences of these increases, are all markedly affected by public policies. For example, subsidies on agricultural inputs or on urban food consumers may have greater impacts than improved technologies on both increased food production and degradation of the environment. Similarly, these two issues may be affected positively or negatively by international or bilateral policies that discriminate against either the producer or environmental integrity. It has been said that wealth encourages source of such degradation in most developing countries. National and international policies must be studied to ascertain changes needed to help move developing countries toward a "win-win" situation.

Research for Small Farmers and Rural People-

Small farmers and other rural people depend upon agriculture for their food as well as their livelihood. They are also responsible for at least part of the environmental degradation that has been accelerating in recent years. Research is needed to have a better understanding of the small-holder culture and needs, and to enhance the adoption of systems that emphasize both food production and environmental conservation (CIMMYT 1988). The farm family should be the focal point for these investigations and actually participate in the research (Jazairy et at. 1992). This bottoms-up approach would help the researchers gain a better perception of the problems that they are trying to solve and the steps needed to solve them. While most research relating to small-land holders and women may be performed by social scientists, research of the physical and biological are by scientists who should also take into consideration the needs of these disadvantaged groups. Such a course of action will have a position influence on food production, poverty alleviation and environmental enhancement. Plant breeders and soil

conservationists need to be aware of small-holder problems and perceptions as new varieties and systems are being produced.

Conclusions -

The developing countries are faced with two dilemmas that are also opportunities. They must drastically increase their food production levels to accommodate the annual increase of 90 million in the human population. They must simultaneously arrest the degradation of their natural resources,much of which is associated with agricultural production. In modern terms, we say that sustainable agriculture is necessary to meet these two goals.

Sustainable agriculture demands simultaneous attention to economic development and ecological sustainability. Scientists and educators have the responsibility of creating and making available to food producers around the world environmentally sound and technolo-gically efficient systems to provide adequate food for the anticipated massive increases in human populations in the decades ahead.

Regions with daunting environmental and economic constraints provide science with its greatest future challenges. Traditional crop improvement research backstopped by modern biotechnology must create crop varieties that will tolerate or overcome the adverse effects of pests and diseases, drought, soil toxicities and climatic extemes. These varieties must be fitted into farming systems that minimize natural resource degradation and enhance the economic well-being of not only the farmers who produce the food but also the low-income people who are primary consumers of the food.

For scientists and educators to succeed, decision makers in both developing and industrialized countries need to recommit themselves to long-term support of agricultural research. At the same time, researchers must sharply focus their efforts on high priority areas that will provide the best for most of the people.

References

1. **Baum, W.C. 1986.**Partners against Hunger. Washington DC, USA: World Bank. **Blumbers, R.L. 1992**. African women in agriculture: farmers, students, extension agents, chiefs. Morrilton, Arkansas, USA: Winrock International Institute for Agricultural Development.
2. **Crosson, Pierce, and Anderson, J.R. 1992.**Resources and global food prospects.Supply and Demand for Cereals to 2030.World Bank Technical Paper no. 184. Washington DC, USA: World Bank.
3. **El-Ashry, Mohamed, 1993**.Balancing economic development with environmental protection in developing and lesser developed countries. Air & Waste 43:18-24.
4. **Kouyate, Z. and Wdndt, C.W. 1992**. Soil water efficiency of sorghum and cowpea as affected by nutrient input and tillage.Tropsoils Bulletin no. 91-02 soil, management Collaborative Research Support Program. Raleigh, USA : North Carolina State University.
5. **Lal, R. 1984**. Productivity assessment of tropical soils and the effects of erosion. A chapter in quantification of the effect of erosion on soil productivity in the international context (Rijsberman. E., and Wolman, M.,eds). The Netherlands: DeeftHydrolicsLaboratory.
6. **Mclure, C.E.Jr. 1988**. Fiscal policy and equity in developing countries. A chapter in Policy reform and equity (Berg.E.ed.). Institute for Contemporary Studies San Francisco, USA:ICS Press.
7. **Oehmke, E., and craford, E.W. 1992**. The impact of agricultural technology in sub-Saharan Africa: a synthesis of symposium indigns. Proceedings of the symposium on the Impact of Technology in Sub-Saharan, Africa, 14-16 October 1992, Washington DC, USA. Washington DC, USA: United States Agency for International Development and Michigan State University.
8. **Oldeman, L.R., Hakkeling, R.T.A. and Sombrock, W.G. 1991**. World map of the status of human induced soil degradation an explanatory note. 2nd edn. Wageningen, UN Environmental Program. Nairobi, Kenya :InternationalsoilReference and Information Center.
9. **RNRF (Renewable Natural Resources Foundation). 1992**. Critical issues anconcepts for the twenty first century. A report of a congress on renewable naturalresources. Renewable journal 10 (3), Autumn. Vail, Colorado, USA: RNRF.
10. **WCED (World Commission on Environment and Development). 1988**. Ourcommon future. Oxford, UK: Oxford University Press.

ISSN : 2394-4366

Received: 19 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

Agroforestry in Conservation of Degraded Environment

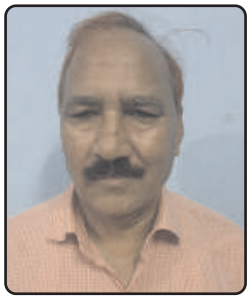

- Dr. Jeinandera Kumar
Assistant Professor -
Deptt. of Botany,
K. K. (P.G.) College, Etawah-(U.P.)

E-mail:
jeinendrakumaretw@gmail.com

Abstract

Water, soil and vegetation are the most vital natural resources for the survival of mankind. The role of agroforestry in conserving these resources can hardly be over emphasised. In view of indiscriminate widespread deforestation, excessive grazing, continued land degradation problems due to serious erosion, depletion of soil fertility, environmental deterioration and ecological disturbance resulting from heavy pressure of fast expanding population on the one hand, and acute shortage in the supply of fuel, food, fodder, fibre, wood etc. on the other, agroforestry as a conservation land use system, has tremendous scope as a practical solution to environmental stability. Role of various agroforestry systems in control of environmental pollution, improvement of soil fertility control of soil erosion has been discussed. A brief account of some of the recent information on the effectiveness of agroforestry systems in conservation of degraded Land has been given in this paper.

Key words: ***Soil erosion; land degradation; environmental; soil loss and run sustainability.***

1. Problem of Erosion and Environmental Degradation-

In India, out of 329 m.ha: total geographical area, about 150 m.ha. is subjected TO water and wind erosion (Table- 1). About 25 m.ha area has been subjected to degradation due to the exploitative type of agriculture. It is estimated that about 16.35 tonnes of is lost annually from every ha. of Indias land amounting to 5334 m. tonnes for the whole country. Approximately 29 per cent of this soil goes to the sea, 10 per cent gets deposited in dams reducing their stories capacity by 1-2 percent every year and 61 percent gets transported from one place to another mostly getting settled on river beds.

To increase food production, we have increased the area under cultivation clearing away most of our forests at the rate of 1.5 million hectares, with the result the effective area under forest trees has been reduced to a mere 13% of our total land area, as against the desirable 33%. With this we are faced with serious ecological environmental and socio-economic crisis. It has been estimated that by the end of this decade we have to produce about 250 million tonnes of food grains, over 2000 million tonnes of green and dry fodder, 350 million tonnes of fuel wood and about 60 million m timber for our increasing human

as well as lives took population of our country which more than 1000 million and 600 million, respectively, besides amelioration of our polluted environment. Soil erosion bring about environmental deterioration ecological turbine and reduce the productivity of the soil. It is estimated that about 2.5 m. tonnes of nitrogen, 3.8 m. tonnes of phosphorus and 2.5 m. tonnes of potash are lost every year from our country. This loss is perhaps more than the production of fertilizers in India which was about 3.1, 1.0 and 0.7 m.tonnes of N.P. and K respectively in 1981-82. **(See Table-1)**

Table-1

Problems of soil erosion and land degradation in India (Area in m. ha)

1.	Total geographical area 329.0	
2.	Area subject to water and wind erosion	150.0
3.	Area degraded through special problems	25.0
	(a) Waterlogged	6.0
	(b) Alkaline soil	2.5
	(c) Saline soil including coastal sandy areas	5.5
	(d) Ravines and gullies	3.9
	(e) Area subject to shifting cultivation	4.4
	(f) Ravine and torrents	2.7
4.	Total problem area	175.0
5.	Annual average loss of nutrients from 1 and estimated at 2 & 3	5.4 to 8.4 mt
6.	Average loss of production of net developing ravines estimated at 3(d)	3 m t
7.	Average annual rate of encroachment to arable land by ravines	8 m ha
8.	Total flood prone area	40 m ha
	(a) Average area affected by floods	9 m ha
	(b) Average cropped area affected by floods	9 m ha
9.	Total drought prone area	260 mha

Source : Fertilizer Statistics, 1987-88.

2. Roll to Trees in Control of Erosion-

The role of trees in erosion control is one of the most widely acclaimed reasons for including trees on farmalands that are prone to erosion hazards. The trees reduce erosion by enriching and binding the weaker surface soil, providing protection against erosion with canopy and leaf litter and impending the velocity and erosive ability of surface runoff by stem, surface roots and litter (Wiresum. 1984). Thus trees play an important role in soil and water conservation in all localities. Though they may not be a cure for all problems of erosion, they are, by far, the cheapest tool in the hands of soil conservationist for regulating stream flows, reducing peak of floods, preventing erosion of soil and sedimentation of reservoirs and river channels in soil and water conservation in all localities. Though they may not be a cure for all problems of erosion, they are, by far, the cheapest tool in the hands of soil conservationist for regulating stream flows, reducing peak of floods, preventing erosion of soil and sedimentation of reservoirs and river channels.

3. Maintenance of Soil Fertility-

It has been estimated that considerable amount of soils are lost through erosion every year from about 80m ha of the cultivated land, carrying away about 8 m t of nutrients. The inclusion of compatible and desirable species of trees in agroforestry system can result in marked improvement in soil fertility due to increased organic matter content of soil through addition of leaf litter, efficient nutrient cycling, efficient sharing of nutrients among the components, additional nutrient economy because of different nutrient absorbing zones of the root systems of the component species and nutrient release or availability (Nair, 1983).

Trees improve the long term physical condition of the soil, so that the soil is made a better medium for plant growth (Sheng, 1986). The evidence of augmentation of organic carbon, nitrogen and other nutrients inputs by NFIs is extensively available **(See Table 2 and 3)-**

Table-2

Soil fertility as influenced by tree species after 12 years at 0-15 cm depth.

Tree species	O.C. (%)	N (%)	Exch-ange able	m e%)
No tree (control)	2.86	0.10	9.7	1.1
Eucalyptus globulus	5.41	0.60	16.4	1.2
Acacia mearnii	5.71	0.65	13.8	1.7

Table-3

Influence of tree species on fertility of soil after 5 years at 0-15 cm. soil depth

Tree species	pH	O.C %	Available (Kg/ha)	
			P_2O_5	K_2O
Control	8.2	0.49	13	436
Luecaena	7.8	0.78	10	408
A. nilotica	8.0	0.80	19	848
D. sissoo	8.0	0.95	18	616
Pongamia	7.7	0.94	15	891

Source : Chandrasekhariah, A.M. (1986), Ph.D. Thesis, U.A.S. Dharwad.

4. Ameliotion of Climate by Trees-

Trees are essential to life on earth. They moderate temperature and affect pollution, noise, wind and water. As trees grow, they provide a home for wild life and products like timber, fuel, fodder, fibre and other minor forest products for our daily use. The daily transpiration from a single tree can produce an estimated cooling effect of more than a million British Thermal Units. This is equal to 10 room sized air conditioners operating 20 hours a day. Because of the "green house" effect of waste particles in polluted air, the air temperature may be 20°F higher in urban areas than it is in nearly rural areas.

Trees absorb polluted air, and emit air, richer in oxygen and samewhat freer of pollutants. As per data of the United States, agrowth of a ml ton of wood releases at least 1.1 tons of Oxygen and absorbs atleast 1.5 tons of carbon di oxide. According to various studies made, three fourths of the conversion of CO_2, back to oxygen takes place in the ocean, but trees play an important part on the land (Madan. 1971).

5. Erosion and Enevironment-

Soil erosion is the single most important cause of land degradation. When most severe form of erosion like ravines, landslides and slips occur the denuded land goes almost out of cultivation and is only fit for some permanent vegetative cover of trees. Failure of communication such as road, rail telephone, electricity etc. are very common due to landslide and riverbank erosion etc. Ground water resources are deficient due to increased rate of runoff and decreased percolation and infiltration of soils. Desertification is on increase and renewable resources are getting depleted. Wind erosion and shifting sand is going on at an alarming rate because of the reduction the vegetative cover. Erosion affects environment in two ways:

(i) Water Pollution by Water Erosion-

Water erosion pollutes water and is very dangerous. The water may contain toxicants unable to sustain any form of aquatic fauna. The flowing streams carry huge quantities of chemical fertilizers. pesticides and other toxic elements. It has been reported that forest runoff contains less nitrate contents then agriculture runoff. Runoff water in streams and rivers transport sediment load and pollute pond, river and sea water by soil particles, thus making drinking water a scarce resources (Singh and Bhardwaj, 1986). Adequate supply of safe drinking water is essential for improving public health pesticides and other toxic elements. It has been reported that forest runoff contains less nitrate contents then agriculture runoff. Runoff water in streams and rivers transport sediment load and pollute pond, river and sea water by soil particles, thus making drinking water a scarce resources (Singh and Bhardwaj, 1986). Adequate supply of safe drinking water is essential for improving public health.

(ii) Air Pollution by wind erosion-

The abrasive action of wind results in detachment of soil particles and are carried miles away from original place. The dust storms are often unbearable and people it villages, towns and cities in arid regions have to face inconvenience due to prolonged dust inhalation. The stagnating water can pollute air by foul smelling gases. The comm. pollutants of air are injurious gases such as carbon mono-oxide, sulphur di-oxide, etc., and dust of coal particles from chimneys, soil particles etc. The plants act as air filter for its purification by absorbing and arresting injurious gases and particles.

6. Need for Ecological Balance -

The population in India, with a growth rate of about 2.3 percent, has already crossed one billion leading to the increase in demand for basic necessities viz., food, fuel, fibre, fodder and timber. India is sustaining 16 percent of global population on 2.5 percent of world's geographical area. There seems to be tendency of growing ecology imbalance due to pressure of population on forest. There has

'been a large scale deforestation over he past 30 years. Moreover, production from these forests is far below our expectation due to poor fertility and productivity because of erosion. Biomass production is only 0.5 cum/ha/year as against the world average of 2.1 cum/ha/year. Forest cover has declined from 22 percent in 1952 to 14.10 percent in 1982 as against 33 percent envisaged by the National Forest Policy. According to the survey conducted by the National Remote Sensing Agency the good forest with a density of more than 40 peace cover only 11 percent of total 329 m ha of land mass.

Depletion of ozone layer and increased build up of carbon dioxide in the atmosphere green house effect and global warming are some of the serious consequences of environmental degradation caused by excessive deforestation and heavy pressure of population. Due to population pressure it is impossible to allocate agricultural lands for growing forests. Therefore, advantage of forests can be harnessed by growing trees on marginal lands or with agricultural crops through agro forestry practices. This would ensure moderation of climate and ecological balance would be restored.

7. Environmental Benefits from Agro Forestry-

Agroforestry systems aim at growing of woody perennials along with agriculture crops on the same unit of land either in some form of spatial mixture or temporal sequence. King and Chandler (1978) defined agroforestry as a sustainable land use system that maintains or increases total yields by combining food (annual) crops with tree (perennial) crops and/or animals simultaneously or sequentially on the same unit of land using management practices that suit the social and cultural characteristics of the local people and the economic and ecological conditions of the area. Bene et al (1977) expressed the main benefits of agroforestry usually in two major forms: Productivity and sustainability (conservation). Verger (1982) describes ecological benefits of agroforestry as under :

(i) Reduction of pressure on forest.

(ii) More trees available to protect areas from environmental deterioration. More efficient recycling of nutrients by deep rooted trees.

(iii) Reduction of surface runoff, nutrient and soil loss.

(iv) Improvement of micro-climate.

(v) Improvement of soil fertility by addition of organic matter through leaf fall.

To achieve these objectives of conservation of soil and ecosystem agroforestry systems are classified (King, I 980; Huxley, 1984) as agri-silviculture, silvi-pasture, agrihorti, etc. The use, of these system & in conservation of soil and water has been stressed by several workers (Vashnava and Narwadkar, 1989).

8. Agroforestry and Soil Conservation-

Agroforestry is an age-old practice followed traditionally in different forms in different parts of India. In arid parts of Rajasthan and Gujarat Prosopis cineraria are grown with cereals.Zizyphus Mauritian (Ber) is identified as a most promising multi-purpose tree species (MPTs) for arid areas of Rajasthan and poor degraded land of Bundelkhand region. Three species like Acacia nilotica, Azadirachta indica, Dalbergia sissoo, and Tarnarix articulata are found growing along the boundary or within the cropped area. Recently Eucalyptus tereticornis is being grown very extensively mostly on field bunds in many parts of India. Very recently a great amount of attention has been paid to Leacaena leucocephala while it is being popularized on its reportedly good qualities, very little factual information is available about its interaction with agricultural crops (Mittal and Singh. 1983) and/or soil conservation impacts. The usefulness of Populus ciliata as promising species for soil conservation in hilly areas was reported by Mathur et at. (1982). Das (1980) reported. that Alnus nepalensis trees were grown on hill slopes for fuel wood purpose which subsequetitly acted as the terraces for paddy fields. Itnal (1986) reported that in agri-silviculture study in black soils, the runoff loss of rain water was least with Acacia auriculformis, Albizzia lebbek and ,Acacia niotica.

9. Nutrient Recycling-

One of the main benefits of perennial tree components in agroforestry system is the contribution of nutrients by nitrogen fixation, leaf fall, turnover of fine root biomass and recycling of nutrients in different soil layers. Unlike fertilizer nitrogen, the nutrients added by a tree are gradually and slowly available in situ and are less likely to be

lost through volatilization and leahing.

Scope for Further Work-

Agroforestry is regarded as a sound land use system which emphasizes activity" and sustainability" at the same time. Agricultural research in the world has try been production or crop oriented. Only since the last two decades, some attention is been given to sustainable agriculture production through agroforestry system. We can on dude that the role of agroforestry in meeting either present or future requirements of fuel Wood, food, fodder and small timber and for environmental protection has been very well recognized in our country. It is now necessary to develop location specific, need oriented systems alongwith necessary support systems so that farmers can get the required seedling and other inputs easily and market the produce at competitive prices.

For an agroforestiy system to be more efficient and productive, it is essential to determine most compatible combination of woody perennial and annual crops for specific site situations and socio-economic conditions with appropriate technology.

References

1. Bene, J.C. Beall, H.W. and Cote, A (1977). Trees, Food and People, IDRC, Ottawa.
2. Das. D.C. (1980). Some aspects of shifting cultivation related to soil and water coaservation. Indian I Soil Conserv. 8 (i): 53-59.
3. Mazra. C.R. (1990) Forages from agraforestry based production systems in Bundelkhand region. Intdrfial. Symp. on. Water Erosion, Secimentation and Resource cvnsecvgation. Oct. 9-13, 1990, 437-445.
4. Huxley. P.A. (1984). Education for agroforestry (in): United Ntions University NRTS- 23/UNDP Publication. Social, Economic and Institutional aspects of agroforestiy Tokyo.
5. King, K.F.S. (1980). Multiple use researchrKey note address, IUFRO/MBA conference. Research on multiple use of forest resource, May. 1980. Flagstaff, Arizona.
6. Madan, U.S. (1971). Role of forestry in soil conservation Participant Jour. V (5), 19-21.
7. Mathur, H.N., Singh, R.P. and Sharma, K.C. (1982). Populus ciliata- A promising tree species for soil conservation in hilly area, Ind. For. 108(9): 599-604.
8. Nair, P.K.R. (1983). Tree integration on farmalands for sustained productivity of small holdings. (In) Environmentally Sound Agriculture (ed). William Lockeret. Praeger Puboisher, New York, (USA).
9. Singh, R. and Bhardwaj, S.P. (1986) Technology for Checking soil erosion. Indian Fmg 36 (5) : 24-28.
10. Singh, Gurbachan, Abrol, I.P. and Cheema, S.S. (1988). Effect of spacing and lopping on a mesquite (Prosopis juliflora) karnal grass (Leptochloa fusca) agroforestry system on an alkaline soil. Expl. Agric. 1989, 25 : 401-408.
11. Vaishnava, V.C. and arwadkar, P.R. (1989). Role of Agroforestry in Soil Conservation. Proceedings of the Eleventh International Congress on Agricultural Engineering, Dublin, 4-8 Sept., 1989.

ABHINAV GAVESHNA

Multi Disciplinery Quaterly International Refreed/Peer Reviewed Research Journal

RNI : UPMUL00620/24/1/2014/TC **I.S.S.N. : 2394-4366**

(Multi Disciplinery Quaterly International Refreed/Peer Reviewed Research Journal)

(in Multi Language: Hindi + English & Sanskrit)

SUPER PRAKASHAN Presents : `Abhinav Gaveshna'

Sector-K-444, `Shiv Ram Kripa' World Bank Barra-Kanpur-208027 (U.P.)

Contact- 08896244776, 09335597658,

E-mail: super.prakashan@gmail.com

Website: www:superprakashan.com

ISSN : 2394-4366

Received: 30 Mar., 2023; **Accepted:** 08 Jun.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

An Overview of Consumers' Cooperative Movement in India

- Dr. Vijay Kumar Gupta
Assistant Professor -
Deptt. of Commerce,
Ram Sahai Government Degree College, Shivrajpur, Kanpur Nagar-209205 (U.P.)
(U.P.)

E-mail:
vijaykumargupta530@gmail.com

Introduction -

This study of the consumers' cooperative movement shows that its origin was a consequence of foreign impact and processes. At the inception the organisers of the movement were new to the job and most of them were not at all conversant with its principles and working. They paid little or no attention to the development of the business strength of the store societies. Officers (of the department) who were incharge of bigger institutions had little business experience or aptitude and were subjected to frequent transfers; most of the managements did not acquire business skill which was very necessary for directing and fashioning the business control policy, there was not much of a federal coordination between the wholesales and the primaries. Most of the stores failed miserably as they were solely dependent on controlled commodities and rationed articles and had ignored the elementary principles of "consumers' cooperation", namely, the necessity to supply all the essential requirements of a consumer.

Role of Government in the Movement -

The state has been, generally, responsible for sponsoring the movement, by extending bounties and subsidies and also helping the consumer stores in various other ways. This policy of the Government did more harm than good to the movement because people lost all initiative and became accustomed to looking up to the state for each and every thing. A large number of other factors have been responsible for the stunted growth of the movement, namely: the mentality of the people to cling to old ideas and their aversion to change; their habit of demanding goods on credit, absence of class of people with homogeneity in methods of living and outlook; narrow margin between the wholesale and the retail prices in the market; too small and uneconomic size of the stores; meager capital to run the store efficiently and to meet requirement of the members; incompetence of the managements; over-stocking on the part of the stores, that is, trying to stock anything and everything; too heavy establishment in some cases; incompetent salesmanship; charging higher prices than those charged by local traders in some cases; much extension of credit facilities in some cases resulting in heavy bad debts; lack of proper accounting, book-keeping and auditing; dishonesty and disloyalty on the part of members of management boards; dependence on honorary services and lack of interest in management on their part; inadequate supervision over personnel: generally unsuitable location of stores on account of inability to offer 'pugree' and

excessive rents; inadequate storage; quality and correct weights and measures; defective pricing policy adopted by most of the stores lack of coordination between consumers' and producers' cooperatives and non availability of trained personnel in sufficient strength.

Therefore, it may be concluded that the growth of the movement has not so far been spontaneous in relation to the felt needs of consumers i.e. the stores have often been started consequent upon introduction of rationing and control as a result of the government policy of preferring cooperative stores as outlets for controlled commodities; that low membership of the stores adversely affected their competitive strength of limiting their capital resources and consequently their business with the result that they are unable to carry out any plans for expansion and renovation in keeping with the trends in private retail shops; that popular participation in most of the stores has been almost negligible; and, that the managerial structure in most cases has so far been defective, neither efficient nor democratic as it gets concentrated into the hands of one or two influential members only.

The success of the consumers' stores lies in fostering and implementing the ideals of the Rochdale Pioneers. These lofty ideals are still the watch words of successful stores. Some modifications of principles may, sometimes, be necessary in view of special circumstances and these problems encountered by societies at a particular place and time. However, in order that the movement should grow up on healthy, sound and enduring lines, the following observations may be adopted.

Requirements for an efficient consumer's store -

The promotors, before organising a consumers' store, should first ensure that there is a genuine need for organising a store in a locality chosen for the purpose and that adequate response from inhabitants is forthcoming. It is necessary for the founder members to work out a detailed plan for setting up the store. Before actually moving for formal registration the members should make sure that they have necessary financial resources, have good chances of securing suitable accommodation and services of competent managerial staff and among them there are some who would be in a position to share time to supervise working during, at least, the early stages. As regards the location of a store, it is advisable to locate it at a place where most of the existing members as well as the prospective members reside. The members should make adequate preparations by way of cooperative education of persons who are likely to form the society. As to the suitable size of a store, the general principle is that a store must pave its way within a reasonable period of time. Therefore, for determining the economic viability of a store factors such as the socio-economic conditions of the people; their standard of living and their preferences etc. should be thoroughly scrutinized.

As regards the structural pattern, it may be suggested that branch system (unitary) should be preferred to the existing federal one for ensuring success of wholesale stores and the movement. Apart from the organisation of new stores, there is the question of existing stores, most of which have small membership, meagre share capital and inadequate turnover. These stores are to be revitalised and strengthened by increasing their membership, share capital and developing member-loyalty. A vigorous educational drive and member relation programmes should be adopted for generating members' enthusiasm and for inducing them to make all their purchases from the store.

The administration should make it quite clear to the members of a store, at the time of registration that they should be able to manage their affairs themselves. Self-reliance should be the motto of a consumer store. As regards the financial assistance released by the state, it may be pointed out that it should be provided on the basis of membership of primary stores rather than on a flat rate as is being done these days under centrally sponsored scheme. As the turnover is low, the capital formation is also poor. It is, therefore, desirable that the government subsidy should be further raised and that it should be managerial subsidy which should be able to meet all the establishment expenses for, atleast, three years.

It is desirable that the stores should set their price in a manner that it includes a certain surplus which is sufficient to cover depreciation and formation of funds. Whatever surplus remains should be returned to members at the close of financial year as patronage dividend.

Before setting up a wholesale store its need should be thoroughly ascertained later on by expanding their production and processing activities they should attract on increasing amount of business from primaries by a judicious selection of the articles to be processed and by undertaking small manufacturing activities or obtaining the primary product and processing it for consumption purposes.

Wholesale stores should establish direct links with cooperative marketing organisation and, thus, should supply foodstuffs and other agricultural products to the primaries at prices lower than those offered by private traders. This is possible because middlemen who inflate prices shall be eliminated.

They should lay strong emphasis on consumer enlightenment and consumer education. It is necessary for them to adopt an efficient purchase policy which would call for the establishment of effective contact point in the wholesale market or with the manufacturers Their selection of articles is made in a manner that the store satisfies most of the members' requirements, and their publicity policy should be attractive and effective.

The stores should create an impression on the members that they supply pure and correctly weighed goods at reasonable prices. Attractive shop-display and courteous services at the counter are also necessary. In a nutshell: all business practices and tact minus malpractices should be adopted. Complaints from the members should, at once, be attended to and defects, if found, should be removed and persons who are found guilty should be suitably penalised and this action should be publicised in order to create greater confidence in the members. They should employ trained and competent managers, accountants and other persons for running the stores. Salesmanship should be active, attractive, effective and efficient.

As regards achieving business efficiency within a democratic set up of consumers' cooperatives, it may be suggested that a system be established which retains and strengthens member control and, at the same time, enables professional management of consumer stores the freedom of action and quick decision. The elected representatives should confine themselves to laying down of major policies for the store and actual execution of these policies should be left to the manager and his staff. Of course, the manager and the accountant should be trained and experienced persons. An efficient and regular audit system should be Introduced for checking the possible malpractices of the employees. Efficient employees should be suitably rewarded so that they may fell encouraged. Rights and duties of the Secretary, President and Manager etc., should be clearly specified. Areawise or branchwise meetings of members should be held regularly to discuss and look into complaints, fresh requirements and suggestions from members.

Cooperative education is also necessary for development of movement and, therefore, appropriate measures should be taken for imparting education at various levels. A scheme for training the governmentofficers who deal with consumers' cooperatives is already there. But it may be suggested that those officers who are given training in this field should be retained in the department, atleast, for a period of five years. Seminars may be organised from time to time and suitable persons should berequestedto deliver lectures on consumers' cooperation. In this connection, it may be pointed out that the government should pay the T.A. and D.A. of the officials attending these courses. As regards employees of the stores, the U.P. Government has already made a provision for their training at the Cooperative Training Centre, Lucknow, but it has been noted that many stores do not send their employees for training on account of financial implications. Therefore, suitable steps must be taken to popularise this training. Employees should be trained in that particular trade to which they are attached. Short-term courses, at state level, can be organised for accountants and salesmen etc. Lectures may be arranged for and

pamphlets distributed to the members of the stores explaining principles and significance of consumers' co-operation.

If the consumer's cooperative movement has to be made success, it is necessary that it builds up a strong and effective organisation at the national level. The movement should have a four-tier organisational structure, all of which should be complementary to one another. Effective buying by proper realisation of merchandising and concentration of negotiating functions into a limited number of specialist hands alone shall enable the consumer cooperatives to sustain themselves in free competition with the private trade. It is, therefore, absolutely essential that the National and State Federations define their respective roles in merchandising and work in coordination as complements to one another.

Consumer's Cooperative Movement towards the Twenty First Century-

We are now in the last decade of the twentieth century and within a few years from now the world will step into the twenty first century. This current decade is a trend setter and pace setter in various aspects of the global economy. Trade barriers are collapsing and all controls in the name of socialism are being abolished. All this apart this is an age of managementinformation explosion communi-cation explosion.

There is a growing trend of survival of the fittest state support patronage assistance are being withdraw everywhere. By the end of this century, there may be absolute free economy, no trade barriers, no state control and free trade. This situation possesses a new challenge. The consumer cooperative of the developing countries has to be viable, profitable and successful. Success is not only to be achieved but it is to be guarded and maintained.

In the transition period in the rat race of competition and survival of the fittest, many weak consumer stores may die unless they merge themselves with the stronger consumer stores of the neighbourhood, so the total number of consumer stores will come down as has happened in cooperative movement of developed countries like Sweden, U.K. etc.

Conclusion -

Need of the day is professionalisation of management and there will be greater professionalisation in the twenty first century so the officials and non-official have to be groomed and trained to develop the operational efficiency of the consumer cooperative and to develop necessary competence to withstand competition in the free market economy. In the days of galloping inflation there will be more need of bulk capital for setting up large Super-Market with modern gadgets and hence adequate capital base should be built up by huge membership.

Last but not the least cooperation of the developing countries have to remove the hangover of their post misgivings and think of scientific management, budgeting, long range planning and should open up themselves the experience and expertise with their counterpart.

It is thus necessary that the cooperatives should be made strong enough to resist the competition from private traders. For this following strategy should be adopted-

(a) To introduce modern methods. (b) To change the assortment, taking into consideration the aspiration of modern generation. (c) To ensure participation of members.

References

- Reardon, T., and J.A. Berdegue´. "The Rapid Rise of Supermarkets in Latin America: Challenges and Opportunities for Development." Development Policy Review 20(2002):317–34.
- Arvidson R. &Taimni K.K.: Consumers' Cooperative Movement in India- An Appraisal.
- Sharada V.: The Theory of Cooperation.
- CIES (Food Business Forum). "Wu-mart," Food Business Forum News of the Day, Paris: CIES-2002.
- Singh G. K.: India's Rural Cooperatives.
- Vaidyanathan A.: India's Economic Reforms and Development.
- National Consumer Coop. Federation, New Delhi: Indian Consumer Cooperator.
- China Resources Enterprise. "Retailing Strategies and Execution Plan, July 2002." Posted on website of China Resources Enterprise, Limited, Hong Kong, 2002.

ISSN : 2394-4366

Received: 05 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

गद्यकार महादेवी वर्मा एवं सर्वहारा वर्ग

– डॉ. स्वाति पुरवार
प्राचार्य
श्रीमती बूटूबाई महाविद्यालय,
ओरन रोड, अतर्रा, बाँदा–210201
(उत्तर प्रदेश)

ई–मेल :
purwarswati19@gmail.com

सारांश

सर्वहारा वर्ग स्वयं कुछ भी कहने में असमर्थ रहता है। संभवतः इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने उस वर्ग के पीड़ित जीवन को स्वर दिया है। समाज में व्याप्त दुःख, दैन्य और अभिशापों का प्रतिकार किया है। महादेवी जी के गद्य में एक विद्रोही का स्वर दृष्टिकोण होता है जो उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के साथ सामाजिक विसंगतियों को उजागर करने में समर्थ रही हैं। महादेवी जी ने अपने रेखाचित्रों और संस्मरणों में अपनी सम्पूर्ण उद्भावना और जीवनन्तता के साथ समाज के शोषित, दीन, दुःखी, पीडित और दलित वर्ग का यथार्थवादी रूप प्रस्तुत किया है। ये पात्र न तो कोई पौराणिक या ऐतिहासिक महापुरुष है और न समाज के प्रतिष्ठित उच्चवर्ग के समृद्ध अंग किन्तु फिर भी श्रेष्ठ और उच्च वर्ग से कहीं अधिक अच्छे हैं। महादेवी जी ने सर्वहारा वर्ग और समृद्ध उच्च वर्ग की तुलना करके यह सिद्ध करने का बहुत प्रयास किया कि उच्च समृद्ध वर्ग के दोहरे जीवन के विपरीत इस निम्न वर्ग का जीवन खुली पुस्तक के समान होता है।

महादेवी जी की गद्य कृतियों में जो पात्र और परिस्थितियाँ अंकित हैं, उनको लेखिका ने सीधे–सीधे धूल–मिट्टी से उठाकर ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया है। समाज में अधिकांश मनुष्य जो पशुओं के तरह जीने के लिए अभिशप्त हैं, उनसे उन्हें अपार स्नेह है। महादेवी जी के ये पात्र सच्चे अर्थों में सर्वहारा है। जिन लोगों के कारण सर्वहारा वर्ग की ऐसी नियति बन गयी है, उनके प्रति तीव्र आक्रोश भी है। वह यद्यपि किसी क्रान्तिकारीवाद की परिधि में नहीं बंधी तथापि उनकी गद्य कृतियों में सर्वहारा वर्ग की दयनीय अवस्था के प्रति विद्रोह की स्वर मुखरित है।

महादेवी जी ने समाज के सर्वहारा वर्ग के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा और विचार रखे, वह सब आँखों देखा और कानों सुना हुआ था। स्वयं इस यथार्थ को देखे होने के कारण उनका सर्वहारा वर्ग के प्रति दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। नंगी भूखी जनता की वुमुक्षा, निर्वस्त्र, अधनंगे बालकों, असहाय वृद्धों, फटेहाल स्त्रियों के पैबन्ददार चीथड़ों की दुरवस्था और अनाथ निस्संबल या निस्सत्व व्यक्तियों की जीवन–विभीषिका का जो कटफ सम्पूर्ण यथार्थ उनके गद्य में दिखाई पड़ता है, वह अपूर्व है उनकी ''लक्षमा'' नाम पहाड़ित पात्री तीन दिन भूख से पीड़ित होकर अन्त में मिट्टी खाने को बाध्य होती है– जब बहुत भूखी हुई, तब पीली मिट्टी का एक गोला बनाकर मुख में रखा और आँख मूँदकर सोचा–लड्डू खाया । बस

फिर बहुत–सा पानी पी लिया और सब ठीक हो गया। भूख से विवश और आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति का जीवन इस क्रूरता से आगे नहीं जा सकता ।

महादेवी जी ने अपने रेखाचित्रों और संस्मरणों में अपनी सम्पूर्ण उद्भावना और जीवनन्तता के साथ समाज के शोषित, दीन, दुःखी, पीडित और दलित वर्ग का यथार्थवादी रूप प्रस्तुत किया है। ये पात्र न तो कोई पौराणिक या ऐतिहासिक महापुरुष है और न समाज के प्रतिष्ठित उच्चवर्ग के समृद्ध अंग किन्तु फिर भी श्रेष्ठ और उच्च वर्ग से कहीं अधिक अच्छे हैं। महादेवी जी ने सर्वहारा वर्ग और समृद्ध उच्च वर्ग की तुलना करके यह सिद्ध करने का बहुत प्रयास किया कि उच्च समृद्ध वर्ग के दोहरे जीवन के विपरीत इस निम्न वर्ग का जीवन खुली पुस्तक के समान होता है। व्यक्तित्व का दोहरापन व्यक्ति की अन्दर की अन्दर सड़ा गला कर नष्ट करने लगता है– ''इस वर्ग का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है। अतः महान ही नहीं, तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर नहीं उसकी कथा आदि से अन्त तक सुना देना सहज हो जाता है। इसके विपरीत हमारा जटिल से जटिलतम होता हुआ अन्तर्गत और कृत्रिम बनता हुआ जवीन ऐसी स्थिति उत्पन्न किये बिना नहीं रहता, जिसमें बाहर के बगुलेपन को भीतर की सड़ी–गड़ी मछलियों से सफेदी मिलने लगती है।

सर्वहारा वर्ग तो भारतीय जन–जीवन के ऐसे कुरूप चिह्न हैं जो या तो अशिक्षा और शोषण के कारण दीन एवं सरल हैं या निर्धारित नियों के अपवाद बनकर समाज को घोर उपेक्षा के पात्र हुए हैं। अतएव महादेवी जी ने रेखाचित्रों और संस्मरणों के माध्यम से दलित वर्ग तथा निम्नवर्ग के चरित्रों का उल्लेखकर मानवना की लहर जगाने का प्रयास किया है। सहानुभूति और संवेदना से प्रेरित होकर महादेवी जी स्वयं यह सोचने के किये मजबूर हो गई कि कोरी सहानुभूति सर्वहारा वर्ग का उद्वान कर सकने में असमर्थ है। शिक्षा और हस्तकला देकर इस वर्ग में चेतना जाग्रत की जा सकती है और एक हद तक स्वालम्बित भी बनाया जा सकता है। महादेवी के अनुसार इन बालाकों को निरुद्देश्य धूप में भटकते और स्त्रियों को अकारण लड़ते देखकर ही मेरे मन में एक ऐसी पाठशाला खोलने की इच्छा उत्पन्न हुई जिसमें स्त्रियाँ अवकाश में समय काटना बुनना सीख सकें, बच्चे पढ़ सके और बूढ़े समाचार–पत्र सुन सकें।

महादेवी जी के गद्य साहित्य में स्थान–स्थान पर नाम रूपहीन अनाथ अभागे सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधियों को रूप आकार मिलता है। अनजाने बालक और अभागिन स्त्रियों के चेहरे उनके हाथ–पाँव उनकी कर्मठ उंगलियों उनके हाथ पाँवों में घिसकर गोल से चपटे हो गये गिलट के गहने इन सबको आँखों के आगे सजीव कर देना महादेवी की विशेषता है। भारत के गाँवों की निर्धन जनता काछी, कुम्हार, धोबी, भंगी, बढ़ई, कुली, कबाड़ी, अहीर, भिखारी वेश्या, गूंगे, विकलांग पात्र और उनके अशिक्षित गुल्ली–डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के, कडुवे तेल से अपरिचित सूखी जटाओं वाली विपन्न ग्रामीण स्त्रियों से लेकर पूँजीपति, सामन्त, जमींदार और मालिक तक का यर्थाथ खाका खींचने की चेष्ठा उनके हृदय को सर्वहारा वर्ग के प्रति सहृदयता का द्योतक है। महादेवी जी सामाजिक व्यवस्था की विकृति से क्षुब्ध हो उठती हैं, उनका मानना है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी अधिक विकृत और जटिल से गयी है कि इसमें दलित वर्ग और निम्नवर्ग पिस कर रहा गया है। बड़े लोग तरह तरह के उपायों से दूसरों का धन हड़प जाते हैं परन्तु उन्हें कोई चोर कहने का साहस नहीं कर पाता किन्तु गरीब तो कई बार अकारण ही दण्ड के भागी बन जाते हैं क्योंकि ये साधन सम्पन्न नहीं होते और उनके प्रति किये गये अन्याय के लिये वह स्वयं या कोई अन्य खड़ा नहीं होता।

अमीरों का गरीबों और दरिद्रों के प्रति किया अन्याय महादेवी को मुखर बनने के लिये बाध्य कर देता है और वे जीवन तथा समाज की सच्चाई को नग्न रूप में उपस्थित करने में झिझकती नहीं हैं– ''पास के बंगले में चोरी हो गई। ऐसी स्थिति में दूसरों के अपहृत धन से साहूकार बने हुए बड़े आदमी अपने नौकर–चाकर ही नहीं आस–पास के दरिन्दों को भी कैसे–कैसे पशुओं के हाथ सौंप देते हैं, यह कौन नहीं जानता। उनको चाहे गए धन में से एक कौड़ी भी वापस न मिले, पर अपने विक्षिप्त क्रोध से वे इन दरिन्दों के जीवन की बची खुची लज्जा को भी तार–तार करके फेंके बिना नहीं रहते।

महादेवी के अन्दर की समस्त संवेदना प्रबल वेग के साथ प्रत्येक दीन दलित निरीह को अपनी विस्तृत सीमा में समेट लेती है। उनकी दीन दशा देख उनका हृदय हाहाकार कर उठता है। महादेवी का काव्य भले ही हमें अपने सौन्दर्य के भुलावे में डाल कर जीवन से दूर ले जाता

है, परन्तु उनका गद्य में यथार्थ जीवन को देखने के लिये विवश कर देता है। वहाँ सम्मोहना और व्यामोह न होकर जीवन के परस्पर पूरक चित्रों के यथार्थ की करुणा–कलित घटा देखने को मिलती है। सर्वहारा वर्ग की विपन्नावस्था पर उनका स्वर व्यंग्यात्मक भी हो उठता है– ''उनके हृदय का संस्कार उनकी स्वाभावितक शिष्टता, उनकी रस–विदग्धता, उनकी कर्मठता आदि का क्या इतना कम मूल्य है कि उन्हें जीवन–यापन की साधारण सुविधायें तक दुर्लभ हो जायें। इस सच्चाई को उन्होंने अपने कई रेखाचित्रों और संस्मरणों में और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। जीवन की तीनों प्रमुख आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, और आवास) की पूर्ति भी सर्वहारा वर्ग के लिये स्वप्नतवत् है। दरिद्रों के बालक प्रायः नग्नावस्था में ही खेलते घूमते और सर्दी, गर्मी बरसात को झेलते मिलेंगे। शरीर पर कुरता इत्यादि होने पर भी इस वर्ग के बालक प्रायः उन्हें उतार कर तथा संभालकर एक ओर रख देते हैं। इस वर्ग के बालकों की इस मानसिकता का मनोविज्ञान बताते हुए वे कहती हैं– ''दरिद्रता ने साधारण कपड़ों को भी दुर्लभ पदार्थों की सूची में रख दिया है। माँ कभी पुराने और कभी सस्ते मोटे कपड़ों का लम्बा और बेडौल कुरता उल्टी सीधी खोपें भर सी देती है और उसे मैला न करने के सम्बन्ध में इतना उपदेश देती रहती है कि बालक कुरता को शरीर से अधिक मूल्यवान समझने लगता है।

महादेवी जी का गद्य साहित्य उनकी सर्वहारा वर्ग के प्रति गहरी संवेदना और सच्ची सहानुभूति का पर्याय है– ''अतीत के चलचित्रों'' और ''स्मृति की रेखाओं में ही नहीं वरन् निबन्धों में भी उन्होंने समाज के चिर–उपेक्षित, सतत् अभावग्रस्त और अत्याचार से जर्जर व्यक्तियों को प्रतिपाद्य विषय बनाया है। इन महत्वहीन सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण और उनकी महत्ता महादेवी जी ने उनके दुःख दैन्य की कहानी कहकर प्रकट कर दी है।

सर्वहारा वर्ग स्वयं कुछ भी कहने में असमर्थ रहता है। संभवतः इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने उस वर्ग के पीड़ित जीवन को स्वर दिया है। समाज में व्याप्त दुःख, दैन्य और अभिशापों का प्रतिकार किया है। महादेवी जी के गद्य में एक विद्रोही का स्वर दृष्टिकोण होता है जो उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के साथ सामाजिक विसंगतियों को उजागर करने में समर्थ रही हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अतीत का चलचित्र – (लक्षमा), पृष्ठ–07।
2. अतीत के चलचित्र – (अलोपी), पृष्ठ– 84।
3. स्मृति की रेखायें – (मुन्नू की माई), पृष्ठ– 70।
4. अतीत के चलचित्र – (सबिया), पृष्ठ– 47।
5. स्मृति की रेखाएं – (ठकुरी बाबा), पृष्ठ– 98।
6. स्मृति की रेखाएं – (मुन्नू की माई),पृष्ठ– 53।

ISSN : 2394-4366

Received: 09 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

माध्यमिक स्तर के छात्रों के सक्रिय स्व–अधिगम पर रचनावाद शिक्षण उपागम के प्रभाव का अध्ययन

– उत्तमा सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर –
बी. एड. विभाग,
दयानन्द गर्ल्स पी. जी. कालेज,
कानपुर – 208001 (उत्तर प्रदेश)

ई–मेल :
shiv.uttama@gmail.com

सारांश

शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक एवं गैर औपचारिकेतर सभी व्यवस्थाओं में और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बच्चों को प्राप्त होने वाले अधिगम अनुभव में बच्चों की स्वाभिप्रेरणा सक्रियता एवं स्व–अधिगम अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है जो निरन्तर उसे गुणवत्तायुक्त व्यवहारिक अधिगम क्रियाओं में संलग्न रखती है जिसकी महत्ता पर विभिन्न आयोगों के सुझावों में शैक्षिक नीतियों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में वृहद रूप से प्रकाश डाला गया है। नवीन शिक्षण–अधिगम उपागमों, पद्वतियों एवं प्रतिमानों का समुचित प्रयोग छात्रों के सीखने में सक्रियता एवं स्व–अधिगम की भावना को प्रबल करता हैं अतः रचनावादी शिक्षण उपागम आधारित सिद्धान्तों व नियमों द्वारा इसे और अधिक जीवंत ढंग से प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में सक्रियता एवं स्व–अधिगम इक्कीसवीं सदी के शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। अतीत में जिस तरह चीन के वुहान शहर से फैला प्राणघातक महामारी कोविड–19 वायरस समूचे विश्व और भारत को प्रभावित किया उससे शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। जिसका सामना करते हुय शिक्षा के सभी स्तर पर छात्रों को सीखने के दौरान सक्रियता एवं उपयोगी स्व–अधिगम की भावना को और अधिक प्रोत्साहित करना होगा। जिसकी पूर्ति में रचनावादी शिक्षण उपागम का प्रयोग काफी प्रभावी होगा।

अध्ययन की पृष्ठभूमि –

शिक्षा व्यक्ति को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को बनाये रखते हुए सतत् प्रगति प्रदान करती है, शिक्षा मनुष्य के संघर्षमय जीवन की जटिलताओं को समझने उन्हें सुलझाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन शिक्षा है। किन्तु शिक्षा का नियोजित एवं औपचारिक रूप व्यक्ति को अधिक प्रभावित करता है, वर्तमान में शिक्षा के तीन स्वरूप प्रचलित है यथा– औपचारिक, अनौपचारिक एवं गैर–औपचारिकेतर को विशेष रूप से देखा जा सकता है। औपचारिक शिक्षा को मुख्यतः तीन स्तरों में प्रथमिक, मध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के रूप में सोपानकृत ढंग से विभाजित करके प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम शिक्षक, शिक्षा का इकलौता महत्वपूर्ण रूप माना जाता था फिर शिक्षा के गतिशील स्वभाव के कारण छात्र को शिक्षा का दूसरा प्रमुख रूप माना जाने लगा फिर आगे चलकर पाठ्यक्रम को शिक्षा व्यवस्था का तीसरा प्रमुख रूप स्वीकार किया जाने लगा, किन्तु आज शिक्षा को बहुमुखी

प्रक्रिया मानते हुए उन सभी तत्वों को महत्वपूर्ण बताया गया जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं।

शिक्षा, अध्ययन–अध्यापन एवं शिक्षणकला द्वारा पूरी की जाती है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। जिसमें वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण कर उपलब्ध संसाधनों व परिस्थितियों का यथोचित उपयोग कर प्रभावी तथा पारस्परिक अन्तःक्रिया पूर्ण की जाती है ताकि शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा, सक्रियता एवं सृजनात्मकता का समावेश हो सके। 20वीं सदी में शिक्षण उपागम मान्यताएँ अपने परम्परागत एक मार्गीय एवं शिक्षक केन्द्रित व्यवस्थाओं पर आधारित थी जहाँ अधिगमकर्ता निष्क्रिय भूमिका में रहते थे लेकिन विगत कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रान्तिकारी परिर्वतन हुए जिसे आज की शिक्षा प्रणाली में देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन सिद्धान्तों उपागमों एवं प्रतिमानों का प्रार्दुभाव होने, उनका अनुप्रयोग होने और विभिन्न सैद्धान्तिक व आनुभविक शोध अध्ययनों के होने से अब परम्परागत सूचना प्रसार प्रतिमान के बजाय, ज्ञान निर्माण प्रतिमान को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। ज्ञान निर्माण प्रतिमान के रूप में रचनावाद उपागम ने शिक्षाविदों को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने बच्चों के सीखने के तरीके को ज्ञान के निर्माण में बच्चा कैसे सीख रहा है इस पर बल देते हुय शिक्षा में रचनावाद शिक्षण उपागम को महत्वपूर्ण बताया।

रचनावाद शिक्षण–अधिगम सिद्धान्तों का प्रारम्भ प्राचीन दार्शनिक एवं शिक्षाशास्त्री सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और कान्ट के ज्ञान सम्बन्धी विचारों में भी देखा जा सकता है। रचनावाद सिद्वान्तों पर आधारित शैक्षिक विचारधाराएँ मुख्य रूप से प्रगतिवाद, पुनर्सरचनावाद, प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद में भी दिखाई देती हैं किन्तु शिक्षाशास्त्र के क्षेत्र में, रचनावाद शिक्षण उपागम का औपचारिक प्रारम्भ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक रचनावाद और लेव वाइगोत्सकी के सामाजिक रचनावाद के सिद्धान्तों के व्यापक अनुप्रयोग से हुआ है। रचनावाद उपागम की प्रमुख मान्यताएँ हैं कि ज्ञान का निर्माण बच्चें स्वयं करते हैं जो उसकी पूर्व अनुभवों एवं रचनाओं पर निर्भर करता है जिसे स्वयं से पाठ्यवस्तु के साथ संलग्न होने पर अर्जित किया जाता है। सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया न होकर खोज की, सृजन की सक्रियता की एक आंगिक प्रक्रिया है जहाँ पर, ज्ञान विकसित होता या रचा जाता है, जो निरन्तर परिवर्तनीय होता है।

रचनावादी शिक्षण उपागम पर आधारित कक्षाकक्ष का वातावरण सहयोग पूर्ण स्वअधिगम से प्रेरित सक्रिय अधिगम, सह–अन्वेषक, परस्पर अर्न्तक्रिया व आलोचनात्मक चिन्तन से युक्त एंव खोजी क्रियाओं से भरा होता है ।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण –

शोधकार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं शोध के प्रत्येक स्तर पर शोधार्थी द्वारा सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करना अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन चयनित शोध समस्या से जुड़े विभिन्न सिद्वान्तों, निहित अवधारणाओं एवं शोधकार्यों को समझने में सहायक होता है।

प्रस्तावित शोध समस्या से सम्बन्धित अब तक रचनावादी उपागम की उपयोगिता पर और परम्परागत व रचनावादी उपागमों की प्रभावशीलता पर कई शोधकार्य किये जा चुके हैं जो अग्रवर्णित हैं–

वोन्ग (2003) द्वारा किये गये कन्स्ट्रक्टिविस्ट ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर सोसल वर्क एजूकेशनः एन इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेण्टस लर्निंग प्रोसेस एण्ड आउटकम नामक एक शोध अध्ययन में यह पाया गया कि रचनावादी शिक्षण–अधिगम सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित नये अधिगम वातावरण में छात्र किस प्रकार ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और क्या नवीन रचनात्मक वातावरण वर्तमान कक्षा शिक्षण की अपेक्षा अधिक गहन परिणामों का उत्पादन कर सकते हैं, वोन्ग ने निष्कर्ष में पाया कि छात्रों पर रचनावाद मान्यताओं से युक्त आनॅलाइन अधिगम वातावरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा किन्तु प्रायोगिक समूह एवं नियंत्रित समूह के अधिगम परिणामों में कोई सार्थक अन्तर नहीं मिला।

चुन्ग, (2004) ने ए कम्पैरेटिव असेसमेंट ऑफ कन्स्ट्रक्टिविस्ट एण्ड ट्रेडिशलन अप्रोचेस टू स्टैबलिशिंग मैथमैटिकल कनेक्शन्स इन लर्निंग मल्टीप्लिकेशन नामक शोध अध्ययन में पाया कि प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूहों के गुणा करने के कौशल में और गुणा सम्बंधी प्रत्ययों को समझने में सुधार नहीं हुआ किन्तु दोनों समूहों के उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं मिला।

डोगरू तथा केलेण्डर, (2007) ने अप्लाइंग द सब्जेक्ट ''सेल'' द कन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ड्यूरिंग साइन्स

लेसन्स एण्ड द टीचर्स विव्यू नामक शोध विषय के अन्तर्गत कोशिका सम्बन्धित अध्याय को परम्परागत एवं रचनावादी उपागम से शिक्षण प्रदान करने में पाया कि प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के बीच प्राप्त उपलब्धि सफलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है किन्तु ज्ञान स्थायित्व के सन्दर्भ में दोनों समूहों के परीक्षण प्राप्तांको में सार्थक अन्तर था।

गनदोदू (2010) द्वारा किये गये शोध अध्ययन द इफेक्ट ऑफ कन्स्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शन ऑन प्रोसपेक्टिव टीचर्स एटीटयूड टुवडर्स हूमेन राइट एजुकेशन में पाया कि रचनावादी उपागम पर आधारित नवीन छात्र केन्द्रित गतिविधियों मानवाधिकार के प्रति छात्रों के मनोवृत्ति पर दीर्घकालिक और अपेक्षाकृत अधिक गहन प्रभाव डालती है।

शर्मा, (2010) द्वारा किये गये डिजाइनिंग एण्ड स्क्पेरिमेटिंग ऑफ इंग्लिस इन्स्ट्रशनल मटेरियल फॉर फैसलिटेटिंग कन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग नामक शोध अध्ययन में प्रीटेस्ट–पोस्ट टेस्ट नियंत्रित समूह डिजाइन को उपकरण रूप में उपलब्ध परीक्षण का और सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्राचलिक टी परीक्षण का प्रयोग कर यह निष्कर्ष पाया कि रचनावादी उपागम पर आधारित अनुदेशनात्मक सामग्री का छात्रों की उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

नागालक्ष्मी, (2011) ने, इफेक्टिवनेस ऑफ कन्स्ट्रक्टिविस्ट एप्रोच ऑन स्टूडेन्ट्स अचीवमेन्ट इन साइंस, साइंस रिलेटेड एटीट्यूड, सांइस प्रोसेस स्किल्स एण्ड परसेप्शन ऑफ नेचर ऑफ सांइस एट् सेकेण्ड्री लेवल नामक शोध अध्ययन में, रचनावादी उपागम को सार्थक रूप से प्रभावी पाया।

आस्थाना, (2011) ने डिजाइनिंग एन इंटरवेन्शन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्सट्रक्शन इन एन्वायरनमेंटल साइंस फॉर अपर प्राइमरी स्टूडेन्ट्स नामक शोध अध्ययन में पाया कि 82.5 प्रतिशत शिक्षक इस बात से सहमत थे कि अभिकल्पित किये गये अनुदेशन से पर्यावरणीय विज्ञान का शिक्षण करना उपयुक्त है रचनावादी प्रतिमानों का प्रयोग कर अनुदेशन को प्रभावी बनाया जा सकता है।

चोपड़ा एवं गुप्ता, (2013) ने इम्पैक्ट ऑफ कन्स्ट्रक्टिविस्ट एप्रोच ऑन सांइस अचीवमेंट ऑफ 8जी स्टैण्डर्ड स्टूडेन्टस नामक अपने शोध परिणामों में पाया कि छात्रों की विज्ञान विषय की उपलब्धि में वृद्धि करने में रचनावादी उपागम ज्याद प्रभावी है।

शर्मा (2015) द्वारा इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड इन्टरवेन्शन इन ट्रेनिंग ऑफ रिसोर्स पर्सन्स नामक शोधकार्य में पाया गया कि रचनावादी शिक्षण विधि अम्ल–क्षार तथा लवण से सम्बंधित असत्य सम्प्रत्ययों का निवारण करने में उच्च रूप से एक प्रभावी विधि है ।

सिद्दकी, (2016), ने इफेक्टिवनेस ऑफ फाइव ई लर्निंग साइकिल मॉडल आफॅ कन्स्ट्रक्टिविस्ट एप्रोच ऑन नाइन्थ–ग्रेड स्टूडेन्ट्स अन्डरस्टैन्डिंग ऑफ कोलायड्स नामक शोधकार्य में पाया कि रचनावादी पाँच ई अधिगम चक्र छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने में परम्परागत अनुदेशन की तुलना में अधिक प्रभावी रहा।

यादव बंदना, (2017) लखनऊ विश्वविद्यालय ने 'उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विषय के शिक्षकों हेतु रचनावादी उपागम पर आधारित निर्देशात्मक सामग्री का निमार्ण एंव उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन' में पाया कि छात्रों की सामाजिक विषय की उपलब्धि में सार्थक रूप से अधिक सकारात्मक वृद्धि हुई है।

उपरोक्त शोध अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर ही शोधकत्री को अपने प्रस्तावित शोध कार्य, परिकल्पनाओं के निर्माण शोध अभिकल्प एवं प्रदत्त विश्लेषण हेतु अत्यन्त महम्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि प्राप्त हुई।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व –

शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक एवं गैर औपचारिकेतर सभी व्यवस्थाओं में और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बच्चों को प्राप्त होने वाले अधिगम अनुभव में बच्चों की स्वाभिप्रेरणा सक्रियता एवं स्व–अधिगम अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है जो निरन्तर उसे गुणवत्तायुक्त व्यवहारिक अधिगम क्रियाओं में संलग्न रखती है जिसकी महत्ता पर विभिन्न आयोगों के सुझावों में शैक्षिक नीतियों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में वृहद रूप से प्रकाश डाला गया है। नवीन शिक्षण–अधिगम उपागमों, पद्वतियों एवं प्रतिमानों का समुचित प्रयोग छात्रों के सीखने में सक्रियता एवं स्व–अधिगम की भावना को प्रबल करता हैं अतः रचनावादी शिक्षण उपागम आधारित सिद्धान्तों व नियमों द्वारा इसे और अधिक जीवंत ढंग से प्रोत्साहित किया जा सकता है।

शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में सक्रियता एवं स्व–अधिगम इक्कीसवीं सदी के शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। अतीत में जिस तरह चीन के वुहान शहर से फैला प्राणघातक महामारी कोविड–19 वायरस समूचे विश्व और

भारत को प्रभावित किया उससे शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। जिसका सामना करते हुय शिक्षा के सभी स्तर पर छात्रों को सीखने के दौरान सक्रियता एवं उपयोगी स्व–अधिगम की भावना को और अधिक प्रोत्साहित करना होगा। जिसकी पूर्ति में रचनावादी शिक्षण उपागम का प्रयोग काफी प्रभावी होगा।

रचनावाद एक ज्ञान मीमांसीय विचार है जो ज्ञान की आत्मनिष्ठ प्रकृति में विश्वास रखता है। एक उपागम के रूप में रचनावाद स्वयं से ज्ञान निर्माण की सक्रिय अधिगम प्रक्रिया को महत्व देता है और प्रस्तावित अध्ययन का केन्द्र बिन्दु भी छात्रों के सक्रीय स्वअधिगम को बढ़ावा देता है। सीखने में सक्रियता एवं गुणवत्तायुक्त स्व–अधिगम शिक्षा सम्बन्धित सभी परिस्थितियों में अनिवार्य होता है। विभिन्न सम्बन्धित साहित्यों की समीक्षा करने से यह स्पष्ट हुआ है कि रचनावादी शिक्षण उपागम का प्रयोग सामान्य रूप से शिक्षा जगत के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा सकता है किन्तु सैद्धान्तिक स्वाभाव के व्यावहारिक विज्ञान विषयों में रचनावादी शिक्षण–अधिगम उपागम पर शोधकार्य तथा प्रयोग अभी भी बहुत कम हुआ है। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही शोधकत्री ने यह अनुभव किया कि रचनावादी उपागम पर आधारित शिक्षण प्रदान करने से किसी भी विषय के अध्ययन एवं अध्यापन को उद्देश्यपूर्ण और उपयोगी बनाकर छात्रों में गुणवत्तायुक्त उच्चस्तरीय सक्रिय स्व–अधिगम को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है।

समस्या कथन –

प्रस्तावित शोध समस्या का कथन इस प्रकार किया जा सकता है–

माध्यमिक स्तर के छात्रों के सक्रिय स्व–अधिगम पर रचनावाद शिक्षण उपागम के प्रभाव का अध्ययन–

मुख्य पदों की संक्रियात्मक परिभाषाएं–

माध्यमिक स्तर–

प्रस्तावित शोध में माध्यमिक स्तर से तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध विद्यालय के कक्षा 9 के हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों से है।

सक्रिय अधिगम–

छात्रों द्वारा अभिप्रेरित जागरुक व स्थिर मनोभाव से कक्षा–कक्ष में निरन्तर क्रियाशील बने रहना सक्रिय अधिगम कहलाता है।

स्व अधिगम–

स्पष्ट, रोचक, लचीले अभिप्रेरित, अधिगम स्थानान्तरण को प्रोत्साहित करने वाले व पृष्ठपोषण प्रदान करने वाले निर्देशित अधिगम सामग्री को अध्येता द्वारा स्वयं से अपनी योग्यता गति और रुचि के अनुसार सीखना स्व–अधिगम कहलाता है।

रचनावादी उपागम–

प्रस्तावित शोध में रचनावादी उपागम से अभिप्राय ऐसे उपागम से है जो मानता है कि व्यावहारिक एंव स्वभाविक सुविधाओं, बहुआयामी अधिगम क्रियाओं, उत्प्रेरक वातावरण, सामूहिक संवाद एंव पारस्परिक अन्तर्क्रिया से युक्त कक्षाओं में छात्र स्वंय ही ज्ञान, विचारों और सिद्वान्तों का सृजन करते है।

अध्ययन के उद्देश्य–

प्रस्तावित शोध हेतु शोधकर्ती द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्माण किया गया है यथा–

- रचनावादी अधिगम वातावरण को सृजित करने हेतु चयनित निर्देशात्मक अभिकल्पों का, मापदण्ड निर्धारित करना।
- सक्रिय एवं स्व–अधिगम के सन्दर्भ में परम्परागत शिक्षण एवं रचनावादी शिक्षण उपागम की तुलना करना।
- परम्परागत शिक्षण पद्वति एवं रचनावादी शिक्षण पद्वति से संचालित कक्षा–कक्ष अधिगम गतिविधियों का अध्ययन करना।
- परम्परागत शिक्षण एवं रचनावादी शिक्षण उपागम से प्रशासित उपलब्धि परीक्षण के परिणामों की तुलना करना।
- रचनावादी शिक्षण प्रतिमानों का अनुसरण करने वाले कक्षा अध्यापक के अनुभवों को ज्ञात करना।

प्रस्तावित अनुसंधान का स्वरूप अथवा अभिकल्प–

प्रस्तावित शोध का प्रमुख उद्देश्य कक्षा 9 के छात्रों के सक्रिय स्व–अधिगम पर रचनावादी शिक्षण उपागम का प्रभाव ज्ञात करना है अतः अनुसंधान का स्वरूप प्रायोगिक है। शोध उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्व एवं पश्च परीक्षण अर्द्ध प्रयोगात्मक (Pretest Post test Quasi Experimental Designs) अभिकल्प बनाया जायेगा। इस अभिकल्प में प्रयोगात्मक व नियंत्रित दो समूह होते हैं, वाह्य चरों को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया जाता हैं किन्तु समूहों का आवंटन अयादृच्छिक ढंग से किया जाता हैं, चयनित

अभिकल्प का संकेतन इस प्रकार है–

G1TOG2 : OCO

जहाँ,

G1	-	नियंत्रित समूह
G2	-	प्रायोगिक समूह
O	-	अवलोकन या परीक्षण
T	-	उपचार
C	-	नियंत्रित परिस्थिति

जनसंख्या –

प्रस्तावित शोध अध्ययन हेतु प्रयागराज जनपद के यू. पी. बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के ग्रेड 09 के हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किये जायेंगे।

न्यादर्श–

अध्ययन हेतु छात्रों की संख्या और नियमित उपस्थिति को ध्यान में रखकर चालीस (40) छात्रों को उद्देश्यपूर्ण न्यायदर्शन विधि से चयनित किया जायेगा।

प्रस्तावित शोध में निर्धारित उपकरण–

प्रस्तावित शोध कार्य में प्रदत्तों का संकलन करने हेतु निम्नलिखित उपकरण प्रयुक्त किये जायेंगे–

☛ रचनावादी उपागम के पाँच उपलब्धि परीक्षण होंगे। प्रतिमानों पर आधारित दो स्व–निर्मित।

☛ परम्परागत प्रतिमानों पर आधारित दो स्व–निर्मित उपलब्धि परीक्षण।

☛ वर्गीकरण व्यवस्थायुक्त स्व–निर्मित अवलोकन मापनी।

प्रदत्तों का विश्लेषण–

संग्रहित प्रदत्तों को मध्यमान, प्रतिशतांक एवं मानक विचलन जैसे वर्णनात्मक सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषित किया जायेगा। प्रायोगिक व नियंत्रित समूहों से प्राप्त उपलब्धि परिणामों की सार्थकता की जाँच हेतु 05 सार्थकता स्तर पर टी–परीक्षण अनुमानिक सांख्यिकी का प्रयोग किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, एस. पी., गुप्ता, अल्का, (2011) आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन सांख्यिकी शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज।
2. गुप्ता, एस. पी. (2013) आधुनिक संदर्शिका सम्प्रत्यय कार्यविधि एवं प्रविधि, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज।
3. गुप्ता, एस. पी. (2007) 'सांख्यिकी विधियाँ' शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज।
4. पाण्डेय, के. पी. (2003) शैक्षिक अनुसंधान विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
5. सिंह, कुमार अरुण (1992) 'मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ', मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, वाराणसी।
6. Asthana, S. (2011) Designing an Intervention to Improve the Quality of Instruction in Environmental Science for Upper Primary Students-Unpublished M-Ed Dissertation] University of Lucknow.
7. Best, J. W. (2011) Research in Education, New Delhi: PHI Learning Private Limited.
8. Chopra, R. S. Gupta, R. (2013) Impact of Constructivist Approach on Science Achievement of 8th standard students-MERI Journal of Education. 8(1) : 47-53.
9. Chung, I. (2004) A Comparative Assessment of Constructivist and traditional Approaches to Establishing Mathematical Connections in Learning Multiplication - Retireved from https//www-eric-ed-gov-in (ERIC Document Reproduction Service No-EJ698724) on 16/12/2011.
10. Dogru, M. & Kalender S. (2007) Applying the subject "Cell" through Constructivist Approach during Science Lessons and the teacher view- Journal of Environmental & Sciences Education 2 (1) : 3 & 13.
11. Gundogdu, K. (2010). The Effect of Constructivist Instruction on Prospective Teacher's Attitude towards Human Right Education- Retrieved from https//www-eric-ed-gov-in (ERIC Document Reproduction Service No- EJ890540) on 03/02/2012.
12. Nagalakshmi, R. (2011) Effectiveness of Constructivist Approach on students' Achievement in Science, Science related Attitude, Science Process skills and perception of Nature of Science at Secondary Level- Ph-D- Thesis, Periyar University, Salem Tamil Nadu. Retrieved from https://www-shodhganga-inflibnet-ac-in on 12/08/2013.
13. NCERT (2005) National Curriculum Framework-Retrieved from https://www-ncert-nic-in on 16/08/2012.
14. Sharma, R. (2010) Designing and Experimenting of English Instructional Material for Facilitating Constructivist learning Ph.D. Thesis Department of Education, University of Lucknow.
15. Sharma, R. K. (2015) Impact of Activity Based Intervention in Training of key Resource Persons- SS International Journal of Multidisciplinary Research. 1(2) Retrived from https:// www-ssijmr-sspublicatios-co-in /v1/i2/6- Pdf-On 16/05/2016.
16. Siddiqui, V. (2016) Effectiveness of 5E Learning Cycle Model of Constructivist Approach on Ninth & Grade Students Understanding of Colloids- Paripeu: Indian Journal of Research, 5 (3) : 171-174.
17. Wong, Y. C. (2003) Constructivist online Learning Environment for Social Work Education: An Evaluation of Students' Learning Process and outcome- Dissertation Abstract International, 65 (4) : 1248A.

ISSN : 2394-4366

Received:11 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

हिन्दी नवगीतों में मुक्ति चेतना के स्वर

– सीता सरोज
शोध छात्रा – हिन्दी विभाग,
गाँधी स्मारक त्रिवेणी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, बरदह,
आजमगढ़–276301 (उत्तर प्रदेश)

ईमेल–
sitasaroj2643@gmail.com

सारांशिका

मुक्ति और विद्रोह की चेतनता विश्व के लगभग सभी महान साहित्यकारों की कृतियों में दृष्टिगोचर होती है। किसी न किसी प्रसंग में साहित्यकार इस चेतना को प्रश्रय देकर एक समतामूलक सम्यक् समाज की स्थापना करना चाहता है। इसकी जड़ें मानव सभ्यता के समतुल्य दिखाई देती हैं। रथ को उसके अभिप्रेत मार्ग पर बढ़ने के लिए मजबूत और समान आकार के पहियों की आवश्यकता होती है। समान चक्र के अभाव के अभीष्ट गति संभव नहीं। इसी तथ्य को परिणति प्रदान करने के लिए साहित्यकार जनता का प्रतिनिधि बनकर लोगों की आशा–निराशा का वर्णन करते हुए उन्हें प्रगति पथ पर सतत अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। हिन्दी साहित्य में इस परम्परा का सूत्रपात विरल रूप में बहुत पहले ही हो गया था, किन्तु महात्मा कबीर के साहित्य में इसका व्यापक दर्शन होता है। महात्मा कबीर के जगत् के लिए 'जन' को प्रमुख मानदण्ड के तौर पर स्वीकार करते हुए उसकी मुक्ति के लिए विद्रोह किया। 'जन' ही वायवीय–जगत् का प्रत्यक्ष केन्द्र–बिन्दु है और इस क्रियाशील संसार की समस्त गतिविधियाँ प्रत्यक्षतः 'जन' के ही परितः घूमती प्रतीत होती हैं।

मुक्ति और विद्रोह की शुरुआत शोषण प्रक्रिया के प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। औद्योगीकरण और पूँजीवाद के जन्म के साथ शोषण का व्यापार आरम्भ होता है। असमानता का बीज भी यहीं से अंकुरित होता है।

इस विषमता का द्वन्द्वात्मक प्रतिफल कम्युनिज्म के रूप में सामने आता है। कम्युनिज्म के स्वप्न को सबसे बड़ा पक्ष बराबरी पर आधारित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था की स्थापना है। पूँजीवादी के मूल में ही विषमता अन्तर्निहित है। अनवरत लाभवृद्धि के उद्देश्य से संचालित पूँजीवादी का कार्य व्यापार मुनाफे की एक ऐसी हवस को जन्म देता है जो एक तरफ नये–नये उन्नत उत्पादों का पहाड़ खड़ा करता है। वहीं दूसरी तरफ मूल्यवृद्धि कर उन्हें खरीदने की ताकत को क्रमशः कुछ हाथों में सीमित कर बाकी बहुसंख्या को उत्तरोत्तर वंचितों के खाँचे में डालता चला जाता है। यहीं से अमीरी और गरीबी की खाई विकराल रूप धारण करती है। जहाँ तक शासन–सत्ता की बात है वह इन्हीं प्रभावशाली वर्गों के व्यापारिक और सामाजिक हितों की रक्षा का काम करती है। जाहिर है कि जहाँ इतनी विषता होगी वहाँ असंतोष होगा, अशांति होगी और विद्रोह भी होगा। जहाँ मुनाफे की ऐसी हवस होगी वहाँ मानवीय सम्बन्ध भी बाजार से तय होंगे। स्वार्थ ही सबसे बड़ा सिद्धान्त होगा और अन्याय ताकतवर का हथियार होगा। इस स्थिति में वंचित–विद्रोह अंतिम विकल्प बन जाता है। अतः समानता, शान्ति, समाजवाद और समृद्धि के लिए अन्तर्संघर्ष आरम्भ हो जाता है।

शोध आलेख-

आधुनिक काल में मुक्ति एवं विद्रोह की चेतना का विकास पूँजीवादी एवं साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरोध में हुआ। सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध किसान–मजदूरों का विद्रोह जनवादी रूप ग्रहण किया। समाजवाद ही इसका एकमात्र हल था जिसे जनतंत्र के रूप में देखा जा सकता है। भारत में आजादी के साथ ही जनतंत्र की नींव पड़ी जिसमें जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन चुना गया। इस संदर्भ में डॉ. इन्द्रबहादुर सिंह लिखते हैं– ''इसे इस जनवादी आन्दोलन के रूप में स्वीकार कर उसे यहाँ के समाज एवं समय की वास्तविकताओं से उपजा आन्दोलन मानते हैं। जनवादी आन्दोलन अपने देश की मिट्टी अपने समय और समाज की वास्तविकताओं से उपजा आन्दोलन है, इतिहास की एक ऐसी जरूरत है जिसकी उपेक्षा करके साहित्य तथा संस्कृति को देश की अधिसंख्य जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नया मोड़ नहीं दिया जा सकता है।''[1]

जनसाहित्य का प्रमुख लक्ष्य जनता को जागृत करना है। साधारण जन को शोषण एवं दमन से सचेत कर उन्हें निज हक प्राप्ति के लिए उत्तेजित करना है। जन से ही जगत की निर्मिति होती है। अतः जन श्रेष्ठ है। उसे महत्ता मिलनी चाहिए। कुंवरपाल सिंह इसकी व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि ''जनवादी साहित्य का प्रमुख लक्ष्य जनता को शिक्षित कर उसके संघर्षों एवं जीवन को स्वर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है।''[2]

जनवादी साहित्य सामंती अवधारणाओं, साम्राज्यवादी मूल्यों एवं पूँजीवादी का विरोध करता है। सामान्य जनजीवन की खुशहाली के लिए संघर्ष करता है। सर्वहारा समाज के उत्थान की बात करता है। हाशिये के समाज को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास करता है। इसमें 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' की कामना निहित है। जनवादी साहित्य से हमारा तात्पर्य शोषण, अन्याय एवं अत्याचार विरोधी साहित्य से है। भ्रष्टाचार, लूट, साम्प्रदायिकता, जातीयता और जनविरोधी तथ्यों से समाज में अशांति का माहौल पैदा होता है। जन विशेष का अधिकार आहत होता है। आम जनता का शोषण आरम्भ हो जाता है। समता, समानता, निरपेक्षता एवं बन्धुत्व जैसे मूल्य खण्डित होने लगते हैं। उस समय साहित्यकार युग की पीड़ा एवं आमजन के जीवनानुभवों को लेकर खोखले जनतंत्र का साक्षात्कार करता है।

समष्टि चेतना का विकास व्यष्टि चेतना से ही आरम्भ होता है। जगत् के विकास में जन महत्वपूर्ण इकाई के रूप में मान्य है। मुक्ति और विद्रोह की चेतना पर विचार करते हुए सर्वप्रथम व्यक्तिगत संदर्भों को उठाना मैं विषयानुकूल समझती हूँ। जन की खुशहाली से ही जगत् की खुशहाली का आँगन जगमगाता है। समस्त प्रसूनों के कुसुमित होने से ही विश्व–बगिया की चारुता में अभिवृद्धि होगी। अतः व्यक्तिगत संदर्भों को ठोस आधार–शिला प्रदान करना आवश्यक है। इसके साथ ही जनवाद की समीचीनता व्यक्ति को किस स्तर तक राहत प्रदान कर पा रही, एक साहित्यकार के लिए यह भी विचारणीय धरातल है। साहित्य संवेदन और वैचारिक जगत् का अधिष्ठाता होता है। जनवादी वृत्तियाँ उसमें अपने वजूद को तलाशती हैं। व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य इसके परख की उर्वरा भूमि है।

शोषण, अन्याय, अत्याचार समाज का नासूर है। इसके इलाज के बिना स्वस्थ समाज की संकल्पना संभव नहीं। भौतिकवाद के जन्म के साथ ही इसकी शुरूआत होती है तथा क्रांति एवं विद्रोह की चेतना के साथ समापन। सभ्यता के सोपान पर अग्रसर मनुष्य हर क्षेत्र में प्रगति करता गया और विषमता का धुंध छोड़ता गया। इस विषैले धुएँ से हमारी दृष्टि प्रभावित हुई। सामाजिक दृश्यता कम हुई। हम भौतिकवादी धुएँ में अंधा होकर अपनों से विलग हो बैठें।

जन सामान्य अपनी लाचारी एवं विवशता के चलते पीड़ा, घुटन एवं संत्रास को सदैव अंगीकार करता है। दुर्व्यवस्था की चक्की में दलकर नितान्त भूखा और नंगा हो जाता है। रात–दिन खपने के बाद भी उसे दो जून की रोटी मयस्सर नहीं हो पाती। पूँजीवादी व्यवस्था उसका खून चूसकर अपने को समृद्ध बनाती है। वह भूख, लाचारी एवं जिम्मेदारी से न जी पाता है और न मर पाता है। उसका कठोर श्रम पूँजीवादी–सामन्तवादी व्यवस्था की भेंट चढ़ जाता है।

खेतों–कारखानों में काम करने वाला किसान–मजदूर ही जनवादी साहित्य की शोभा है तथा शोषण का शिकार जनसमुदाय है। जनवादी साहित्य उन्हीं के उत्थान के लिए समर्पित है, जिसकी शुरुआत व्यक्तिगत धरातल से होती है। हम जानते हैं कि संवेदन विचार–वृत्ति का आरम्भ व्यक्तिगत जीवन रूपों से होता है। अतः उसकी महत्ता जगत् के लिए अनिवार्य है। जनवाद पूँजीवादी,

सामंतवादी, साम्राज्यवादी व्यवस्था की प्रतिक्रिया का प्रतिफल है। जब अदम्य इच्छाएँ स्वार्थ में लिपटकर अपना रूप विस्तार करती हैं तो शोषण विकराल रूप में उपस्थित होता है। उस समय स्वतंत्रता का ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है और जनजीवन घुट–घुटकर जीने के लिए बाध्य हो जाता है। सर्वत्र विषमता के दर्शन होते हैं। एक वर्ग शोषक और दूसरा शोषित हो जाता है। इस स्थिति में जहाँ शोषक वर्ग बगैर परिश्रम किए हलवा–पूरी खाता है, समस्त सुविधाओं का उपभोग करता है और संचित खजाने पर कुण्डली मारे रहता है वहीं शोषित वर्ग दिन–रात परिश्रम करने के पश्चात् भी दो जून की रोटी नहीं जुटा पाता है। बच्चों को दूध नहीं उपलब्ध करा पाता है और आस लगायी पत्नी को नई साड़ी नहीं दे पाता है। परिस्थितियों की आक्रामकता से उसका मन धीरे–धीरे क्षुब्ध हो उठता है। फलतः वह ऐसे जनान्दोलन का अभिलाषी बन जाता है, जो उसे मुक्ति दिला सके।

समाज का किसान–मजदूर शिलाखण्ड के एक देवता की तरह अन्याय सहने को विवश है–

''नंगी सुबहें, भूखी शामें,
पहरा देती मुझको घेरे।
व्यर्थ हो गयीं सब रोशनियाँ
बेमानी हो गये अंधेरे।
चार दिशाओं की चौखट में
शीशे से मढ़ दिया गया हूँ।''[3]

सर्वत्र अंधेर मचा हुआ है। इस परिस्थिति को देख नवगीतकार का मन आक्रोश से भर उठता है–

''इस जंगल में
मुझसे पहले कई प्राणियों ने
आदमी बनने की
कोशिश की थी,
अपने अधिकार माँगे थे
लेकिन सबके सब
हिंस्र वनराज के
आहार बन गए।
और आज
मेरी बारी है।''[4]

सामाजिक तत्व जनवादी चेतना का महत्वपूर्ण अंग है। समाज कल्याण ही जनवादी चेतना का मूल तत्व है। समाज व्यक्तियों एवं परिवारों का समूह है। व्यक्ति की प्रगति परिवार की प्रगति है और परिवार की प्रगति समाज की प्रगति है। समाज के रूप में यह जन–समूह विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित होते हैं। समाज का निर्माण 'जन' से होता है। अतः 'जन' और समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। यही जनवादी चेतना का सामाजिक तत्व है। जनकल्याण की भावना से अनुप्राणित समाज स्वार्थ और संपादन की द्वन्द्वात्मक परिस्थिति का प्रतिकार करता है। विश्व–कल्याण की कामना जनवादी चेतना का मूलमंत्र है। जनकल्याण ही विश्व–कल्याण है। समाज के किसी भी सदस्य की अवनति जनवाद की नजरों में समूचे समाज की अवनति है। जनवाद सर्वोदय का पथ–प्रशस्त करता है। जनवादी चेतना से प्राप्त सामाजिक तत्व मानव कल्याण का उद्घोष करता है।

नवगीत साहित्य शोषण, अत्याचार, अनाचार से परे एक स्वस्थ समाज की संकल्पना करता है। ऐसी परिस्थितियों के अभाव में साहित्यकार का मन आक्रोशित हो उठता है। वह जनान्दोलन का अभिलाषी बन जाता है। मुक्ति और विद्रोह का स्वर उसकी लेखनी का श्रृंगार कर उठते हैं।

सब मिलाकर साहित्य ने समाज के विभिन्न संदर्भों को पकड़ने की कोशिश की है। ''आधुनिक युग और आधुनिकता का प्रारम्भ, मनुष्य द्वारा अपनी स्थिति के प्रति असन्तोष और विद्रोह करने तथा समाज की सड़ी–गली मान्यताओं और व्यवस्थाओं को चुनौती देने और उन्हें अमान्य ठहराने के संकल्प के साथ ही हुआ है।''[5]

व्यक्ति का समाज से सीधा सम्बन्ध है। बिना व्यक्ति के समाज की संकल्पना नहीं की जा सकती है। उसका सुख–दुःख, जीवन–मरण, हानि–लाभ समाज में ही सम्पादित होते हैं। अतः समाज का व्यक्ति के संदर्भ में अतीव महत्व है। विद्वानों के विचार में व्यक्ति के विकास के लिए एक सरल समाज का होना आवश्यक है जिसमें जाति–पाँति, भेद–भाव, ऊँच–नीच, शोषक–शोषित इत्यादि का बंधन न हो। हिन्दी नवगीतकारों ने इस तथ्य को गहराई से ग्रहण कर स्वस्थ समाज–सृजन की नींव रखी। उनके सपनों के समाज से सम्पूर्ण मानवता के कल्याण की सुरीली राग निकलती है।

जनवादी कार्ययोजना में न तो पूँजीवादी विश्व के प्रति निर्णायक विच्छेद की भावना थी और न तो क्रांतिकारी ढंग से पूँजीवादीकरण की। ''उनके लिए समर्पित पुलिस प्रशासन अथवा श्रम कानून नाम मात्र का जनवादी था। अमेरिका और यूरोप के पूँजीपति, बुर्जुआ दार्शनिकों के

जनवादी आदर्शों को अपने हितों में मोड़ने का कार्य किया।''[6]

समाज के श्रमिक वर्ग के जीवन को सुखमय बनाने के लिए श्रम कानूनों का संरक्षण आवश्यक है। अन्यथा पूँजी और श्रम के बीच बढ़ती दूरी से विस्फोट की नयी जमीन तैयार होगी। जनवाद की लड़ाई को राजनैतिक धार मिलनी ही चाहिए।

गीतकार का कोमल मन इन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाता। आशानुरूप परिवर्तन हेतु विद्रोह का बिगुल बजा देता है–

''सच है
जब मजदूर किसान की
टोली है सज जाती,
कोन–कोन पर
अनहोनी अजब
हवा बन जाती
हिल जाता धनपतियों का
सिंहासन और जहान।''[7]

गीत एक ऐसी नदी है जिसका उद्‌गम हृदय रूपी गोमुख व गन्तव्य भी हृदय रूपी सागर है। वास्तव में गीत हृदय से हृदय की यात्रा है। सम्भवतः इसीलिए समाज के परिमार्जन हेतु साहित्यकारों ने गीत का सहारा लिया। गीत सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् के भाव से परिपूर्ण लोक कल्याणार्थ व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा कर व्यक्ति से समाज तक को सुधारने का कार्य करता है।

एक साहित्यकार समाज का चतुर दृष्टा एवं सूक्ष्म पारखी होता है। समाज की गतिविधियाँ उसे भी प्रभावित करती हैं। हृदय की विशालता के कारण वह संसार के दुःखों से दुःखी एवं सुखों से सुखी होता है। समाज को पंगु बना देने वाली शोषण नीति से वह हमेशा ही खिन्न रहा है। उसका कविकर्म ही समाज का साक्षी है। उसी का क्रमबद्ध अध्ययन ही अभिप्रेत शीर्षक का लक्ष्य है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. समकालीन हिन्दी कथा साहित्य में जन चेतना – अरुणा लोखंडे, पृष्ठ – 132।
2. स्वाधीनता एवं राष्ट्रीय साहित्य – डॉ. रामविलास शर्मा, प्रकाशक – हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, वाराणसी, पृष्ठ – 24।
3. नवगीत – सुधा – सं. – डॉ. सभापति मिश्र, प्रकाशक – ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2008–09, पृष्ठ – 76।
4. ऋचा : बुद्धिनाथ मिश्र, नवगीत का विकास एवं मौजूदा बहस (आईना विशेषांक), सम्पादक – राजेन्द्र प्रसाद, पृष्ठ – 61।
5. कविता की वैचारिक भूमिका – डॉ. नरेन्द्र मोहन, इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, दिल्ली, 1978, पृष्ठ – 79।
6. जनवादी अधिकारों के लिए आन्दोलन और मजदूर वर्ग (तृतीय अरविन्द स्मृति संगोष्ठी में प्रस्तुत आलेख) – प्रसून सिंह।
7. सूर्य उतरेगा हमारे गाँव – सं. प्रेमशीला शुक्ल एवं डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, अदिति पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, 2019, पृष्ठ – 28।

ABHINAV GAVESHNA

Multi Displinary Quareterly International Refreed/Peer Reviewed Research Journal

I.S.S.N. : 2394-4366

(Multi Displinary Quareterly International Refreed/Peer Reviewed Research Journal)

(in Multi Language: Hindi + English + Sanskrit)

`Abhinav Gaveshna'

Sector-K-444, `Shiv Ram Kripa' World Bank Barra-Kanpur-208027 (U.P.)

Contact- 08896244776, 09335597658,

E-mail: mohittrip@gmail.com

Visit us : www:abhinavgaveshna.com, thegunjan.com

ISSN : 2394-4366

Received:13 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

मलिक मुहम्मद जायसी कृत पद्मावत में मानवीय मूल्यों का समावेश

– वीरेन्द्र कुमार
रिसर्च स्कालर–हिन्दी विभाग,
गुलाबी देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सिद्दीकपुर, जौनपुर–
(उत्तर प्रदेश)
(सम्बद्ध– वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर)

ई–मेलः
virendrakumar4313@gmail.com

शोध निर्देशक
– डॉ. रमाशंकर यादव
(प्राचार्य)
गुलाबी देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सिद्दीकपुर, जौनपुर–
(उत्तर प्रदेश)
(सम्बद्ध– वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर)

ई–मेलः
ramashankeryadav471@gmail.com

सारांश

भक्ति, प्रेम, सत्य ऐसे शब्द है जिसके द्वारा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रसंग में भी जायसी की भाव भूमि मानवीय स्तर को बढ़ावा देती है। इस प्रकार कवि के लिए प्रेम मनुष्य का केन्द्रीय तत्त्व है, जिसमें कई स्तर लक्षित होते हैं और जो मानवीय मूल्यों के आयामों को समाहित करता है। यह प्रेम की साधना मूलतः सभी भक्ति कवियों की मूल दृष्टि है और जैसा उनके विवेचन की मूल दृष्टि है और जैसा उनके विवेचन से लक्षित होता है, इन सभी कवियों की प्रेम साधना में मानवीय आदर्शों तथा मूल्यों को व्यंजित किया गया है, लेकिन यहाँ पर जायसी सम्पूर्ण जीवन चक्र में प्रेम को जीवन की गहरी मूल्य–दृष्टि के रूप में व्यंजित करते हैं। इस कारण साधना के साथ प्रेम, मनुष्य के मूल्यों का व्यापक आधार यहाँ प्रस्तुत हुआ है।

मलिक मुहम्मद जायसी भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के अन्तर्गत प्रेमाश्रयी शाखा के सुप्रसिद्ध कवि के रूप में विख्यात हैं। मलिक मुहम्मद जायसी महान सूफी संत और महात्मा थे। उन्होंने कई सदी पहले आम जनमानस को समर्थित करने वाली अवधी भाषा में अपनी लेखनी चलानी शुरू की और 16वीं सदी में उन्होंने पद्मावत की रचना की।

जायसी कृत पदमावत एक अद्भुत कृति है जिसमें विभिन्न तथ्यों का समायोजन है। पद्मावत में जायसी का विशेष गुण और महाकाव्य का विशेष लक्षण परिलक्षित होता है। जायसी स्वयं बड़े भावुक भगवद्भक्त थे और अपने समय में बड़े सिद्ध पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे।

पद्मावत काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे इस ढंग से लिखा गया है कि हिन्दू तथा मुसलमान दोनों को अपनी परम्परा का यह काव्य लगे। सूफी प्रेमाख्यानक परम्परा के आध्यात्मिक मन्तव्यों एवम् सन्दर्भों को जायसी इतने रचनात्मक कौशल के साथ निरन्तर प्रस्तुत करते चलते है कि कथा भारतीय जीवन मतें कहीं भी नहीं खटकती कि यह इस्लामिक संस्कृति से जुड़ी काव्य कृति है।

समन्वयक की यही मानवीय भावना कवि के अन्तर्मन में बसे संवेदनशीलता के पक्ष को मजबूत करने में सहयोग करता है। भारतीय कवि एवम् भारतीय जीवन की भावमयी प्रस्तुति महाकाव्य को मानवीय मूल्यों से जोड़ती है। जिससे कवि के महान् होने का लक्षण प्राप्त होता है।

काव्य प्रयोजन केवल मनुष्य के आन्तरिक भाव बोध की ओर प्रेरित करना है, जिससे उस युग के परिस्थितियों से परिचित हो सके।

कवि ने सम्पूर्ण युग–यथार्थ के बीच विविध पात्रों एवम् परिस्थितियों के बीच से उसे जाना पहचाना है और उसी व्यापक भावभूमि पर अभिव्यक्त किया है। जायसी ने अपने युग की ट्रेजेडी के बीच से अपनी दृष्टि ग्रहण की है। साहित्य में फैली मूल्यदृष्टि काव्य में निहित अनुभूति की साधनता एवम् मार्मिकता में व्यक्त होती रही है। उनके सारे रचना विधान में मनुष्य और मानवीय मूल्य के बीच तादात्मय स्थापित है।

जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में मानवीय मूल्यों की स्थापना कर सांसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते है। शरीर को नश्वर मानते हुए आत्मा को ईश्वर मानना तथा अच्छे कर्म करना ही जीव का उद्देश्य है। यह संसार मायारूपी जाल है जिसमें जीव फंसकर तमाम घृणित कार्य करता है। वह इस महाकाव्य द्वारा इसे बूझने की बात करते हैं। जायसी आध्यात्मिक जीवन की भूमिका रूप में मूल्यों का समुचित आधार प्रस्तुत करते हैं, जिसके ऊपर उनके प्रबन्ध काव्य का पूरा रचना–विधान निर्मित हुआ है। जायसी ने अपने काव्य में दो भिन्न संस्कृतियों की सम्यक् विचार अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। पात्रों एवम् चरित्रों के द्वारा मानवीय गुणों का परिचयात्मक रूप से जनता को अवगत कराते हैं।

जायसी ने शुद्ध भाव भावना के द्वारा जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करने में सफल रहे हैं। जीवन के व्यापक विस्तार में अनुभवों को जिस सघनता के साथ और मार्मिक रूप में अभिव्यक्त किया गया है, उसमें व्यापक मानवीय मूल्यों की अनुगूंज निरन्तर होती रही है। स्वतः कथा के उपसंहार में कवि ने पृथ्वी–विजय की असारता को दो मुट्टी राख के समान झूठा कहा है और कथन की इस कारुणिक व्यंजना में सघन–विषाद की जो अनुभूति व्यंजित हुई है, उसमें समस्त मानवीय जीवन की असारता के बीच मूल्य दृष्टि को निहित देखा जा सकता है। प्रेम की इस करुणा में मानवीय प्रेम की सधनता को लक्षित किया जा सकता है।

जायसी की मूल प्रवृत्ति तथा मूल दृष्टि ईश्वर अथवा अध्यात्म नहीं है, उनकी भावाभिव्यक्ति के केन्द्र में मनुष्य रहा है और यह मनुष्य सामान्य जीवन बिताने वाला व्यक्ति है। उनकी दृष्टि में इस मनुष्य का सामान्य जीवन कम है। जिसके अन्तर्गत उसके चारित्रिक पक्ष के सभी कर्म आ जाते हैं। अपने इस जीवन चक्र में मनुष्य सारी मानवीय करुणा के बीच अपने मूल्यों को व्यंजित करता है। जिस प्रकार समकालीन कवियों ने तथा भवभूति ने करुण रस को काव्य के रसों में व्याप्त सर्वोपरि रस माना है, उसी प्रकार जायसी ने इस मानवीय करुणा को व्यापक धर्म स्वीकार किया है जो पूर्णतः मानव प्रेम के विविध सन्दर्भों को उद्घाटित करता है।

रामचरित मानस भक्ति का अनुपम ग्रन्थ है जिसमें श्रीराम द्वारा मर्यादित मानवीय भावनाओं का चित्रण किया गया है। पद्मावत भी लौकिक से अलौकिक आध्यात्मिक तत्वों का सम्मिश्रण रूप परिलक्षित करता है। धर्म जीवन की अनुसुनी समस्याओं का समाधान है। मानवीय संकल्पों की अनिवार्य परिणति है।

लोक कल्याण की भावना इस सच्चे सहृदय व्यक्ति के अन्तर्मन में निहित होता है। यही भावना जन कल्याण के रूप में परिणति हो जाती है। धर्म के गुण मानवीय पक्ष में ही होता है क्योंकि धर्म अनैतिक मार्ग को अवरुद्ध कर देती है क्योंकि धर्म अनैतिक मार्ग को अवरुद्ध कर देती है तथा सत्य के आलोक में पथ–प्रशस्त्र करती है। इसलिए अध्यात्म का सीधा जुड़ाव लोक भावना से जुड़ा है। पद्मावत में उसी शिष्ट परम्परा का लोक रूप प्रवाहित हुआ है।

जायसी की भाव प्रवणता उनके महाकाव्य पद्मावत में वर्णित है। जिस प्रकार उन्होंने मानवीय मूल्यों का आध्यात्मिक पक्ष उल्लेखित किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। जायसी ने आपत्तियों विपत्तियों के बीच यात्रा करते हुए भी मनुष्य अपनी अदम्य आशा को नहीं छोड़ता। तब यह एक प्रकार का मनोपचार भी कहा जा सकता है मानवीय जिजीविषा को दृढ़ करने के लिए।

कथा में अनुभूति की प्रधानता है। अध्यात्म के कारण कथा मानवीय सन्दर्भों में उच्च विचार की प्रगाढ़ता को चिन्हित करती है। रत्नसेन और पद्मावती का कथानक चरित्र प्रधान है। जायसी ने पद्मावती को आदर्श नायिका प्रेमिका के रूप में दिखाया है। चित्तौड़ आने पर उसके सतीत्व को दर्शाना मूल्यों के सन्दर्भ में आता है तथा सिंहलद्वीप से लौटते समय रत्नसेन के व्यक्तिगत स्वभाव के अन्तर्गत नहीं आता है। रत्नसेन ने उस असाधरण सामग्री के प्रति लोभ प्रकट नहीं किया है। पद्मावती का चरित्र भी ऐसा ही है। निश्छल तथा रूपगर्विता से परे।

पद्मावत की कथा मानवीय मूल्यों पर रची हुई है। राघव चेतन और अलाउद्दीन ऐसे पात्र है जिनसे हमारा भारतीय समाज घृणा करता है। घृणा का मूल कारण उनके

कर्म से निर्धारित होता है। मानव जीवन के सभी मूल्यों तथा आदर्शों की दिशा यह प्रेम मार्ग ही है। पदमावती रत्नसेन, नागमती इत्यादि पात्र प्रेम और मूल्यों की स्थापना का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेम का रस वह जानता है जिसके हृदय में प्रेम अंकुरित है। चकोर के मन में चन्द्रमा बसा है, उसके नेत्रों में सूर्य नहीं समाता। इस तरह प्रेम की मूल्यपरक व्यंजनाएँ जायसी अनेक प्रसंगों तथा संदर्भों में करते हैं। ओगिनी के आने पर सखियाँ पद्मावती को सतर्क करती हैं। क्योंकि बाहरी वेश सच्चा नहीं होता। हृदय में बसे हुए प्रियतम को गुप्त रखना होता है। उसे सार्वजनिक करके प्रसिद्ध करना नहीं होता। जिसके हृदय में सच्चाई होती है वह स्वयं लोक प्रसिद्ध हो जाता है।

यदि प्रेम हृदय से निकल जाये तो सब कुछ सूना हो जाता है। कवि ने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए रत्नसेन और पद्मावती के मिलन की कल्पना ग्रहण के पश्चात् सूर्य का राशि से मिलन जैसा बताया है। कवि अन्ततः इस प्रेम को मानवीय मूल्यों को गहरे सन्दर्भ में व्यंजित करता है।

मानवीय मूल्यों एवं हिन्दू मुस्लिम संस्कृति के सहिष्णु रूप से जायसी ने जनमानस को परिचित कराया है। यही कारण रहा है कि जायसी को प्रसिद्धि उनके जीवन काल में ही मिल गयी।

जायसी सूफी भावना से परिपूर्ण थे। उनका यही स्वभाव उन्हें सहिष्णुवादी बनाता है। दोनों धर्मों के प्रति अपार स्नेह और आदर उन्हे मानवीयता के लक्षणों को प्रकट करने में पूर्ण सहयोग देता है। जायसी का व्यक्तित्व एक प्रधान गुण उनकी रचनाशीलता है, वे अपनी रचनाओं के माध्यम से एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते है जो मानवीय मूल्य और प्रेम भावना पर आधारित हो। उनका व्यक्तित्व इसी दिशा में पद्मावत की जैसी कृति की रचना की, जो मानवीय जीवन स्वरूप संरचना को एक सही दिशा देना चाहता है। उनकी रचनाशीलता ही उनकी समाजों मुखी, सांस्कृतिक संचेतना के रूप में बदल गयी है।

भक्ति और विचारशीलता की खेती मानवीय जीवन की भूमि पर होती है। जायसी के भक्त और अध्यात्म व्यक्तित्व का विकास मानवीय जीवन के बीच से हुआ है। मानवीय मूल्यों को आधार बनाकर मनुष्य ने ही एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की स्वरूप संरचना की है। जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है। जायसी का व्यक्तित्व भी इन्हीं मानवीय मूल्यों का समर्थक है। मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए नये समाज की रचना करना चाहता है।

डॉ. रघुवंश ने जायसी के कवि/व्यक्ति स्वरूपांकन करते हुए सच ही कहा है– जायसी कवि व्यक्तित्व के आधार पर अपने युग के इतिहास की कल्पना करते है पर वह तथ्यों से निर्दिष्ट नहीं होता। इस प्रकार उन्होंने अपने समाज को जिस तटस्थ दृष्टि से देखा है और परिवेश का निर्माण किया है वह उनके व्यक्तित्व के माध्यम से तत्कालीन जीवन की विराट कारुणिक स्थिति की अभिव्यक्ति कर सकी है। यह कवि ही की दृष्टि हो सकती है कि उस युग के हिन्दू – तुर्क सत्ता संघर्ष और धार्मिक उन्माद के बीच मानव मूल्य की अभिव्यक्ति कर सके। कवि जायसी किसी सम्प्रदाय या मत से प्रतिबद्ध नहीं है। उनकी यत्र–तत्र मिलने वाली जीवन झांकियों से उनका कवि व्यक्तित्व उजागर होता है।

इससे यह देख पाना सहज हो जाता है कि अपने रचनाक्रम में मूल संवेदना को ग्रहण करने वाला यह उनका कवि व्यक्तित्व ही है। जो समाजोन्मुखी सांस्कृतिक संचेतना से युक्त है। इस सन्दर्भ में उपर्युक्त ही कहा है– इस प्रकार अपनी कल्पना से जिन मूल्यों की भूमिका को जायसी निर्मित कर रहे है, वह युग की अनेक विसंगतियों विडम्बनाओं, कुरूपताओं के बीच आर्विभाव हुई है। वह किसी आदर्श नैतिक मूल्य जगत की प्रतिष्ठा करने में संलग्न नहीं है, केवल मानव जीवन की विषद् भावमयी अभिव्यक्ति में इस मनोलोक को प्रकाशित करते हैं। इस कारण जायसी ना कबीर के समान युग की मूल्यहीन परिस्थिति को चुनौती देते हैं और ना तुलसी के समान आदर्श युगों की मूल्य दृष्टि के आधार पर समाज का उद्बोधक करते हैं। जायसी ने केवल रचना के स्तर पर युग के सन्दर्भ में विषादमयी दृष्टि से कारुणिक भावभूमि पर मूल्य दृष्टि को व्यंजित करने का प्रयत्न किया है।

जायसी का स्वयं चरित्र उदात्त भावना से परिपूर्ण था। तभी तो उन्होंने एक सच्चे साधक की भाँति प्रेम करुणा, परम्परा मर्यादा का आदर्श रूप स्थापित किया है। महाकाव्यकार घटनाओं की अपेक्षा पात्रों को और चमत्कार की अपेक्षा सरसता को अधिक महत्व प्रदान करता है। जायसी ने इसका वर्णन सामाजिक, नैतिक, धार्मिक आध्यात्मिक आदि सभी बाधाओं, सीमाओं व कुंठाओं से मुक्त होकर अपने सहज स्वाभाविक तथा पूर्ण विकसित रूप में प्रस्फुटित होता है। जायसी ने वासना, अहंकार, स्वार्थ से परे पवित्र मनोभावों को अपने महाकाव्य का आधार बनाया ताकि आने वाले समय के लिए यह एक

उदात्त महाकाव्य के रूप में जाना जा सके।

जायसी ने अपने महाकाव्य के प्रारम्भ में परम्परा के अन्तर्गत अपने पैगम्बर और इस्लाम धर्म का स्मरण किया है। यहाँ उन्होंने अपने धर्म–मत की प्रशंसा करते हुए उल्लेख किया है कि ईश्वर के बसीठ के अनुयायियों का उनका अवलम्ब है, क्योंकि प्रलय के दिन जीव के कर्मों का लेखा–जोखा और उसके पाप–पुण्य का निर्णय उनके माध्यम से लिया जायेगा।

भक्ति, प्रेम, सत्य ऐसे शब्द है जिसके द्वारा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रसंग में भी जायसी की भाव भूमि मानवीय स्तर को बढ़ावा देती है। इस प्रकार कवि के लिए प्रेम मनुष्य का केन्द्रीय तत्त्व है, जिसमें कई स्तर लक्षित होते हैं और जो मानवीय मूल्यों के आयामों को समाहित करता है। यह प्रेम की साधना मूलतः सभी भक्ति कवियों की मूल दृष्टि है और जैसा उनके विवेचन की मूल दृष्टि है और जैसा उनके विवेचन से लक्षित होता है, इन सभी कवियों की प्रेम साधना में मानवीय आदर्शों तथा मूल्यों को व्यंजित किया गया है, लेकिन यहाँ पर जायसी सम्पूर्ण जीवन चक्र में प्रेम को जीवन की गहरी मूल्य–दृष्टि के रूप में व्यंजित करते हैं। इस कारण साधना के साथ प्रेम, मनुष्य के मूल्यों का व्यापक आधार यहाँ प्रस्तुत हुआ है।

निष्कर्ष–

पद्मावत की अनेक पंक्तियाँ ऐसी हैं जिसमें सत्य, धर्म, प्रेम पर मूल्यों का बढ़ता दृष्टिकोण कवि ने प्रकट किया है, अतः इन चरित्रों के माध्यम से कवि मानवीय मूल्यों की स्थापना करना चाहता है। जीवन के मूल्यों को उच्चादर्शों के रूप में उपलब्ध करने की कामना व्यक्त हुई है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल – योगेन्द्र प्रताप सिंह, मलिक मुहम्मद जायसी कृत महाकाव्य पद्मावत, पृष्ठ संख्या – 07।
2. इन्द्रचन्द्र नारंग – पद्मावत का अनुशीलन, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या – 35/07।
3. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल – योगेन्द्र प्रताप सिंह, मलिक मुहम्मद जायसी कृत महाकाव्य पद्मावत, पृष्ठ संख्या – 22।
4. विश्वम्भर मानव – प्राचीन कवि, पृष्ठ संख्या – 82।
5. रामस्वरूप चतुर्वेदी – हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, पृष्ठ संख्या – 50/62।
6. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ संख्या – 480।
7. डॉ. रघुवंश, एक नई दृष्टि, पृष्ठ संख्या – 42।
8. आचार्य राम चन्द्र शुक्ल, मलिक मुहम्मद जायसी कृत महाकाव्य पद्मावत, पृष्ठ संख्या – 264।

शोध-पत्र लेखकों को विशेष निर्देश

'दि गुंजन' और 'अभिनव गवेषणा' मल्टी डिसिप्लिनरी क्वार्टरली इण्टरनेशनल रेफ्रीड/पियर रिव्यूड रिसर्च जर्नल में पेपर प्रकाशित कराने के लिए पाँच प्रमुख बातों का होना बहुत ही आवश्यक है–

(1) रिसर्च जर्नल पत्रिका के क्रमानुसार चार पेज से कम नहीं होना चाहिए।
(2) रिसर्च जर्नल में कम से कम आठ सन्दर्भ ग्रन्थ सूची **(References)** का होना आवश्यक है।
(3) रिसर्च जर्नल में लेखक का नाम, पद, कालेज का पता, ऊपर अंकित होना चाहिए।
(4) नवीनतम एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं ई-मेल एड्रेस।
(5) रिसर्च जर्नल में प्रमाण-पत्र हेतु आपके निवास का पता अंकित होना जरूरी है।

यह आप सभी के स्नेह का ही परिणाम है कि आपके प्रबुद्ध विचारों को **'दि गुंजन' और 'अभिनव गवेषणा' मल्टी डिसिप्लिनरी क्वार्टरली इण्टरनेशनल रेफ्रीड/पियर रिव्यूड रिसर्च जर्नल** के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुँचाने का सुअवसर मिल रहा है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अथवा मोबाइल पर सम्पर्क करें।

- प्रबन्ध सम्पादक

सम्पर्क- 8896244776, 9335597658

ISSN : 2394-4366

Received: 07 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

सांस्कृतिक व साहित्यिक दृष्टि में उन्नाव जनपद

– डॉ. नरेन्द्र कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर –
हिन्दी विभाग,
बाबू जयशंकर गया प्रसाद
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुमेरपुर,
उन्नाव–209801 (उत्तर प्रदेश)

ई–मेलः
kumarnarendra68192@gmail.com

सारांश

देशकाल, जलवायु के तत्वों के आधार पर किसी स्थान विशेष की साहित्यिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सुनिश्चित की जा सकती है। जहाँ तक उन्नाव जनपद का ग्रामीण अंचल के अत्यन्त विस्तृत होने के साथ लोक परम्पराओं के समन्वित होने का प्रश्न है– लोक विख्यात न होते हुए भी यहाँ की मिट्टी में जन्में सपूत ऐतिहासिक, राजनीतिक श्रृंखलाओं के साथ हिन्दी और उर्दू की विभिन्न विधाओं में निष्णात विद्वान मनीषी प्रदेश में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में ख्यापित हुए महाकाव्य, गद्यकाव्य, लोकगीत, उपन्यास व कहानियों की श्रृंखला में यहाँ के विद्वानों का अप्रतिम स्थान है। धार्मिक परिदृश्य में परियर स्थित महर्षि वाल्मीकि आदि महाकाव्य प्रणेता के रूप में संरक्षित हैं– महाप्राण निराला, शिवमंगल सिंह सुमन, पं. प्रताप नारायण मिश्र आदि ऐसे दिग्गज मनीषियों की वाणी का उद्घोष सदा बना रहेगा। लोक गायन के रूप में नारायण दास खेड़ा से सम्बद्ध लल्लू बाजपेयी की आल्हा शैली में उत्कृष्टतम स्वरूप को प्रस्तुत करती है। हिन्दी के साथ उर्दू मर्मज्ञों की श्रृंखला में विभिन्न सायर हुए हैं जिससे ग़ज़ल व शैली' के प्रति महत्वपूर्ण योगदान है। स्वतन्त्रता आन्दोलन में अपनी वाणी के माध्यम से प्रोत्साहित करने वाले क्रान्तिकारी परम्परा के अग्रदूत गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही', मौलाना हसरत सुहानी, पं. प्रताप नारायण मिश्र उस क्षेत्र में अग्रगण रहे। वास्तव में उन्नाव जनपद सम्प्रति अपनी पुरातन परम्परा को संजोये हुए सांस्कृतिक विरासत को पूर्ववत् प्रवाहित कर रहा है। यद्यपि पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध का प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा सामाजिक वातावरण प्रभावित कर रहा है। पुनश्च यहाँ के मूल निवासी का मौलिक चिन्तन अपने पूर्वजों, विद्वान मनीषियों राजनीति के प्रति समआदरणीय है।

सामान्यतः किसी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसके ऐतिहासिक व भौगोलिक तथ्यों के मूल्यांकन में विशेष रूप से साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में वीर सपूतों को अपनी मातृभूमि व राष्ट्र के प्रति जागरुक करने के लिए समय–समय पर काव्य के माध्यम से उत्प्रेरित किया जाता रहा। वास्तव में किसी देश की सांस्कृतिक व साहित्य की भावना अमूल्यनिधि होती है, जो साहित्यकार के जीवन के पश्चात सर्वत्र–सर्वदा चिरस्थायी रूप में सुरक्षित रहती है।

यद्यपि उन्नाव जनपद से भारतवर्ष विभिन्न प्रान्त ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश के दूरस्थ लोग उन्नाव जनपद की साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत से अपरिचित हैं। महानगर कानपुर तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मध्य ये जनपद सांस्कृतिक व साहित्यिक दृष्टि अपनी

अलौकिक दिव्य छटा अपनी हिन्दी साहित्य में विकीर्ण करता रहा है। विशेष रूप से महाप्राण निराला, भगवती चरण वर्मा, नन्ददुलारे वाजपेयी, जगदम्बा प्रसाद मिश्रा 'हितैषी', डॉ. रामविलास शर्मा, डॉ. शिव मंगल सिंह 'सुमन', पं. प्रताप नारायण मिश्र, आल्हा सम्राट लल्लू बाजपई, रमई काका, गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही', डॉ. शमीम जाफरी, कैफ 'उन्नावी', दिनेश वैशवारी आदि विद्वान – मनीषी उन्नाव जनपद की साहित्यिक धरोहर हैं।

जहाँ तक सांस्कृतिक स्थिति की बात है, इस दृष्टि से यहाँ प्राचीन परम्परा का अनुपालन आज भी हो रहा है। पारम्परिक लोकगीत, संवाद, वेशभूषा, आहार–विहार जनपद के मध्य आने वाले यात्रियों को अपनी ओर आकृष्ट किये बिना नहीं रहती है। आज उन्नाव जनपद अवोन्मेष सांस्कृतिक दृष्टि में अग्रसर है। साहित्य व संस्कृति उभयात्मक मार्ग परस्पर रूप में अन्योन्याश्रित व सहसम्बध हैं। यहाँ इसे यथार्थ रूप में चित्रांकित करने का प्रयास किया गया है।

पुरातात्विक उत्खनन से पुरातन ऐतिहासिकता द्वारा उस समय की सभ्यता का मूल्यांकन किया जाता है। यह वाह्य आवरण जब कि मनुष्य के आन्तरिक, बौद्धिक क्षमता तथा परम्परा ज्ञान का निरन्तर विकास होने के साथ उसमें परिवर्तन भी होता है, जब कि वाचिक तथा मानसिक दृष्टि से आन्तरिक चिन्तन का प्रत्यक्ष स्वरूप संस्कृति को मानना चाहिए। स्थान विशेष के सभ्यता और संस्कृति के पारस्परिक समिश्रण से विनिर्मित साहित्य साधना वहाँ पर निवास करने वाले विज्ञ जनों के विविध कृतियों की रचना हेतु प्रोत्साहित करती है। वस्तु साहित्य साधना किसी देश की अमूल्य धरोहर होती है जो वहाँ सुख समृद्धि व ख्याति को अग्रसर करती हुई अनेक प्रकार के परिवार समाज तथा राष्ट्र को लाभकारी मानी जा सकती है। उन्नाव जनपद का यद्यपि भारत के मानचित्र में लघु होने के कारण अंकन नहीं हुआ है।

जिसे कानपुर जैसे महानगर तथा प्रदेश की. राजधानी लखनऊ ने अपनी चमक–दमक के द्वारा उन्नाव जनपद को दबा दिया है, परन्तु यहाँ की साहित्य साधना की ध्वजा प्रदेश में ही नहीं सम्पूर्ण भारतवर्ष में फहरा रही है। यह उन्नाव की मिट्टी का परम सौभाग्य है जिसने ऐसे साहित्यिक सपूत उत्पन्न किये जो जन्म जन्मान्तर पर्यन्त स्वभावतः उन्नाव जनपद का नाम चिन्हांकित करने को विवश कर देंगे।

ऐतिहासिक व धार्मिक होने के साथ उन्नाव जनपद की साहित्य साधना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि हिन्दी साहित्य के महानतम विद्वान मनीषी यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में जन्म लेकर उन्नाव जनपद को गौरवान्वित किया है। जिनमें साहित्यकार एक विधा से सम्बद्ध न होकर अनेक विधाओं से सुसम्बद्ध रचनाओं के माध्यम से समस्त भारतवर्ष में उन्नाव जनपद का नाम समअंलकृत किया है। गया पं. प्रताप नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' आदि ऐसे प्रख्यात साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने साहित्यिक निबन्ध, काव्यगत कृतियाँ, हास्य–व्यंग्य रचनाओं के साथ ही उपन्यास भी लिखे हैं। जिससे यहाँ की क्षेत्रीय संस्कृति को साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

उन्नाव जनपद का यह परम सौभाग्य है, कि यहाँ साहित्यकारों और कवियों का अक्षय भण्डार सर्वदा से रहा है। सहित्यिक परिवेश की उर्वरा भूमि के अन्तर्गत संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से साहित्यिक परम्परा का प्रादुर्भाव मानने में कोई अत्युक्ति नहीं प्रतीत होती है। इसे यदि काव्य की जन्म स्थली की संज्ञा दी जाय तो सर्वथा उचित है। यहाँ साहित्य जगत के महानतम मनीषी विभिन्न विधाओं से युक्त प्रकाश से प्रकाशित कर जनपद को गौरवान्वित किया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं प्रतीत होती है। हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने यहाँ की धरती को सर्वत्र सर्वदा के लिए अमरतत्व प्रदान किया है, इसमें किंचित संदेह नहीं।[13]

हिन्दी जगत में सुप्रसिद्ध समालोचक डॉ. रामविलाश शर्मा (ऊँचगाँच सानी), शिवसिंह सेंगर (काथा), बाबू जयनारायन कपूर (मौरावां), डॉ. शिवमंगल सिंह 'सुमन' (झगरपुर), पं. प्रताप नारायण मिश्र (बेथर), चन्द्र भूषण त्रिवेदी 'रमई काका' (रावतपुर), गया प्रसाद शुक्ल, 'सनेही' (हड़हा), राधावल्लभ पाण्डेय (मसवासी), मनीराम द्विवेदी 'नवीन' (नैकामऊ), शिवनारायण (पड़रीखुर्द), वल्देव प्रसाद मिश्र (बहुराजमऊ), बाबू भगवती चरण वर्मा (सफीपुर), नन्ददुलारे वाजपेयी, जगजम्ब प्रसाद मिश्र 'हितैषी' (गंजमुरादाबाद), देवी शंकर अवस्थी (सथनीबा खेड़ा), रामचरण सिंह अज्ञात 'अज्ञात' (अकवाबाद), कृष्णशंकर शुक्ल (गढ़ी माथर), लक्ष्मी नारायण (सोनेखेड़ा परगना डौडियाखेड़ा), छत्रसाल सिंह (कुसुम्भी), लक्ष्मणसिंह अनभिज्ञा (वरुआ अजगैन) घुरु किसान जैसे अनेकानेक सपूतों ने उन्नाव की धरती पर जन्म लेकर

साहित्य जगत में उन्नाव का नाम रोशन किया।

समस्त विश्व में अपराजेय कवि महाप्राण निराला जिसका वास्तविक नाम पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' है। इस जनपद के गढ़ाकोला क्षेत्र से सुसम्बद्ध रहा है, जिनकी साहित्यिक सेवा के लिए हिन्दी जगत सर्वदा ऋणी रहेगा। राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का महत्वपूर्ण प्रयास पं. प्रताप नारायण मिश्र ने अत्यन्त कुशलतापूर्वक किया है, साथ ही आप विनोदप्रिय निबन्धकार रहे हैं। प्रायः आपके सर्वत्र लेखन में सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। विशेष रूप से निराला जी की रचनाओं का उन्नाव जनपद को साहित्यिक तीर्थस्थल के रूप में प्रतिष्ठित करने में अनुचित नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि वह भारतीय जन मन के नहीं अपितु विश्व जन मन के अनुपमेय कवि हैं, इनकी नारी संवेदना का दिव्य प्रवाह भाव प्रवणता का परिचापक है। सफीपुर से सुसम्बद्ध बाबू भगवती चरण वर्मा प्रख्यात उपन्यास तथा कहानीकार रहे हैं। चित्रलेखा इनका विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है और वे कहानीकार भी रहे हैं। इसी जनपद से सम्बद्ध पं. नन्ददुलारे वाजपेयी छायावाद के प्रमुख व्याख्याकारों में माने जाते हैं।

डॉ. शिव मंगलसिंह 'सुमन' झगरपुर से सम्बद्ध प्रगतिवादी वामपंथी मुक्तिधारा के रचनाकार माने गये हैं। डॉ. रामविलास शर्मा ऊँचगाँव सानी मार्क्सवाद के समालोचक माने जाते हैं। उन्होंने निरक्षरों तथा विपन्नतों के उत्थान हेतु स्वयं के पुरस्कार को प्रदान कर देते थे। आपने दिल्ली में शोध–संस्थान के निर्माणार्थ पर्याप्त धनराशि प्रदान की। यही नहीं शिवसिंह सेंगर काँथा, जगदम्बा प्रसाद मिश्र ऐसे क्रान्तिधर्मी देश भक्त हैं जिनकी लिखी ग़ज़ल आज भी देश भक्तों में उत्साह तथा समर्पण का भाव प्रादुर्भूत कर देती हैं।

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले ।
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।।

श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा अपनी काव्य धारा से सर्वदा सर्वत्र सभी को भाव विभोर करने में सक्षम हैं। कवि रामचरण सिंह 'श्रमिक' शोषण की भावभूमि सुसम्बद्ध 'क्षत्रभंग' नामक फिल्म के संवाद तथा गीत अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। भगवती प्रसाद माधव, बड़ौरा जो निर्भीक लेखक, पत्रकार तथा क्रान्तिकारी होने के साथ–साथ चन्द्रशेखर आजाद संगठन के प्रमुख रहे हैं, इन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अनेक लेख–लिखकर उसकी सक्रियता को प्रभावित किया है। यहाँ हिन्दी साहित्य के उर्दू साहित्य का भी निर्माण प्रचुर मात्रा दृष्टिगोचर होता है।[15]

हिन्दी के साथ–साथ उर्दू साहित्य सर्जना के क्षेत्र में भी जनपद उन्नाव को शयरों का नाम दूर–दूर तक जाना जाता है। शायर मौलाना हसरत मोहानी (मोहान) में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति बगावत कूट–कूट कर भरी थी। उन्होंने लोगों में जनचेतना पैदा करने के उद्देश्य से उर्दू मासिक पत्रिका ''उर्दू–ए–मुल्ला'' का प्रकाशन भी किया। वह जेल में रहकर रुमानी ग़ज़लें लिखा करते थे। देश के प्रति उनमें अगाध प्रेम था। उनका नाम उर्दू साहित्य के क्षेत्र में हमेशा जगमगाता रहेगा। रूबियत के बादशाह के रूप में चौधरी जगत मोहन लाल 'खाँ' उर्दू अदप में एक प्रमुख स्थान रहा है। जकी हैदर जफर, डॉ. विमल कृष्ण सिन्हा 'असर', डॉ. हरी बहादुर सक्सेना आदि जिले के प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने उर्दू साहित्य में अपनी लेखन कला के माध्यम से उल्लेखनीय योगदान दिया। कमर उन्नावी, शरीफ उन्नावी, वाहिद अकबराबादी आदि के उर्दू शायरी में किये इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।[15]

लोक गायन के रूप में आल्हाशैली के सम्राट लल्लू बाजपेयी नारायण दास खेड़ा से सुसम्बद्ध आज तक वही जीवन्तता प्रदान कर रहे हैं जो राष्ट्रीय महोत्सव के अन्तर्गत 1986 में जो देश को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपनी ओजस्वी वाणी के वीर रस की प्रतिमूर्ति प्रतीत हुए हैं, जिससे उन्हें 'आल्हा सम्राट' की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार कमलाशंकर अवस्थी, भूपेन्द्रनाथ शुक्ल, डॉ रामनरेश सिंह, महेश चन्द्र 'विधु', काका वैसवारी, डॉ. सूर्यनारायण शुक्ल, करुणा शंकर शुक्ल, सुरेश फक्कड़, रामप्रसाद वर्मा 'सरस', विनय मिश्र (वागीश), अमूल्य शुक्ल, सियाराम शरण अग्निहोत्री, डॉ. अरुण प्रकाश अवस्थी (मौरावाँ), रामलखन द्विवेदी 'रसेन्दु', सिरधार मिश्र 'अवधूत' आदि। अनेक कवि एवं लेखक वर्तमान में उन्नाव जनपद की गौरवपूर्ण परिपाटी को समुन्नति कर रहे हैं। इसी प्रकार उर्दू साहित्य के क्षेत्र में डॉ. शमीम जाफरी, कैफ उन्नावी, कमर बुकरीतमीर साहब, इलियास उन्नावी, नजम मोहम्मद 'वफा', रौनक बांगरमउवी, हामिद उन्नावी आदि अनेक शायर अपनी ग़ज़ल व शायरी' का महत्वपूर्ण स्वतन्त्रता आन्दोलन में गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही', मौलाना हसरत मोहानी, पं. प्रताप नारायण मिश्र आदि जैसे क्रान्तिकारी परम्परा के अग्रदूत हैं। जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से क्रान्तिकारियों का उत्साहवर्धन किया। पं. विशम्भर दयालु त्रिपाठी 1931 में जब नेहरू जी उन्नाव आये तो यहाँ के

एक लाख किसानों को पद यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुँचकर विधानसभा के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया।

उन्नाव जनपद वस्तुतः आज भी अपने पुरातन प्रतिष्ठा को संजाये हुए है। साहित्यिक सृजन शक्ति यहाँ की संस्कृति को, सनातन परम्परा को प्रतिष्ठित किये हुए है। विस्तृत अध्ययनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि यहाँ का सांस्कृतिक विकास त्रिविध श्रृंखला के रूप संस्कृति के आधार में हिन्दी और उर्दू के साहित्य का समन्वयात्मक रूप त्रिधाराओं को एक स्थान पर आबद्ध कर देता है। कहने का आशय यह कि यहाँ के सांस्कृतिक परिवेश में मुख्यतः कवि और काव्यों की प्रचुरता में यहाँ कोई न्यूनता दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। इस प्रकार पुरातत्विक अभिलेखों तथा ऐतिहासिक परम्परागत साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से सुसम्बद्ध विभिन्न विद्वानों ने अपनी कृतियों के माध्यम से उन्नाव जनपद को हिन्दी साहित्य के मानचित्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया है।

निष्कर्ष–

सामान्यतः किसी शोधपरक लेख व चिन्तन का उद्देश्य स्वरूप व परिवर्ती समाज के प्रति प्रभाव का आकलन होता है। प्रस्तुत शोधपरक शीर्षक साहित्यिक सांस्कृतिक के अन्तर्गत यहाँ जन्में हिन्दी साहित्य के परिदृश्य में अपना नाम विश्व धरातल पर उत्कोलित करने वाले महाप्राण निराला जैसे विद्वानों की प्रेरणा आज हमारे उन्नाव जनपद में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र को प्रेरणा प्रदान करेगी। संस्कृत साहित्य आदि महाकाव्य के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि का परियर में गंगा तट पर स्थित आश्रम भारत के सांस्कृतिक व साहित्यिक धरातल पर्यटन के रूप में आस्था सर्वदा चिरस्मरणीय रहेगी। पुरातात्विक दृष्टि से भी उन्नाव जनपद के विभिन्न स्थान यथा– बदरका का किला, राजा राव रामबक्स सिंह का किला, डौंडियाखेड़ा, मुहम्मद शाह आदि का किला उन्नाव जनपद की पुरातन संस्कृति को संजोये हुए है जिसके सन्दर्भ में स्थानीय लोगों के साथ जनपद के बाहर अन्वेषण के प्रति जागरुकता उत्पन्न होगी। आज के नवयुवकों में प्रायः पुरातन चिन्तन के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो रही 'मूलो नास्ति कुतो शाखा' के अन्तर्गत मौलिकता के अभाव में यहाँ विकसित होने वाली संस्कृति की परिकल्पना यहाँ सम्भव नहीं। विशेष रूप से हिन्दी साहित्य व सांस्कृतिक धरातल के परिदृश्य में उन्नाव जनपद के कण–कण में सर्वत्र सर्वदा उद्दोलित होता रहा है। इसके फलस्वरूप यहाँ के रचनाकारों की रचनाएँ पठन–पाठन व जीवन में सर्वत्र सर्वदा अनुकरणीय रहेगी। हिन्दी साहित्य की समान्तर श्रृंखला के साथ उर्दू के विद्वानों की रचनाएँ व संगीत परम्परा देश में शायरी, ग़ज़ल आदि के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगी। ऐसी स्थिति में विश्व पटल के अन्तर्गत यद्यपि उन्नाव जनपद की कोई भौगोलिक महत्ता नहीं है परन्तु सांस्कृतिक व साहित्यिक श्रृंखलाओं में समाज की भावी पीढ़ी लाभान्वित होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. उन्नाव दर्शन, नीलिमा कुमारी, सूचना विभाग, उन्नाव, 2005–06, पृष्ठ–3।
2. झरोखे की धूप, सूर्यकान्त त्रिपाठी, मनस्वी मण्डल, रचनाधर्मी साहित्य परिषद्, उन्नाव – 1981, पृष्ठ – 17।
3. उन्नाव दर्शन, नीलिमा कुमारी, सूचना विभाग, उन्नाव, 2005–06, पृष्ठ–3।
4. पुरातत्व के नूतन सोपान, डॉ. करुणाशंकर शुक्ल, पुरातत्व संग्रहालय, बाँगरमऊ – 2000, पृष्ठ – 17।
5. पुरातत्व के नूतन सोपान, डॉ. करुणाशंकर शुक्ल, पुरातत्व संग्रहालय, बाँगरमऊ – 2000, पृष्ठ – 1।
6. पुरातत्व के नूतन सोपान, डॉ. करुणाशंकर शुक्ल, पुरातत्व संग्रहालय, बाँगरमऊ – 2000, पृष्ठ – 4।
7. पुरातत्व के नूतन सोपान, डॉ. करुणाशंकर शुक्ल, पुरातत्व संग्रहालय, बाँगरमऊ – 2000, पृष्ठ – 18।
8. पुरातत्व के नूतन सोपान, डॉ. करुणाशंकर शुक्ल, पुरातत्व संग्रहालय, बाँगरमऊ – 2000, पृष्ठ – 9–10।
9. पुरातत्व के नूतन सोपान, डॉ. करुणाशंकर शुक्ल, पुरातत्व संग्रहालय, बाँगरमऊ – 2000, पृष्ठ – 11–12।
10. सुलभ बाल भूगोल, जयसिंह, मधु मार्केट, बुढ़ाना गेट, अमन पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
11. उन्नाव दर्शन, नीलिमा कुमारी, सूचना विभाग उन्नाव, 2005–06, पृष्ठ – 17।
12. उन्नाव दर्शन, नीलिमा कुमारी, सूचना विभाग उन्नाव, 2005–06, पृष्ठ – 18।
13. उन्नाव दर्शन नीलिमा कुमारी, सूचना विभाग उन्नाव, 2005–06, पृष्ठ 18 – 19।
14. भूमण्डल सन्देश, अर्चना भदौरिया, 2002, पृष्ठ – 11।
15. नीतिशतकम्, महाकवि भर्तृहरि।
16. उन्नाव दर्शन, नीलिमा कुमारी, सूचना विभाग, उन्नाव, 2005–06 पृष्ठ 16।
17. सुलभ बाल भूगोल, जयसिंह, अमन पब्लिशिंग हाउस, मधु मार्केट, बुढ़ाना गेट, मेरठ, पृष्ठ – 29।

ISSN : 2394-4366

Received:18 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय सौहार्द्र और प्रेमाभिव्यक्ति

– डॉ. शुभा अग्रवाल
असिस्टेंट प्रोफेसर –
हिन्दी विभाग,
जागरण कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स,
साइंस एण्ड कॉमर्स, साकेत नगर,
कानपुर–208007 (उ.प्र.)

Email:
agarwal.shubha1@gmail.com

सारांश

हिन्दी साहित्य में पद्य के साथ–साथ गद्य में भी राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय सौहार्द्र की अभिव्यक्ति हुई है । नाटकों, निबन्धों, कहानियों, उपन्यासों, एकांकियों तथा गद्य की अन्य सभी विधाओं द्वारा राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा राष्ट्रीय सौहार्द्र को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है। गद्य विधाओं में प्रेमचन्द जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके द्वारा लिखा गया गद्य आपको जनता की मनोवृतियों का परिचय देता है । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार– "उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार–विचार, भाषा–भाव, रहन–सहन, आशा–आकांक्षा, दुख–सुख और सूझ–बूझ को जानना चाहते हैं, तो प्रेमचन्द से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता ।" हिन्दी वस्तुतः ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है । यह भारतीय जनजीवन एवं संस्कृति की माध्यम भाषा है । नगेन्द्र जी ने हिन्दी साहित्य तथा हिन्दी की प्रशंसा में कहा है– "हिन्दी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की प्रमुख विशेषता यह है कि उसका स्वर निरन्तर भारतीय ही रहा, उसमें प्रादेशिक तथा साम्प्रदायिक भावना को प्रोत्साहन कभी नहीं मिला ।"

प्रेम जीवन का अनुपम एहसास है। यह न केवल हृदय की संवेदना है, अपितु आत्मा की अभिव्यंजना है। प्रेम का उद्घोष जीवन के प्रत्येक चरण में होता है और अपने अस्तित्व का ध्यान दिलाता है। इसी तरह साहित्य जगत भी इससे अछूता नहीं है।

हिन्दी साहित्य में प्रत्येक काल तथा प्रत्येक चरण राष्ट्रीय सौहार्द्र तथा राष्ट्र प्रेम के उद्घोष से गुंजित रहा है। चाहे वह आदिकाल की प्रशंसात्मक उक्तियों से भरी हुई वीरता में अपभ्रंश की सुन्दरता हो, चाहे भक्ति के रस से पूरित शांत रस की उद्भावना से भरी गंभीर अवधी, चाहे लीला और प्रेम में पगी हुई ब्रज की छटा। राष्ट्रप्रेम की भावना उस समय भी व्याप्त थी और आधुनिक काल में आज तक अनेक बदलते वादों के साथ भी यह भावना न तो धूमिल हुई और न ही इसका प्रवाह कम हुआ है। पराधीनता का इतिहास भारतवर्ष में काफी लम्बा है और इसी कारण भारतीय साहित्य राष्ट्र प्रेम के आवेग से ओत–प्रोत है। इसमें हिन्दी साहित्य में कभी धार्मिक सुरक्षा, कभी ईश्वरीय भक्ति के रूप में वस्तुत राष्ट्र को एक सूत्र में रखने की कोशिश की गई है।

हिन्दी साहित्य में भक्ति काल से ही राष्ट्रप्रेम की भावना प्राप्त होती है। यह वह काल था जब भारत मुस्लिम पराधीनता से ग्रस्त था और उनके अत्याचारों से पीड़ित था। निरीह हिन्दू जनता को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रोद्धार करने का कार्य इन संत कवियों ने किया। इसी के साथ ही साथ

प्रेम की इस अद्भुत धारा ने दोनों ही जातियों के हृदय को स्पर्श कर न केवल उनके बीच के वैमनस्य को दूर कर दिया वरन् उन्हें एक देश का निवासी बनने में सहायता प्रदान की।

प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्यता का सामान्य रूप दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। डॉ. विजय पाल जी के अनुसार– "कबीर आदि संतों को यह श्रेय तो है कि उन्होंने इस भावना में आत्मविश्वास की दृढ़ता का समावेश कर उसे संकीर्णताओं से मुक्त करते हुए हीनता की भावना को विनष्ट कर सर्व सामान्य जनता को समदृष्टि प्रदान की ।"[1] इसी कोटि में रसखान, रहीम, घनानन्द आदि के नाम आते हैं। मुस्लिम परिवेश से आए यह लोग सभी धर्म जाति को भूलकर केवल प्रेम के ही हो गए ।

साम्प्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय सौहार्द्र को बढ़ावा देने में गोस्वामी तुलसी जी का नाम सर्वोपरि है । उन्होंने अपनी रचनाओं से न केवल सुप्त हिन्दू जाति को जगाया, अपितु मानवता के विस्मृत होते गुणों को अपनी काव्य के माध्यम से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया । उन्होंने समस्त हिंदू जाति को ना केवल रामचरितमानस नामक सूत्र में बांध दिया बल्कि उसे जातिगत द्वेष भुलाकर एकता के एक प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया । भक्ति काल के इन कवियों के बारे में डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त जी ने लिखा है– "सम्प्रदाय विशेष पर आश्रित न होने के कारण इन कवियों के दृष्टिकोण में सांप्रदायिक संकीर्णता या कट्टर मतवादिता दृष्टिगोचर नहीं होती। इन्होंने धर्म के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया है तथा विभिन्न सम्प्रदायों में एकता एवं समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है ।"[2]

भक्ति काल के पश्चात रीतिकाल में भी महाकवि भूषण ने इस परंपरा को बनाए रखा। विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति विरोध के स्वरों के साथ ही सब के प्रति सम्मान का नाद भी उनकी कविताओं में प्राप्त होता है। जायसी का पद्मावत एक मुस्लिम कवि द्वारा लिखा हिंदू राजा रानी की कथा का सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यानक काव्य है, जो अरबी, फारसी में न होकर अवधी में लिखा गया है। यह राष्ट्रीय सौहार्द्र का एक बड़ा उदाहरण है।

हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में प्रवेश करते ही पद्य तथा गद्य दोनों का स्वरूप परिवर्तित हो गया । जहाँ ब्रह्म समाज ने हिन्दू जाति के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास किया । वही आर्य समाज ने रूढ़ियों का उच्छेद करते हुए जनता को नई दृष्टि प्रदान की। इन दोनों के अन्तर्गत रचित साहित्य ने भी समाज को नई दिशा दी। आर्य समाज के साहित्य के प्रति डॉ नगेंद्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है– "गद्य की भाषा के परिष्कार में भी इस आंदोलन का अभूतपूर्व योग है ।अस्पृश्यता पर जितना प्रबल आघात इस आंदोलन ने किया, उतना और किसी ने नहीं ।"[3]

अंग्रेजों के आगमन और उनके शासन के विरोध में तथा अपने धर्म की रक्षा में जहां इन राजनीतिक आन्दोलन का उदय हुआ, वही साहित्य में भी आदर्शवादी चेतना का प्रस्फुटन हुआ ।

आदर्शवादी काव्य चेतना का उद्भव सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। राष्ट्रीय सौहार्द्र के स्वर भारतेन्दु जी के 'अकबर और औरंगजेब', 'महात्मा मुहम्मद', 'बीबी फातिमा' आदि निबन्धों में भी प्राप्त होते हैं । डॉक्टर बच्चन जी कहते हैं– "भारतेन्दु जी के 'अकबर और औरंगजेब', 'महात्मा मोहम्मद', 'बीबी फातिमा' आदि निबन्ध पढ़ना चाहिए जिनमें मुसलमानी धर्म के प्रति उनका आदर और सम्मान व्यक्त हुआ है ।"[4]

राष्ट्रप्रेम की इसी भावना का प्रभाव इनके युग के अन्य साहित्यकारों पर भी दिखाई देता है । द्विवेदी युग में भी राष्ट्र प्रेम का यह उद्घोष प्राप्त होता है । मैथिलीशरण गुप्त जी की भारत भारती इसका उदाहरण है । उनके काव्य के प्रति गणपति चन्द्रगुप्त जी कहते हैं– "राम के प्रति उनकी दृढ़ आस्था है, पर उनमें संकीर्णता, साम्प्रदायिक कट्टरता नहीं है अपितु वह अन्य सभी धर्मों के प्रति भी पूरी उदारता एवं सहिष्णुता का परिचय देते हुए उनका यथोचित सम्मान करते हैं ।"[5]

द्विवेदी युग के पश्चात छायावादी युग का आरम्भ होता है । जहाँ एक ओर गद्य तथा पद्य में रहस्यवादिता का पुट आ गया, वहीं उसमें राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय सौहार्द्र की भावना भी विद्यमान रही । कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी की निम्न पंक्तियां देखिए जो संसार में वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देती दिखाई पड़ती हैं –

'औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ।
अपने सुख को विस्तृत कर, सब को सुखी बनाओ।।'

पंत और निराला की भी रचनाओं में यही स्वर प्राप्त होते हैं । इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन जी,

सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय सौहार्द्र को बढ़ावा दिया ।

प्रगतिवादी युग में भी जाति पांति के विरोध में रचनाएं हुईं । धर्म जाति के नाम पर होने वाले ढकोसलों और व्यर्थ के रीति–रिवाजों की जगह मनुष्य के आपसी व्यवहार तथा मानवीय प्रेम पर बल दिया गया । 1857 से अब तक के साहित्य ने यही माना है कि देश की समृद्धि तथा वैभव हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी के आपसी सद्भाव पर ही निर्भर करता है ।

इन प्रगतिशाली कवियों ने अपनी तीखी कविताओं से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए सभी की दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास किया है । इन्हीं में से एक कवि नागार्जुन हैं । इनके लिए श्री विशम्भर मानव जी कहते हैं– "हरिश्चन्द्र युग के कुछ साहित्यकारों को छोड़कर पिछले 50 वर्षों में नागार्जुन जैसा तीखी और सीधी चोट करने वाला व्यंग्यकार हमारे साहित्य में नहीं हुआ है।"[6]

कभी डांट कर, कभी समझा कर, कभी हल्की सी चोट देकर, कभी अतीत के वैभव की याद दिलाकर और कभी आज की आवश्यकता की पुकार सुना कर कवियों ने देश को एक रखने का प्रयास किया । हम सभी भले ही भिन्न–भिन्न जातियों, धर्मों से सम्बन्ध रखते हों परन्तु देश के सामने हर व्यक्ति केवल भारतवासी ही है तथा हम सभी एक दूसरे के लिए परम आवश्यक हैं ।

हिन्दी साहित्य में पद्य के साथ–साथ गद्य में भी राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय सौहार्द्र की अभिव्यक्ति हुई है । नाटकों, निबन्धों, कहानियों, उपन्यासों, एकांकियों तथा गद्य की अन्य सभी विधाओं द्वारा राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा राष्ट्रीय सौहार्द्र को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है ।

गद्य विधाओं में प्रेमचन्द जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके द्वारा लिखा गया गद्य आपको जनता की मनोवृतियों का परिचय देता है । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार– "उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार–विचार, भाषा–भाव, रहन–सहन, आशा–आकांक्षा, दुख–सुख और सूझ–बूझ को जानना चाहते हैं, तो प्रेमचन्द से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता ।"[7]

यहाँ और भी अनेकों नाम उल्लेखनीय हैं जो राष्ट्र प्रेम की अलख जगाते रहे हैं। इसी के साथ अनेक पत्र–पत्रिकाओं ने भी भारत में राष्ट्रीय सौहार्द्र तथा प्रेम को बढ़ावा दिया है । महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की 'सरस्वती', भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी की 'कवि वचन सुधा', प्रताप नारायण मिश्र जी का'ब्राह्मण' और प्रसाद जी का 'इंदु' ऐसी ही पत्र– पत्रिकाएं हैं ।

हिन्दी वस्तुतः ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है । यह भारतीय जनजीवन एवं संस्कृति की माध्यम भाषा है । नगेन्द्र जी ने हिन्दी साहित्य तथा हिन्दी की प्रशंसा में कहा है– "हिन्दी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की प्रमुख विशेषता यह है कि उसका स्वर निरन्तर भारतीय ही रहा, उसमें प्रादेशिक तथा साम्प्रदायिक भावना को प्रोत्साहन कभी नहीं मिला ।"[8]

हिन्दी तथा हिन्दी साहित्य ने न केवल देश को एक किया अपितु कठिन समय में सभी जातियों के लोगों को आपस में जोड़ कर रखा । आपस के व्यवहारों की व्याख्या करते हुए सभी को एक दूसरे के प्रति सहनशील होने की प्रेरणा दी और राष्ट्र सर्वोपरि है इस भावना का प्रतिपादन किया । उसके हर युग, हर काल में राष्ट्रीय सौहार्द्र तथा प्रेम की अभिव्यक्ति विद्यमान है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या – 73 ।
2. हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास (प्रथम खण्ड), पृष्ठ संख्या –236–237 ।
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या – 440 ।
4. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या – 67 ।
5. हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास (द्वितीय खण्ड), पृष्ठ संख्या – 51 ।
6. नई कविता, पृष्ठ संख्या – 30 ।
7. हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास (द्वितीय खण्ड), पृष्ठ संख्या – 425 ।
8. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या – 789 ।

ISSN : 2394-4366

Received:20 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

औपनिवेशिक शासन काल में भारत में श्रमिक संगठनों का विकास एवं कानपुर में उसका प्रभाव

– डॉ. जितेन्द्र सिंह
सहायक प्रवक्ता –
इतिहास विभाग,
जागरण कॉलेज ऑफ आर्टस, साइंस एण्ड कॉमर्स, साकेत नगर, कानपुर–208007 (उत्तर प्रदेश)

ई–मेलः
jitendrasingh4972@gmail.com

सारांश

पूंजीवादी अवधारणा का आरम्भ एवं औद्योगीकरण होने से भारत का आर्थिक विकास जहाँ इंग्लैण्ड के पक्ष में था, वहीं इसका शोषणात्मक पहलू : मजदूरों के हितों के विपरीत एवं दयनीय था। रुई का निर्यात करने वालों ने बम्बई में रुई से बिनौलों को अलग करने और रूई की गांठे बनाने के कारखाने खोल रखे थे। इन कारखानों के मजदूरों की हालत का वर्णन करते हुए बम्बई के ब्वायलरों के सीनियर इंस्पेक्टर टाम ड्रिक्टे ने 1888 में लिखा– ''बिनौले से रुई को अलग करने का मौसम लगभग 8 महीने रहता है। इसमें से लगभग 5 महीने मजदूर सवेरे 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करते हैं। बाकी तीन महीने वे रात दिन काम करते हैं। इनमें ज्यादातर महिला मजदूर काम करती हैं। यहाँ लगातार दिन–रात एक सप्ताह तक काम करने वाली औरतें मिलेंगी। मेरे ख्याल से इस उद्योग में बच्चों की दो पालियां कहीं भी नहीं हैं, इसलिये वे अवश्य ही 24 घंटों में से 23 घंटे काम करते होंगे।'' 1881 और 1891 के कारखाना अधिनियम इसी तथ्य को ध्यान में रखकर पारित किये गये थे, जिसके अन्तर्गत मजदूरों के हितों को लेकर अनेक प्रावधान रखे गये, जैसे कि काम करने के घण्टे कम करना और साप्ताहिक अवकाश। किन्तु इन फैक्ट्री अधिनियमों के बावजूद मजदूरों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ।

17वीं शताब्दी में इंग्लैंण्ड में होने वाली औद्योगिक क्रांति की प्रतिध्वनि समस्त विश्व में सुनाई दी और इसी के साथ पश्चिमी विश्व के राश्ट्र दो वर्गों में विभाजित हुए–पूँजीवादी और गैर पूँजीवादी। पूंजीवादी विचारधारा का पोशित ब्रिटेन जब पूर्वी देशों की ओर अग्रसरित हुआ तब उसने भारत के पारम्परिक ढांचे को नश्ट करते हुए भारी व्यापारिक लाभ कमाया और इस देश को विश्व में सबसे बड़ा उपनिवेश बनाया। आगे चलकर; 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध जर्मनी के विद्वान कार्ल मार्क्स ने भी साम्यवादी विचारधारा के तहत ''स्वामित्व एवं श्रमिकों के मध्य आर्थिक लाभों'' को लेकर संघर्शों की बात कही। इसी पृष्ठभूमि में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों के बीच अपने सामाजिक व आर्थिक अस्तित्व को बनाये रखने के लिये अनेक श्रमिक संगठनों का उदय होना व उनमें होने वाले आन्दोलन तत्कालीन विश्व की एक स्वाभाविक प्रक्रिया कही जा सकती है। जिसने उत्पादन के साधनों व आर्थिक लाभों के सन्दर्भ में अनेक आयाम स्थापित किये। वास्तव में ''श्रमिक आन्दोलनों के इतिहास'' का अध्ययन करने से पता चलता है कि ये मानव के पक्ष में सकरात्मक

दृष्टिकोण रखते हुये समाज सुधारकों द्वारा उत्पन्न हुये। इस क्रम में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में शशिपाद बनर्जी द्वारा गठित–''भारत श्रमजीवी संघ'' (1870) और केशवचन्द्र सेन द्वारा स्थापित–''भारत संस्कार (सुधार) संस्था'' की स्थापना (1890) एक उल्लेखनीय घटना की जा सकती है, जिसने मजदूरों में शिक्षा प्रसार के साथ–साथ उनकी दयनीय स्थिति को भी सुधारने का प्रयत्न किया।[1]

यह तथ्य भी ध्यातव्य रहे कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात् भारत में भी श्रमिकों के हितों के संदर्भ में अनेक संगठन बने, साथ ही आधुनिक कारखाने अस्तित्व में आये। ''भारत में एक अंग्रेज ने पहली कपड़ा मिल खोलने का असफल प्रयत्न किया था। यह मिल 1818 में बंगाल स्थित हावड़ा जिले के बावडिया नामक स्थान में खोली जानी थी।[2]

कालान्तर में, लार्ड डलहौजी के समय रेलवे का आरम्भ हुआ जिसने उद्योगों के विकास में महती भूमिका अदा की। ''1854 में एक अमेरिकी–लेंडन ने भड़ौंच में पहली स्थाई कपड़ा मिल शुरू की... इसी प्रकार एक दाबर नामक पारसी ने भी बम्बई के तारदेव नामक स्थान पर कपड़ा मिल आरम्भ की।''[3] 1875 के बाद कानपुर, अहमदाबाद, नागपुर, शोलापुर में भी कपड़ा मिलों की शुरूआत हुई।[4] इन मिलों में 1859 में कुल पूंजी 11.6 करोड़ रूपये थी, जिसमें अधिकांश भारतीयों की थी।[5] 1890 के भारत में औद्योगिक विकास का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कल–कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की औसत संख्या 4,21,545 तक हो गई थी।[6] इसी के साथ ब्रिटिश पूंजी–निवेश नकदी फसलों यथा–नील, चाय और कॉफी में भारी मात्रा में हुआ जिससे उन्हें काफी लाभ प्राप्त हुआ।

पूंजीवादी अवधारणा का आरम्भ एवं औद्योगीकरण होने से भारत का आर्थिक विकास जहाँ इंग्लैण्ड के पक्ष में था, वहीं इसका शोषणात्मक पहलू : मजदूरों के हितों के विपरीत एवं दयनीय था। रुई का निर्यात करने वालों ने बम्बई में रूई से बिनौलों को अलग करने और रूई की गांठे बनाने के कारखाने खोल रखे थे। इन कारखानों के मजदूरों की हालत का वर्णन करते हुए बम्बई के ब्वायलरों के सीनियर इंस्पेक्टर टाम ड्रिक्टे ने 1888 में लिखा– ''बिनौले से रूई को अलग करने का मौसम लगभग 8 महीने रहता है। इसमें से लगभग 5 महीने मजदूर सवेरे 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करते हैं। बाकी तीन महीने वे रात दिन काम करते हैं। इनमें ज्यादातर मजदूरिनें काम करती हैं। ..... यहाँ लगातार दिन–रात एक सप्ताह तक काम करने वाली औरतें मिलेंगी। ..... मेरे ख्याल से इस उद्योग में बच्चों की दो पालियाँ कहीं भी नहीं हैं, इसलिये वे अवश्य ही 24 घंटों में से 23 घंटे काम करते होंगे।''[7] 1881 और 1891 के कारखाना अधिनियम (Factory Act) इसी तथ्य को ध्यान में रखकर पारित किये गये थे, जिसके अन्तर्गत मजदूरों के हितों को लेकर अनेक प्रावधान रखे गये, जैसे कि काम करने के घण्टे कम करना और साप्ताहिक अवकाश। किन्तु इन फैक्ट्री अधिनियमों के बावजूद मजदूरों की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ।[8]

1908 में गठित 'फैक्ट्री आवर्स (मोरिसन) कमीशन' ने अपनी रिपोर्ट में कहा– ''हमने देखा है कि गिनिंग (रुई से विनौले अलग करने की) फैक्ट्रियों में मजदूरों को एक दिन में 17–18 घण्टे काम करना पड़ता है। चावल मिलों और आटा मिलों में लोगों को कभी–कभी 20–22 घण्टे रोज काम करना पड़ता है, आदतन बहुत ज्यादा घण्टे काम करने वाले को खोजने के लिये कपड़ा उद्योग को देखना होगा।'' इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1911 का ''कारखाना अधिनियम'' पारित हुआ जिसमें वयस्क मजदूरों के दैनिक कार्य के घण्टे कम किये गये। महात्मा गाँधी ने भी मजदूरों के पक्ष में कहा था– ''मालिकों के साथ मजदूरों का सम्बन्ध भागीदार के समान होना चाहिए। उचित तो यह है कि बाप बेटे के बीच जो सम्बन्ध होता है मालिक और मजदूर के बीच में भी वैसा ही सम्बन्ध रहे। जिस तरह बेटा बाप के अनुभव और ज्ञान से लाभ प्राप्त करता है वही बात मजदूरों के लिये भी होनी चाहिए।''[9]

इन सब प्रयासों के बावजूद 19वीं सदी के अन्त तक देश के विभिन्न शहरों में मजदूरों की हड़तालें बढ़ती जा रही थीं। इन समस्त हड़तालों के पीछे सुव्यवस्थित सांगठनिक ढांचे का अभाव था। विदित हो कि यह श्रमिक संगठनों के विकास की शैशवास्था का काल था। इस क्रम में एन. एम. लोखण्डे (नारायण मेंघजी लोखण्डे) ने 24 अप्रैल, 1890 को मजदूरों की एक सभा में ''बॉम्बे मिल हैण्डस एसोसिएशन'' नामक श्रम संगठन की स्थापना की, जो वास्तव में भारत का ''पहला श्रम संघ'' था, यहीं से भारतीय श्रम संघ आन्दोलन (ट्रेड यूनियन आन्दोलन) के इतिहास का आरम्भ होता है। इसी कारण श्री लोखण्डे को

– ''भारतीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन का जनक'' कहा जाता है। इन संघ ने अपने कार्यक्रमों के प्रचार के लिये ''दीनबन्धु'' नामक पत्र का प्रकाशन भी किया।[10] इस आरम्भिक दौर में मजदूर वर्ग ने अपनी सांगठनिक शक्ति को पहचाना और हड़ताल का अस्त्र की भाँति प्रयोग किया।

कार्ल मार्क्स ने भी श्रम संगठनों के विषय में कहा कि– ''श्रम संगठन श्रमजीवी वर्ग की शक्तियों को एकत्रित करने के केन्द्र थे। बिना संगठित संगठन के कर्मचारी नौकरी के लिये होड़ करते थे। श्रम संगठन का विकास आरम्भ में स्वाभाविक रूप से इस प्रकार हुआ जिससे यह होड़ समाप्त हो जाये और उन्हें ऐसी कार्य स्थिति प्राप्त हो जो उन्हें दासों की श्रेणी से ऊपर रखे। ..... श्रम संगठन का उद्देश्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाना है। उनके द्वारा मजदूरों को संगठित करके उन्हें राजनीतिक दासता से मुक्ति दिलाई जाये।''[11]

उपरोक्त विचारधारा के परिणामस्वरूप 20वीं शताब्दी के आरम्भ में मजदूर वर्ग में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके पीछे 1905 ई. और 1917 ई. की रूसी क्रांति की अवधारणा रही। इस घटना ने निरंकुश जारशाही का अन्त नहीं किया, साथ ही कुलीन जमीदारों, सामन्तों, पूँजीपतियों आदि की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को समाप्त करते हुये विश्व में मजदूर और किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित की। मॉर्क्स द्वारा प्रतिपादित ''वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा'' को मूर्त रूप पहली बार रूसी क्रान्ति ने प्रदान किया। यह विचारधारा 1917 के बाद इतनी शक्तिशाली हो गई कि 1950 तक लगभग आधा विश्व इसके अन्तर्गत आ चुका था। इस दौरान भारत में भी इस अवधारणा का समावेश हो चुका था। श्रमिकों के विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाने की मांग जोर पकड़ रही थी। एवं 19वीं–20वीं शताब्दी में अनेक श्रमिक संगठनों का गठन हो रहा था।

इसी बीच, देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन तीव्रता से फैल रहा था एवं ट्रेड यूनियन तथा स्वतंत्रता आन्दोलन के मध्य परस्पर सहयोग लिये हुए एक नये युग का सूत्रपात हुआ। उस समय चल रहे स्वदेशी आन्दोलन का भारतीय मजदूर आन्दोलन पर भी प्रभाव पड़ा। साथ ही अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मजदूरों के सांगठनिक कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। 1908 में लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में आम हड़ताल, राजनीतिक प्रश्न पर मजदूरों की प्रथम हड़ताल थी।[12]

1918 में वी. पी. वाडिया के प्रयासों से ''मद्रास लेबर यूनियन'' की स्थापना हुई जो मजदूरों का पहला विधिवत् संगठन माना जाता है। श्री लोकनाथन के अनुसार– ''मद्रास का कोई भी सूती मिल मजदूर इस यूनियन के बाहर नहीं रहा और यह यूनियन बहुत कम समय में ही शक्तिशाली हो गई।''[13]

इस प्रकार, 20वीं शताब्दी के आरम्भिक दौर में समाजवादी विचारधारा के जोर पकड़ने के साथ–साथ मजदूरों की शोषणात्मक स्थिति, कार्य पद्धति व उनके विभिन्न सांगठनिक ढांचों के मध्य पारस्परिक वैचारिक मतभेदों को कम करने के लिये 2 नवम्बर, 1920 ई. को प्रथम देशव्यापी संगठन ''अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस'' यानि एआईटीयूसी (AITUC : एटक) की स्थापना हुई जिसके प्रथम अध्यक्ष ''पंजाब केसरी'' लाला लाजपत राय थे। आगे चलकर इस संगठन का नये रूप में सृजन हुआ, जैसे कि इंटक (INTUC-Indian National Trade Union Congress) क्योंकि इसके सदस्यों के मध्य मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे थे। 1948 में इसका भी विभाजन हो गया और समाजवादियों के गुट ने एक नये संगठन को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया– ''हिन्द मजदूर पंचायत'', किन्तु इस संगठन का अस्तित्व भी ज्यादा लम्बे समय तक नहीं रह सका और उसी वर्ष इसका नाम बदलकर ''हिन्दू मजदूर सभा'' हो गया।[14]

कानपुर का श्रमिक आन्दोलन और उसका प्रभाव–

1865 से लेकर 1920 तक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में भी अनेक मिलों की स्थापना हुई जिनमें हजारों श्रमिक कार्यरत् थे। मजदूरों को 14 से 16 घण्टों तक काम करना पड़ता था, बाल व महिला मजदूरों से जबर्दस्ती काम लिया जाता था।[15] इस संदर्भ में 25 सितम्बर, 1890 को बम्बई, उत्तर–पश्चिम उत्तर प्रदेश और अवध के कारखानों में मजदूरों की अवस्था की जांच के लिये ''फैक्ट्री लेबर कमीशन'' का गठन किया गया जिसमें कानपुर से विलायती ऊलेन मिल (लाल इमली) के फोरमैन प्रेमजी मानिक जी को भी सदस्य बनाया गया। इसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1891 का ''फैक्ट्री एक्ट'' पारित हुआ था।[16]

कानपुर में प्रथम बार मजदूरों की सभा–

प्रथम महायुद्ध के समय कानपुर के मिल मालिक मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे।

छोटी–छोटी त्रुटियों तथा अपराधों में उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था। मजदूरों के वेतन से एक रुपये माहवार कटौती कर ली जाती थी। सेवायोजकों के ऐसे दुर्व्यवहार के विरुद्ध एल्गिन मिल के विद्यार्थी नामक कर्मचारी ने सन् 1918 में भैरवघाट में पहली सभा की जिसमें केवल 21 व्यक्ति सम्मिलित हुए जिसके कारण श्री विद्यार्थी को एल्गिन मिल से निकाल दिया गया।[17] एल्गिन मिल के एक अन्य कर्मचारी पंडित कामदत्त एक इमली के पेड़ के नीचे हवन पूजन और प्रवचन करते थे।[18] साथ ही मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत भी करते रहते थे। नतीजन मजदूरों में हड़ताल के प्रति सुगबुगाहट शुरू हुई।[19] पण्डित जी अपनी मिल साथ अन्य मिलों के मजदूरों को भी जगाने लगे।

कानपुर में प्रथम हड़ताल–

एलगिन मिल में एक ओर कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार अपनी चरम सीमा पर था तो दूसरी ओर कर्मचारियों में पं. कामदत्त की प्रेरणा से जागृति आ रही थी। फलस्वरूप नवम्बर, 1919 में एलगिन मिल के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। शहर के सभी मिलों के कर्मचारियों ने भैरवघाट पर दूसरी सभा की जिसमें सभी मिलों में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप सारे शहर की मिलों में आम हडताल हो गयी।

बारह मिलों की हड़ताल–

24 नवम्बर, 1919 से 2 दिसम्बर, 1919 तक की इस हड़ताल में 26,919 आदमियों ने भाग लिया।[20] यह हड़ताल बारह मिलों की हड़ताल'' के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रमिकों की एक बैठक पुनः भैरवघाट में हुई जिसमें प्रत्येक रविवार को श्रमिकों के संगठन और समस्याओं पर विचार के लिए पं. कामदत्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, मूलचन्द्र घसीटे, कुन्जीलाल, शिवगुलाम एवं श्री ठाकुर की सात सदस्यों वाली समिति बनाई गई।[21]

कानपुर में प्रथम मजदूर संगठन–

उपरोक्त हड़ताल के दौरान प्रत्येक मिल से दो–दो प्रतिनिधियों को लेकर जो कार्यकारिणी घोषित की गयी थी उसमें पं. कामदत्त अध्यक्ष, लाला देवीदयाल महामंत्री बनाये गये थे। हड़ताल समाप्त होने के बाद ही कार्यकारिणी को 'मजदूर सभा' नाम दे दिया गया।

कानपुर के मिल कर्मचारियों के झंडे–

इस संगठन में सभी कारखानों एवं नगरपालिका के कर्मचारी भी शामिल थे। सभी के झण्डे भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे। लाल इमली के मजदूरों ने कम्बल का झण्डा फहराया तो कूपर एलन के श्रमिकों ने 'जूते' का निशान लहराया। सूतीमिल मजदूरों के झण्डे लाल, पीले, नीले, हरे, आदि के थे। टाट मिल का झण्डा टाट का था।[22]

कानपुर में प्रथम मजदूर संगठन का रजिस्ट्रेशन–

इस प्रकार कानपुर में मजदूर संगठन की शुरुआत हुई। 4 दिसम्बर, 1928 को ट्रेड यूनियन के अन्तर्गत मजदूर सभा का रजिस्ट्रेशन होने के बाद 20 जनवरी, 1929 को गणेश शंकर विद्यार्थी सभापति एवं हरिनाथ शास्त्री प्रधानमंत्री चुने गये। कानपुर में 1938 तक इस यूनियन में कम्युनिस्टों का बहुमत हो गया।[23]

कानपुर में इण्टक सहित अन्य यूनियनों का गठन–

प्रारम्भ से ही आल इण्डिया ट्रेड यूनियन (एटक) के साथ मजदूर सभा सम्बद्ध रही, परन्तु 3 मई, 1947 को इण्टक के केन्द्रीय श्रम संगठन के बनते ही 1949 में ''कानपुर मिल मजदूर यूनियन'' का गठन हुआ। इसके बाद एटक एवं इण्टक से सम्बद्ध यूनियनें अलग–अलग बनने लगीं जिसमें राजनीतिक प्रभाव दिखाई पड़ता है।

इंटक से जुड़े कानपुर के श्रमिक नेता भी ऐसे राजनीतिक लाभों से वंचित नहीं रहे हैं। वैसे भी इंटक के गठन में कानपुर के श्रमिक नेताओं की अग्रणीय भूमिका रही है। पं. सूर्यप्रसाद अवस्थी, हरिहरनाथ शास्त्री इंटक के पुरोधाओं में रहे हैं। कालान्तर में इन दोनों श्रमिक नेतओं को कांग्रेस के सत्ता में आने का पूरा लाभ मिला। वर्तमान में इंटक से जुड़े कई श्रमिक नेता सत्ता संचालन में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं से जुड़कर लाभ कमा रहे हैं।[24]

सत्ता के लिये परस्पर संघर्षों के चलते बाद में कानपुर की स्थिति कमजोर पड़ती चली गई। धीरे–धीरे इन ट्रेड यूनियनों को राजनीतिक नेताओं ने अपनी स्वार्थपूर्ति का माध्यम बनाना आरम्भ कर दिया जिससे श्रमिकों में स्वाभाविक रूप से उद्योगों और श्रम संगठनों को लेकर चिन्ता होने लगी। कानपुर के श्रमिक संगठन राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बनने लगे। फलस्वरूप कानपुर में गैर राजनीतिक श्रमिक संगठनों के कुछ प्रमुख नेताओं– रामकृष्ण त्रिपाठी, हंसदेव गौतम, भगवत शरण रस्तोगी ''मिर्जा जी'', मूलराज, यज्ञदत्त शर्मा आदि ने श्रमिकों में जनजागरण का काम आरम्भ किया।

कानपुर में सबसे बड़ी हड़ताल–

1954 तक कानपुर में कपड़ा मजदूरों की छह प्रमुख ट्रेड यूनियनें बन चुकी थी। 1955 में सूती मिलों के

नवीनीकरण के खिलाफ 82 दिन की हड़ताल कानपुर के मजदूरों ने की। इस आन्दोलन की अगुआई के लिए अध्यक्ष मण्डल का गठन किया गया था जिसमें राजाराम शास्त्री, सन्त सिंह यूसुफ, गणेश दत्त वाजपेयी, राम आसरे, अर्जुन अरोड़ा, अमूल्यरतन तिवारी एवं विमल मेहरोत्रा थे। इस हड़ताल में इण्टक ने भाग नहीं लिया था।[25]

कानपुर में सीटू का गठन–

वर्ष 1970 में इंटक का एक और विभाजन हो गया। 30 मई, 1970 को कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड में ''सेण्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू)'' नामक नये महासंघ की घोषणा की गई। इस महासंघ के गठन में बी. टी. रणदिवे, पी. राममूर्ति, ज्योति बसु, इस्माइल, बालानन्दन, समर मुखर्जी जैसे अग्रणी नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख श्रमिक नेताओं– रामआसरे, चौधरी हरसहाय सिंह, के. एन. भट्ट आदि का विशेष योगदान रहा है।[26] 1970 में सीटू (सेण्टर आफ इण्डिया आफ ट्रेड यूनियन) के गठन होने पर विशुद्ध वामपंथी विचारधारा के सिद्धांतों के आधार पर कामरेड राम आसरे ने कानपुर में इस संगठन को संगठित करने का प्रयास किया। श्रीमती सुभाषिनी अली एवं कामरेड दौलतराम इसके प्रमुख नेता रहे। वर्तमान में कानपुर में इसका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा।

यहाँ विशेष तौर पर सर्वप्रथम गठित मजदूर सभा के ग्वालटोली स्थित कार्यालय का जिक्र करना भी जरूरी है। इसे ही ''गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति भवन'' भी कहा जाता रहा है कारण कि इसका निर्माण उनकी स्मृति में किया गया था और इसके निर्माण की पहल न केवल एल्गिन मिल्स कम्पनी नं.–1 के तत्काल अंग्रेज मैनेजर मि. कटरैल ने की थी. वरन् उन्होंने भरपूर आर्थिक सहयोग भी दिया था। मजदूर सभा के इस कार्यालय में कभी सिर्फ मजदूरों के हितों की राजनीति होती थी जहाँ से सभी दलों से जुड़े श्रमिक नेताओं ने संगठित होकर मजदूरों के हितों में बड़े मजदूर आन्दोलनों को सफलतापूर्वक चलाया था। मजदूर सभा वास्तव में श्रमिकों का सच्चा हितैषी संगठन था। सभा के भवन में ही श्रमिकों के लिए वाचनालय, चिकित्सालय की उत्तम व्यवस्था थी। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए दो रात्रि पाठशालायें चलायी जाती थीं। सभा ने ''मजदूर सहकारी बैंक'' की भी स्थापना कर रखी थी जो कि. श्रमिकों को बहुत ही कम ब्याज पर कर्ज दिया करती थी। आज की तारीख में 'सभा' के कार्यालय पर पूरी तरह एटक का कब्जा है। मजदूर सभा के पूर्व के वर्णित कार्यकलाप पूरी तरह ठप्प हो चुके हैं और अब वह कभी कभार ही खुलता है।[27]

आजादी के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के श्रम संघ गठित हो जाने के कारण उनमें श्रमिकों पर वर्चस्व बनाये रखने की जंग तेज होती चली गयी। अधिसंख्य श्रमिक नेता इंटक से जुड़ गये जिनका इंटक से सामंजस्य नहीं बन सका अथवा वास्तव में जिनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती थी वे एटक में ही बने रहे। बाद में एटक के विभाजन से हिन्द मजदूर सभा के अस्तित्व में आ जाने के कारण इसके विभिन्न श्रमिक नेता इस संगठन में चले गये। आगे चलकर एटक के और भी विभाजन हुए और फिर अंततः कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन होने के पश्चात सीटू का गठन होने से 'एटक' पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कब्जे में आ गयी।[28]

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने–अपने राजनीतिक संघ व विभिन्न ट्रेड यूनियनें गठित कर लिये जाने से आपसी प्रतिद्वन्द्विता भी दिनों दिन तेज होती चली गयी। सभी अपनी–अपनी नीतियों को श्रेष्ठ बताकर श्रमिकों पर वर्चस्व बनाने की कोशिश करने लगे। नतीजतन श्रमिक विभिन्न खेमों में बंटता चला गया। सरकार समर्थक होने से इंटक के श्रमिक नेताओं ने भले ही जमकर व्यक्तिगत लाभ उठाये पर वे अपनी पार्टी की सरकार केन्द्र में एक लम्बे अर्से तक रहने के बावजूद श्रमिकों का कोई कल्याण नहीं करा सके। इसका जीता जागता प्रमाण केन्द्र की कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वस्त्र निगम का गठन कर 5 सूती मिलों के अधिग्रहण व बाद में वर्ष 1992 में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन समूह की तीन सूती मिलों के अधिग्रहण के बाद भी उन्हें चलाया न जा सका।[29]

निष्कर्ष–

''भृतिदानेन सन्तुष्टा मानेन परिवर्धिता सान्तित्वता मृदुवाचा ये न त्यजन्त्याधिमं हि ते।''

अर्थात् यदि कर्मचारी को पर्याप्त मजदूरी का भुगतान किया जाये, इसे सम्मानजनक पदोन्नित दी जाये, उसके साथ नम्रता का व्यवहार किया जाये और उसके कश्टों में सहभागी बना जाये, तो कर्मचारी अपने स्वामी अर्थात् नियोजक का साथ नहीं छोड़ता।''

विश्व में सामाजिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनशील घटनाओं के साथ ही पूंजीवादी, साम्यवादी

एवं समाजवादी विचारधाराओं ने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को झकझोर कर रख दिया, जिसने निःसन्देह अनेक प्रभावशाली संगठनों का गठन होने के साथ–साथ अपनी मांगों को उठाया और क्षेत्रीयता से लेकर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक जनान्दोलन का हिस्सा बने ''औपनिवेशिक शासनकाल में भारत का श्रमिक आन्दोलन, जिसकी प्रतिध्वनि स्थानीय स्तर पर कानपुर में भी सुनाई दी,'' इसी घटना की अति महत्वपूर्ण एवं स्वाभाविक प्रक्रिया रही है।

1920 ई. में एटक–AITUC की स्थापना के साथ–साथ जहाँ राष्ट्रीय स्तर में अनेक श्रमिक संगठन एक मंच पर आये, वहीं आने वाले समय में कर्मचारी यूनियनें इस मंच का हिस्सा बनती चली गयीं और तत्कालीन सामाजिक–आर्थिक आवश्यकतानुसार इस संगठन का विभाजन–इंटक INTUC-Indian National Trade Union Congress); हिन्द मजदूर सभा–HMS; सीटू-CITU-Central of Indian Unions, भारतीय मजदूर संघ–BMS आदि में हुआ। निश्चित तौर पर, इन मजदूर संगठनों का प्रभाव कानपुर में भी पड़ा, जिससे तमाम श्रमिक संगठनों एवं कर्मचारी संघों ने समय–समय पर व्यापक आन्दोलन किये व अपनी मांगों को भी रखा। लेकिन यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि 19वीं शताब्दी में ''मैनचेस्टर'' के उपनाम से विश्व में अपनी पहचान बनाने वाला यह शहर संभवतया राजनीति का अखाड़ा बन गया और यहाँ के विभिन्न श्रमिक संघों के पदाधिकारी स्वार्थपरक राजनीति का हिस्सा बनते चले गये। शुक्रनीति का यह प्रसिद्ध श्लोक कर्मचारियों में होने वाले शोषण का उदाहरण प्रस्तुत करता है–

''वाक्पारूश्यान्नयूनभृत्या स्वामी प्रबलदण्डतः।
भृत्यं प्रशिक्षयेत्रित्यं शतुल्यं त्वपमानतः।।''

अर्थात् कम मजदूरी, कठोर बर्ताव, अपमान, दुर्व्यवहार, अत्यधिक जुर्माना और कड़ा दण्ड कर्मचारियों के बीच असन्तोष और कुंठा उत्पन्न करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. सिंह, अयोध्या, समाजवाद भारतीय जनता का संघर्ष, पृष्ठ–11।
2. एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, मैकमिलन, न्यूयॉर्क–1967, पृष्ठ–895।
3. बुकानन, डेनियल हाउस, दि डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट इण्टरप्राइज इन इण्डिया, पृष्ठ–136।
4. वही।
5. लॉरेन्स, मार्टिन, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म इन इण्डिया, लंदन, 1934, पृष्ठ–63।
6. बुकानन, पूर्वोधृत, पृष्ठ–139।
7. ब्रिटिश पार्लियामेण्ट्री पेपर्स–188, 77 नम्बर 321, पृष्ठ – 13–15।
8. दास, आर. के., फैक्ट्री लेबर इन इण्डिया, 1923 : पृष्ठ : 59–60।
9. दि मॉरल, विशिष्ट विशेषांक–2010, पृष्ठ–16।
10. सिंह, रामनरेश, भारत में श्रम संघ आन्दोलन, पृष्ठ–3।
11. दि मॉरल, पूर्वोधृत पृष्ठ –16।
12. मिश्र, शीतल प्रसाद, मजदूर आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ – 17।
13. इण्डस्ट्रियल वेलफेयर इन इण्डिया, पृष्ठ–160।
14. दि मॉरल, पूर्वोधृत, पृष्ठ–16।
15. चक्र, सुदर्शन, कानपुर : मजदूर आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ–6।
16. सिंह, अयोध्या, समाजवाद : भारतीय जनता का संघर्ष।
17. चक्र, सुदर्शन, पूर्वोधृत, पृष्ठ–180।
18. वही, पृष्ठ–8।
19. सुयश, सर्वेश कुमार, कानपुर का इतिहास, पृष्ठ–77।
20. चक्र, सुदर्शन, पूर्वोधृत, पृष्ठ–182।
21. सिंह अयोध्या, पूर्वोधृत, पृष्ठ–182।
22. चक्र, सुदर्शन, पूर्वोधृत, पृष्ठ–183।
23. वही, पृष्ठ–184।
24. दि मॉरल, पूर्वोधृत, पृष्ठ–18।
25. चक्र, सुदर्शन, पूर्वोधृत, पृष्ठ–60।
26. दि मॉरल, पूर्वोधृत, पृष्ठ–17।
27. वही।
28. वही।
29. वही, पृष्ठ–17–18।

ISSN : 2394-4366

Received:27 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

मानवाधिकार एवं महिलाएँ

– डॉ. आभा पाण्डेय
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग,
दयानन्द गर्ल्स पी0जी0 कालेज,
कानपुर–208001 (उत्तर प्रदेश)

ई–मेलः
abhapandey01@gmail.com

सारांश

21वीं शताब्दी मानवाधिकारों के क्षेत्र में सोच–विचार को नवीन आयाम प्रदान करने के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती है । यद्यपि यह एक कटु सत्य है कि आज भी विश्व के अनेक देशों के नागरिकों को पूर्ण मानव अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं। महिला जनसंख्या के अधिकांश भाग के लिए भारत में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकार आज भी मिथक हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित दी ह्यूमन डेवलपमेन्ट रिपोर्ट में भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे में आशावादी भविष्यवाणियाँ की गई है और इस स्थिति में सुधार बताया है, इसके अलावा दी यू. एन. फण्ड फॉर डेवलमेन्ट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं की स्थिति में शिक्षा, नियोजन प्रति महिला आय दर के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है। मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए भारत की संसद ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। महिलाओं को अपनी स्वयं मनोकृतियों में भी परिवर्तन अपेक्षित है यह परिवर्तन शिक्षा एवं आर्थिक स्वायत्तता, चेतना एवं संगठनात्मक प्रयासों द्वारा सम्भव है। अतः विश्व समाज में महिला चेतना व उसके अधिकारों के प्रति जो उत्साह जागा है उसका लाभ सारी विषमताओं व असमानताओं के रहते हुए भी भरतीय महिलाओं को कृमिक रूप में धीरे–धीरे मिल सकता है । महिलाओं को जो अधिकार मिले इसी से समाज व उनकी उन्नति है ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1945 से प्रारम्भ मानवाधिकार एवं महिला आन्दोलनों ने लिंग भेदभाव एवं असमानता के प्रश्नों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मंचो पर राजनैतिक मुद्दों के रूप में प्रस्थापित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांन्ति स्थापना एवं विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका के महत्व को भी रेखाकिंत किया है । संघ ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाए, जिसमें महिलाओं को पुरुष के समान उत्थान का अधिकार दिया । इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा का अधिकार दिया । इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा से पूर्व 1946 में एमहिला प्रस्थिति के अध्ययन के लिए गठित समिति की घोषणा महत्वपूर्ण रही जिसको कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वूमेन का नाम दिया गया ।

1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त कने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया इसमें यह प्रावधान सम्मिलित किया गया कि महिलाओं को चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, पुरुषों के साथ आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सभी समान अधिकार प्रदान किये जाने के

लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी और किसी भी प्रकार का भेदभाव नही होगा। सम्पूर्ण विश्व में महिला उत्थान व चेतना जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया ।

1975 में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ में महिला कल्याण हेतु 1975 से 1984 दशक को महिला दशक घोषित किया गया जिसमे महिला शिक्षा रोजगार लिंग भेदभाव मिटाने, नीति निर्धारण में महिलाओं को सम्मिलित करने तथा समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक अधिकार देने की घोषणा की गई ।

संयुक्त राष्ट्र संघ अधिनियम 1979 –

महिलाओं के विरुद्व सभी प्रकार के विभेदों की समाप्ति सम्बन्धी अभिसमय को घोषणा सन् 1979 में की गयी थी और 3 सितम्बर, 1981 से यह अभिसमय दुनियाभर में लागू हो गया । इस अधिकार पत्र में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में आस्था को गंभीरतापूर्वक दुहराया गया था और कहा गया था कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान अधिकारो के हकदार हैं और लिंग–सम्बन्धी विभेद सहित हर प्रकार के विभेद के बिना वे संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में उल्लिखित अधिकारों के हकदार हैं। इस अभिसमय में कहा गया है कि किसी भी देश के सम्पूर्ण विकास, विश्व के कल्याण और शान्ति के हित का तकाजा है कि महिलाएं पुरुशों से पूर्ण सभागत के स्तर पर सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक शिरकत करें। इस अभिसमय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों में हस्ताक्षर किए हैं। इस अभिसमय के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं ।

अनुच्छेद–1 –

वर्तमान अभिसमय के प्रयोजनों के लिए महिलाओं के विरुद्ध विभेद का अर्थ लिंग के आधार पर किया गया ऐसा कोई भेद, वर्जन या प्रतिबन्ध होगा जिसका परिणाम या प्रयोजन पुरुषों के साथ समानता के स्तर पर महिलाओं के, चाहे उनकी भौतिक स्थिति कुछ भी हो, मानवाधिकारों तथा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नगारिक या अन्य किसी क्षेत्र में उनकी मूल स्वतंत्रताओं के अभिमान्यीकरण या उनके द्वारा उक्त मानवाधिकारों या स्वतंत्रताओं के उपभोग या प्रयोग को क्षति पहुँचाना या रद् कर देना हो।

अनुच्छेद–2 –

इस अभिसमय के पक्षकार राज्य महिलाओं के विरूद्वसभी प्रकार के विभेद की निंदा करते हैं, सभी उपयुक्त उपायों से और अविलम्ब महिलाओं के विरूद्वविभेद को मिटाने की नीति का अनुसरण करने पर सहमत होते हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के निमित यह दायित्व लेते हैं कि –

(क) यदि अब तक उनके संविधानों या उपयुक्त विधानों में पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धान्त का समावेश नहीं किया गया है तो अब वे वैसा करेंगे और कानून तथा अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा इस सिद्धान्त का अमल सुनिश्चित करेंगे।

(ख) महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेद का निषेध करने के लिए यथोचित वैधानिक तथा अन्य व्यवस्था करेंगें, जिसमें प्रसंगानुसार दण्ड की व्यवस्था शामिल होगी।

(ग) पुरुषों के साथ समानता के स्तर पर महिलाओं के अधिकारों को कानूनी संरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे, और सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकारणों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के माध्यम से हर प्रकार के विभेद के खिलाफ महिलाओं के लिए प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित करेंगे।

(घ) महिलाओं के विरुद्व विभेद की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी अधिकारी और संस्थाएं इस दायित्व के अनुरूप आचरण करें।

(ङ) हर व्यक्ति, संगठन या उद्यम द्वारा महिलाओं के खिलाफ विभेद की कार्यवाही को समाप्त करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे।

अनुच्छेद–3 –

महिलाएं पुरुशों के साथ समानता के स्तर पर मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का प्रयोग और उपभोग कर सकें, इस प्रयोजन से उनका पूर्ण विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए इस अभिसमय के पक्षकार राज्य सभी क्षेत्रों में, और खास तौर से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सभी उपयुक्त सदम उठाएंगे, जिनमें कानून बनाना भी शामिल होगा ।

अनुच्छेद–4 –

1. इस अभिसमय के पक्षकार राज्यों द्वारा महिलाओं और पुरुषों के बीच वास्तविक समानता में तेजी लाने के लिए अंगीकृत अस्थायी विशिष्ट उपायों को इस

अभिसमय में परिभाषित अर्थ में विभेद नहीं माना जाएगा, लेकिन ऐसे उपायों का अर्थ किसी भी हालत में यह नहीं होना चाहिए कि असमान और अलग मापदण्ड हमेशा जारी रहें । जब अवसरों और बरताव की समानता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी तब इन उपायों को समाप्त कर दिया जाएगा ।

2. इस अभिसमय के पक्षकार राज्यों द्वारा मातृत्व को संरक्षण देने के लिए उठाए गए कदमों को, जिनमें वर्तमान अभिसमय में उल्लिखित कदम भी शामिल है, विभेदपूर्ण नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद–5 –

(क) महिला या पुरुष में से किसी की हीनता या श्रेष्ठता या पुरुषों और महिलाओं की रूढ़िवादी भूमिकाओं पर आधारित पूर्वग्रहों तथा पारम्परिक और अन्य सभी रिवाजों की समाप्ति के लिए पुरुषों तथा महिलाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक आचार पद्धतियों को संशोधित करने के लिए।

(ख) पारिवारिक शिक्षण में एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में मातृत्व की सही समक्ष तथा अपने बच्चों के लालन–पालन एवं विकास में पुरुषों तथा महिलाओं के संयुक्त दायित्व की स्वीकृति सुनिश्चित करने लिए, यह मानते हुए कि ऐसे सभी मामलों में बच्चें के हितों का ध्यान रखना सर्वोपरि है, इस अभिसमय के पक्षकार राज्य सभी उपाय करेंगे।

अनुच्छेद–6 –

इस अभिसमय के पक्षकार राज्य देश के राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं विभेद को मिटाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे, और विशेष रूप से पुरुशों के साथ समानता के स्तर पर महिलाओं के निम्नलिखित अधिकार सुनिश्चित करेंगे ।

(क) सभी चुनावों और जनमत–संग्रहों में मतदान करने और सार्वजनिक रूप से निर्वाचित सभी संस्थाओं में चुने जाने की पात्रता का अधिकार।

(ख) सरकारी नीति के निर्धारण और कार्यन्वयन में भाग लेने और सरकारी पद ग्रहण करने तथा सरकार में सभी स्तरों के दायित्वों का निर्वाह करने का अधिकार।

(ग) देश में सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित गैर–सरकारी संगठनों और संघों में भाग लेने का अधिकार ।

अनुच्छेद–7–

इस अभिसमय के पक्षकार राज्य सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे कि पुरुषों के साथ समानता के स्तर पर और बिना किसी विभेद के महिलाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करने और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो।

अनुच्छेद–8–

इस अभिसमय के पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे कि पुरुषों के साथ समानता के स्तर पर और बिना किसी विभेद के महिलाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करने और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो।

अनुच्छेद–9 –

इस अभिसमय के पक्षकार राज्य महिलाओं को, पुरूषों से समानता के स्तर पर, अपनी राष्ट्रीयता प्राप्त करने, बदलने या कायम रखने का अधिकार देंगे। वे खास तौर से यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी महिला के विदेशी से विवाह करने या उसके पति के वैवाहिक जीवन के दौरान अपनी राष्ट्रीयता बदलने से स्वतः ही ऐसा नहीं हो जाएगा कि उस महिला की राष्ट्रीयता बदल जाए या वह राज्य विहीन हो जाए अथवा उस पर उसके पति की राष्ट्रीयता थोप दी जाए।

अनुच्छेद–10–

पक्षकार राज्य महिलाओं के विरुद्ध विभेद को मिटाने के निमित सभी उपयुक्त उपाय करेंगे, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए पुरुषों की बराबरी के अधिकार और खास तौर से, पुरूषों तथा महिलाओं की समानता के आधार पर, निम्नलिखित स्थितियाँ सुनिश्चित हो सकें –

(क) षहरी और ग्रामणी क्षेत्रों में जीवन–वृत्ति और व्यवसायिक मार्ग–दर्शन के लिए, अध्ययन की सुलभता के लिए और सभी श्रेणियों की शैक्षिक स्थापनाओं में प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के लिए समापन स्थितियाँ, यह समानता प्राथमिक विद्यालय, सामान्य, तकनीकी, व्यावसायिक और उच्चतर शिक्षा के मामलों में और साथ ही सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सुनिश्चित की जाएगी।

(ख) समान पाठ्यचर्चा समान परीक्षा, समान स्तर की योग्यताओं वाले शिक्षक–समूह और समान स्तर के स्कूली परिसरों और उपकरणों की सुलभता।

(ग) सह–शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री–पुरुष

समानता के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक अन्य प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन देकर और विशेष रूप में पाठ्य पुस्तकों और स्कूली कार्यक्रमों में संशोधन और शिक्षा के तरीकों में अनुकूलन करके सभी स्तरों और सभी रूपों की शिक्षा में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं की हर रूढ़िवादी अवधारण की समाप्ति।

(घ) छात्रवृत्तियों तथा अन्य अध्ययन अनुदानों से लाभ उठाने के समान अवसर।

(ङ) सतत शिक्षा के कार्यक्रमों की सुलभता के समान अवसर, जिनमें वयस्कों की कार्यात्मक साक्षरता के कार्यक्रम और खास तौर से वे कार्यक्रम शमिल होंगे जिनका लक्ष्य यथासम्भव कम से कम समय में स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा के बीच की हर प्रकार की असमानता को दूर करना है।

(च) छात्राओं द्वारा बीच में ही शिक्षा अधूरी छोड़ देने की दर को कम करना और जिन लड़कियों और महिलाओं ने समय से पूर्व ही शिक्षा लेना छोड़ दिया है, उनके लिए कार्यक्रमों का संयोजन।

(छ) खेलकूद और शीरिक प्रशिक्षण में भाग लेने के समान अवसर।

(ज) परिवारों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने में सहायक विशिष्ट शैक्षिक जानकारी की सुलभता, जिसमें परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी और परामर्श भी शामिल होगा।

अनुच्छेद–11 –

1. इस अभिसमय के पक्षकार राज्य रोजगार के क्षत्र में महिलाओं के विरुद्ध विभेद को मिटाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगें, ताकि महिलाओं और पुरुश की समानता के आधार पर विशेष रूप से निम्नलिखित समान अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें–

(क) सभी मनुष्यों के अनपहार्य अधिकार के रूप में काम करने का अधिकार।

(ख) रोजगार के समान अवसरों का अधिकार, जिसमें रोजगार के लिए चयन के मामलों में समान मापदण्ड लागू किया जाना शामिल होगा।

(ग) पेशे और नौकरी के स्वतंत्र चुनाव का अधिकार, तरक्की, नौकरी की सुरक्षा और सेवा के सभी लाभों तथा शर्तो का अधिकार और व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार, भी शामिल है ।

(घ) समान मूल्यों के कार्य के लिए अन्य लोगों के साथ समान पारिश्रमिक और समान व्यवहार का अधिकार एवं कार्य की गुणवत्ता के मूल्यांकन में समान व्यवहार का अधिकार।

(ङ) सामाजिक सुरक्षा का खतरा खासतौर से सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्वता और वृद्धावस्था तथा काम करने की अक्षमता की अन्य अवस्थाओं में ऐसी सुरक्षा का अधिकार, और साथ ही सवेतन अवकाश का अधिकार।

(च) कार्य–परिस्थितियों में स्वास्थ्य के संरक्षण और सुरक्षा का अधिकार, जिसमें प्रयोत्पति की क्षमता की सुरक्षा का भी समावेश है।

2. विवाह का मातृत्व के आधार पर महिलाओं के विरुद्ध विभेद को रोकने के लिए तथा उनके काम करने के कारगर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए इस अभिसमय के पक्षकार राज्य निम्नलिखित के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे–

(क) कहाँ दण्ड के तौर पर बर्खास्तगी आवश्यक हो उस स्थिति को छोड़कर, गर्भावस्था या प्रसूति अवकाश के आधार पर बर्खास्तगी के निषेध और वैवाहिक स्थिति के आधार पर बर्खास्तगियों में विभेद के निषेध के लिए।

(ख) नौकरी छूटने या वरीयता अथवा सामाजिक भत्ते खोने के किसी खतरे के बिना वेतन के साथ तुल्य सामाजिक लाभों के साथ प्रसूति अवकाश की व्यवस्था आरम्भ करने के लिए।

(ग) माता–पिता अपने कार्य के दायित्वों के साथ ही परिवार के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें और सार्वजनिक जीवन में भाग ले सकें, इस दृष्टि से आवश्यक अवलम्बनदायी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था को खास तौर से बाल–सुश्रुषा सेवाओं के तंत्र की स्थापना और विकास को बढ़ावा देकर ऐसी सेवाओं की व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए।

3. वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय ज्ञान को ध्यान मे रखकर इस अनुच्छेद में समाविष्ट मामलों से सम्बन्धित संरक्षणत्मक कानूनों समय समय की जाएगी और आवश्यकातनुसार उन्हें संशोधित या निरस्त कर दिया जाएगा अथवा उनकी अवधि बढ़ा दी जाएगी।

अनुच्छेद–12 –

1. इस अभिसमय के पक्षकार राज्य स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध विभेद को मिटाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे ताकि पुरुषों और

महिलाओं के बीच, समानता के आधार पर, स्वास्थ्य संरक्षण सेवाओं की, जिनमें परिवार नियोजन में सम्बन्धित सेवाएं भी समाविष्ट हैं, सुलभता सुनिश्चित हो सकें।

2. इस अनुच्छेद के प्रथम पैराग्राफ में चाहे जो भी व्यवस्थाएं की गई हों, अभिसमय के पक्षकार राज्य महिलाओं के लिए गर्भावस्था, प्रसूति और प्रसूत्योत्तर अवधि के सम्बन्ध में उपयुक्त सेवाएं सुनिश्चित करेंगे और जहाँ जरूरी होगा वहाँ निःशुल्क सेवाएं सुलभ कराएंगे तथा गर्भावस्था और स्तन्यकाल में उनके लिए पर्याप्त पोषण की व्यवस्था करेंगे।

अनुच्छेद—14—

1. इस अभिसमय के पक्षकार राज्य ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं का और अपने परिवारों के आर्थिक जीवन की गाड़ी चलाते रहने में ग्रामीण महिलाएं जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं जिनमें अर्थव्यवस्था के अमुद्रीकृत क्षेत्र में उपने द्वारा किया जाने वाला कार्य भी शामिल है, निभाती हैं इनका ख्याल रखेंगे, और ग्रामीण महिलाओं पर वर्तमान अभिसमय की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे ।

2. ग्रामीण महिलाएं, पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर, ग्रामीण विकास में भाग लें और उनसे लाभ उठाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए इस अभिसमय के पक्षकार राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध विभेद को मिटाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे और खासतौर से ऐसी स्त्रियों के लिए निम्नलिखित अधिकार सुनिश्चित करेंगे—

(क) विकास योजनाओं के पल्लवन और कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर भाग लेने का अधिकार।

(ख) पर्याप्त स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं की, जिनमें परिवार नियोजन के क्षेत्र में आसूचना, परामर्श और सेवाओं का भी समावेश है, सुलभता का अधिकार।

(ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से लाभ उठाने का अधिकार।

(घ) सभी प्रकार का औपचारिक और अनौपचरिक प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, जिसमें कार्यात्मक साक्षारताा से सम्बन्धित प्रशिक्षण और शिक्षा तथा साथ ही उनकी तकनीकी कुशलता बढाने के लिए सामुदायिक और विस्तार सेवाओं के लाभों का भी समावेश है।

(ङ) रोजगार या स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक अवसरों की समान सुलभता प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायक समूहों और सहकारी समितियों का संगठन करने का अधिकार।

(च) सभी सामुदायिक कार्यकलाप में भाग लेने का अधिकार।

(छ) कृषि उधार और ऋणों, विपणन सुविधाओं, उपयुक्त प्रौद्योगिक और भूमि तथा कृषि—संबंधी सुधारों एवं भूमि पुर्नबन्दोबस्त योजनाओं के लाभों की सुलभता का अधिकार।

(ज) रहन—सहन की पर्याप्त सुविधाओं, खात तौर से आवास, सफाई, बिजली और पानी की आपूर्ति, परिवहन और संचार की सुविधाओं का उपभोग करने का अधिकारं

अनुच्छेद—15—

इस अभिसमय के पक्षकार राज्य कानूनी के समक्ष महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समानता प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद—16—

इस अभिसमय के पक्षकार राज्य विवाह और पारिवारिक रिश्तों से सम्बन्धित सभी मामलों में महिलाओं के विरुद्ध विभेद मिटाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे और खास तौर से, पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर, निम्नलिखित समान अधिकार सुनिश्चित करेंगे—

(क) विवाह करने के बारे सामान अधिकार।

(ख) स्वतंत्र रूप से अपना जीवन—साथी चुनने और दोनों की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से विवाह—सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में समान अधिकार।

(ग) विवाह के दौरान और विवाह भंग होने पर समान अधिकार और दायित्व।

(घ) यहाँ उल्लिखित सभी मामलों में बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बच्चों से सम्बन्धित मामलों में माता—पिता के रूप में, चाहे उनके विवाह की वर्तमान स्थिति कुछ भी हो, समान अधिकार और दायित्व।

(ङ) कितने बच्चे कितने अन्तराल से हों, यह बात स्वतंत्रतापूर्वक और उत्तरदायी ढंग से तय करने के बारे में तथा इन अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने में सहायक जानकारी, शिक्षा और उपायों की सुलभता के सम्बन्ध में समान अधिकार।

(च) यहाँ उल्लिखित सभी मामलों में बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बच्चों के अभिभावकत्व,

आश्रितत्व (वार्डशिप), न्यासत्व (ट्रस्टीशिप) और गोद के सम्बन्ध में या जहाँ राष्ट्रीय कानून में इन अवधारणाओं का अस्तित्व है वहाँ इसी तरह की अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में समान अधिकार और दायित्व।

(छ) पति और पत्नी के रूप में समान व्यक्तिगत अधिकार, जिनमें पारिवारिक नाम, पेशा और धन्धा चुनने का अधिकार भी शामिल होगा।

21वीं शताब्दी मानवाधिकारों के क्षेत्र में सोच–विचार को नवीन आयाम प्रदान करने के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती है । यद्यपि यह एक कटु सत्य है कि आज भी विश्व के अनेक देशों के नागरिकों को पूर्ण मानव अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं। महिला जनसंख्या के अधिकांश भाग के लिए भारत में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकार आज भी मिथक हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित दी ह्यूमन डेवलपमेन्ट रिपोर्ट में भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे में आशावादी भविष्यवाणियाँ की गई है और इस स्थिति में सुधार बताया है, इसके अलावा दी यू. एन. फण्ड फॉर डेवलमेन्ट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं की स्थिति में शिक्षा, नियोजन प्रति महिला आय दर के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है। मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए भारत की संसद ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया।

महिलाओं को अपनी स्वयं मनोकृतियों में भी परिवर्तन अपेक्षित है यह परिवर्तन शिक्षा एवं आर्थिक स्वायत्तता, चेतना एवं संगठनात्मक प्रयासों द्वारा सम्भव है। अतः विश्व समाज में महिला चेतना व उसके अधिकारों के प्रति जो उत्साह जागा है उसका लाभ सारी विषमताओं व असमानताओं के रहते हुए भी भरतीय महिलाओं को कृमिक रूप में धीरे–धीरे मिल सकता है । महिलाओं को जो अधिकार मिले इसी से समाज व उनकी उन्नति है ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. विनोद नारायण दास बैरागी – मानवाधिकार सिद्वान्त एवं व्यवहार, पराग प्रकाशन सी–311 विश्वबैंक बर्रा, कानपुर।
2. प्रो. मधु सूदन त्रिपाठी – भारत में मानवाधिकार, ओमेगा पब्लिकेशन 4398/5 अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली।
3. प्रदीप त्रिपाठी – मानवाधिकार और भारतीय संविधान संरक्षण एवं विश्लेषण, राधा पब्लिकेशन्स 4378/4बी अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली।
4. डॉ. शैला चव्हाण कदम – 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण, पराग प्रकाशन सी–311 विश्वबैंक बर्रा, कानपुर।
5. सतीश चतुर्वेदी – मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर।
6. राजबाला सिंह – मानवाधिकार और महिलाएं, आविष्कार पब्लिकेशन्स जयपुर।
7. दिलीप जाखड – मानवाधिकार, चुनिव सिटी बुक हाउस प्रा. लि., जयपुर।
8. प्रकाश नारायण नाटाणी – मानवाधिकार और कर्तव्य, अविष्कार पब्लिकेशन्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर ।
9. सुनील महावार – राज्य एवं महिला मानवाधिकार, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
10. एम. के. सिहं एवं आशुतोष कुमार – संयुक्त राष्ट्र संघ, कल्पना पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली ।

ISSN : 2394-4366

Received:29 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

– डॉ. श्रद्धा शर्मा
असिस्टेन्ट प्रोफेसर –
समाजशास्त्र विभाग,
जे. बी. एस. महाविद्यालय,
टिकैतनगर, बाराबंकी–225001
(उत्तर प्रदेश)

ई–मेलः
drsharmashraddha83@gmail.com

– श्रीमती सीमा अग्रवाल
एसोसिएट प्रोफेसर –
समाजशास्त्र विभाग,
साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय,
बरेली–234001 (उत्तर प्रदेश)

ई–मेलः
seemaagar@gmail.com

सारांश

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना है कि आत्मनिर्भर गांवों के द्वारा ही वास्तविक लोकतन्त्र की प्राप्ति सम्भव है। इसके अनुसार- 'स्वतन्त्रता स्थानीय स्तर से प्रारम्भ होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गाँव एक गणराज्य अथवा पंचायत राज होगा। प्रत्यके के पास पूर्ण सत्ता एवं शक्ति होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गाँव को आत्म-निर्भर होना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करना होगा ताकि वे सम्पूर्ण प्रबन्ध स्वयं चला सकें।' इसी प्रकार पंचायती राज के महत्व के सन्दर्भ में पं. नेहरू ने भी कहबा था कि 'पंचायत सरकारी इमारत की नींव है। यदि यह मजबूत नहीं होगी तो उस पर खड़ी इमारत कमजोर होगी।'

वर्तमान बदलते परिवेश में महिलायें किसी से भी पीछे नहीं रहीं। आज महिलायें घर की चाहरदीवारी के अन्दर चौका, बर्तन, झाडू-पोछा और बच्चों के लालन पालन तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि उन्होंने राजनीति, व्यवसाय, शिक्षा तथा सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनायी है। पंचायती राज के माध्यम से महिला राजनीति का ग्रामीण स्तर तक राजनीतिकरण हो चुका है। शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से अति पिछड़े ग्रामीण परिवारों से सम्बन्धित महिलाओं में भी नेतृत्व की भावना जाग चुकी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वशीभू होकर उच्च राजनीति में प्रवेश हेतु पतित महिलायें अब आर्थिक स्वावलम्बन, धन-बल पर ही आधारित है और धनोपार्जन के लिए उद्यम करना अति आवश्यक हो जाता है।

ब्रिटिश स्थानीय शासन की व्यवस्था पूर्णतया लोकतन्त्रात्मक है। समस्त स्थानीय इकाइयाँ सीधे जनता द्वारा निर्वाचित हैं। प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली, स्थानीय निर्नाचनों में मत देने का अधिकारी है तथा यदि 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी हो सकता है। केवल अपवाद वे व्यक्ति हैं, जो कि मत देने अथवा चुनाव लड़ने के लिए किसी कारणवश अयोग्य न घोषित किये गये हों। प्रत्येक मतदाता को अपने क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त स्थानीय निकायों में मत देने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार स्टीवर्ट के अनुसार- 'स्थानीय शासन एक ऐसा साधन प्रदान करता है, जिसके द्वारा नागरिक स्थानीय मामलों पर नियन्त्रण रख सकते हैं तथा मत के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं।'

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना है कि आत्मनिर्भर गांवों के द्वारा ही वास्तविक लोकतन्त्र की प्राप्ति सम्भव है। इसके अनुसार- 'स्वतन्त्रता स्थानीय स्तर से प्रारम्भ होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गाँव एक गणराज्य अथवा पंचायत राज होगा। प्रत्यके के पास पूर्ण सत्ता एवं शक्ति होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गाँव को आत्म-निर्भर होना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण

करना होगा ताकि वे सम्पूर्ण प्रबन्ध स्वयं चला सकें।' इसी प्रकार पंचायती राज के महत्व के सन्दर्भ में पं. नेहरू ने भी कहना था कि 'पंचायत सरकारी इमारत की नींव है। यदि यह मानव मजबूत नहीं होगी तो उस पर खड़ी इमारत कमजोर होगी।' प्रस्तुत अध्ययन फर्रुखाबाद जनपद उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में किया गया है। निदर्शन चुनाव करते समय उद्देश्य पूर्ण प्रणाली के सहयोग से जनपद फर्रुखाबाद की समान्त महिला प्रधानों का अध्ययन किया गया है।

शोधकार्य में तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों के आधार पर किया गया है। अन्वेषणात्मक शोध प्रस्थान, का प्रयोग किया गया है। 17.49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने गाँव के प्रमुख व्यक्तियों की प्रेरणा से राजनीति में प्रवेश करना बताया। 39.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण राजनीति में आई। मित्र/रिश्तेदारों के आग्रह से राजनीति में आने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 37.16 प्रतिशत है केवल 6.01 प्रतिशत उत्तरदाताओं ही ऐसी है जो स्वयं की इच्छा से राजनीति में आई। 16.48 प्रतिशत कांग्रेस, 19.13 प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी, 40.44 प्रतिशत समाजवादी पार्टी, 16.94 प्रतिशत, बहुजन समाज पार्टी 12.01 प्रतिशत किसी भी दल से सम्बद्धता नहीं रखने वाली उत्तरदाता थी।

40.44 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने सम्बद्धता का कारण परिवार की दल से प्रतिबद्धता बताया। दल की नीतियों एवं कार्यक्रमों से प्रभावित होकर 10.93 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ सम्बद्ध हुई, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों की दल से सम्बद्धता को 34.42 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने उनकी दलीय सम्बद्धता का कारण बताया, 14.21 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने क्षेत्र में दल के परम्परागत प्रभुत्व को सम्बद्धता का कारण बताया।

पंचायत प्रतिनिधि बनने से पूर्व राजनीति महत्वाकांक्षा मात्र 37.16 ही महिलाओं की जब वर्तमान में 50.82 प्रतिशत महिलायें अब राजनीति के पसन्द करने लगी है। जब कि पूर्व 62.82 प्रतिशत महिलायें राजनीति पसन्द नहीं करती थी। 33.88 प्रतिशत महिलायें ने तो यहाँ तक स्वीकार किया कि आगे अगर अवसर मिता तो भी और नहीं मिला तो भी वो पंचायत को किसी न किसी पद पर चुनाव लड़ेंगी जब 66.12 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया।

पंचायतीय राज में आरक्षण के उपरान्त आई महिलाओं से जब शोधार्थी ने उच्च राजनीति में जाने की बात की तो उनसे मिले साक्षात्कार में 50.82 प्रतिशत ने हाँ, 20.77 प्रतिशत ने नहीं तथा 17.49 प्रतिशत ने पता नहीं व 10.92 प्रतिशत ने अनुत्तरित की स्थिति में रहीं, जिन्होंने इस प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं दिया।

39.44 प्रतिशत संवेदनशील, 34.97 प्रतिशत अति संवेदनशील, 25.59 प्रतिशत स्थानीय समसम्याओं के प्रति संवेदनशील प्रदर्शित हुई। इस प्रकार उक्त तथ्य काफी स्तर पर आशावादी माने जा सकते हैं। 1.63 प्रतिशत स्वजातीयता, 24.60 प्रतिशत अपने पद में वोटर वाले, 40.99 प्रतिशत पिछड़ी वर्ग की स्थिति 32.79 प्रतिशत दलितगत आधार के लेकर वरीयता सूची बनाने की बात कहते हैं। इस प्रकार पंचायती राज में महिलायें दलितों व पिथड़ों के कल्याण को विशेष रुचि रखते हैं, ये तथ्य सिर्फ ही नहीं दिखाये गये बल्कि कार्यक्षेत्र के अवलोकन से अनुभव हुआ।

प्रशासन से सहसम्बन्ध की स्थिति में 28.41 प्रतिशत के सामान्य, 42.62 प्रतिशत के अच्छे, 7.10 प्रतिशत बहुत अच्छे, 21.85 प्रतिशत अच्छे नहीं है।

पंचायती राज में सहभागिता के उपरान्त स्थानीय विधायक व सांसद व अन्य शासन के पहलुओं के सम्बन्ध का स्तर 32.79 के अच्छे 15.30 बहुत अच्छे 16.39 अच्छे नहीं 35.52 सामान्य है।

आरक्षण व्यवस्था के प्रति जो महिलायें जागरुक हैं वो या तो उच्च शिक्षित हैं या फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवारों से अभिरुचि में वृद्धि के कारण भी महिलाओं आरक्षण व्यवस्था के प्रति जागरुक हो रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में होने के कारण महिला प्रतिनिधि अशिक्षित एवं अनुभवहीन होने के कारण उनकी सजगता का स्तर भी अत्यन्त न्यूनतम है। पंचायत से सम्बन्धित महिला प्रतिनिधि वर्तमान में अपने दायित्वों एवं अधिकारों के प्रति पूर्णतः सजग नहीं हुई हैं क्योंकि ग्रामीण राजनीति में उनका यह प्रारम्भिक चरण है।

देश के अभी निरपेक्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्था में विधानसभा एवं लोक सभा की भांति पंचायत व्यवस्था में भी सभी आर्थिक, साम्प्रदायिक एवं अन्य व्यक्तियों सहभागिता है। लेकिन जनपद फर्रुखाबाद में संख्या के आधार पर बहुसंख्यक हिन्दू और अल्पसंख्यक इस्लाम के मानने वाले जनप्रतिनिधियों की भागीदारी है। प्रजातन्त्र में सभी जाति वर्ग के जनप्रतिनिधि जनपद की पंचायत व्यस्था में भागीदारी संख्या के आधार पर पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित जातियों जैसे यादव, राजपूत (किसान), कुर्मी आदि जातियों के जनप्रतिनिधियों की

अधिकता इसके बाद सामान्य वर्ग की जातियों और सर्वाधिक क्रम प्रतिशत अनुसूचित जातियों का देखा गया है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनपद की पंचायती राज व्यस्था में महिलायें सफल हैं, जो उद्यमी हैं क्योंकि धन के अभाव में राजनीति नहीं की जा सकती। जनपद की पंचायती राज व्यवस्था में घरेलू महिलाओं की ही भागीदारी सुनिश्चित है सरकारी सेवा में राजनीति के लिए स्थान नहीं अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी सेवा में कार्यरत महिलायें के लिए राजनीति में सहभागिता निभाने का समय नहीं होता इसलिए बेरोजगार के लिए राजनीति में सहभागिता निभाने का समय नहीं होता इसलिए बेरोजगार घरेलू महिलाओं ने उद्यमिता को आय का स्रोत बनाया और पंचायत व्यवस्था में पदार्पण किया।

नवीन पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सर्वाधिक कार्य पंचायतों को सौप दिये हैं। पुरानी पंचायत व्यवस्था की भांति अब पंचायतों का कार्य न्याय व्यस्था या छोट-मोटे ग्रामीण विवादों निपटारा करना नहीं रहा। वर्तमान में पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत निर्वाचित महिला प्रतिनिधि बढ़ चढ़कर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कार्यों में हिस्सा ले रही हैं। जन प्रतिनिधि के रूप में पंचायती राज में सहभागिता से पूर्व ग्रामीण महिलाओं में राजनीति के प्रति कोई अभिरुचि नहीं थी। लेकिन राजनीति में पदार्पण के उपरान्त राजनीतिक अभिरुचि में लगातार वृद्धि हो रही है। उद्यमिता के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति अत्यन्त सोचनीय है। आम ग्रामीण महिलाओं की भांति महिला प्रतिनिधि भी कार्यों में समय तथा श्रम व्यय करती हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से सर्वदा गैर आर्थिक उद्यम है।

पंचायत व्यवस्था में जनपद की महिला प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि गैर राजनीतिक तथा राजनीतिक दोनों प्रकार की है। अधिकांश महिला प्रतिनिधि राजनीतिक दलों से सम्बद्ध नहीं है। लेकिन उनके परिवार के पुरुष किसी न किसी दल से अवश्य सम्बन्ध रखते है। अधिकांश महिला जन प्रतिनिधि स्थानीय समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं हैं और न ही उनमें स्वतः निर्णय लेने की क्षमता है लेकिन विकास कार्यों में वे अग्रणी भूमिका निभा रही है। सरकार द्वारा संचार ने पिछड़े व दलित वर्गों के उत्थान हेतु योजनाओं में महिला प्रतिनिधि बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऋण, अनुदान, पेंशन आदि अनेक कार्य योजनाओं में महिला प्रतिनिधि हिस्सा ले रही हैं।

सुझाव -

(1) आदर्श पंचायतों के ऊपर फिल्में बनाकर टेलीविजन के चैनलों पर प्रदर्शित की जाये।

(2) सभी ग्राम पंचायतों को अधिकार देने के बजाय ग्राम पंचायतों को पहले अधिकार दिये जायें जिनमें प्रतिनिधि शिक्षित तथा योग्य है।

(3) ग्राम पंचायतों को धन आवंटित करने के बाद समाचार पत्र में निकलवाने की व्यवस्था की जाये जिससे गांव के लिए कितना पैसा आया है, यह स्पष्ट हो सके।

(4) आत्म निर्भरता तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त महिलाओं को वरीयता दी जाये।

(5) राजनैतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति पुरुष समाज की रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी।

(6) समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन करना आवश्यक है। ऐसे समाज का निर्माण करना होगा, जहाँ मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं, स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें।

(7) अधिकतर महिला प्रतिनिधि अनपढ़ हैं, जिससे उनको पंचायत के लेखापात्र, नियम पढ़ने में या लिखने में दिक्कत आती है। अतः महिला पंचायत प्रतिनिधियों को शिक्षा देनी जरूरी है। प्रौढ़ शिक्षा का लाभ उठाकर एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाने का संकल्प करें तो निरक्षरता का कलंक शीघ्र ही दूर हो सकता है और इसे पंचायत सक्षम बनेंगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1- आप्टे, प्रभा, भारतीय समाज में क्लासिक पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 1996।

2- बीजू, एम. आर., डायनामिक्स ऑफ न्यू पंचायत राज सिस्टम, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1997।

3- भदौरिया, बी. पी. एस. एवं दुबे बी. के पंचायत राज एण्ड रूरल डैवलपमेंट, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1989।

4- जोशी, आर. पी. कास्ट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायत राज, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर - 1997।

5- मेवाराम (आई. ए. एस.) - 'न्याय पंचायत निर्देशिका' पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, अक्टूबर - 1974।

6- मुखर्जी रवीन्द्र नाथ - 'सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी' विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली - 1990।

7- कुरुक्षेत्र - ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

8- पंचायतीराज : अपना राज - आओ जाने इसके काज, नेहरू विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

ISSN : 2394-4366

Received:30 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

खाद्य संरक्षण के सिद्धान्त : एक विस्तृत अध्ययन

– डॉ. अनुपमा सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर –
भूगोल विभाग,
डी. ए. वी. कालेज, कानपुर – 208001 (उत्तर प्रदेश)

ई–मेलः
anupamasingh5522@gmail.com

सारांश

खाद्य पदार्थों को बैक्टीरिया से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अधिकतम तापक्रम तक गर्म किया जाय जिससे बैक्टीरिया जीवित ही न रह सके। 176° फा. पर 30 मिनट तक गर्म करने पर अधिकतर बैक्टीरिया मर जाते हैं। खटास की उपस्थिति में बैक्टीरिया को पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता, इसलिए सभी फलों को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए उन्हें केवल 212° फा. पर गर्म किया जाता है। दूसरी ओर सब्जियों को जिनमें खटास नहीं होती, 240° फा. पर गर्म करके बैक्टीरिया से मुक्त किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया विशेष प्रकार के होते हैं तथा उनमें तेज तापमान सहने की शक्ति होती है जिससे 176° फा. परगर्म करने पर भी जीवित रहे हैं और अपना आकार बदल लेते हैं। जब स्पोर्स को उपयुक्त वातावरण मिलता है तो वह अपने निजी रूप में आकर खाद्य पदार्थों पर आक्रमण करते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थो को 'स्पोर्स' से बचाने के लिए उन्हें 230° फा. पर 30 मिनट तक गर्म करना आवश्यक है जिससे कि वे पूर्णरूपेण नष्ट हो सके।

प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों के खराब होने से बचाने के लिए खाद्य पदार्थो को धोयें या धूप में सुखाकर, नमक में लपेट कर रखा जाता था, परन्तु धीरे–धीरे बुद्धि का विकास हुआ और नयी–नयी विधियों का अविष्कार होने लगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के मुख्यतः दो सिद्धान्त प्रचलित हैंः–

1. अल्पकालीन (Temporary Preservation)
2. स्थायी (Permanent Preservation)

अल्पकालीन विधियों से संरक्षित पदार्थ कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक ही सुरक्षित रहते हैं। इसके विपरीत स्थायी विधि से संरक्षित खाद्य पदार्थ साधरणतया 2–3 वर्ष अथवा इससे अधिक समय तक खाने योग्य बने रहते हैं। खाद्य पदार्थो को संरक्षित करने की विधियाँ निम्न हैं–

(अ) अल्पकालीन (अस्थायी) संरक्षण

1. कम ताप पर संरक्षित करना (Storage at low temperature)- यह देखा गया है कि गर्मियों की अपेक्षा जाड़े की ऋतु में खाद्य पदार्थ अधिक समय तक ठीक दशा में बने रहते है। लोगों ने इस अनुभव से लाभ उठाया और खाद्य सामग्री को पहले केवल बर्फ में परन्तु बाद में नमक और वर्फ के मिश्रण के तापकक्रम को और अधिक कम करने में प्रयोग किया। अब आजकल बर्फ के स्थान पर बिजली के यंत्र द्वारा कम तापक्रम करके ठंडक उत्पन्न करने की विधि अपनायी जा रही है। इसी तापक्रम सिद्धान्त पर रेफ्रीजरेटर का प्रयोग किया जाता है। साधारण रूप में 40° से 45° से. पर खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। कम तापक्रम पर जीवाणु मरते नहीं हैं पर वह

खाद्य संरक्षण के सिद्धान्त

अल्पकालीन	स्थायी
1. कम तापक्रम पर संरक्षित करना (Storage at low Temperature)	1. शक्कर द्वारा संरक्षण करना (Prservation by sugar)
2. हल्के जीवाणु नाशक पदार्थ द्वारा (Mild antiseptics)	2. नमक द्वारा संरक्षण (Preservation By Salt)
3. पास्तुरीकरण (Pasteurization)	3. सुखाकर (Dehydration)
4. नमी से दूर रखना (Protection from moisture)	4. रासायनिक पदार्थों द्वारा (Preservation by Chemicals)
5. हिमांक पर सुरक्षित रखना (By Freezing)	5. अम्ल द्वारा (Preservation by acids)
6. वायु के सम्पर्क से दूर रखना (Exclusion from air)	6. निर्जलीकरण (Sterlization)
7. किण्वन द्वारा संरक्षण (Preservation by Fermentation)	

क्रियाशील नहीं रहते। इसीलिए कम तापक्रम पर रखे खाद्य पदार्थों को अगर फिर गर्मी में रखा जाय तो वह खराब हो जाता है। इस विधि द्वारा फल व सब्जियों को 6 से 8 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जाता है इसके अलावा आजकल बिजली के बने यंत्रों का प्रयोग किया जाता हैं। जो कि खाद्य पदार्थो को कम ताप पर अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते है। इस कार्य के लिए जमी कार्बन–डाई आक्साइड (Dry Carban Dyoxide or Dry ice) का प्रयोग विशेष लाभकारी सिद्ध हुआ हैं। इसमें खाद्य पदार्थों को ठण्डा रखने की शक्ति बर्फ से अधिक होती है। गोश्त, मछली, मक्खन को इसमें लपेट कर एक देश से दूसरे देश में आसानी से पहुँचाया जा जाता है।

2. हल्के जीवाणुनाशक पदार्थ द्वारा (Mild antiseptics)- कुछ घरेलू कार्य में प्रयोग में आने वाले पदार्थों में भी खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने की शक्ति होती है। जैसे शक्कर, नमक, सिरका, कुछ मसाले जैसे लौंग को आमतौर पर खाने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। जो पौष्टिक तथा उपयोगी माने जाते है भी सरंक्षण क्षमता से युक्त होते हैं। इस कारण वह जीवाणुओं की बाढ़ को रोकते हैं। शक्कर तथा नमक के हल्के घोल में फलों और सब्जियों को शक्कर और नमक के हल्के घोल में रखा जाताा है। कुछ मसाले भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं विशेषकर लौंग और दालचीनी। दालचीनी और लौंग में 'यूजिनाल' तथा 'सिनेमिक एल्डिहाइड' तत्व उपस्थित होते हैं जो जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। इसी प्रकार सरसों, राई आदि में उपस्थित रासायनिक पदार्थ भी इनको संरक्षण शक्ति प्रदान करते है।

3. पास्तुरीकरण (Pasteurization)- विश्वविद्यालय फ्रांस के वैज्ञानिक ल्यूइस पाश्चर (Louis Pasteur) ने खाद्य सरंक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने अपने अनुसंधान द्वारा यह सिद्ध किया कि खाद्य पदार्थों के खराब होने की गति गर्मी द्वारा जीवाणुओं को मारकर कम की जा सकती है। इसके लिए खाद्य पदार्थो को पानी के उबलने के तापक्रम से कम अर्थात 90° से. पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। जिससे उनमें उपस्थित जीवाणु या तो मर जाते हैं और जो बच जाते हैं तो वह प्रायः निष्क्रिय हो जाते हैं। इस उपचार को पास्तुरीकरण कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग केवल तरल पदार्थों जैसे दूध फलों का रस, सिरका आदि को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इस विधि में खाद्य पदार्थ के स्वाद, रंग और गंध में अन्तर नहीं आता है।

4. नमी से दूर रखना (Protection from Moisture) - नमी जीवाणुओं को जन्म देती है इसीलिए यदि खाद्य पदार्थो को सूखे स्थान में भण्डारण करके उनको अधिक दिनों तक प्रयोग के लिए रखा जा सकता है। बहुधा यह अनुभव किया गया है कि बरसात के दिनों में अथवा

अन्य समय में भी खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ देने पर वह फफूँदी से ढक जाते हैं। यह पदार्थ वातावरण से नमी प्राप्त कर लेते हैं। अनेक वैज्ञानिकों के प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि किसी पदार्थ के फफूँदी की बाढ़ के लिए न्यूनतम आपेक्षिक आद्रता 72 प्रतिशत पाई गई। इसीलिए खाद्य पदार्थो को सूखे स्थान में भण्डारण करके उनको अधिक दिनों तक प्रयोग के लिए रखा जा सकता है।

5. हिमांक पर संरक्षित रखना (By freezing)- खाद्य पदार्थों को बर्फ में जमाकर संरक्षित करने की विधि का प्रयोग अब अधिक हो रहा है। इस विधि से खाद्य पदार्थ अधिक ताजे बने रहते हैं। इसमें खाद्य पदार्थो को बर्फ के समान जमा दिया जाता है। जिससे जीवाणु मर जाते है। इस विधि में यह ज्ञान होना आवश्यक है कि फल तथा सब्जियों को तोड़ने व काटने वाले व्यक्ति को सफाई का पर्याप्त ज्ञान हो और वह स्वयं भी साफ व अरोग्य हो और फलों में नमी की मात्रा कम हो। तभी यह विधि सफल होगी।

6. वायु के सम्पर्क से बचाव (Exclusion of air)- पानी की तरह हवा भी विभिन्न जीवाणुओं को जन्म देती है। वायु के सम्पर्क से अलग रखने से कुछ पदार्थ खराब नहीं होते जैसे–शराब, किण्वित सब्जियाँ (आचार) तेल,घी, मक्खन आदि है। इसलिए सूखी सब्जियाँ तथा सूखा आटा ताजी सब्जियाँ गीले आटे की अपेक्षा अधिक समय तक ठीक रहते हैं।

(ब) स्थायी या दीर्घकालीन संरक्षण

1. शक्कर द्वारा संरक्षण (Preservation by sugar)- शक्कर द्वारा खाद्य पदार्थों को दीर्घकालीन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जिन खाद्य पदार्थों को 66 प्रतिशत या इससे अधिक सान्द्र शक्कर के घोल में रखा जाता है। वह खाद्य पदार्थ नष्ट नहीं होते। गाढ़े घोलों में आस्मॉटिक प्रेशर इतना अधिक हो जाता है कि जीवाणुओं को उनकी बाढ़ के लिए आवश्यक नमी उपलब्ध नहीं हो पाती। अधिक शक्कर से संरक्षित खाद्य पदार्थों को यदि ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहाँ नमी 82 प्रतिशत से अधिक होती है। तो शक्कर इस नमी को सोख लेती है। इस कारण इन पदार्थों की ऊपरी सतहों पर शक्कर का गाढ़ापन इतना कम हो जाता है। कि उसमें फफूँदी और खमीर की बाढ़ होने के कारण खराबी उत्पन्न हो जाती है।

2. नमक द्वारा संरक्षण (Preservation by salt)- खाद्य पदार्थो को नमक द्वारा संरक्षित रखने की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित है। 12–15 प्रतिशत नमक खाद्य पदार्थों में जीवाणुओं को निष्क्रिय बनाने के लिए पर्याप्त होता है। नमक द्वारा संरक्षण निम्नलिखित कारणों से होता है।

(क) नमक का घोल उन एन्जाइम का निष्क्रिय करता है जो प्रोटीन का वितरण करते हैं।

(ख) यह कार्बन डाईआक्साइड के विपरीत सचेतना उत्पन्न करता है।

(ग) आक्सीजन का प्रभाव

3. सुखाकर (Dehydration)- सुखाकर खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित रही है। प्राचीन काल में माँस, सब्जियों तथा फलों को सुखाकर कई दिनों तक सुरक्षित रखा जाता था। सुखाने की विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पदार्थों में पानी की मात्रा इतनी कम कर दी जाये कि उनमें घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा इतना अधिक बढ़ जाये कि जिसके कारण आस्मॉटिक प्रेशर, (Osmotic Pressure) इतना अधिक बढ़ जाये कि उसमें जीवाणुओं की बाढ़ न हो सके। सूखने से जीवाणु पानी के अभाव के कारण जीवित नहीं रह पाते इसके साथ–साथ सुखाने से खाद्य पदार्थों में एन्जाइम की क्रियाशीलता भी रुक जाती है जिससे खाद्य पदार्थ ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहते हैं।

खाद्य पदार्थों में खराबी का मुख्य कारण नमी है और नमी में जीवाणु बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। जिन खाद्य पदार्थो को सुखाया जाता है तो उसमें उपस्थित नमी प्राप्त हो जाती है और जीवाणु जीवित नहीं रहते इसी कारण खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं।

प्राचीन काल से खाद्य पदार्थों को सुखाने के लिए अधिकांशतः सूर्य की धूप को ही प्रयोग में लाया जाता था। परन्तु आजकल भाप एवं विद्युत का प्रयोग करने के लिए आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है तथा सान्द्रता पर नियंत्रण के लिए केबिनेट तथा इन्सुलेटेड कमरें का प्रयोग होने लगा है। इन संयत्रों को डीहाइडटेस की संज्ञा दी गयी है। रंग,सुगन्ध, स्वाद और पौष्टिकता में परिवर्तन को रोकने के लिए आजकल खाद्य पदार्थों को वैक्यूम में सुखाया जाने लगा है।

4. रासायनिक पदार्थों द्वारा संरक्षण (Presevation by Chemicals)- रासायनिक पदार्थों द्वारा खाद्य संरक्षण को 'प्रीजर्वेटिव' की संज्ञा दी गयी है। प्रीजर्वेटिव का अर्थ वह पदार्थ जो फर्मेटेशन,

एसिटीफीकेशन (खटास उत्पन्न करने की प्रक्रिया) अथवा खाद्य पदार्थों अन्य प्रकार के विदारण अथवा सड़ाव में अवरोध उत्पन्न करें। जिसमें इन प्रक्रियाओं की गति अथवा वेग को मध्यम करने अथवा बिल्कुल रोक देने की क्षमता पायी जाती है। कुछ रासायनिक पदार्थ बहुत प्रभावशाली होते हळैं इसलिए इनके प्रयोग से जीवाणुओं की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। कुछ समय पहले कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे, सुहागा (Borax) बेरिक एसिड, फार्मेल्डिहाइड, सैलीसिलिक एसिड आदि का प्रयोग किया जाता था परन्तु स्वास्थ्य पर इनके कुप्रभाव को देखकर अब इनका प्रयोग वर्जित है। स्वास्थ्य संबंधी कानून (Prevention of food adulteration Act) के अनुसार अब केवल बेन्जोइक एसिड तथा सल्फर डाईआक्साइड तथा इनके लवण एफ0पी0ओ0 के अनुसार प्रयोग में लाये जा सकते हैं। इसके लिए सामान्यतः खाद्य पदार्थो को संरक्षित करने के लिए जितनी मात्रा में प्रीजर्वेटिव को प्रयोग करने की अनुमति है वह मात्रा भी नियमित है और एक खाद्य पदार्थ में एक साथ दो प्रोर्वेटिव को प्रयोग किया जा सकता है।

5. अम्ल द्वारा संरक्षण (Preservation by Acid)- सिरके में उपस्थित एसिटिक एसिड जीवाणुओं को बढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं करता। अतः जिन खाद्य पदार्थों को सिरके में संरक्षित रखा जाता है वह खराब नहीं होते। एसिटिक अम्ल जीवाणुओं के लिए विष का काम करते हैं। अचार व चटनी आदि खाद्य पदार्थ इस विधि द्वारा संरक्षित रखे जाते हैं।

6. निर्जलीकरण या प्रोसेसिंग द्वारा संरक्षण (Preservation by Sterlization of Processing)- निर्जलीकरण अथवा प्रोसेसिंग का उद्देश्य खाद्य पदार्थों को गर्म करके उपस्थित जीवाणुओं को मारना होता है। इस विधि से खाद्य पदार्थों को ऐसे डिब्बे अथवा बोतलों में बन्द किया जाता है। जिसमें हवा न जा सके फिर उन्हें एक निश्चित तापक्रम पर कुछ समय तक गर्म किया जाता है जिससे उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। विभिन्न फलों व सब्जियों में Sterlize करने का तापक्रम व समय अलग–अलग होता है।

7. किण्वन द्वारा संरक्षण (Preservation by Fermentation) - यह एक बहुत प्राचीन उपाय है और कई पदार्थो का संरक्षण केवल इसी विधि द्वारा हो सकता है। किण्वन द्वारा खाद्य पदार्थों में आर्गेनिक एसिड्स या कार्बनिक अम्ल उत्पन्न हो जाते हैं जो कि संरक्षण का कार्य करते हैं। एल्कोहल (शराब) तथा लैक्टिक एसिड संरक्षण फर्मेन्टेशन द्वारा ही होता है।

खाद्य पदार्थों के संरक्षण का उद्देश्य –

फल और सब्जियों की बनावट के रासायनिक अध्ययन से ज्ञात होता कि ये भी जीवित पदार्थ हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अनुकूल स्थिति न होने से स्वयं या सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से खराब हो जाते हैं। या फिर एन्जाइम की सक्रियता से उनमें रासानिक परिवर्तन आ जाते हैं और ये पदार्थ खाने लायक नहीं रह जाते है। खाद्य संरक्षण द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के उपयोग की अवधि को बढ़ाया जा सकता हैं खाद्य सरंक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. राष्ट्र सुरक्षा में योगदान– फल संरक्षरण उद्योग का उपयोग युद्धों में सर्वाधिक है देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों के लिए तथा युद्धकाल में अग्रिम मोर्चो की रक्षा में लगे हुए सैनिकों के लिए जहां परिवहन पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथा प्राकृतिक विपदाओं में घिरे जन समुदाय के लिए संरक्षित खाद्य पदार्थ नितान्त आवश्यक है।

2. पौष्टिक तत्वों की पूर्ति– किसी भी देश की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ की जनता को ऐसा भोजन प्राप्त हो जो उसे स्वास्थ एवं अरोग्य रख सके खाद्य संरक्षण की विभिन्न तकनीकियों तथा विधियों द्वारा ही विभिन्न मौसम के फलों तथा सब्जियों को पूरे वर्ष उपलब्ध कराया जा सकता है। जैम, जैली, तथा मार्मलेड में पकाने के दौरान विटामिनों की बहुत कम क्षति होती है क्योंकि इन उत्पादों के विटामिन पकाते समय चीनी में घुल जाते हैं। फलों के पेय तथा शर्बत बनाते समय रस को पकाया नहीं जाता है। बल्कि चासनी को कमरे के तापक्रम तक ठण्डा करने के बाद ही रस मिलाया जाता है इसके तुरन्त बाद संरक्षक पदार्थ मिलाकर उसे बोतलों में सील बन्द कर दिया जाता हैं जिसके कारण भी विटामिनों की क्षति कम हो जाती है। सुखाये हुए फल तथा सब्जियों में विटामिन सी की मात्रा काफी कम हो जाती है। लेकिन हिमीभवन विधि द्वारा सुखाये गये खाद्यों में विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व काफी मात्रा में सुरक्षित बने रहते है। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर फल तथ सब्जियों को या उनसे बने विभिन्न पदार्थों को लम्बे समय तक बनाये रखने की कला का दूसरा नाम ही संरक्षण है।

3. उपज बढ़ाने की मनोवृत्ति उत्पन्न करना–

उपज में हुई उन्नति का पूरा–पूरा उपयोग खाद्य सरंक्षण ही किया जा सकता है यह देखा गया है कि बिना मौसम के फल और सब्जियां नहीं मिल पाती है। या दूर के स्थानों में भेजने के दौरान भी खराब हो जाती है। जिससे खर्चा बढ़ जाता है इसलिए फल और सब्जियों को साल भर तक सभी स्थानों उपलब्ध कराने के लिए उनका संरक्षण अति आवश्यक है। इससे उत्पादकों को भी लाभ मिल सकता है।

4. हानि से बचत– अधिकतर यह देखा गया है कि अच्छी किस्म की फल तथा सब्जियाँ उत्पन्न होती हैं लेकिन उपज का कुछ भाग तेज हवा आंधी तथा पशु–पक्षियों द्वारा खराब कर दिये जाते हैं जिससे खराब किये गये पदार्थों को बाजार में पूरा मूल्य नहीं मिलता किसान को हानि होती है अथवा ग्राहक को अधिक धन देना पड़ता है खाद्य सरंखण के उपयुक्त ज्ञान से इस प्रकार के छटे फलों एवं सब्जियों को संरक्षित कर उनका पूरा मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा यह देखा गया है कि पहाड़ी प्रदेशों तो लगभग उपज का 50 से 60 प्रतिशत भाग प्रयोग नहीं हो पाता या तो सूख कर या सड़कर यह भाग नष्ट हो जाता है। दूसरी ओर देश के कई भागों में इस उपज का बहुत कम भाग पहुँच पाता हैं जहां एक ओर भुखमरी महंगाई तथा अपर्याप्त पोषण की समस्या चरम सीमा है। वहीं दूसरी ओर अनेक भागों में जामुन खुबानी, सेब, करौंदे, नांरगी, तथा आंवले जैसे पौष्टिक एवं रूचिकर फल पेड़ों पर से तोड़े ही नहीं जाते तथा सूख कर नष्ट हो जाते हैं जो फल आदि तोड़े भी जाते है। उन्हें भी बिक्री होने तक ठीक रखने तथा परिवहन की समुचित व्यवस्था के अभाव में नष्ट हो जाते है। खाद्य संरक्षण विज्ञान द्वारा देश की सम्पूर्ण उपज का सद्उपयोग किया जा सकता है।

5. रोजगार के सुअवसर –संसार के अन्य समृद्धशाली देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में भी प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय बहुत कम है। खाद्य संरक्षण उद्योग के व्यापार में बढ़ोत्तरी की जा सकती है और साथ ही साथ बेरोजगारी को भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

6. अन्य देशों के साथ व्यापार में बढ़ोत्तरी– देश की आवश्यकता से अधिक फल तथा सब्जियों को खाद्य संरक्षण की विभिन्न वैज्ञानिक विधियों द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है जिससे आवश्यकता से अधिक फल आदि जैसे– अमरूद, आम, करौंदा, सेब, इत्यादि फलों को संरक्षित कर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती हैं और साथ ही साथ सम्बन्ध को और भी बढ़ाया जा सकता है।

(ब) फल तथा सब्जियों के खराब होने के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय

फल तथा सब्जियाँ कार्बोहाइड्रेटस, प्रोटीन, वसा, लवण, विटामिन तथ जल आदि जटिल पदार्थो के योग से बनी होती है। खराब होते समय सामान्यतः इन पदार्थों में परिवर्तन होने लगता है। जिससे वह अपना रंग, रूप, स्वाद, आकृति इत्यादि खोने लगते हैं और अन्ततः खाने योग्य नहीं रह जाते है। खाद्य पदार्थो में खराबी के मुख्यतः दो कारण हैं–

1. एन्जाइमों द्वारा खराबी (Spoilage by Enzymes), 2. अणु जीवों द्वारा खराबी (Spoilage by Micro-Organisms)

1. **एन्जाइम (Enzymes)-** एन्जाइम एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जो प्रत्येक जीवित वस्तु में पाये जाते हैं। जिस प्रकार भोजन एन्जाइमों की क्रिया से ही पचा है वैसे ही फलों के पकने के लिए एन्जाइम ही जिम्मेदार होते हैं। ये एन्जाइम कच्चे फलों में मौजूद प्रोटोपेक्टिन को पेक्टिन में बदल देते है। जो फल के अधिक पकने पर पेक्टिक अम्ल में बदल जाता है। यदि यह एन्जाइम किसी पदार्थ में एक व चार लाख (1 : 4,00,000) के अनुपात में भी उपस्थित होती है तो उस पदार्थ में क्रिया–प्रक्रियाएं आरम्भ हो जाती है। यह कई प्रकार की होती है और इनकी कार्यक्षमता भी अलग–अलग होती है।

एन्जाइम खद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले तत्व ही नहीं हैं बल्कि पेड़–पौधों के बीजों में अंखुए निकलना, उनका बढ़ना, फूलना–फलना और फसलों का पकना आदि सभी कार्य–कलाप एन्जाइम की क्रियाशीलता के कारण ही होते हैं। जब फल और सब्जियों को पौधों से तोड़ लिया जाता है तो उनमें उपस्थित एनजाइम नष्ट नहीं होते परन्तु उनकी विदारण शक्ति क्रियाशील रहती है। किसी सीमा तक यह विदारण क्रियाएं बहुत उपयोगी होती हैं। जैसे कच्चे फल के पकते समय स्टार्च को शक्कर में बदल देना जिससे फल मीठे हो जाते हैं या कच्चे फल की सख्ती को कम करके उन्हें मुलायम बना देना।

स्पष्ट है कि एक ओर एन्जाइम फलों आदि के लिए जीवन शक्ति का काम करते हैं वहीं दूसरी ओर यदि इस क्रिया को रोका न जाय तो वह उसके नाश का कारण भी होते हैं। फलस्वरूप उनमें फूफँदी तथा बैक्टीरिया

उत्पन्न हो जाते हैं।

एन्जाइम द्वारा उत्पन्न खराबियों से बचाव

किसी पदार्थ में एक ओर उपस्थित एन्जाइम की क्रियाशीलता तथा प्रभावशीलता कई बातों पर निर्भर करती है जैसे उपयुक्त पी.एच. सीमा, तापक्रम, एवं एन्जाइम की मात्रा आदि। एन्जाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित है–

पी.एच.(अम्लता/क्षारीयता)– एन्जाइम की क्रियाशीलता के लिए उचित पी. एच. (अम्लता) का होना नितान्त आवश्यक है जो कि विभिन्न एन्जाइम के लिए भिन्न–भिन्न हैं। अधिकांश एन्जाइम 4.5 से 8.0 पी. एच. के अन्तर्गत क्रियाशील होते हैं।

तापक्रम– अधिकांश एन्जाइम की समुचित क्रिया 30^0 से 40^0 से. तापक्रम के अन्तर्गत होती है। एन्जाइम की क्रियाशीलता को खाद्य पदार्थ में समुचित मात्रा में एसिड मिलाकर पी.एच. को बढ़ाकर समाप्त किया जा सकता है। एन्जाइम की क्रियाशीलता को समाप्त करने का सर्वोत्तम तरीका खाद्य पदार्थ को गरम करना है। एन्जाइम की प्रकृति के अनुसार इसको 70^{0-} 100^0 सें0 (170^0–210^0 फा.) पर गरम करने से क्रियाशील नहीं रहती। बहुत कम तापक्रम पर एन्जाइम की क्रियाशीलता बहुत कम हो जाती है। इसी सिद्धान्त पर रेफ्रिजरेटर में रखे फल सब्जियाँ कई दिनों तक खराब नहीं होती। फिर भी यदि खाद्य पदार्थों को शीत भण्डार में अधिक समय तक रखना हो तो जहाँ तक सम्भव हो भण्डारण से पहले उन्हें भाप देना या पानी में उबाल देना चाहिए।

एन्जाइम की मात्रा– यदि अन्य बातें समान हो तो एन्जाइम जितनी ही अधिक मात्रा में होगें उनकी क्रियाशीलता भी उतनी अधिक होगी। यदि खाद्य पदार्थों के खराब होने का एक मात्र कारण उनमें उपस्थित एन्जाइम ही होती है तो हम उनको केवल उबालकर ही संरक्षित कर सकते थे परन्तु ऐसा है नहीं। बैक्टीरिया, फफूंदी, आदि अणुजीव भी खराबी के कारण होते है। जो बाहर से खाद्य पदार्थो में पहुँच जाते है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एन्जाइम की क्रियाशीलता के अलावा कोई पदार्थ कितनी देर में खराब होगा, इस बात पर निर्भर करती है कि उस पर बैक्टीरिया, फफूँदी, खमीर आदि के पहुँचने की कितनी सुविधा है और वह जीवाणु उन पर कितनी संख्या में उपस्थित होते हैं।

अणुजीवों द्वारा होने वाली खराबियाँ–

सूक्ष्मजीव अपने उचित वातावरण में अपने भरण–पोषण के लिए फल व सब्जियों को अपना माध्यम बनाते हैं जिसके फलस्वरूप फल एवं साग सब्जियों में किण्वन होता है। इस प्रकार किण्वित खाद्य–पदार्थ उपयोग के योग्य नहीं रह जाते है। किण्वन का तात्पर्य– एक ऐसी क्रिया जिसके अन्तर्गत रासायनिक परिवर्तन चाहे वह कार्बोहाइड्रेड,प्रोटीन, या वसा में हो जैव रासायनिक उत्प्रेरक (Biochemical Catalysts), जिन्हें एन्जाइम कहते है द्वारा की जाती है। उसे किण्वन कहते हैं।

अणुजीव पानी, हवा, मिट्टी खाद्य पदार्थ प्रत्येक स्थान पर उपस्थित रहते है। यह इतने सूक्ष्म होते हैं कि बिना दूरबीन की सहायता के देखे नहीं जा सकते। यही कारण है कि इनको जीवाणु कहा जाता है। यह देखा गया है कि जहां कुछ अणुजीव खाद्य पदार्थो को खराब करते हैं। वहीं दूसरे वर्ग के जीवाणु खाद्य पदार्थों में परिवर्तन करके उनमें नये पदार्थ उत्पन्न करके, उनको खाने योग्य तथा अधिक उपयोगी बनाते हैं।

खाद्य पदार्थो में खराबी करने वाले जीवाणुओं को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है–

1. खमीर (Yeast)
2. फफूँदी (Mould)
3. बैक्टिरिया (Bacteria)

खमीर– यह एक प्रकार का सूक्ष्म वनस्पति है। जिसमें केवल एक कोशिका होती है और आकार में अण्डे के समान होते हैं। इनके बढ़ने की क्रिया को ''बडिग'' कहते है। कली जब पूरी तरह तैयार हो जाती है तो मुख्य सैल से अलग होकर स्वतंत्र हो जाती हैं और अन्य अणुजीवों की कलियों (Buds) को जन्म देने लगती है। इनमें वनस्पति का हरापन (क्लोरोफिल) नहीं होता है। जिसके कारण यह अपना भोजन स्वंय नहीं बना सकता है। इसीलिए इसको जीवित रहने तथा बढ़ने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

इनकी उत्पत्ति उन पदार्थो में शीघ्र होती है जिनमें पानी और शक्कर की मात्रा अधिक होती है। इसकी उत्पत्ति के लिए आक्सीजन की आवश्यकता होती है और गरमी तथा नमी में इसकी बढ़त अधिक होती है। उपयुक्त वातावरण मिलने पर जब खाद्य पदार्थ में खमीर उत्पन्न होता है तो उस पदार्थ की शक्कर अल्कोहल तथा कार्बन डाईआक्साइड के रूप में बदल जाती है।

शक्कर + खमीर = अल्कोहल + कार्बन डाईआक्साइड

यह अनुभव किया गया है कि रस, शरबत अथवा टमाटर के सॉस की बोतल की कार्क कभी–कभी तेज आवाज के साथ तीव्र गति से निकल जाती है और इसके साथ ही बोतल से कुछ पदार्थ भी वेग से निकलने लगते है। इसका कारण खमीर द्वारा किण्वन (Fermentation) के समय उत्पन्न कार्बन डाई आक्साइड गैस है। यदि गुथे हुए बच गये आंटा, मैदा को कुछ समय रखना पड़ जाता है तो वह फूल जाता है और आगे चलकर उसमें खटास भी उत्पन्न हो जाती है। जलेबी अथवा डबलरोटी बनाने के लिए पहले उसमें खमीर द्वारा नियमित किण्वन सम्पन्न कर लिया जाता है जिससे वह आसानी से स्पांजी हो जाये और पर्याप्त मात्रा में फूल सके। इसी प्रकार ताड़ अथवा खजूर की रस से ताड़ी बनाते (अल्कोहल युक्त पेय) समय किण्वन का कारण खमीर ही होता है।

खमीर के उत्पन्न होने पर खाद्य पदार्थ के रंग, स्वाद, आकार और गंध में अन्तर आ जाता है परन्तु इसके क्रियाशील होने के कारण किसी विषैले पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती। खमीर शक्कर के हल्के घोलों में भली–भांति बढ़ता है परन्तु यदि खाद्य पदार्थ में शक्कर की मात्रा 67 प्रतिशत होती है तो यह अणुजीव उसमें जीवित नहीं रहते। खाद्य पदार्थ को 135° फा. (57° से.) पर तीस मिनट तक गरम करने से अणुजीव जीवित नहीं रहते हैं।

यह देखा गया है कि खमीर शहद और जैम जैसे पदार्थो में भी किण्वन उत्पन्न कर देते हैं। यद्यपि इनमें 80 प्रतिशत तक शक्कर पायी जाती है। कारण यह बताया जाता है कि शक्कर पायी जाती है। कारण यह बताया जाता है कि शक्कर के वातावरण से नमी सोख लेने की सम्पर्ण क्षमता के कारण शक्कर की ऊपरी सतह पर सान्द्रता में कमी हो जाती है और धीरे–धीरे खमीर इतने गाढ़े घोलों में बढ़ने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं।

फफूँदी– यह बहुकोशीय सूक्ष्म वनस्पति है। यह छोटे–छोटे धागे के समान होते हैं और यह आपस में लिपटकर एक जाल सा बुन लेते हैं। अधिकतर यह देखने में आता है कि फफूँदी रुई के आकार के होते हैं परन्तु वास्तव में यह कई अणुजीवों का एक जाल होता है। इन अणुजीवों को जीवित रहने के लिए आक्सीजन की आवश्यकता होती है इसलिए यह भोजन के ऊपरी सतह पर ही पाये जाते हैं। इसमें भी हरापन (क्लोरोफिल) नहीं होता है इसलिए यह भोजन के लिए अन्य पदार्थों पर निर्भर करता है। जिन खाद्य पदार्थ में फफूँदी के अणुजीव उत्पन्न होते हैं, वह अपना भोजन उसी खाद्य पदार्थ से प्राप्त करते हैं। इसी के साथ–साथ वह भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ भी छोड़ देते हैं जिससे उसके रंग में अन्तर आ जाता है और सुगन्ध,रूप और पौष्टिकता में भी अन्तर आ जाता है। फफूँदी के अणुजीव भी खमीर की तरह विषैले नहीं होते है। फफूंदी अँधेरे, नमी और गर्मी में और विशेषकर बरसात में खाद्य सामग्री पर जल्दी बढ़ती है। यदि एक संतरे की फॉक अथवा रोटी का टुकड़ा थोड़ी देर विशेषकर ढका हुआ या अँधेरे में पड़ा रह जाता है तो वह सफेद अथवा भूरे रंग के एक पदार्थ से ढक जाता है। यह सफेद या भूरा पदार्थ ही फफूँदी है 77° फा. से 86° फा. तक के तापक्रम पर इनकी उत्पत्ति होती है। जिस भोजन में शक्कर और खटास अधिक होती है उनमें फफूँदी जल्दी और अधिक उत्पन्न होती है। फफूँदी के अणुजीव अधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाते है। फलतः अल्ट्रावायलेट किरणें उन्हें नष्ट कर देती हैं 65° फा. पर तीस मिनट तक गर्म करके इन्हें नष्ट किया जा सकता है।

बैक्टीरिया– बैक्टीरिया सबसे छोटे संख्या में सबसे अधिक और कुछ तो सबसे अधिक हानिकारक जीवाणु होते हैं। इस प्रकार के अणुजीव हवा, पानी, मिट्टी, वातावरण आदि सभी स्थानों पर पाये जाते हैं। यह अत्यन्त सूक्ष्म जीव होते हैं और बिना शक्तिशाली दूरबीन से नहीं देखे जा सकते हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और एक जीवाणु से आठ घण्टे में 1,50,00,000 जीवाणु बन जाते हैं। 24° से 37° से. तापक्रम इनके बढ़ने के लिए सबसे अनुकूल होता है। अधिकतर बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं। पेट में पहुँचने पर यह अमाशय के कार्य में बाधा डालते हैं। कभी–कभी इनके प्रयोग से मृत्यु तक हो सकती है। भिन्न–भिन्न तापक्रमों पर भिन्न–भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो निम्नलिखित हैं'–

1. वह बैक्टीरिया जो 68° फा. (20° से.) पर बढ़ते हैं। 2. वह बैक्टीरिया जो 98° फा. (37° से.) पर बढ़ते हैं। 3. वह बैक्टीरिया जो 130° फा. (54.4° से.) पर बढ़ते हैं।

खाद्य पदार्थों को बैक्टीरिया से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अधिकतम तापक्रम तक गर्म किया जाय जिससे बैक्टीरिया जीवित ही न रह सके। 176° फा. पर 30 मिनट तक गर्म करने पर अधिकतर बैक्टीरिया मर जाते हैं। खटास की उपस्थिति में बैक्टीरिया को पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता, इसलिए सभी फलों

को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए उन्हें केवल 212° फा. पर गर्म किया जाता है। दूसरी ओर सब्जियों को जिनमें खटास नहीं होती, 240° फा. पर गर्म करके बैक्टीरिया से मुक्त किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया विशेष प्रकार के होते हैं तथा उनमें तेज तापमान सहने की शक्ति होती है जिससे 176° फा. परगर्म करने पर भी जीवित रहे हैं और अपना आकार बदल लेते हैं। जब स्पोर्स को उपयुक्त वातावरण मिलता है तो वह अपने निजी रूप में आकर खाद्य पदार्थों पर आक्रमण करते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थो को 'स्पोर्स' से बचाने के लिए उन्हें 230° फा. पर 30 मिनट तक गर्म करना आवश्यक है जिससे कि वे पूर्णरूपेण नष्ट हो सके।

खाद्य पदार्थों की डिब्बाबन्दी में क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम (Clostridium Botulinum) नामक बैक्टीरिया, जिसमें स्पोर बनाने की शक्ति होती है तथा जो बिना हवा के जीवित रहती है अत्यन्त हानिकारक होता है। यह बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है। यह डिब्बों में बन्द किये गये (Canned) केवल ऐसे खाद्य पदार्थो में बढ़ता है जो ठीक तरह से निर्जलीकृत (Staerlized) न किये गये हों। यह क्षारीय प्रकृति के अधिक पी.एच.वाले (P_H 7-6) मछली, मांस, अण्डे, मक्खन, सेम, चुकन्दर, आलू आदि में प्रवेश करता हैं। यह बैक्टीरिया इतना विषैला पदार्थ (Toxin) विसर्जित करता है जिससे शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसीलिए डिब्बाबन्दी से पूर्व ऐसे खाद्य पदार्थों को भलि–भांति साफ करना अति आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1- A Handdbook of Horticulture(2005). The Encyclopaedia of Horti-culture. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
2. आर्य, प्रेम सिंह (1999), सब्जियों का उत्पादन, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना ।
3. मिश्रा, कौशल किशोर एवं पाण्डेय, राजमणि एवं (1983), फल उत्पादन, अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय, गोविन्द बल्लभ पंन्त कृ"ष एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
4. Mangaraj,S and Singh,R (2008).Status of Food processing industry in India and its future outlook,Indian Food Industry, 27 (3):37- 42.
5. Singh,D. (2013),Vegetable Science. New Vishal Publications, New Delhi.
6. सिंह, इन्द्रसेन (1984), तोड़ाई उपरान्त फल सम्हलाव, हरियाणा कृषि विष्वविद्यालय, हिसार।
7. सिंह, आर. एन. (1978), फल विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
8. Singh, Ranjeet and Saxena,S.K. (1992).Fruits, National Book trust India, New Delhi.
9. शुक्ल, पी. के. एवं पाण्डेय, ए. के. (2004), आधुनिक फलोत्पादन : मूल सिद्धान्त एवं विधियाँ, सुमंगल प्रकाषन, लखना रोड, बकेवर, इटावा।
10. डा. श्याम सुन्दर श्रीवास्तव (2010), फल परिरक्षण : सिद्धान्त एवं विधियाँ किताब महल, इलाहाबाद (आई. एस. बी. एन 81–225–0098–6), पेज– 592।
11. Choudhury, B.(1996),Vegetables.National Book trust, New Delhi. Lal, G; Siddappa,G. S. and Tandon,G. l. (1986). Preservation of Fruits and Vegetables. Pub. by Directorate of Knowledge management in Agriculture. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
12. Siddappa,G.S.;Nanjundaswamy,A.M and (Mrs) Saroja, S.(1969). Utilization of Banana fruit.Indian Hort.13 (4).
13. Siddappa, G. S. (1962). Role of Preserved fruits and vegetables in nutrition, Uttar Pradesh.Indian J. Hort. 20 (6) 39-41 and 46.
14. Sathyavathi,V. K.; Bandyopadhyaya, G. G. and Mukherji, K. K. (1964),Varietal Trials of Banana for Processing. Indian Fd Pckr 18 (6): 1-5.
15. Tiwari,R.B.2005, Application of Osmo-Air-Dehydration for processing of Tropical Fruits in Rural areas. Indian Food Industry. 24 (6) : 62-69.

ISSN : 2394-4366

Received: 05 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का अभाव

– डॉ. मेघना मिश्रा
अंशंकालीन सहायक आचार्या –
अर्थशास्त्र विभाग,
गुरूनानक गर्ल्स डिग्री कालेज,
सुन्दर नगर, कानपुर–208012

ई–मेलः
dr.meghnamishra3012@gmail.com

सारांश

असंगठित क्षेत्र आज श्रमिक बाजार का मुख्य अंग बन गया है जिस प्रकार से एक पौधे की उचित देखभाल कर उसे फलीभूत बनाते हैं। उसी प्रकार असंगठित क्षेत्र को भी उचित देखभाल की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी फर्मों में काम करने वाले श्रमिकों हेतु वहीं के नियोजकों को चाहिए कि समाजिक सुरक्षा हेतु उन्हें फण्ड़, मंहगाई भत्ता, जीवन बीमा, जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराए।

प्रस्तावना–

भारत देश में विकास के क्षेत्र असंगठित क्षेत्र का बहुत अधिक योगदान है और साथ–साथ देश के विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया है और यह भी सच है कि इस क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओ का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले को नहीं मिल पाता है।

भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगो का कुल कार्यबल में हिस्सा 80 प्रतिशत है, भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से बना है और इसमें अधिकांशतः वे लोग होते हैं जो गाँव मे परम्परागत कार्य करते हैं और गाँवों में परम्परागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते हैं। शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भण्डारण और निर्माण उद्योग में काम करतें हैं। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय अपने गाँव चले जाते हैं और बाकी समय शहरों महानगरों में काम करते हैं।

भारत में लगभग 50 करोड़ से अधिक का कार्यबल है, जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा अंसगठित क्षेत्र में काम करता है। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक 1948 के फैक्टरी एक्ट जैसे किसी कानून के अन्तर्गत नहीं आतें हैं।

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रम बल को व्यवसाय, रोजगार की प्रकृति, विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी और सेवा श्रेणी को चार भागों में बांटा गया है।

☛ व्यावसायिक श्रेणी में छोटे और सीमान्त किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, पशुपालक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत श्रमिक, बुनकर आदि आते हैं।

☛ रोजगार की प्रकृति श्रेणी में बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, और

दैनिक मजदूर आते हैं।

☛ विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी में सफाईकर्मी, सिर पर मैला ढोने वाले आदि आते हैं।

☛ सेवा श्रेणी में घरेलू कामगार महिलाएँ, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता आदि आते हैं।

असंगठित क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ–

उपरोक्त चारों श्रेणियों के काम, मजदूरी और रहन–सहन को लेकर कई समस्याएँ हैं।

बेहद कम आमदनी – असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है, बल्कि कई बार तो यह जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती। इसके अलावा, अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम न मिलने की वज़ह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। इस क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता, जो कि कर्मचारियों को दिया जाना बाध्यकारी है। इसलिए न्यूनतम मजदूरी दरों से भी कम कीमतों पर ये कामगार अपना श्रम बेचने को विवश हो जाते हैं। वैसे भी हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी की दरें वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम हैं।

अस्थायी रोजगार – असंगठित क्षेत्र में रोजगार गारन्टी न होने के कारण रोजगार के स्वरूप अस्थायी होता है, जो इस क्षेत्र में लगे कामगारों को हतोत्साहित करता है। रोज़गार स्थिरता न होने के कारण इनमें मनोरोग का खतरा भी संगठित क्षेत्र के कामगारों से अधिक होता हैं इनके पास विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुँच पाता। बिचौलियों और अपने नियोक्ताओं द्वारा भी इनकी उपेक्षा की जाती है।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रम कानूनों के तहत नहीं आते– अधिकाश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जहाँ श्रमिक कानून लागू नहीं होते। इसलिए इनकी कार्य भी सुरक्षित नहीं होती और इनके लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे अधिक होते हैं।

खतरनाक उद्यमों में भी सुरक्षा नहीं – बाल श्रम, महिलाओं के साथ अन्याय की सीमा तक असमानता और उनका शारीरिक, मानसिक तथा यौन–शोषण आम बात है। कई व्यवसायों में स्वास्थ्य मानकों के न होने का मामला भी चुनौती के रूप में इस क्षेत्र से जुडा है। माचिस के कारखानो में काम करने वाले, काँच उद्योग में काम करने वाले, हीरा तराशने वाले, कीमती पत्थर पर पॉलिश करने वाले, कबाड़ बीनने वाले, पीतल और काँसे के बर्तन बनाने वाले तथा आतिशबाजी बनाने वाले उद्यमों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। वे खतरनाक और विषाक्त रसायनों तथा ज़हरीले धुएँ आदि के सम्पर्क में आकर श्वास सम्बन्धी बीमारियों, दमा, आँखों में जलन, तपेदिक, कैंसर आदि जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार बन जाते हैं।

असंगठित क्षेत्र की कठिनाइयाँ–

अंसगठित क्षेत्र के मुख्य धारा में नहीं होने के पीछे कुछ कठिनाइयाँ हैं। इनमें सबसे बड़ी तो यही है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यापार व उद्योग धन्धों को वित्तीय सुविधाएँ आसानी से नहीं मिल पाती हैं। इस कारण इन्हें कर्ज की लागत अधिक पड़ती है। इस वजह से इनका कारोबार विस्तार भी नहीं हो पाता। यह एक हकीकत है कि वित्तीय सुविधाओं की जकड़न के कारण असंगठित क्षेत्र के उद्योग–धन्धों की लाभदायकता भी कम रहती है।

शहरों में अंसगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का बीस फीसदी हिस्सा दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है। इसी कारण इन श्रमिकों का अर्थिक जीवन स्तर दयनीय हालत में रहता है। वे सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं से भी वचित रहते हैं, इनके न्यूनतम वेतन की भी गारन्टी नहीं है। विकासशील देश रोजगार सृजन के लिए असंगठित क्षेत्र पर कहीं ज्यादा निर्भर रहते हैं।

इन्हीं कारणों के चलते विकसित देशों से वे हमेशा आर्थिक स्तर पर पिछड़े रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति भारत की भी है। आज भारत की नब्बे फीसदी श्रम योग्य आबादी रोजगार के लिए अंसगठित क्षेत्र में लगी है। इनकी संख्या बयालीस करोड़ के आस–पास है। वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र के लोगों की आमद बहुत कम होती है। आँकडों के अनुसार कुल राष्ट्रीय आय में इस क्षेत्र का योगदान मात्र तीस फीसदी ही है।

इस कारण भारत की राष्ट्रीय आय कम है और विकसित राष्ट्रों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। नतीजतन हमारे समाज का बहुत बड़ा तबका रोजमर्रा के जीवन में आर्थिक सुविधाओं के लिए संघर्ष करता दिखता है।

इन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की मुख्य समस्या में कम आमदनी, स्थायी रोजगार की अनिश्चितता और श्रम कानूनों के प्रावधानों का फायदा न मिल पाना तो है ही, इससे भी बड़ी समस्या आर्थिक सुविधओं से वंचित रहना

है। इसका जीवन्त उदाहरण हमने कोरोना महामारी के समय प्रतिबन्धों के दौरान देखा था जब श्रमिकों का बहुत बड़ा तबका रोजगार विहीन होकर सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर था।

यह भी हकीकत है कि आज दो साल बाद भी कामगारों का यह तबका आज भी आर्थिक रूप से संघर्षरत है। रोजगार तो उसे वापस मिलने लगा है, पर आर्थिक खुशी अभी नहीं मिली है। इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था भी आर्थिक विकास के लिए बहुत मजबूत नजर नहीं आ रही है। भारत का असंगठित क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण आबादी से मिल कर बना है। लगभग सत्तर फीसद ग्रामीण श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में लगे हैं। इसमें अधिकांशतः वे हैं जो आर्थिक गुजर–बसर के लिए गाँवों में कृषि पर निर्भर है या गाँवों में अपने परम्परागत कार्य करते हैं।

असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का अभाव–

17वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में नई सरकार कामकाज संभालने की तैयारी में है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि नई सरकार की वरीयताओं में असंगठित क्षेत्र कें मुद्दे को जगह मिलती है या नहीं। वैसे देश के विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान अंसठित क्षेत्र का ही है और यह भी उतना ही सच है कि इस क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा के लिये चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

खतरनाक उद्यमों में भी सुरक्षा नहीं बाल श्रम, महिलाओं के साथ अन्याय की सीमा तक असमानता और उनका शारीरिक, मानसिक तथा यौन–शोषण आम बात है। कई व्यवसायों में स्वास्थ्य मानकों के ने होने का मसला भी चुनौती के रूप में इस क्षेत्र से जुड़ा है। माचिस के कारखानें में काम करने वाले, काँच उद्योग में काम करनक वाले, हीरा तराशने वाले, कीमती पत्थर पर पॉलिश करने वाले, कबाड़ बीनने वाले, पीतल और काँसे के बर्तन बनाने वाले तथा आतिशबाजी बनाने वाले उद्यमों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। वे खतरनाक और विषाक्त रसायनों तथा ज़हरीले धुएँ आदि के सम्पर्क में आकर श्वास सम्बन्धी बीमारियों, दमा, आँखों में जलन, तपेदिक, कैंसर आदि जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार बन जाते हैं।

बढ़ती हुई जटिल आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था–

जटिल आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन कही ज्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कहीं ज्यादा निम्न हो गया है। आय और व्यय के बीच असंगति ने इनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा है कि ये बेहतर जीवन जी सकें। इसलिए सरकार समय–समय पर अनेक योजनाएँ चलाती तो हैं, लेकिन इसके सामने बहुत सी बाधाएँ हैं, जो उन योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के आड़े आती है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन पेंशन योजना–

☛ 2022–23 का अंतरिम बजट जब पेश हुआ था तो सरकार ने 15 हजार रुपये तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा था।

☛ इसके तहत ऐसे कामगारों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान व्यापक सामजिक सुरक्षा देने के प्रस्ताव है।

☛ इस पेंशन योजना से अंसगठित क्षेत्रों के कामगार एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।

☛ इसके तहत 29 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार को केवल 100 रुपये प्रतिमाह का अंशदान 60 वर्ष की आयु तक करना होगा।

☛ 18 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना में शामिल होने वाले कामगार को सिर्फ 55 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करना होगा। सरकार हर महीने कामगार के पेंशन के खाते में इतनी ही राशि जमा करेगी।

☛ संभावना है कि अगले पाँच वर्ष में असंगठित क्षेत्र में कम से कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों के इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तब यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बन जाएगी।

☛ इस योजना के लिये 500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है और यह योजना विगत कई वर्षों से लागू हो चुकी है।

इस सब के बावजूद आज भी इस वर्ग की सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा लगातार चिन्ता का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में आजीविका असुरक्षा, बाल श्रम, मातृत्व सुरक्षा, छोटे बच्चों की देखभाल आवास, पेयजल, सफाई, अवकाश से जुड़े लाभ और न्यूनतम

मजदूरी जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक कोई भी सामजिक सुरक्षा योजना के लाभ पहुँचाने की राह में सबसे बड़ी बाधा यह है कि जब तक ऐसे कामगारों को चिन्हित न कर लिया जाए, तब तक इनका लाभ यह वर्ग नहीं उठा सकता और यह अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

सरकार की पहल और चुनौतियाँ–

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार ने विधायी उपायों और कल्याण योजनाओं की द्विपक्षीय नीति अपनाई है।

कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008–

विधायी उपायों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के सम्बन्ध में सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियम किया। यह अधिनियम राश्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को कुछ जरूरी व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराता है। इसके जरिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण, जीवन और विकंलागता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और कोई भी अन्य लाभ, जो असंगठित मजदूरों के लिये सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके लिए अनुशंसाएँ दी जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को परिवार फ्लोटर आधार पर प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की स्मार्ट कार्ड आधारित नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा देने के लिए आरम्भ की गई।

सरकार ने मृत्यु एवं अपंगता के लिए बीमा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना प्रारम्भ की है।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का भी कार्यान्वयन सरकार कर रही है।

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कई अन्य रोजगार सृजन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सरकार लागू कर रही हैं। जैसे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, हथकरघा बुनकर योजना, हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएँ, मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना, प्रशिक्षण और विस्तार, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आदि।

सरकार द्वारा कामगारों की कुछ विशिष्ट श्रेणियाँ अर्थात् बीड़ी कामगारों, कुछ गैर–कोयला खान कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कल्याणकारी निधियाँ स्थापित की हैं। अन्य कल्याणकारी उपायों में स्वास्थ्य देखभाल, आवास, बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता, पीने के पानी की आपूर्ति इत्यादि शामिल हैं।

लेकिन इस सब के बावजूद असंगठित क्षेत्र में कामगारों को चिन्हित करने में आने वाली कठिनाइयाँ बहुत बड़ी समस्या है साथ ही आन्तरिक प्रवासन के कारण पहचान का मुद्दा और बड़ी तादाद में कम्पनियों का पंजीकरण न होना भी बड़ी बाधा नहीं है।

संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना–

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ये जाहिर है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। यह प्रस्तावना भारतीय लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक–न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है।

- असंगठित श्रम के क्षेत्र में कई तरह के कार्य और व्यवसाय होने के कारण उनकी सुरक्षा के लिए चिन्हित करना सबसे बड़ी चुनौती है।
- इसके लिये व्यापक कानून बनाना होगा, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम सुरक्षा तथा कल्याण के प्रावधान सुनिश्चित करे।
- इसके बाद भी सरकार के लिए यह संभावना बनी रहेगी कि यदि आवश्यकता महसूस हो तो वह विविध रोजगारों के लिए विशेष कानून बनाए।
- यह ध्यान रखना होगा कि किसी नए कानून से वह प्रमुख अधिकार या सामाजिक सुरक्षा न छिन जाए, जिनकी व्यवस्था व्यापक कानून ने की है।
- इस व्यवस्था से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का भी सम्मान होगा तथा कई तरह के कामों में लगे मजदूरों की विशेष जरूरतें भी पूरी हो सकेगी।
- सीमांत और छोटे किसानो के लिये ऋण का बेहतर प्रबन्धन, सिंचाई परियोजनाओं का विकास, फसल जोखिम पर सुरक्षा और तकनीक का विकास असंगठित क्षेत्र के लिये वरदान साबित हो सकता है।
- गैर–कृषि क्षेत्र में कौशल विकास द्वारा रोजगार के बेहतर अवसर बनाना, सामूहिक विकास केन्द्रों की स्थापना करना, अधिकाधिक लोगों को सकिल इण्डिया

से जोड़ना भी प्रभावी उपाय हो सकते हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की कार्य क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है।

☛ इसके अलावा सिकिल मार्ट, कौशल पुस्तकालय और रोज़गार मेलों के आयोजन को अधिक प्रभावी बनाने के जरूरत है।

☛ असंगठित क्षेत्र में हमारे देश की आबादी का एक बड़ा तबका आता है, इसलिए कार्य दशाओं, न्यूनतम मज़दूरी और श्रमिक हितों का संरक्षण करने के लिये कानून को पुनः संरचित करना होगा।

☛ यह भी ध्यान देना होगा कि ये सभी नीतियाँ और कानून सैद्धान्तिक न होकर व्यावहारिक रूप में भी अमल में आए ताकि अंसगठित कामगांरों को जरूरी लाभ मिल सके।

निष्कर्ष–

यह कहा जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में से अधिकांश को न तो सरकारों की ओर से तय न्यूनतम वेतन मिलता है और न ही पेंशन या स्वास्थ्य बीमा जैसी कोई सामाजिक सुरक्षा इन्हें मिल पाती हैं। उन्हें चिकित्सा, देखभाल, दुर्घटना, मुआवजा, वेतन सहित अवकाश और पेंशन योजनाओं का लाभ भी मिल पाता। ऐसे में सरकार को असंगठित क्षेत्र कें कामगारों के लिए समग्र नीति बनानी चाहिए और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए व्यवस्था में उचित भागीदारी देनी चाहिए। सरकार को विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र, घरेलू नौकरों, मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों और रेहड़ी–पटरी वालों पर ध्यान देना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नीति निर्माण में भागीदारी देनी चाहिये और राजस्व में उनकी हिस्सेदारी को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। क्योकि अंसगठित क्षेत्र हमारे राष्ट्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है, अतः अब सरकार का उत्तरदायित्व है कि असंगठित क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करे।

सहायक ग्रन्थ सूची

1. योजना पत्रिका–2022, उदारीकरण एवं श्रम सुधार (श्री आफताब अहमद सिद्दीकी)।
2. समाजिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत व मजबूत (श्री जे. के. पुरोहित)।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था (डॉ. प्रवीण सूद)।
4. असंगठित श्रमिकों का संगठनीकरण (श्री नरेश नदीम)।
5. कुरुक्षेत्र (मासिक पत्रिका)।
6. नई आर्थिक नीति – 2022–23।

विशेष

प्रकाशन शोधकर्त्ताओं के लिए शोध प्रक्रिया का अन्तिम और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरण होता है। शोध समाज की एक मूल्यवान उपलब्धि है, जिसके लिए इसे समाज के बीच आना ही चाहिए ताकि समस्त मानवता इसका लाभ उठा सके। वर्तमान में बेलगाम होती महंगाई, कम्प्यटूर टाइपिंग, कागज, मुद्रण सामग्री एवं प्रिंटिंग की दरों में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी शोधार्थियों केद्वारा प्रकाशित होने वाले शोध-पत्रों केअवसरों को सीमित एवं संकुचित करते हैं।

संगोष्ठियों में शोध प्रपत्र का वाचन शोधार्थियों एवं शोधविदों के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर होता है। अपने गुणवत्तापरक शोध कार्य को इन संगोष्ठियों के माध्यम से जनमत के बीच लाने का माध्यम बनता है। ऐसे अवसरों का लाभ उठाना ही हम सभी के लिए हितकर है, हम सभी आयें और समाज में आगे बढ़कर अधिक से अधिक सहयोग देकर इसे सफल बनाने के कार्य में हाथ बंटायें।

- प्रबन्धक सम्पादक

ISSN : 2394-4366

Received: 07 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

किन्नर विमर्श : (मंगलामुखी उपन्यास के विशेष सन्दर्भ में)

– प्रा. डॉ. महादेव चिंतामणि खोत
एसोसिएट प्रोफेसर –
हिन्दी विभाग,
श्रीकृष्ण महाविद्यालय, गुजोटी,
उमरगा, जिला– उस्मानाबाद
–413606 (महाराष्ट्र)

ई–मेलः
mckhot.skmg@gmail.com

उत्तर आधुनिक विमर्श का दौर आने पर हिन्दी साहित्य सृजन और समीक्षा के क्षेत्र में परिधि का केन्द्र की ओर सरकने का जो क्रम शुरू हुआ था, उससे काफी अच्छे परिणाम निकले हैं। कल तक जो समुदाय और मुद्दे साहित्य–चिन्तन के हाशिये पर थे तथा जिनकी निरन्तर उपेक्षा हुई थी, वे नए–नए कई केन्द्रों के रूप में उभर कर सामने आये। इससे हिन्दी साहित्य की एककेन्द्रीयता टूटी और समाज की बहुलता के अनुरूप साहित्य में लोकतन्त्र सम्भव हुआ। स्त्री दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी विमर्श इसी नई प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप प्रकट और विकसित हुये। साथ ही हाशिया कृत विमर्श के भी हाशिए पर इधर क्रमशः जो अन्य विमर्श उभरे हैं या उभर रहें हैं, उनमें तृतीय लिंगी विमर्श और समलैंगिक विमर्श खास तौर पर ध्यान खींचने वाले हैं।

'किन्नर विमर्श' आज अपनी अस्मिता को रेखांकित करने के लिये प्रयत्नशील विमर्श है जिसे जेंडर सम्बन्धी किसी विकृति के कारण 'हिजड़ा' कहे जाने का अभिशाप भोगना पड़ता है।

हमारा सम्पूर्ण समाज दो स्तम्भों पर टिका हुआ है, 'स्त्री और पुरुष'। सामान्यतः दोनों कार्य आपसी सहयोग से वंश परम्परा एवं मानव जाति को आगे बढ़ाना है। हमारे समाज में इन दो लिंगों के अतिरिक्त एक अन्य लिंग का भी अस्तित्व है, जो न तो स्त्री वर्ग में आता है, और न ही पुरुष वर्ग में। ऐसे लोगों को जहाँ सभ्य समाज में 'किन्नर' शब्द से सम्बोधित किया जाता है, वहीं जनसामान्य में इनके लिये हिजड़ा, नपुसंक, छक्का इत्यादि शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं।

यह तो सभी जानते हैं कि साहित्य किसी भी समस्या को उजागर करने का सबसे सशक्त माध्यम है। साहित्य के माध्यम से ही वर्तमान में इतने विमर्शों को बल मिला है। इन विमर्शों के माध्यम से ही उन पक्षों पर विस्तार से चर्चा सम्भव हो पायी है ये जो कभी मुख्य विषय नहीं बन पाते, किन्तु समाज में अभी भी एक वर्ग शेष है, जो समाज की मुख्य धारा से अलग है और वह है 'किन्नर' समाज। अतः अब हमें साहित्य में एक नये विमर्श के रूप में किन्नर विमर्श की आवश्यकता हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्नर या थर्ड जेंडर की अवधारणा की गयी है। समाज और साहित्य में इस पीड़ित वर्ग की संवेदनाएं अब परिलक्षित होने लगी हैं। किसी व्यक्ति किन्नर या हिजड़ा होने के मूल में किसी न किसी प्रकार की जेनेटिक विकृति जिम्मेदार होती है। इसके लिये वह व्यक्ति या समुदाय स्वयं किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं हैं। लेकिन 'लिंग केन्द्रित' व्यवस्था ने व्यवस्था ने ऐसे व्यक्ति अथवा समुदाय के लिये अपने बीच कोई गुंजाइश नहीं छोड़कर रखी है। हमारे समाज का यह दोगलापन भी विचित्र ही है कि एक ओर तो ऐसे व्यक्ति और समुदाय को समाज से बहिष्कृत, अपमानित, तिरस्कृत और समाज की मूलकथा से पूरी तरह

अनुपस्थित रखा जाता है तथा दूसरी ओर उसे देवत्व के मिथक के साथ जोड़कर रहस्मय भी बना दिया जाता है। 'किन्नर विमर्श' इस लिंगभेदजनित मानसिकता का विरोध करता है और किन्नर समुदाय के मानवाधिकार को बहाल करने की मांग करता है।

डॉ. लता अग्रवाल का उपन्यास 'मंगलामुखी' किन्नर विमर्श पर आधारित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। किन्नर समाज में सदैव उपेक्षित और प्रताड़ित ही रहे हैं। सामाजिक रूप से अलग–थलग रहने वाले किन्नरों के जीवन में बिखराव ही दिखाई देते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार लता अग्रवाल ने किन्नर समाज को लेकर 'मंगलामुखी' का ताना–बाना बुना है।

'मंगलामुखी' उपन्यास किन्नरों के साथ स्त्री अस्मिता पर विचार करते हुये दिखायी पड़ता है। प्रो. डॉ. सविता चौधरी का यह कथन इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। ''साहित्य एवं कलाएँ सामाजिक चेतना का परिष्कार भी इसके माध्यम से संभव हो सकता है। मानवता के विकासक्रम को कलाओं और साहित्य सृजन के माध्यम से जाना जा सकता है।

'मंगलामुखी' उपन्यास में किसी एक विशिष्ट चरित्र की कहानी नहीं है। यह उपन्यास थर्डजेन्डर को केन्द्रित कर लिखा गया है। लता जी का उपन्यास के क्षेत्र में यह प्रथम प्रयास है। उपन्यास के प्रारंभ में उपन्यासकार भोपाल के भुजरिया पर्व पर विस्तृत वर्णन करती है। भुजरिया उत्सव में इन्द्रदेव की पूजा की जाती है ताकि राज्य में बरसात हो। किन्नर शोभायात्रा निकालकर भुजरिया पानी में विसर्जित करती है। माना जाता है कि इससे इन्द्रदेव प्रसन्न होते हैं। इस सम्बन्ध में लिखा गया है, किन्नरों की दुआ में बहुत असर होता है। कारण वे मोहमाया से दूर है। वे बिना अपने पराये बोध से सब के लिये मंगलकामना करते हैं....। निर्विकार भाव से यह मंगलामुखी समुदाय लोकमंगल हेतु इस परंपरा का निर्वाह कर रहा है।

'मंगलामुखी' उपन्यास का आरम्भ शकुन और महेंन्द्र के वार्तालाप से होता है। महेन्द्र की बेटी अनु आई.ए.एस. अफसर बनी है। आज उसके कार्यालय का प्रथम दिवस है। महेन्द्र अनु को ऑफिस में ज्वाइन करवाने आया है। भावनाओं में सराबोर और यादों में खोये–खोये वह चौबीस वर्ष पीछे पहुँच जाता है। वो सोचता है कि हमारा पूरा किन्नर समाज भोपाल का प्रसिद्ध भुजरिया उत्सव मनाने के लिये एकत्रित था। समाज के सभी वर्ग बहुत ही श्रद्धाभाव से बारिश होने की प्रार्थना के लिये वहाँ उपस्थित थे। नृत्य–गान से परिपूर्ण इस जलसे की अलग ही छटा थी। तभी अचानक वहाँ एक लड़की के तालाब में कूदने का शोर मच जाता है। आत्महत्या के लिये उद्यत यह लड़की अपने जीवन से निराश हो चुकी है। सभी लोग तालाब के किनारे बचाओ–बचाओ का शोर मचाते हैं। लेकिन उस लड़की को बचाने के लिये कोई आगे नहीं आता है। तभी किन्नरों की टोली का ढोलची छंगा उस लड़की को बचाने के लिये तालाब में कूद पड़ता है और उस अनजान लड़की को तालाब से सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। यह देखकर सभ्य समाज की किन्नर समुदाय के प्रति दबी–सी हँसी फूट पड़ती है, 'एक भय मिश्रित मुस्कुराहट और अजीब सी दबी–सी हँसी दर्शक समाज में उभरी.... दरअसल ढोलची छंगा जो लड़की को बचाने पानी में कूदा था, पतला सा सफेद, कुर्ता, पजामा पहने था। पानी में भीगने के कारण उसकी देह उसके गीले कपड़ो से झाँक रही थी, झाँक रहा था उसका वह रूप जिसे समाज उसका अधूरापन कहता है। कुछ लोग इसे अपना अपशगुन मान मुँह फेर रहे थे, कुछ लोग आनन्द ले रहे थे। वहीं नारी समाज मारे शर्म के मुँह में आँचल दबा पीछे सरक गई।'' किन्नरों की टोली की शिल्पा गुरु यह सब देखकर बहुत क्षुब्ध होती है और सभ्य समाज को ताने देती है। जैसे–तैसे उस लड़की को होश आता है और वह अपने आप को बचाए जाने पर दुःख प्रकट करती है। गुरु माँ के पूछने पर लड़की अपने शारीरिक शोषण की आप बीती बताती है। वह कहती है मुझे अब अपने बच्चे का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है इसलिये मैं मरना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर चारों तरफ खामोशी छा गयी। आज उन्हें कोई अपना सा गमगीन लगा। यह प्रतीक था कि संवेदनाए किसी लिंग, जाति विशेष की धरोहर नहीं है।

शिल्पा गुरु इस लड़की शकुन यानी शकुन्तला को अपने किन्नर डेरे में आने का न्यौता देती है। अपनी आने वाली संतान की खातिर वह लड़की भी इसके लिये तैयार हो जाती है। अपनी कंगाली की गठरी लिये शकुन हृदय और मानवता के धनी किन्नरों के डेरे पर अपने दिन काटने लगी। डेरे के सभी किन्नर शकुन के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उसके आने वाले बच्चे की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं। डेरे में महेन्द्री ही ऐसी है जो शकुन को पसन्द नहीं करती है, इस बात का एहसास शकुन को भी है। गुजरात में

कुलदेवी के पूजन के लिये मंगलवार डेरे के किन्नरों को महामंडलेश्वर गुरु जी का न्यौता और सभी किन्नर वहाँ जाते है।

शिल्पा गुरु और उनकी साथी किन्नर भोपाल वापस लौटने को तैयार करते हैं परन्तु स्टेशन पहुँचते समय शिल्पा गुरु जानलेवा हादसे का शिकार हो जाती हैं। अपने अंतिम समय में डेरे की जिम्मेदारी महेन्द्री को सौंपते हुये गुरु माँ शकुन और उसकी होने वाली संतान की जिम्मेदारी भी महेन्द्र को दे देती है। उसका नाम अनुपमा रखा जाता है। अनु को आई.ए.एस. अफसर बनाने का सपना महेन्द्र को आँखों में अनु के बचपन से पलता था, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अनु आई.ए.एस. बन जाती है। शिक्षामंत्री द्वारा सम्मानित होने के अवसर पर महेन्द्र को भी मंच पर बुलाया जाता है और महेन्द्र को पर्याप्त सम्मान दिया जाता है। उपन्यास का सार्थक अन्त डेरे के सभी किन्नरों की संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ दर्शाता गया है।

'मंगलामुखी' उपन्यास में किसी एक विशिष्ट चरित्र की कहानी नहीं है। हालाँकि मुख्य कथा शकुन को लेकर ही चलती है परन्तु यह उपन्यास एक साथ कई पात्रों की जीवन कथाओं को लेकर आगे बढ़ता है। किन्नर सिमरन की भी अपनी दुःख भरी कहानी है बीते समय उसका प्रेमी हरी उसे छोड़ जाता है क्योंकि वह एक हिजड़ा है। उसका आहत मन सारी उम्र उसे टीस देता है।

'मंगलामुखी' उपन्यास अपनी प्रत्येक घटना में इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किन्नर समाज सभ्य कहे जाने वाले समाज के लिये सदैव, सर्वरूपेण समर्पित रहता है भले ही उन्हें शिक्षित और सभ्य समाज से दुत्कार या प्रताड़नाएं मिले, किन्नर समाज सदैव से अपने ''मंगलामुखी' होने के अर्थ को सिद्ध करता रहा है और उनके सुख में सदैव अपनी अपनी मंगलकामनाओं और आर्शीवादों को शामिल करता है।

आज महेन्द्र ने जिस तरह सारी विषम परिस्थितियों में शगुन के संग खड़े रहकर अनु को शिखर पर पहुँचाया यह कोई लेखिका द्वारा की काल्पनिक घटना नहीं, ऐसे कई उदाहरण आपको हमारे समाज में मिलेंगे मगर हमारी बिरादरी के किसी बच्चे को यदि सामान्य समाज ने इस शिखर पर पहुँचाया हो या प्यार से अपनाया हो.... उसका पालन किया हो ऐसे कितने उदाहरण आप हमें दे सकते है....? और एक बात जो इस उपन्यास के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उपन्यास के सभी चरित्र के हिस्से बचपन से संघर्ष आया और उन्होंने इसका सामना किया, किसी ने आत्महत्या नहीं की। यही है जिन्दगी का सबक है कि सुख–दुःख दो छोर हैं जिन्दगी में इन्हीं के बीच से हमें बहना है।

'मंगलामुखी' के सभी किन्नर पात्रों में किन्नरों की सकारात्मक छवि दर्शायी गयी है। इस उपन्यास को पढ़कर हम महसूस कर सकते हैं कि 'मंगलामुखी' का अर्थ है जिनका मुख देखकर मंगल का आगमन हो, वह मंगलामुखी''। इस उपन्यास में यह नाम सर्वत्र अपनी सार्थकता को सिद्ध करता दिखाई देता है। शकुन मंगलवारा डेरे पर आकर इन मंगलामुखी किन्नरों के मध्य जीवनायापन करती है और स्वयं का मंगल भी अपने जीवन में होते देखती है। आगे चलकर ऐसा ही शुभाशीष उसकी बेटी को भी मिलता है। किन्नर सभ्य कहे जाने वाले समाज में भले ही निर्धन हों, अशिक्षित हों, प्रताड़ित हो, अपमानित परन्तु सभी प्राणियों में संवेदना का एक निर्धारित दर्जा होता है। मानव में यही संवेदना 'मानवता' के नाम से जानी जाती है। किन्नरों की संवेदनाओं और मानवता की फलती–फूलती लताओं को 'मंगलामुखी' में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिन किन्नरों को सामान्य तौर पर आम आदमी हीन भावना से देखता है, उन्हें मंगलामुखी के नाम से पुकारना लेखिका की विशिष्ट सोच को दर्शाता है।

मंगलामुखी उपन्यास न केवल किन्नरों को शुभकारी और सौभाग्यशाली दर्शाता है बल्कि विभिन्न घटनाओं के माध्यम से किन्नरों की मानवता की मंगल भावनाओं को भी रेखांकित करता है। प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से रचनाकार यही दिखाना चाहती है कि समाज के हाशियेकृत समझे जाने वाले किन्नर भी मुख्यधारा में रहने के हकदार हैं। उन्हें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिये, बल्कि पूरे समाज का उत्तरदायित्व है कि किन्नरों को गौरव के साथ जीने का अवसर प्रदान करे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. लता अग्रवाल – ''मंगला मुखी'', विकास प्रकाशन, कानपुर।
2. हिन्दी साहित्य में किन्नर विमर्श – वान्या पब्लिकेशन, कानपुर।

ISSN : 2394-4366

Received: 09 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

वर्तमान परिदृश्य में झारखण्ड का आदिवासी समाज

– डॉ. आलोक आनन्द
असिस्टेन्ट प्रोफेसर –
राजनीति विज्ञान विभाग,
वाई. बी. एन. यूनीवर्सिटी,
रांची – 834001 (झारखण्ड)

ई–मेलः
aloksigns@gmail.com

सारांश

वर्तमान समय में आदिवासी समाज और विकास दोनों के बीच सामंजस्य पर ध्यान दें, तदनुसार कार्यों को गति दें। योजनाओं को धरातल पर उतारें, तभी झारखण्ड निर्माण के उद्देश्य तक हम पहुँच पाएंगे। यह काफी सोचनीय है कि हर साल सीजनली कम से कम 5 लाख आदिवासी महिलाएँ रोजगार के लिए पलायन करती हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला में आदिवासियों की आबादी घट रही है। उद्योगों का फैलता जाल, शहरीकरण के साथ समुदाय में नशा और बढ़ती मृत्यु दर को आबादी घटने का कारण माना गया है। आदिवासियों की जमीन पर ही कॉलोनी आबाद होती गयी। उद्योग धन्धे खुलते गए, लेकिन विस्थापितों के पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। 30 साल पहले टाटा स्टील में आदिवासी मजदूरों की संख्या करीब 29 हजार थी जो घटकर लगभग 1900 हो गयी है। यह समझना चाहिए कि वर्तमान सरकार रघुवर सरकार के बाद पुनः स्थापित आदिवासी राज्य का नेतृत्व करती है। आदिवासी समाज अपनी सरकार से काफी अपेक्षा रखता है। कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने भी ट्वीट कर कहा था कि उन्हें विश्वास है कि झारखण्ड की नई सरकार सभी नागरिकों के विकास के लिए काम करेगी और राज्य में शांति व समृद्धि का नया दौर शुरू होगा।

एक मुण्डारी लोककथा में गुंगु और छतरी की नोंक–झोंक का वर्णन है। गुंगु आदिवासी लोग सर्दी, बरसात के समय ओढ़ लेते हैं, छतरी गर्मी और बरसात से सुरक्षा देती है। उस लोककथा में गुंगु जो आदिवासी लोगों की पारम्परिक व्यवस्था से उपजे थे, शहरी छतरी से जीत जाता है। लोककथा का पात्र शहरी छतरी को अन्त में फेंक देता है और गुंगु को अपना लेता है। लोककथा का पूरा तात्पर्य यही था कि आधुनिक व्यवस्था आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था के आगे फीकी है।

वर्तमान परिदृश्य में आदिवासी समाज उस लोककथा को काफी हद तक भुला चुका है। सोशल मीडिया से अलख जगाए जा रहे हैं पर दूसरी गली से वही सोशल मीडिया वहाँ आधुनिक हाव–भाव, पहनाव–ओढ़ाव, चालचलन सब कुछ को परोस दे रहा है, जिसका अन्ततः प्रभाव आदिवासी समाज के परिपक्व व्यवस्था पर बुरा ही रहा है। जब भी कहीं तथाकथित आधुनिकता और विकास आता है तो उसकी परम्परा से टकराहट होती है। परम्परा को पूरी तरह से अप्रासंगिक करार देकर, आधुनिक धारा को बिना नीतिगत बदलाव, देशीय परिस्थिति के अनुसार ढाले, एकदम से उसे थोपने का प्रयास किया जाता है। जबकि आवश्यकता है परम्परा से सकारात्मक चीजों को लेकर आधुनिकता व विकास के पहलुओं को भी शामिल किया जाए, जो जीवन को सुखमय बनाए।

अब झारखण्ड में आधुनिक विकास की स्थिति पर जरा गौर करें–

आधुनिक विकास के मापदण्ड कुछ इस प्रकार है– लैंगिक समानता, प्रति व्यक्ति आय, महिलाओं की स्थिति, स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति। लैंगिक समानता के मामले में झारखण्ड का आदिवासी समाज पूर्व से बेहतर रहा है। पूरे झारखण्ड में देख लें महिलाओं की जनसंख्या प्रति हजार पुरुषों पर बढ़ी है। वर्ष 1991 में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 921 थी, जो बढ़कर 2001 में 941 हो गयी।

स्वास्थ्य का आकलन पोषण, स्वच्छ पेय जल, शौच एवं सफाई की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से की जाती है। पोषण के संदर्भ में एक चीज गौर करने योग्य है कि झारखण्ड आवश्यकता के केवल 50 प्रतिशत ही खाद्य का उत्पादन लगता है। यह देश के सर्वाधिक खाद्य पोषित असुरक्षित राज्यों में से एक है। इसका स्वभाविक परिणाम यही कहा जाएगा कि यहां के आदिवासियों की स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति निराशाजनक है। स्वच्छ पेय जल को लें तो कुल जनसंख्या के करीब 14 प्रतिशत घरों में पेय जल पाइप लाइन उपलब्ध है।[1]

यह आँकड़ा काफी दयनीय है। NFHS (1989-99) के अनुसार झारखण्ड के करीब 85 प्रतिशत घरों में किसी भी प्रकार की शौच की व्यवस्था नहीं है। यहाँ देश के करीब 60 प्रतिशत घरों की तुलना में केवल 24 प्रतिशत घरों में ही बिजली की व्यवस्था है।[2] 88 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ आयरन या फौलिक एसिड की गोलियों का सेवन नहीं करती तथा अधिकतर बच्चों को टीके नहीं लगते। इन्हें जीवन रक्षक घोल (ORS) की बहुत कम जानकारी है तथा अधिकतर अनुसूचित जनजाति के बच्चे कद एवं वजन के अनुसार कुपोषण के शिकार हैं।[3] प्रति व्यक्ति आय के अनुमान स्वयंसिद्ध हो जाते हैं, जब हम आदिवासियों के जीवन स्तर को भारत के सामान्य जीवन स्तर से काफी निम्न पाते हैं।

कुल मिलाकर आधुनिकता एवं विकास के पैमाने पर काफी सरकारी प्रयास के बावजूद नतीजे संतोषजनक नहीं हैं, फिर भी जो विकास हुए उनके कुछ नकारात्मक पहलू जमशेदपुर और राँची के स्लम (slum) को देखने से पता चलता है। आदिवासी गाँव जो आसपास के शहर से मिले हुए थे, वे पूरी तरह टूट चुके हैं, वहाँ की सामाजिक, पारम्परिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। लोग फुटपाथ पर सोते हैं, शहरी यायावर बन चुके हैं। जंगल–जमीन से उखड़कर वे जाए भी तो कहाँ? सामाजिक सुरक्षा जो परम्परा से मिल रही थी वह भी नष्ट हो गयी, अतः कार्यस्थलों पर श्रमिक महिलाओं का शारीरिक शोषण, आदिवासी पुरुषों का मजूरी काटने का चलन जोरों पर है। एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, मजदूरी करना, नौकर बनना यही इनकी नियति बनती जा रही है। यह आर्थिक नुकसान के अलावे आदिवासियों का भावनात्मक नुकसान भी है। जनजातीय सामूहिक भावना को वह भूलते जा रहे हैं। समाज कई तरह की कुरीतियों से जूझ रहा है। जैसे– हड़िया पीना। धातु और धान का परिचय कराने का श्रेय आदिवासियों को ही जाता है।[4] आज उनके बच्चे जो नौकरी के लिए प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं, वे स्वयं भूल चुके हैं, उन धान की बालियों को। आधुनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य तक अधिकांश की पहुँच बनी नहीं है और जिनकी झोपड़ियाँ कभी स्वच्छता की मिसाल बनी थीं, आस–पास की शहरी आबोहवा ने उन्हें अस्वच्छ कर दिया। जड़ी बूटियों का ज्ञान केवल घनघोर जंगलों में बचा है, परन्तु शहरों के आस–पास के गाँव उससे भी वंचित हो गए।

पर्व त्योहार, उत्सव जो उनके जीवन को रंगमय, उमंगमय बनाता था, वह सांस्कृतिक एकता भी कहीं छूट रही है। आवश्यकता है उन सभी विशिष्टताओं, विवधाओं के संयोजन की जो आदिवासी समाज को एक जीवन्त समाज बनाता था।

गुंगु और शहरी छतरी दोनों जरूरी हैं, सरकारी नीतियों में इन बातों का ख्याल रखा जाए। अपेक्षित नतीजे तभी सामने आते हैं जब हम कोई भी नीतिगत बदलाव, देश की परिस्थिति, परम्परा, मनोभाव को देखते हुए लाते हैं। आदिवासी लोगों के आस–पास जो शहर है, वहाँ मॉल हैं, लेकिन आदिवासी बाजार–हटिया का भी अपना महत्व है। यह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है, साथ में उनकी सांस्कृतिक सामाजिक विरासत को भी संजोय कर भावनात्मक स्तर पर लाभ प्रदान करता है। इन्हीं सूक्ष्म आयामों पर गौर करते हुए झारखण्ड दिवस पर जनमत शोध संस्थान द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गयी। उसमें इस बात का उल्लेख है कि झारखण्ड के आदिवासियों के आधे विकास का पूरा सच क्या है? दरअसल विकास की मंदगति आदिवासी समाज तक इसलिए है कि एकतरफ समाज बन्द अवस्था में रहना चाहता है तो दूसरी ओर जो विकास के लक्षण हैं, उनमें आदिवासी संस्कृति की उन बातों को शामिल नहीं किया जाता जो उन्हें उस विकास के आयाम

से जोड़े। उस सूक्ष्म संतुलन को समझकर अपनाने की जरूरत है ताकि बन्द आदिवासी उन्हें स्वीकृत करे।[5]

इस स्वीकार्य भाव के महत्व को समझने के लिए औद्योगिक क्रांति पर गौर करें। कहा जाता है कि फ्रांस से पहले इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों आई? जबकि सदियों से फ्रांसिसी संस्कृति का प्रसार पूर यूरोप पर रहा। फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप को अपने लपेटे लिया। संसाधन की दृष्टि से भी फ्रांस, इंग्लैंड से ज्यादा सम्पन्न था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले होने के कई कारणों में एक कारण यह बताया जाता है कि फ्रांस की जनता ने वैज्ञानिक तकनीकों को उस रफ्तार से स्वीकार नहीं किया जिस तरह इंग्लैंड के लोगों ने मशीनों को स्वीकृति दी।

वर्तमान परिदृश्य में झारखण्ड के आदिवासी समाज के दो दृश्य हैं। एक समाज के कुछ लोग जो मुख्य धारा में शामिल होकर जंगल जमीन से कट गए, उनका पारम्परिक ज्ञान कहीं विलुप्त हो गया, पर इनकी संख्या बहुत कम है। दूसरा समाज की बहुत बड़ी आबादी जो पिछड़ी है, जंगलों में वास करती है, जीवन निर्वाह कृषि करना, शिकार करना, छोटी मोटी दस्तकारी, शिल्पकारी जिनका पेशा है। ऐसे बहुतायत लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए इनकी बन्द मानसिकता को बदलना होगा। इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है ताकि आधुनिकता के प्रति स्वीकार्य भाव आ सके। जो आदिवासी गाँव शहर के आस–पास है, उन्हें शहरीकरण के बेतरतीब फैलाव से अवगत कराते हुए, उन गाँवों को उनकी विशिष्टता के साथ समावेश करें। उन्हें नष्ट होने से बचाएँ क्योंकि वहाँ के आदिवासियों की "विकल्प नहीं" की अवस्था दूरदराज के जंगलों में वास कर रहे उनके पुरखों, भाई–बन्धुओं को यह संदेश देता है कि "हम जहाँ हैं, वहीं ठीक हैं"। यह तय करें कि समाज की बहुल आबादी तक विकास का सही संदेश जाए। उन्हें यह महसूस हो कि उनकी परम्परा, संस्कृति, जंगल–जमीन सभी सुरक्षित हैं और आधुनिक शिक्षा, चिकित्सा, शहर तथा रोजगार से जुड़कर वे ज्यादा समृद्ध होंगे, साथ में उनकी आन्तरिक शान्ति तथा बाहरी उल्लासमय जिन्दगी अक्षुण्ण बनी रहेगी। गौरतलब है कि झारखण्ड में शहरीकरण एक ही साथ निर्मित हुए राज्य उत्तराखण्ड और छत्तीसगढ़ की तुलना में कम हुआ है। वर्ष 2000 में यहाँ शहरीकरण 22 प्रतिशत था जिसमें अभी तक मात्र 02 प्रतिशत का ही इजाफा हुआ है और जो शहरीकरण हुए हैं उनके लिए झारखण्ड की भौगोलिक, सामाजिक आवश्यकता के अनुसार कोई टाउनशिप प्लान नहीं है।

निष्कर्ष–

निष्कर्षतः वर्तमान समय में आदिवासी समाज और विकास दोनों के बीच सामंजस्य पर ध्यान दें, तदनुसार कार्यों को गति दें। योजनाओं को धरातल पर उतारें, तभी झारखण्ड निर्माण के उद्देश्य तक हम पहुँच पाएंगे। यह काफी सोचनीय है कि हर साल सीजनली कम से कम 5 लाख आदिवासी महिलाएँ रोजगार के लिए पलायन करती हैं।

पूर्वी सिंहभूम जिला में आदिवासियों की आबादी घट रही है। उद्योगों का फैलता जाल, शहरीकरण के साथ समुदाय में नशा और बढ़ती मृत्यु दर को आबादी घटने का कारण माना गया है। आदिवासियों की जमीन पर ही कॉलोनी आबाद होती गयी। उद्योग धन्धे खुलते गए, लेकिन विस्थापितों के पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। 30 साल पहले टाटा स्टील में आदिवासी मजदूरों की संख्या करीब 29 हजार थी जो घटकर लगभग 1900 हो गयी है।

यह समझना चाहिए कि वर्तमान सरकार रघुवर सरकार के बाद पुनः स्थापित आदिवासी राज्य का नेतृत्व करती है। आदिवासी समाज अपनी सरकार से काफी अपेक्षा रखता है। कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने भी ट्वीट कर कहा था कि उन्हें विश्वास है कि झारखण्ड की नई सरकार सभी नागरिकों के विकास के लिए काम करेगी और राज्य में शांति व समृद्धि का नया दौर शुरू होगा।

अतः इस तरह की अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु ईमानदारी के साथ सरकार प्रयास करे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग उपलब्धियाँ योजना 2003–04, पृष्ठ 20।
2- National Family Health Survey (NFHS – 2) 1942-49.
3- Jharkhand Health Services : Today and Tomorrow, Care Jharkhand.
4- Etv Bharat 28/06/2022.
5. जनमत शोध संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट –झारखण्ड के स्थापना दिवस पर – 2022 लेखक अशोक सिंह।
6- BBC हिन्दी डॉट कॉम – 15 अप्रैल 2014।
7. दैनिक भास्कर – 2018, 30 साल पहले टाटा स्टील में आदिवासी मजदूरों की संख्या 29 हजार थी, घटकर 1900 रह गई।
8. जागरण – 21.09.2019।

ISSN : 2394-4366

Received: 07 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

लोक संगीत – लोक मानव की अमूल्य अभिव्यक्ति : एक अभिव्यक्ति

– डॉ. मोहिनी शुक्ला
असिस्टेन्ट प्रोफेसर –
स्वर संगीत विभाग,
जुहारी देवी गर्ल्स (पी. जी.) कॉलेज, कानपुर–208004 (उ.प्र.)

ई–मेल :
mohinishukla29@gmail.com

सारांश

लोकसंगीत मानव जीवन की अनुभूत अभिव्यक्ति और हृदयोदगार है तथा जीवन का स्वच्छ और साफ दर्पण भी है, जिसमें समाज के व्यक्त जीवन का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है। लोकगीत मनुष्य के स्वाभाविक भावनात्मक स्पन्दनों सें जितना जुड़ा हुआ है, उतना वाणी के किसी रूप में भी नहीं। लोकसंगीत ही लोकजीवन की वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत करता है। लोक संगीत के माध्यम से आदि मानव की पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक अवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। लोक संगीत के माध्यम से ही आदि मानव के रहन–सहन, खान–पान, बोल–चाल, भाषा इत्यादि का चित्रण मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव जीवन में हुई प्रगति का मूल्यांकन मिलता है। लोक संगीत दर्पण के समान है जिसके माध्यम से मानव की पुरातन सभ्यता संस्छति का मूल्यांकन साक्षात रूप से हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है।

भूमिका–

लोक मानस की किसी भी अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए स्वर, ताल, नृत्य के आश्रय से ही लोक संगीत का जन्म होता है। लोक संगीत की महिमा बताते हुए कहा गया है कि मनुष्य नौ प्रकार के रसों से प्रभावित होकर जब स्वाभाविक रूप से गाकर, बजाकर अथवा नाचकर अपने भावों को प्रकट करता है, तो उसे लोक संगीत कहते हैं।लोक संगीत के गीतों में पुनरावृत्ति होती है। गीत की पहली पंक्ति महत्वपूर्ण होती है और सामान्यतः अन्य पंक्तियों का निर्धारण इसकी लय पर ही होता है। कुछ लोक संगीतों के गीत प्रश्नावली के प्रारूप में होते हैं। गीत के प्रथम पद में प्रश्न होता है और उसी गीत के अगले पद में उत्तर भी होता है।

सुव्यवस्थित ध्वनि, जो रस की सृष्टि करे, संगीत कहलाती है। गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत नाम इन तीनों के एक साथ व्यवहार से पड़ा है। गाना, बजाना और नाचना प्रायः इतने पुराने है जितना पुराना आदमी है।

शास्त्रीय पद्धति से गाए जाने वाले अनेक गीतों में लोक बोली के शब्द होते हैं, ऐसे ही शब्द लोकगीतों के आधार स्तम्भ होते हैं। लोकसंगीत में स्वर व ताल रचना का सीधा महत्व नहीं होता है, किन्तु रचनाकार शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से रचना की युक्ति का निर्माण कर लेता है, जिससे दोनों का पारस्परिक सम्न्वय उजागर होता है। संगीत सभी के जीवन में महान भूमिका निभाता है। यह हमें खाली समय में व्यस्त रखता है और हमारे जीवन को

शान्तपूर्ण बनाता है। सुव्यवस्थित ध्वनि, जो रस की सृष्टि से उत्पन्न होती है, वह संगीत कहलाती है। संगीत के मोहन–सुर की मादकता का जीव जगत पर जो प्रभाव पड़ता है, वह किसी से छिपा नहीं है।

लोकगीत हमारे संस्कृति, जीवन विधान, सभ्यता, और सदाचार के प्रतीक हैं। इन्हें किसी शुभ अवसर पर गाँव में गाया जाता है। भारत में लोक–संगीत बेहद प्राचीन हैं। लावणी महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक संगीत है। यह संगीत उपकरण ढोलकी पर गाया जाता है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है और कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में भी लावणी का प्रचलन है। लोकगीत में गेयता का होना आवश्यक है। संगीत एवं लय उसका प्राण है अतः इसी कारण लोकगीत को स्वतः स्फूर्त संगीत कहा गया है। लोकगीतों के सम्बन्ध में लोक साहित्य के मर्मज्ञों ने विभिन्न प्रकार के कलात्मक ढंगों से अपने विचार व्यक्त किए है।

किसी देश की संस्कृति का परिचय उस देश के लोक साहित्य से प्राप्त हो जाता है। लोक साहित्य समाज की आत्मा का उज्ज्वल प्रतिबिम्ब है। किसी देश की जातीय, राष्ट्रीय साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आर्थिक मापदण्ड के लिए यदि कोई पैमाना हमारे पास है तो वह उस देश का लोक साहित्य ही है।

लोकगीत में लोक और गीत दो शब्दों का योग है जिसका अर्थ है– लोक के गीत। लोक शब्द वास्तव में अंग्रेजी के 'फोक' का पर्याय है जो नगर तथा ग्राम की समस्त साधारण जन का द्योतक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार– 'लोक' शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है। बल्कि नगर व ग्रामों में फैली हुई समूची जनता है। जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार साधारण पोथियाँ नहीं हैं। ये लोग नगर में परिष्कृत रुचि सम्पन्न तथा संस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभयस्त होते हैं।

लोक से उन लोगों का अभिज्ञान होता है जो नगर संस्कारों एवं सविधि शिक्षा से वंचित हैं और विदग्ध अहं चैतन्य से रिक्त है। 'लोक' मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता पाण्डित्य की चेतना और पाण्डित्य के अंहकार से शून्य है। जो एक परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता है। इसी प्रकार 'गीत' शब्द का अर्थ प्रायः उस कृति से है जो गेय हो। लोकगीत में गेयता का होना आवश्यक है। संगीत एवं लय उसका प्राण है। अतः इसी कारण लोकगीत को स्वतः स्फूर्त संगीत कहा गया है।

लोक साहित्य में लोक संस्कृति और सभ्यता का वास्तविक स्वरूप देखने को मिलता है। लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत है जिसमें मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न संस्कार विभिन्न लोक साहित्यिक विधाओं के माध्यम से चित्रित होते हैं। साहित्यिक विधाएं जैसे– लोक गीत, लोककथाएं, लोक गाथाएं, लोक नाट्य एवं लोक सुभाषित कहावतें, मुहावरे इत्यादि।

लोक साहित्य की इन विधाओं में लोकगीत सर्वाधिक सशक्त एवं प्रभावशाली विधा है। लोकगीत लोकरंजन एवं लोक मंगल के महत्त्वपूर्ण उपादान है।

मानवीय जीवन दुखों एवं प्रभावों की एक लम्बी गाथा है। मानव जीवन में आए दिन कितने ही दुख, संकट एवं बाधाएं आती रहती हैं, जब हर्ष या विषाद की कोई भाव धारा हृदय को छू जाती है तो हृदय वीणा की तार की तरह झनझना उठते हैं। हृदयस्थ भाव अभिव्यक्ति हेतु व्यंग्य हो उठते हैं तथा लयात्मक रूप से निःसृत होकर लोकगीत का रूप धारण कर लेते हैं।

ये गीत सरल, स्वछन्द एवं मधुर इसलिए होते हैं कि इनका निर्माण लोक मानस द्वारा, लोक के लिए, शान्त और स्वछन्द वातावरण में हरे–भरे दूर तक फैले खेतों के मेड़ों, बहते झरनों, गदराई अमराइयों और विकसित होती हुई कलियों के बीच खुलना आकाश के नीचे होता है। लोकगीतों के सम्बन्ध में लोक साहित्य के मर्मज्ञों ने विभिन्न प्रकार के कलात्मक ढंगों से अपने विचार व्यक्त किए हैं।

भारतीय लोकसंगीत की उत्पत्ति, विकास तथा वर्गीकरण भारतीय लोकसंगीत का विकास मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ तथा इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ हुई। सांस्कृतिक जटिलता के साथ लोकसंगीत भी जटिल हो गया। भारतीय लोकसंगीत आज भी क्षेत्रीय अंचलों में मूल रूपों में सुरक्षित है। इसलिए इसका अध्ययन क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर किया जाता जब है; जैसे– राजस्थान का लोकसंगीत, हिमाचल का लोकसंगीत, उत्तर प्रदेश का लोकसंगीत आदि। इन सभी रूपों में लोकसंगीत आज भी जीवित है।

लोकसंगीत की परिभाषाएँ –

पं. ओंकारनाथ ठाकुर के अनुसार– "देशी संगीत की पृष्ठभूमि ही लोकसंगीत है।"

महात्मा गाँधी के अनुसार– "लोकसंगीत में चराचर

जगत गाता है और नृत्य करता है अर्थात् आनन्दानुभूति प्राप्त करता है। "

रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार– 'संस्कृति का सुखद सन्देश ले जाने वाली कला है– लोकसंगीत।'

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भावाभिव्यक्ति व लोकानुरंजन का सशक्त माध्यम लोकसंगीत ही है ।

लोकसंगीत की उत्पत्ति–

लोकसंगीत की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया से हुई है, जो मनुष्य के विकास के साथ ही प्रारम्भ हुआ । अतः लोकसंगीत का जन्म लोकमानस से हुआ है अर्थात् मानव संस्कृति पर आधारित, मानव द्वारा निर्मित मानव समाज में प्रचलित संगीत ही लोकसंगीत है।

लोकसंगीत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है– 'लोक' और 'संगीत' । इसका सामान्य अर्थ है– 'लोगों का संगीत'। इसमें प्रयुक्त 'लोक' शब्द अति प्राचीन है, जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में विभिन्न काल खण्डों में हुआ। महाभारत में 'लोक' शब्द का प्रयोग व्यास ने समाज के लिए किया। इसी प्रकार ऋग्वेद में 'देहिलोकम्' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसमें 'लोक' शब्द का अर्थ 'स्थान' से है । गीता में 'लोक' शब्द तथा लौकिक आचारों की महत्ता स्वीकार की गई है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में 'लोककल्याण' के आदेश मिलते हैं, परन्तु आज 'लोक' शब्द का प्रयोग परम्परा का रक्षक, सहेजने वाला आदि के अर्थ से लिया जाता है इस शब्द में नगरीय व ग्रामीण दोनों ही संस्कृतियों का समन्वय है, जिसमें भावों की प्रधानता होती है। लोकसंगीत शब्द अंग्रेजी के फोक म्यूजिक (Folk Music) शब्द का हिन्दी अनुवाद है। यह लोकसंगीत वर्तमान में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को उजागर करते हैं।

लोकसंगीत का विकास मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ हुआ है। जैसे– जैसे संस्कृति जटिल होती गई, वैसे–वैसे लोकसंगीत की जटिलता भी बढ़ती गई। भारतीय लोकसंगीत का विकास अति प्राचीन है अर्थात् प्रारम्भिक काल से ही मानव हृदय में प्रकृति एवं जीवन सौन्दर्य के प्रति आकर्षण, अनुभूति व उद्गार उत्पन्न हुए। इन उद्गारों की अभिव्यक्ति जब मानव अपनी उल्लासमयी भावनाओं, अस्पष्ट शब्दयुक्त स्फुटन के रूप में करता है, तभी से लोकसंगीत का अंकुर फूटा, अतः अनादिकाल से हमारा भारतीय संगीत दो शाखाओं के रूप में प्रचारित, पल्लवित व पुष्पित होता रहा है।

भारतीय संगीत रूपी वृक्ष की दो शाखाएँ निम्न हैं–

1. लोक संगीत
2. शास्त्रीय संगीत

ये दोनों शाखाएँ अपने आप में स्वतन्त्र होते हुए भी एक–दूसरे की पूरक हैं। हमारा शास्त्रीय संगीत लोकसंगीत का ही विकसित रूप है । प्राचीनकाल में मानव में थोड़ा बहुत बुद्धि का विकास हुआ, तब उसने अपनी विकसित होती हुई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आलाप लेना आरम्भ किया या जो संगीत गुनगुनाया उस संगीत को ही लोकसंगीत की संज्ञा दी गई, जो पीढ़ी–दर –पीढ़ी हस्तान्तरित होता रहता है। इसके विकास क्रम में वाद्ययन्त्रों के उपयोग की महत्ता भी देखी गई है। उदाहरणस्वरूप अकबर के समय तक सारंगी का प्रयोग लोकसंगीत तक था। वहीं कबीर के समय इसकी व्यापकता थी, जिसके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति, प्रेम, शोक, ईर्ष्या, आदि को प्रकट किया जाता था। आधुनिक समय में इसमें बदलाव आया, जो क्षेत्रों में संरक्षित हो गया ।

वर्तमान भारतीय लोकसंगीत का मूलस्वरूप आज भी वहाँ के अंचलों में सुरक्षित है। लोकसंगीत सरल, सहज ग्राह्य होने के कारण शीघ्रता से जनमानस को आकर्षित करता है। अन्ततः हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रान्तों (भारत में) की प्रादेशिक संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, बोल–चाल, रहन–सहन, रीति–रिवाज, तीज–त्योहारों आदि से जुड़े सभी रस व भावों की संगीतपूर्ण अभिव्यक्ति ही लोकसंगीत कहलाती है।

लोकसंगीत की विशेषताएँ –

लोकसंगीत की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. लोकसंगीत में लोकपक्ष व भावपक्ष की प्रधानता होती है।
2. लोकसंगीत में आत्मीयता होती है।
3. लोकसंगीत में लय, ताल के साथ–साथ प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को भी महत्त्व दिया जाता है अर्थात् भाषा भी महत्त्वपूर्ण है।
4. लोकसंगीत का जन्मदाता व प्रेरणास्रोत जनसाधारण है। ये किसी वर्ग विशेष का नहीं होता।
5. लोकसंगीत हमारी सांस्कृतिक, परम्पराओं को जीवित रखने में सहायक है एवं मनोरंजन का साधन है।
6. लोकसंगीत में भावपक्षों की प्रधानता के कारण ये कभी पुराना नहीं होता है।

7. लोकसंगीत में शास्त्रीय संगीत के नियमों जैसी बाध्यता नहीं होती है।

8. लोकसंगीत साधारणतया 4, 5 स्वरों के आधार पर भी गाया–बजाया जा सकता है।

9. लोकसंगीत सरल व सहज ग्राह्य होने के कारण, इसे कहीं विद्यालय या संगीत पाठशाला में सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है।

10. लोकसंगीत प्रत्येक प्रदेश विशेष, संस्कृति, व्यक्ति, समाज के सुख–दुःख का प्रतिबिम्ब होता है।

11. लोकसंगीत में जितना स्वर का महत्त्व होता है, उतना ही शब्द तथा भाव का महत्त्व होता है।

12. लोकसंगीत में पारम्परिक धुनों से युक्त पदावलियों का प्रयोग होता है, जिसके श्रवण मात्र से प्राकृतिक जीवन की खुशियों का आनन्द प्राप्त होता है।

13. लोकसंगीत बौद्धिक एवं तार्किकता की सीमा से परे है तथा कठोर बन्धनों से मुक्त स्वच्छन्द एवं उन्मुख हदय की पृष्ठभूमि की भावनाओं से परिपोषित होता है।

14. लोकसंगीत में प्रयुक्त होने वाली अनेक प्रचलित धुनों में सरलता, माधुर्य, भावात्मकता आदि गुणों का समावेश पाया जाता है।

इस प्रकार लोकसंगीत ने अपने सरल व प्राकृतिक आनन्द के साथ प्रबुद्ध संगीतज्ञों को प्रभावित किया है। वर्तमान में यह लोकसंगीत भारत में विभिन्न प्रान्तों में जीवित है, जो विभिन्न रूपों संरक्षित है। अतः इसका अध्ययन विभिन्न वर्गों में लोकसंगीत के अन्तर्गत संगीत की तीनों विधाओं (गायन, वादन व नृत्य) का समावेश होता है, जिनका सामूहिक रूप से या अलग–अलग प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है। भारतीय लोकसंगीत में इन विधाओं के अन्तर्गत उसके विभिन्न प्रकारों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है– लोकसंगीत, लोकगीत, लोकवाद्य और लोकनृत्य।

लोक संगीत का अलोक संगीत शब्द में 'लोक' और 'संगीत' दो अलग–अलग शब्द हैं। हिन्दी व्याकरण की दृष्टि से लोक संगीत एक समस्त पद है। 'लोक' तथा 'संगीत' के बीच तत्पुरुष कारक की षष्ठी विभक्ति 'कर' के लोप हो जाने से लोक संगीत शब्द समान रूप से व्यवंत होता है। इसलिए लोक संगीत शब्द का अर्थ हुआ 'लोक का संगीत'।

लोक संगीत का मुख्य उद्देश्य जन मनोरंजन है। लोक संगीत में मानव जीवन की उसके उल्लास की, उसकी उमंगों की, उसकी करुणा की, उसके समस्त सुख–दुःख की कहानी चित्रित होती है। लोक जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर, उत्सव, त्योहार आदि में लोक संगीत का मुख्य स्थान रहता है। उदाहरणार्थ– विवाह के गीत, जन्म दिवस के गीत, धर्मिक गीत, कृषि सम्बन्धी गीत आदि। लोक संगीत किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा न गा बजाकर सामूहिक रूप में गाया, बजाया जाता है। लोक संगीत की सबसे सार्थक व्याख्या यही हो सकती हैं कि यह लोक या लोग या जनमानस का संगीत है। लोक द्वारा सृजित, लोक द्वारा रक्षित, लोकरंजन के लिए, लोक जिव्हाओं द्वारा गाया जाने वाला संगीत ही लोक संगीत होता है। लोक मानस की किसी भी अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए स्वर, ताल, नृत्य के आश्रय से ही लोक संगीत का जन्म होता है। लोक संगीत की महिमा बताते हुए कहा गया है कि मनुष्य नौ प्रकार के रसों से प्रभावित होकर जब स्वाभाविक रूप से गाकर, बजाकर अथवा नाचकर अपने भावों को प्रकट करता है, तो उसे लोक संगीत कहते हैं।

लोक संगीत अत्यध्कि सरल, परम स्वाभाविक और अनुभूतिमय है। लोक संगीत में प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, उल्लास, तड़पन, सिरहन आदि सभी भावनाएं झलकती हैं। लोगों के रहन–सहन, आचार–विचार, भाषा का बाहरी रूप चाहे एक दूसरे से भिन्न हो लेकिन उनकी अन्तर आत्मा में समानता पाई जाती है।

लोक संगीत के माध्यम से आदि मानव की पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक अवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। लोक संगीत के माध्यम से ही आदि मानव के रहन–सहन, खान–पान, बोल–चाल, भाषा इत्यादि का चित्रण मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव जीवन में हुई प्रगति का मूल्यांकन मिलता है। लोक संगीत दर्पण के समान है जिसके माध्यम से मानव की पुरातन सभ्यता संस्छति का मूल्यांकन साक्षात रूप से हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है।

लोक संगीत जनसाधरण का सरल, सहज, सुलभ तथा सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाला संगीत है। लोक संगीत किसी प्रकार के कठोर नियमों के बन्धन को नहीं स्वीकारता। यह पूर्ण रूप से 'स्वान्तः सुखाय' पर आधारित होता है। लोक संगीत में स्वर शब्दों से पूर्णतः मेल खाते हैं। कुछ लोग लोक संगीत का अर्थ 'ग्राम्य' समझते हैं। वास्तव में लोक संगीत उसी को कहा जा सकता है जिसका स्वरूप

लोकरंजनी हो तथा किसी विशिष्ट जनसमुदाय की समझ तक ही जो मर्यादित नहीं है। वह जन समाज की अन्तः स्थली को संगीत से संचित करने वाले ऐसे लोकसंगीत की उपादेयता प्रत्येक देश में विद्वानों के अमययन का विषय बनी हुई है। लोक संगीत द्वारा ही सामाजिक जीवन का कोष संचित हुआ है, जन साधारण के स्वप्न, आदर्श, उद्देश्य और कल्पना सब कुछ लोक संगीत में ही मुखरित होता है।

लोकसंगीत द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति –

लोकगीत मानव जीवन की अनुभूत अभिव्यक्ति और हृदयोद्गार है तथा जीवन का स्वच्छ और साफ दर्पण भी है, जिसमें समाज के व्यक्त जीवन का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है। लोकगीत मनुष्य के स्वाभाविक भावनात्मक स्पंदनों सें जितना जुड़ा हुआ है उतना वाणी के किसी रूप में भी नहीं। लोकगीत ही लोकजीवन की वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत करता है। लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं। इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर साधारण ढोलक और झाँझ आदि की सहायता से गाए जाते हैं। इसके लिए विशेष प्रकार के वाद्यों की आवश्यकता नहीं होती।

वैदिक ऋचाओं की तरह लोक संगीत या लोकगीत अत्यन्त प्राचीन एवं मानवीय संवेदनाओं के सहजतम उद्गार हैं। ये लेखनी द्वारा नहीं बल्कि लोक–जिह्वा का सहारा लेकर जन–मानस से निःसृत होकर आज तक जीवित रहे।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था कि लोकगीतों में धरती गाती है, पर्वत गाते हैं, नदियाँ गाती हैं, फसलें गाती हैं। उत्सव, मेले और अन्य अवसरों पर मधुर कण्ठों में लोक समूह लोकगीत गाते हैं। स्व. रामनरेश त्रिपाठी के शब्दों में जैसे कोई नदी किसी घोर अन्धकारमयी गुफा में से बहकर आती हो और किसी को उसके उद्गम का पता न हो, ठीक यही दशा लोकगीतों के बारे में विद्वान मनीषियों ने स्वीकारी है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इस प्रभाव को स्वीकृति देते हुए कहते हैं जब–जब शिष्टों का काव्य पण्डितों द्वारा बंधकर निश्चेष्ट और संकुचित होगा तब–तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश के सामान्य जनता के बीच स्वच्छन्द बहती हुई प्राकृतिक भाव धारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। लोकगीत तो प्रकृति के उद्गार हैं। साहित्य की छन्दबद्धता एवं अलंकारों से मुक्त रहकर ये मानवीय संवेदनाओं के संवाहक के रूप में माधुर्य प्रवाहित कर हमें तन्मयता के लोक में पहुँचा देते हैं। लोकगीतों के विषय, सामान्य मानव की सहज संवेदना से जुडे हुए हैं। इन गीतों में प्राकृतिक सौंदर्य, सुख–दुःख और विभिन्न संस्कारों और जन्म–मृत्यु को बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

संगीतमयी प्रकृति जब गुनगुना उठती है लोकगीतों का स्फुरण हो उठना स्वाभाविक ही है। विभिन्न ऋतुओं के सहजतम प्रभाव से अनुप्राणित ये लोकगीत प्रकृति रस में लीन हो उठते हैं। बारह मासा, छैमासा तथा चौमासा गीत इस सत्यता को रेखांकित करने वाले सिद्ध होते हैं। पावसी संवेदनाओं ने तो इन गीतों में जादुई प्रभाव भर दिया है। पावस ऋतु में गाए जाने वाले कजरी, झूला, हिंडोला, आल्हा आदि इसके प्रमाण हैं। सामाजिकता को जिन्दा रखने के लिए लोकगीतों/लोकसंस्कृतियों का सहेजा जाना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि जिस समाज में लोकगीत नहीं होते, वहाँ पागलों की संख्या अधिक होती है। सदियों से दबे–कुचले समाज ने, खास कर महिलाओं ने सामाजिक दंश/अपमान/घर–परिवार के तानों/जीवन संघषों से जुड़ी आपा–धापी को अभिव्यक्ति देने के लिए लोकगीतों का सहारा लिया। लोकगीत किसी काल विशेष या कवि विशेष की रचनाएं नहीं हैं। अधिकांश लोकगीतों के रचयिताओं के नाम अज्ञात हैं। दरअसल एक ही गीत तमाम कण्ठों से गुजर कर पूर्ण हुई है। महिलाओं ने लोकगीतों को ज़िन्दा रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज वैष्वीकरण की आंधी में हमने अपनी कलाओं को तहस–नहस कर दिया है। अपनी संस्कृतियाँ अनुपयोगी/बेकार की जान पड़ने लगी हैं। ऐसे समय में जोगिया, फाजिलनगर, कुशीनगर जनपद की संस्था–लोकरंग सांस्कृतिक समिति ने लोकगीतों को सहेजने का काम शुरू किया है। संस्था ने तमाम लोकगीतों को बटोरा है और अपने प्रकाशनों में छापा भी है। संस्था महत्वपूर्ण लोक कलाकारों के अन्वेषण में भी लगी हुई है और उसने रसूल जैसे महत्वपूर्ण लोक कलाकार की खोज की है जो भिखारी ठाकुर के समकालीन एवं उन जैसे जरूरी कलाकार थे।

देश में लोक संगीत की भी विशद परम्परा है। लोकजीवन से निकला यह संगीत ही लोक संगीत कहलाता है। ये गीत फसल कटने, विवाह, त्योहारों और यहाँ तक कि मृत्यु जैसे दुखद अवसरों पर गाये जाते हैं। लोक संगीत किसी प्रकार के जटिल नियमों में बंधे नहीं

होते। इसका दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व यह है कि इसमें समाज की व्यापक भागीदारी होती है। जैसे– सोहर, खिलौनों, कोहबर, समुझ बनी – इसे बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। घोडी, बन्ना, मांड्वा, भात, विरहा।

गारी– इन गीतों को विवाह के विभिन्न अवसरों पर गाया जाता है।

फाग – ऋतुगीतों में फाग प्रमुख गीत है। फाग गीत मुख्य रूप से पुरुषों का गीत है जो बसन्त पंचमी से लेकर होलिकादहन के सबेरे तक गाया जाता है। अवधी, ब्रज, राजस्थानी बुन्देलखण्डी, छत्तीसगढी, बैसवाड़ी, बघेली, भोजपुरी आदि अनेक बोलियों में फाग सम्बन्धी गीत गाए जाते हैं। फाग के होली, चौताल, डेढ़ताल, तीनताल, देलवइया, उलारा, चहका, लेज, झूमर और कबीर आदि अनेक प्रकार हैं। इन सबमें केवल धुनों का अन्तर है।

पावस– पावस गीतों की भी बहुक्षेत्रीय परम्परा है। ये गीत उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं किन्तु अवधी और भोजपुरी में अधिक प्रचलित हैं। इन दोनों क्षेत्रों में इन्हें कजली अथवा कजरी कहा जाता है।

विभिन्न राज्यों के लोकगीत राजस्थानी लोकगीत –

राजस्थान का लोकगीत साहित्य बहुत समृद्ध है। जन्म के गीत सोहर को यहाँ 'हालरा' कहते हैं। 'झाडूलो' मुण्डन के गीतों को कहते हैं। यहाँ प्रत्येक शुभ कार्य की पूर्ति के लिए स्त्रियों द्वारा विनायक गीत गाकर गणेश को प्रसन्न करने की परम्परा है। यहाँ कामण या जादू–टोना नामक एक गीत गाया जाता है। यह गीत उस समय गाया जाता है जब बारात विवाह के लिए वर के घर से चलती है। इसी प्रकार बधावै भी विदाई गीत है। राजस्थानी स्त्रियाँ कार्तिक शुक्ल पक्ष में तुलसी का त्योहार मनाती हैं। तीन दिनों का व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियों का त्योहार गँवर है जो उत्तम वर की प्राप्ति के लिए चैत मास में होलिकादहन के दूसरे दिन से शुक्ल तृतीय तक मनाया जाता है। इसे गणगौर भी कहते हैं। पूजन करने वाली कन्याएँ 'घुडला' (छिद्रोंवाला घड़ा, जिसमें दीपक जलता रहता है) लेकर गाती हुई अपने सगे सम्बन्धियों के यहाँ जाती हैं। इसे घुड़ला घुमाना कहा जाता है। पनिहारी गीत राजस्थान का प्रमुख लोकगीत है। इसे पनिहारिनों द्वारा सामूहिक रूप से सिर पर जल से भरे घड़े लेकर घर आते–जाते गाया जाता है। इसके अतिरिक्त गोगोजी रामदेव जी उमादे (रूठी रानी) की गीतकथा (जो जैसलमेर के रावल लूणकरण की लड़की थी), राजपूत जोर सिंह तथा 'राणा काछवे' के पद्यगीत भी खूब गाए जाते हैं।

ढोला मारू रा दूहा – राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएँ प्रचलित हैं, पर इन सबमें ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि आठवीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति–पत्नी की सुन्दर जोड़ी को ढोला–मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं आज भी लोकगीतों में स्त्रियाँ अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही सम्बोधित करती हैं, ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियाँ आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला–मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं।

मांड – ये गीत राजस्थान के मारवाड़ इलाके में राजाओं के दरबारों में आगमन और अन्य जगहों पर आगमन के अवसरों पर गाये जाते हैं।

गाथा गीत– राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित विविध लोकगाथाओं पर आधारित इन गाथा गीतों को निम्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है

1. **लोरिकायन** – वीर रस से परिपूर्ण इस लोकगाथा में गायक लोरिक के जीवन–प्रसंगों का जिस भाव से वर्णन करता है, वह देखते–सुनते ही बनता है।

2. **नयका बंजारा** – राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गाये जाने वाले लोक गीतों में प्रायः विषय–वस्तु तो एक ही होती है, किन्तु स्थान, पात्र तथा चरित्रों में विविधता के दर्शन होते हैं।

3. **विजमैल** – राजा विजयमल की वीरता का बखान करने वाली इस लोकगाथा में बढ़ा–चढ़ाकर प्रचलित गाथा का वर्णन किया जाता है।

4. **सलहेस** – एक लोककथा के अनुसार– सलहेस, दौना नामक एक फूल बेचने वाली का प्रेमी था। उसके एक शत्रु ने ईर्ष्यावश सलहेस को चोरी के झूठे आरोप में बन्द करवा दिया। दौना मालिन ने अपने प्रेमी सलहेस को किस प्रकार मुक्त कराया, बस इसी प्रकरण को इस लोकगीत में भाव–विभोर होकर गाया जाता है।

5. **दीना भदरी** – इस लोकगीत में दीना तथा भदरी नामक दो भाइयों की वीरता का वर्णन मार्मिकता से गाया जाता है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न अंचलों में राजा ढोलन सिंह, छतरी चौहान, नूनाचार, लुकेसरी देवी, कालिदास, मनसाराम, छेछनमल, लाल महाराज, गरबी

दयाल सिंह, मीरायन, हिरनी–बिरनी, कुँअर बृजभार, राजा विक्रमादित्य, बिहुला, गोपीचंद, अमर सिंह, बरिया, राजा हरिश्चन्द्र, कारू खिर हैर, मैनावती आदि के जीवन एवं उनकी वीरता भरी गाथाओं को राज्य के गाथा–गीतों को गाते हैं।

आल्हा – वीर रस से भरपूर एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन वाले गीतों को खुशी के मौकों पर गाया जाता है। ब्रज के लोकगीत ब्रज के क्षेत्र में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूँ, इटावा आदि जिलों का क्षेत्र आता है। यहाँ के निवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत भाषा और भाव की दृष्टि से अत्यन्त सरस होते हैं। जन्म के गीतों में सोभर (सोहर), ननद, भावज, नेत्र के गीत, छठी के गीत प्रसिद्ध हैं। विवाह के गीतों में सगाई, पीली चिट्ठी, लगुन, रतजगे के गीत मुख्य हैं। त्योहार आदि के गीतों में देवीगीत, जाहर पीर, एकादशी का गीत, श्रावण गीत, कार्तिक के गीत, देवोठान के गीत और होली उल्लेखनीय हैं। प्रबन्ध गीतों में पवारे, बहुला, सरमन (श्रवण) ढोला, मदारी का ढोला, लवकुश के गीत और हिरनावती अधिक गाए जाते हैं। अन्य गीतों में टेसू माझी के गीत, चिट्ठों के गीत, तीर्थों के गीत, पुरहे के गीत, सिला बीनने के गीत, बधाया और हीरों का नाम आता है। मृत्यु के समय यहाँ की स्त्रियाँ भी हिन्दी भाषी अन्य क्षेत्रों की भाँति पद्यमय विलाप करती हैं।

रुहेलखण्ड के लोकगीत –

रुहेलखण्ड का इलाका बरेली, रामपुर, बदायूँ, अलीगढ़ आदि जिलों में फैला हुआ है। चारबैत रुहेलों का प्रसिद्ध संगीत है। चारबैत की परम्परा रुहेला पठानों के कारण पड़ी। ये पठान पश्तो बोलते थे और पश्तो में चारबैत को चरबैत्यह कहते हैं। यह चरबैत्यह ही इन रुहेला पठानों का संगीत था। इसे कव्वाली की तरह समूह में गाया जाता है। इस समूह को अखाड़ा भी कहा जाता है। चारबैत डफ की धुन पर गाया जाता है। ऊँची तान को प्रशंसनीय समझा जाता है। अंग्रेजों से हारने के बाद रुहेला रियासत खत्म हो गयी और इस संगीत में स्थानीयता का समावेश होने लगा। इसे खुशी और शोक दोनों अवसरों पर गाया जाता है। प्रायः सावन के महीने में यह ज़्यादा गाया जाता है। चारबैत के अलावा यहाँ ढोला भी गाया जाता है। यह स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित संगीत है। इसमें 'मारू का गौना' ज्यादा लोकप्रिय है। ढोला गायन में ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश भैया का नाम अग्रणी है। यहाँ पर आल्हा गाने की परम्परा भी है।

छत्तीसगढ़ के लोकगीत –

छत्तीसगढ़ में देवी गीत, बारहमासा, भोजली गीत, ददरिया, डण्डा गीत, होली, गहिरागीत, बाँसगीत, पुतरा–पुतरी के गीत, मण्डप गान, छैला और सोहर के गीत गाये जाते हैं। बोली के अन्तर से देवीगीत, बारहमासा, होली और सोहर अन्य बोलियों के गीतों की भाँति होते हैं। भोजली गीत रक्षाबन्धन के दिन गाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कजली के दिन जई बोई जाती है उसी प्रकार यहाँ भोजली लगाई जाती है। रक्षाबन्धन के दिन भोजली का जुलूस निकलता है। भोजली तालाब में सिराई जाती है। डण्डा गीत वर्ष में दो बार, क्वार तथा फागुन में, पुरुषों द्वारा डण्डा नृत्य के समय गाया जाता है। नाचते–गाते समय गायक एक दूसरे के डण्डे पर एक साथ मारते हैं। एक आदमी 'कुट्टी' शब्द का उच्चारण करता है जिसे कुट्टकी पाड़ना कहते हैं। इसके बाद नृत्य के साथ गीत आरम्भ हो जाता है। गीत गाते समय उई शब्द से ताल का संकेत किया जाता है। रावतों द्वारा कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक गहिरा गीत गाया जाता है। गाते समय लाठी से पैतरा भी भाँजते हैं। रावत जिनकी गाय चराते हैं, उनके दरवाजे पर जाकर गीत गाते हैं। रावतों का ही दूसरा गीत बाँस गीत है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुतरा–पुतरी गीत भी शादी के अवसर पर गाया जाता है।

अवधी और भोजपुरी लोकगीत –

अवधी भाषा क्षेत्र में लखनऊ और फैजाबाद के आस–पास के क्षेत्र आते हैं और भोजपुरी में बनारस, गोरखपुर, आरा के आस–पास के क्षेत्र आते हैं। संस्कार के गीतों में सोहर, मुंडन, कनछेदन, जनेऊ, विवाह एवं गौना (बहू विदाई) के गीत दोनों क्षेत्रों में गाए जाते हैं। जातीय गीतों में एक गीत बिरहा है। कुछ बिरहे लम्बे होते हैं और कुछ दो–दो, चार–चार पंक्तियों के छोटे बिरहे होते हैं। ऐसे बिरहों को पितमा कहते हैं। लम्बे बिरहों में वीर अथवा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। पौराणिक आख्यानों, वीर चरित्रों पर भी बिरहे होते हैं। विवाह तथा कुछ उत्सवों में नृत्य के साथ कहरवा गाया जाता है। चनैनी, नौवा इक्कड़, मलहिया, गंगा गीत, बंजरवा या नयकवा गीत यहाँ के प्रसिद्ध गीत हैं। धार्मिक गीतों में देवीगीत, दोनों क्षेत्रों में चलते हैं। मेला गीत मेला अथवा तीर्थयात्रा को जाते समय स्त्रियों द्वारा राह में गाए जाते हैं। श्रमगीतों में जंतसार, पीसते समय गाया जाता हैं। 'निरवाही के गीत' खेत की निराई करते समय गाए जाते हैं।

ऋतुगीतों में तीन प्रकार के गीत आते हैं– होली, चैती और कजली। चैती चैत्र महीने में गाई जाती हैं। चैती गीतों की ऊपर तथा टेक की पंक्तियों में हो रामा' शब्द आता है। होली और चैती पुरुषों के गीत है। अब से लगभग 20 वर्ष पूर्व एक प्रकार का गीत स्त्रियों द्वारा फागुन में ही गाया जाता था जिसका नाम था 'मनोरा झूमक'।

कजली स्त्रियों का गीत है और पावस काल में गाया जाता है। इसके कई भेद हैं। जैसे टुनमुनियाँ, झूमर, बारहमासा और झूला गीत आदि। इस क्षेत्र में भी जननायकों की गाथाएँ लोकनायकों द्वारा गाई जाती है। नयकवा, बंजरवा, लोरिकी, विजयमल तथा सोरठी आदि प्रबन्ध गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। गद्य के साथ लोककथाओं में पद्य कहने की भी परम्परा है, जैसे– शीत बसन्त, जरेवा–परेवा और सदाबृज सारंगा की कथाएँ। अन्य प्रकार के गीतों में लोरियाँ, लचारियाँ दोनों क्षेत्रों में चलती हैं। किन्तु पूर्वी और बिदेसिया भोजपुरी के लोकगीत हैं।

मैथिली लोकगीत –

मैथिली लोकगीत बिहार के चम्पारन, दरभंगा, पूर्वी मुंगेर, भागलपुर, पश्चिमी पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के पूर्वी भाग के ग्रामीणों द्वारा गाए जाते हैं। सोहर, यज्ञोपवीत के गीत, संमरि लग्न, गीत, नचारी, समदाउनि, झूमरतिरहुति, बरगमनी, फाग, चैतावर, मलार, मधु श्रावणी, छठे के गीत, स्यामाचकेवा, जट जटिन और बारहमासा यहाँ के मुख्य लोकगीत हैं। नचारी गीत प्रायः शिवचरित्र से भरा रहता है। विद्यापति रचित नचारियाँ खूब गाई जाती हैं। समदाउनि प्रमुख विदाई गीत है। जब लड़की ससुराल जाने लगती है तो यह गाया जाता है जो अत्यधिक करुण होता है। यथा– 'बड़ रे जतन हम सिया जी के पोसलों से हो रघुबंसी ने जाय आहे सखिया'! इस गीत की बहुत सी धुनें होती हैं। झूमर गीत मुख्य रूप से श्रृंगारिक होता है और धुनों के अनुसार कई प्रकार से गाया जाता है। मैथिली क्षेत्र के झूमरों की खास विशेषता है कि उनमें अधिकांश संदेशसूचक होते हैं। हिंडोला के झूमर बहुत सरस होते हैं, जैसे– छोटका देवर रामा बड़ा रे रंगिलवा, रेशम के डोरियवा देवरा बान्हथि हिंडोरवा। कुछ में स्त्री पुरुष के प्रश्नोत्तर होते हैं। 'तिरहुति' गीत स्त्रियों द्वारा फागुन में गाया जाता है। पहले यह गीत छह पदों का होता था, फिर आठ का हुआ और अब तो काफी लम्बा होने लगा है। उसे साहित्य में तथा लोकजीवन में मान्यता भी मिल गई है। इसमें प्रायः विरह भावनाएँ होती हैंः मोहि तेजि पिय–मोरा गेलाह विदेसा' साहबराम, नन्दलाल, भानुनाथ, रमापति, धनवति, कृष्णा, बुद्धिलाल, चन्द्रनाथ हर्षनाथ एवं बबुज नामक प्राचीन लोककवियों के तिरहुति खूब गाए जाते हैं। बटगमनी मुख्य रूप से राह का गीत है। मेले में जाती महिलाएं, नदी किनारे से लौटती हई पनिहारिने प्रायः बटगमनी गाया करती हैं।

लोकसंगीत मानव जीवन की अनुभूत अभिव्यक्ति और हृदयोदगार है तथा जीवन का स्वच्छ और साफ दर्पण भी है, जिसमें समाज के व्यक्त जीवन का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है। लोकगीत मनुष्य के स्वाभाविक भावनात्मक स्पन्दनों सें जितना जुड़ा हुआ है, उतना वाणी के किसी रूप में भी नहीं। लोकसंगीत ही लोकजीवन की वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. लोक साहित्य विमर्श – डॉ. श्याम परमार।
2. राजस्थानी लोकगीतों की शास्त्रीयता – डॉ. लवली शर्मा।
3. भारतीय संगीत का इतिहास – राम अवतार वीर।
4. भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं संगीत – अंजलि मित्तल।
5. बुन्देली लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन – मोतीलाल चौरसिया।
6. ब्रज की संगीत परम्परा – डॉ. वंदना सिंह।
7. गणगौर के लोकगीत – महिपाल सिंह राठौर।
8. लोक नाट्य में संगीत – श्रीमती ज्ञानवती मेहता।

ISSN : 2394-4366

Received: 09 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायतों के विकास में ग्राम प्रधानों द्वारा समस्या व सुझावों का वर्गीकरण

– राम करन
रिसर्च स्कालर–राजनीति विज्ञान,
(पेटी आफीसर)
भारतीय नौसेना,
नेवल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी लेबोरेट्री, विज्ञान नगर, एन.ए. डी. रोड,
विशाखापटनम–530027
(केरल)

ई–मेलः
kyayay89@gmail.com

रिसर्च सुपरवाइजर –
– डॉ. सीमा रानी
एसोसिएट प्रोफेसर –
राजनीति विज्ञान विभाग,
ओ. पी. जे. एस., चुरू–331001
(राजस्थान)

सारांश

भारत में प्राचीन काल से ही ग्रामीण समुदाय में अस्तित्व में है और स्थानीय सम्प्रभुता के रूप में कार्य कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद सरकारों ने आत्म निर्भर नगरपालिका का निर्माण किया जिसमें निचले स्तर तक के व्यक्ति के हस्तान्तरण को गले लगाना और राज्य स्तर पर लागू करने का प्रयास रहा है। लोग स्थानीय सरकारी अधिकारियों की बेईमान रणनीति के लिए अति संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनके पास अपने बचाव के लिए पढ़े–लिखे न होने के कारण आवश्यक ज्ञान की कमी है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों के विकास में ग्राम प्रधानों की भूमिका को लेकर उठे सवालों को लेकर या यूँ कहें कि इस सिस्टम का पूरी तरह से कायाकल्प करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक उत्तरदायित्व में आर. टी. आई. का विकास हेतु निचले स्तर से ही इस पर कार्य कर रही है। इसके पूर्व अगर नई आर. टी. आई. विनियम–2015 की वेबसाइट का कड़ाई से पालन किया जाता है तो उत्तर प्रदेश में आर.टी.आई. को जमीनी स्तर पर लागू करने के तरीके में बदलाव की सम्भावना होती जिसके कारण ग्राम पंचायत के विकास में ग्राम प्रधानों की भूमिका की आज महती आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाएँ–

73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत की अध्यक्षता प्रधान करता है जो उप–प्रधान को अपनी शक्ति और अधिकार सौंपता है जिसे उपप्रधान द्वारा चुना जाता है।

हम जिस चीज में रुचि रखते हैं, उसका हस्तान्तरण और विकास के बीच सम्बन्ध है और हस्तान्तरण का इतिहास इसके लिए सन्दर्भ प्रदान करता है। यह स्थानीय है या नहीं, यह बहस का विषय है। स्तर का नेतृत्व एक विकास प्रक्रिया को इंजीनियर कर सकता है जिसमें सभी वर्गों को शामिल किया जायेगा। समाज, जिसमें गरीब और कमजोर शामिल हैं और जो उनके सभी वर्गों के पक्ष में भी होगा। परिणाम देखते हुए कि ग्रामीण स्तर पर औपचारिक नेतृत्व की उम्मीद की जा सकती है, प्रचलित शक्ति सम्बन्धों को प्रतिबन्धित करें। ऐसे में पालन–पोषण जरूरी है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की स्थिति –

राज्यनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय स्तर पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। प्रारम्भिक और उच्च प्राथमिक जिसे वरिष्ठ बुनियादी शिक्षा के रूप में जाना जाता है, शिक्षा में नामांकन लगातार बढ़ रहा है। यू. पी सरकार

उत्तर प्रदेश में स्कूल में नामांकित 4 से 14 वर्षीय बच्चों का प्रतिशत

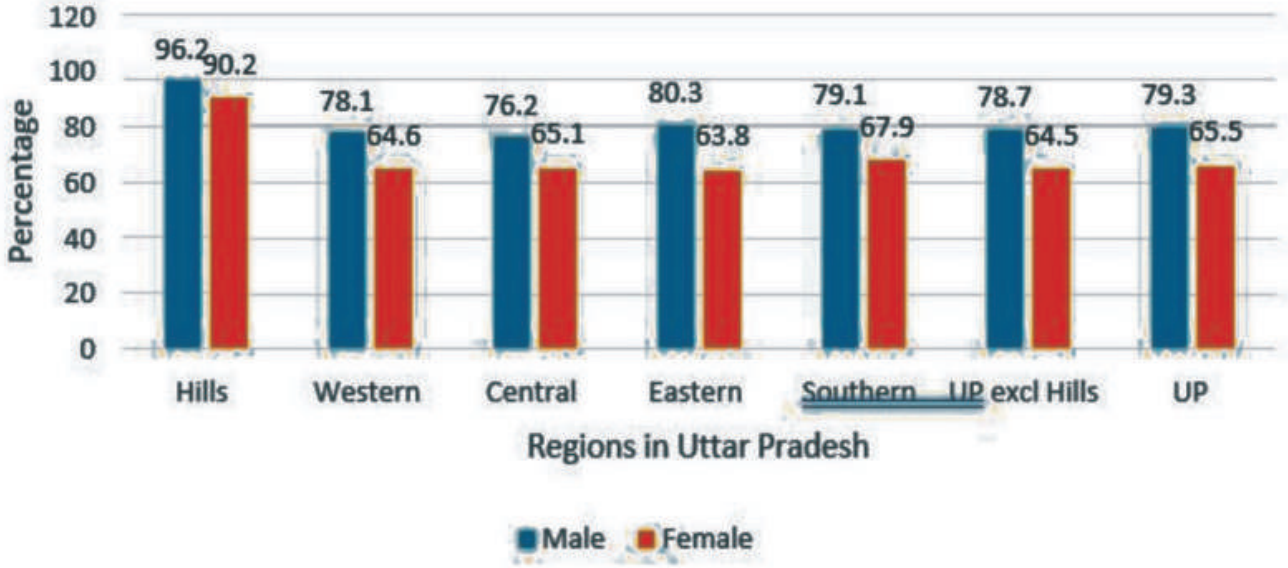

के आँकड़े बताते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या 2011 में 2.63 मिलियन से बढ़कर 2018 में 3.18 मिलियन, जब कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या इसी अवधि के दौरान 0.35 मिलियन से बढ़कर 2018 में 3.18 मिलियन हो गया। अध्ययन दिखाते हैं कि 1991 से 2000 के दशक में 19.9 प्रतिशत से बढ़कर 35.2 प्रतिशत हो गया। **(टेबिल देखें)**

पंचायतों को भारतीय संविधान की धारा–243–छ की 11वीं अनुसूची के द्वारा कुल 29 विषय हस्तांतरित किए गए है। इन 29 विषयों में कृषि सामाजिक वानिकी लघु व कुटीर उद्योग, पेयजल, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी निवारण कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, परिवार कल्याण, आदि विषय शामिल है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजना बनाने व लागू करने का कार्य भी पंचायतों को सौंपा गया है। जहाँ तक सम्भव हो एक हजार आबादी पर किसी ग्राम या ग्राम के समूह के क्षेत्र को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संघटित की जायेगी धारा 12 (1) (क) प्रधान तथा 23 सदस्यों के चुनाव होने पर ही पंचायत को संगठित किया जायेगा। सदस्य धारा 12 (1) (क) ग्राम पंचायत का एक ग्राम प्रधान होगा और 1000 की आबादी तक 9 सदस्य होंगे 2000 की आबादी तक 11 सदस्य होंगे। 3000 तक 13 सदस्य तथा 3000 से अधिक की आबादी पर 15 सदस्य होंगे। चुनाव पंचायतों के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु 73वें संविधान संशोधन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है जो पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने तथा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराता है। प्रधान का चुनाव– (धारा–11 ख (1)) ग्रामसभा की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रधान का चुनाव सम्पन्न किया जाता है।

सदस्य का चुनाव–

ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन मतदाता सूची के सम्बन्धित वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है।

आरक्षण–

1. प्रधान व सदस्यों के पदों में आरक्षण होगा।

2. उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जो माँग है उसी के हिसाब से प्रधान के पद अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

3. उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पिछड़ी जाति की आबादी का जो हिस्सा है, उसी के हिसाब से प्रधान के पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित किये जायेंगे किन्तु ये पद 100 में 27 से ज्यादा नहीं होंगे।

4. प्रधान के कुल पदों की संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किये गये पदों में से एक तिहाई पर महिलाओं हेतु आरक्षित किये जायेंगे।

5. अनारक्षित में से ही एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये जायेंगे। महिलायें अनारक्षित पदों पर भी चुनाव में लड़ सकती है।

6. ग्राम पंचायतों के सदस्यों के लिए भी आरक्षण ऊपर की तरह ही होगा किन्तु कुल आबादी में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग का हिस्सा पंचायत की कुल आबादी में देखा जायेगा, पूरे प्रदेश की आबादी में नहीं।

प्रशासनिक समिति या प्रशासक (धारा 11 ख (2) प्रशासनिक समिति या प्रशासक (धारा 11 ख (2) मिति या प्रशासक (धारा 11 ख (2) ।

1. यदि पंचायतों के सामान्य चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है और दो–तिहाई से कम सदस्य ही चुने जाते हैं तो सरकार एक प्रशासनिक समिति बना सकती है जिसमें वे व्यक्ति होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों।

2. राज्य सरकार एक प्रशासक भी नियुक्त कर सकती है।

3. प्रशासनिक समिति की सदस्य संख्या सरकार तय करेगी।

4. यह समिति या प्रशासक अधिकतम 6 माह ही कार्य करेगा और इसे इस काल में गठित ग्राम पंचायत समझा जायेगा तथा इसे ग्राम पंचायत, उसकी समितियों और प्रधान के सभी अधिकार मिले माने जायेंगे।

कार्यकाल –

धारा–12 (3) पहली बैठक के लिए तय तारीख से 5 साल तक पंचायत बनी रहेगी। यदि 5 साल से कम से कम 6 माह पहले उसे भंग किया जाता है, तो दुबारा चुनाव कराना होगा। दुबारा चुनी गई पंचायत का कार्यकाल समान्य समय (5 वर्ष) से बचे हुए समय के लिए होगा। बैठक ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक जरूरी है। साधारणतया बैठक उस ग्राम में बुलाई जायेगी जहाँ ग्राम पंचायत का कार्यालय स्थित हो और यह बैठक ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जायेगी तथा ग्राम पंचायत के निर्वाचन के पश्चात 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तिथि नियत की जायेगी।

बैठक की सूचना –

बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पहले सभी सदस्यों की लिखित रूप से सूचना दी जायेगी। इसका प्रकाशन ग्राम पंचायत की अधिकार सीमा के अन्तर्गत खास–खास स्थानों पर सूचना चिपकवा कर किया जायेगा (नियम 32 में 37)। कौन बैठक बुलायेगा (नियम–33)–

1. प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक बुला सकता है।

2. यदि पंचायत के 13 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहें तो प्रधान को पत्र मिलने के 15 दिन के अन्दर बैठक बुलानी होगी।

3. यदि प्रधान बैठक नहीं बुलाते है तो निर्धारित अधिकारी ए. डी. ओ. पंचायत बैठक बुला सकता है।

कारण (नियम– 35) –

1. प्रधान का पंचायत सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति बैठक काकोरम मानी जायेगी।

2. यदि कोरम के पूरा न होने पर बैठक नहीं होती है। तो दुबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें कोरम की जरूरत नहीं होगी।

अध्यक्षता नियम (46)–

1. प्रधान के मौजूद न रहने पर प्रधान के द्वारा मनोनीत सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

2. यदि प्रधान ने कोई मनोनीत न किया हो तो ए. डी. ओ. (पंचायत) मनोनीत करेगा।

3. यदि प्रधान और ए. डी. ओ. दोनों ही किसी सदस्य को मनोनीत न कर पायें हो तो ग्राम पंचायत बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ग्राम के किसी सदस्य को चुन सकती है।

स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र को प्राप्त है, जिस प्रकार से प्राण के अभाव में जीवन का मूल्य नहीं है। उसी प्रकार स्थानीय स्वशासन के अधिकार के अभाव में प्रजातंत्र की कल्पना करना भी व्यर्थ है क्योंकि प्रजातंत्र प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा तथा प्रजा का शासन है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही प्रजातंत्र के उपर्युक्त तीनों रूपों को प्राप्त किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं के द्वारा जनता स्वयं अपना शासन करती है और प्रशासन जनता की सेवा के लिए कार्यशील रहता है। थोड़े में प्रजातंत्र की प्राप्ति स्थानीय शासन के माध्यम से ही सम्भव है।

स्थानीय स्वशासन का स्वरूप विभिन्न देशों में भिन्न–भिन्न रूपों में पाया जाता है, जिसके कारण इसकी सर्वमान्य तथा सार्वभौमिक परिभाषा अथवा व्याख्या करना सम्भव नहीं है। इसके अर्थ तथा परिभाषा पर विद्वान कभी एकमत नहीं हो सके हैं। फिर भी स्थानीय शासन का ऐसा साधारण अर्थ बतलाया जा सकता है जो अधिकतम परिस्थितियों के अनुरूप हो वर्तमान समय राष्ट्रीय राज्यों का युग है जिसके कारण एक राज्य के प्रत्येक भाग में शासकीय व्यवस्था का क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है। देश

के कानून को क्रियान्वित करने के लिए राज्य के प्रत्येक भाग में सरकारी एजेन्सियाँ और अधिकारी गण फैले रहते हैं। इन अधिकारियों या एजेन्सियों की नियुक्ति ऐसे छोटे–छोटे क्षेत्रों में भी हो सकती है, जिनका अधिकार क्षेत्र सीमित है। प्रथम दृष्टया यह स्थानीय स्वशासन ही मालूम होता है किन्तु इन्हें स्थानीय स्वशासन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह केन्द्रीय व्यवस्था का एक भाग मात्र होता है और उसे स्थानीय राज्य सरकार कहा जा सकता है।

स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित वह शासन है जिन्हें स्थानीय स्तर पर क्षेत्र विशेष की जनता द्वारा चुना जाता है तथा इनको राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में रहते हुए भी कुछ मामलों में पूर्णतया स्वायत्तता (Utonomy) अधिकार (Right) तथा जिम्मेदारी (Responcebilty) प्राप्त हों जिसका उपयोग वे किसी सर्वोच्च अधिकारी के नियंत्रण के बिना अपने विवेक से कर सके। स्थानीय शासन को ऐसा शासन भी बतलाया गया है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त (Deligered) अधिकारों का उपयोग करता है। किन्तु ये स्थानीय शासन सर्वोच्च नहीं होते हैं। इन पर राज्य या केन्द्र सरकारों का नियंत्रण होता है। इनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भारत में स्थानीय संस्थाओं का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। ये संस्थाएं राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करती है तथा राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्मित कानूनों को मूर्तरूप प्रदान करती है अतः सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार और स्थानीय शासन अपने पारस्परिक संबन्धों में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। प्राप्त अधिकारों की सीमा के अन्दर रहते हुए बहुत कुछ स्वतंत्र है।

स्थानीय स्वशासन का अर्थ मौलिक रूप से शासकीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण है क्योंकि किसी देश की कोई भी सरकार अपने सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र पर एक केन्द्रीय सरकार द्वारा शासन नहीं कर सकती है। स्थानीय आवश्यकताओं हितों और समस्याओं को केवल वे ही भली–भाँति समझ सकते हैं जो वहा के स्थायी निवासी है. अतः स्थानीय प्रशासन पर स्थानीय जनता का नियंत्रण ही उपयुक्त है।

ग्राम पंचायतों द्वारा आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव–

आर्थिक पिछड़ापन एक गम्भीर समस्या है। ग्राम पंचायतों द्वारा कृषि से सम्बन्धित आर्थिक समस्याओं का निराकरण भी आवश्यक है जिसमें पूँजी के अभाव को दूर कर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। कृषकों को कृषि पदार्थों की उचित कीमत दिलाने के लिये कृषि पदार्थों की विक्री में आवश्यक सुधार करने होंगे। इसके लिये कृषि प्रदार्थों की विक्री में आवश्यक सुधार के लिये आवश्यक यातायात के साधनों का विकास, गोदामों की व्यवस्था, माप–तौल की पद्धति में वैज्ञानिकीकरण, उपज का श्रेणीकरण बाजार भागों की सूचनाओं का अधिक प्रसार एवं कृषकों को मध्यस्थों के जाल से छुड़ाया जाये। उपज के विक्रय के लिये नियंत्रित मण्डियों की तथा विपणन समितियों की स्थापना आवश्यक है। रासायनिक खाद तथा उन्नत बीज को प्रशासन स्थानीय स्तर तक पहुँचाये जिससे कृषि उत्पादन विकास में सहायता मिलें। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करें। ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि उपकरणों का प्रयोग करें जिससे समय की बचत होगी तथा उत्पादन बढ़गा। फसलों को कीड़े–मकोड़ों से सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाओं का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग की जानकारी खेत पर जाकर कृषकों को खेत–खलिहानों तथा भण्डारों में उत्पादन को सुरक्षित रखने की शिक्षा प्रदान करें। त्वरित तथा सस्ते यातायात साधनों को मुहैया कराये ताकि उत्पादित वस्तुयें सही समय पर मण्डी पहुँच सही दाम प्राप्त कर सके। जिससे आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी। कृषकों का जीवन स्तर में सुधार से क्षेत्र, राज्य तथा राष्ट्र का जीवन स्तर सुधरेगा। उपज के विक्रय के लिये नियंत्रित मण्डियों की तथा विपणन समितियों की स्थापना आवश्यक है।

कहावत है कि वैसे भी 'किसान भाग्य का मारा होता है', जैसे ही वह उत्पादित फसल को बेचने के लिए तत्पर होता है, एकदूसरा जाल तैयार होता है, जो कि पहले वाले कुचक्र से भी अधिक खतरनाक होता है जिसमें वह उलझ जाता है। यह जाल होता है देशी साहूकारों और महाजनों का मध्यस्थों के इस जाल में कृषक की वही स्थिति होती है जो कि मकड़ी के जाले में फंसी हुई मक्खी की होती है। एक बार मकड़ी के जाले में मक्खी फंस जाने पर वह उससे बाहर निकलने के लिये जितने अधिक प्रयास करती है उतनी ही ज्यादा वह उसमें उलझती जाती हैं, यही हाल भारतीय किसानों का भी है। यह उसकी मजबूरी है कि वह अपनी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये देशी महाजनों से ऋण के समय ही आगामी फसल का सौदा कर लेते हैं। कृषक की विवशता का लाभ उठाकर

देशी महाजन मनचाही कीमत पर उसे खरीद लेते हैं। वहीं वह तौल के समय भी वह कृषक का शोषण करता है। एक अनुमान के अनुसार आजादी के पूर्व तक कृषकों को उसकी उपज का लगभग 50 प्रतिशत मूल्य ही प्राप्त होता था और कभी–कभी तो यह उससे भी कम होता था। यदि हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के कृषि समस्याओं का अध्ययन करें तो कुछ समस्याएँ अति जटिल दिखती हैं। जिन पर प्रकाश डालना भी अति आवश्यक हो जाता है।

प्राकृतिक, आर्थिक समयाओं की तरह पंचायतों में कुछ संगठनात्मक समस्यायें भी हैं। संगठनात्मक समस्याओं में जिला में सहकारी खेती का अभाव होने से कृषि के लिए जोतों का आकार छोटा है, खेत बिखरे हुए हैं। उत्तराधिकार कानून, साहूकारों या भूस्वामित्व सम्बन्धी तथ्य कृषि निकाय को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। जिनके पास स्वयं का भूमि नहीं होती वे बंटाई या किराये पर जमीन लेते हैं। यह किराया बहुत अधिक होता है जिसके फलस्वरूप लागत और लाभ में अधिक अन्तर नहीं आता, परिणामस्वरूप कृषकों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होता है। बटाई प्रथा के कारण स्वयं की भूमि न होने के कारण उत्पादन में कृषक ठीक से रुचि नहीं लेता। कृषि की बर्बादी भी एक समस्या है। कृषि भूमि की शक्ति का ह्रास निरन्तर प्रयोग में आना एक समस्या बन गया है। आधुनिकीकरण में कठिनाई जनसंख्या भले ही कृषि कार्य में संलग्न है। किन्तु अधिकांशतः मानवीय श्रम तथा पशु–शक्ति पर आधारित हैं। निम्न उत्पादकता जैसी समस्यायें जन्म ले रही हैं जिसमें कृषि सुधार कार्यक्रमों की असफलता एक प्रमुख कारण है।

निष्कर्ष –

निष्कर्ष रूप में वर्तमान संगठनात्मक समस्यायें पर भूस्वामित्व, कृषि सम्बन्धी जानकारियों, अनुदानों तथा अन्य सुविधाओं का प्रसार, कृषि उपकरण का उचित मूल्य, बाजार व्यवस्था, सुविधा आदि में समुचित बदलाव लाकर समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जिले के संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक है कि कृषक छोटे–छोटे खेतों में कृषि कार्य सहकारी आधार पर करें। सहकारी कृषि द्वारा भूमि का उपविभाजन तथा उपखण्डन रुकेगा तथा उन्नत कृषि का प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि भू–स्वामित्व पर प्रतिबन्ध हो यह भी कृषि सम्बन्धी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान है। बंटाई किराये की कीमत करें जिससे कृषक रुचिकर ढंग से कृषि कार्य करें कृषकों उत्पादकता मध्य निर्धारण के संदर्भ में कृषकों के लाभ की दृष्टि से भी मूल्य निर्धारण आवश्यक करें ताकि उनको लागत के प्रतिफल में उचित लाभ मिले।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Jasprit Kaur Soni : Governance of Panchayati Raj, Authors Press, Delhi, 2005, Page-110.
2. आर. पी. जोषी एवं रूपा मंगलानी, संपादक – भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी अकादमी, जयपुर, 2007, पृष्ठ – 67।
3. Jasprit Kaur Soni : Governance of Panchayati Raj, Authors Press, Delhi, 2005, Page-111.
4. आर. पी. जोशी एवं रूपा मंगलानी, संपादक – भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी अकादमी, जयपुर, 2007, पृष्ठ – 68।
5. दैनिक जागरण (कानपुर संस्करण)।

ISSN : 2394-4366

Received:24 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

मानवीय मूल्य : स्वरूप और ह्रास

– डॉ. अनुराधा मिश्रा
असिस्टेन्ट प्रोफेसर–हिन्दी विभाग,
रामकृष्ण महाविद्यालय, भरुवा,
हमीरपुर –208011 (उत्तर प्रदेश)

ई–मेल :
mdranuradha@gmail.com

सारांश

मानवीय मूल्यों से युक्त भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार समन्वय की यातना थी। इसके द्वारा विषम और विरोधी तत्वों में सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्हें एक दूसरे का पूरक बना दिया जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समन्वय का अमोघ मन्त्र लेकर 'रामचरितमानस' की रचना की। समन्वय की इसी विराट चेष्टा के कारण मानस देशकाल की सीमा को पार करता हुआ विश्व वन्द्य और कालजयी हो गया। परन्तु आधुनिक युग में समन्वय की यह भावना क्षीण होती जा रही है। मानव जाति विभिन्न वर्गों, स्तरों, सम्प्रदायों आदि में विभक्त हो रही है। धरती का हृदय विभिन्न राष्ट्रों के कटु और निर्लज्ज स्वार्थों से क्षत–विक्षत हो रहा है, शोषण उस चरम स्थिति पर पहुँच गया है जहाँ जंगल का कानून 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' सही सिद्ध हो रहा है। वस्तुतः स्वतन्त्रता का लाभ शोषितों–निर्धनों और समाज के दुर्बल वर्गों को न मिलकर शक्तिशाली लोगों को ही मिल रहा है। अतः भारत में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने से पहले धर्म प्रयास आवश्यक है। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाये।

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है `Change is the law of nature' जो कल ग्राह्य था, वह आधुनिक परिवर्तित परिवेष में अग्राह्य हो सकता है और जो अतीत में अग्राह्य था, वह आधुनिक संदर्भों में उपयोगी हो सकता है। वस्तुतः परम्परा एक गतिशील प्रक्रिया की देन है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को पूर्णतः वही नहीं देती है, जो अपनी परवर्ती पीढ़ी से प्राप्त करती है। परिवर्तन के इस प्रवाह में कुछ छूटता है, कुछ बदलता है और कुछ जुड़ता रहता है। सभी भावों के मूल में कुछ पुराने संस्कार और नवीन अनुभव होते हैं। प्राचीन संस्कारों में बहुत कुछ समाप्त हो जाते हैं और शेष संस्कारों के नये अनुभवों को मिलाकर नवीन मूल्यों की कल्पना की जाती है। सामाजिक संदर्भ बदल रहे हैं, सरोकार बदल रहे हैं, नयी सामग्रियाँ और नये कौशल नवीन संदर्भों की रचना कर रहे हैं। उनमें बहुसमाद्रित मानवीय मूल्यों का रूप कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। परन्तु फिर भी शाश्वत रूप बना रहता है।

परिवर्तन एक ऐसी सतत् प्रक्रिया है, जो निखिल विश्व को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव मूल्यों पर भी पड़ता है। किसी भी वस्तु में परिवर्तन अचानक नहीं होता है। उसकी जड़े परम्परा में गहराई तक समायी रहती हैं। यही कारण है कि मानवीय मूल्यों का बाह्य स्वरूप, परिवर्तन के प्रभाव से कुछ बदला तो नजर आ सकता है। परन्तु उसका शाश्वत रूप बना रहेगा। अतः स्पष्ट है कि परिवर्तन के प्रभाव से मानवीय मूल्य भी परिवर्तित होते रहते हैं

और कभी–कभी उनके ह्रास का कारण भी बनती है। मानवीय मूल्यों के स्वरूपगत वैशिष्ट्य और ह्रास की स्थितियों और कारणों की समीक्षा निम्नलिखित रूप में की जा सकती है–

(क) मानवीय मूल्य का स्वरूपगत विवेचन – मनुष्य प्रकृति की अनुपम कृति है। वेदों में 'अमृतस्य पुत्रः' कहकर उसकी वन्दना की है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ मानते हुए कहा है– 'बड़े भाग मानुष तन पावा'। उनके अनुसार भगवान एक है, इच्छारहित है, जिसका कोई रूप तथा नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानन्द, परमधाम है, सर्वव्यापक विश्वरूप है। वही मानव देह में स्थित लोक कल्याणार्थ अनेक लीलाएँ करता है–

'एक अनीह' अरूप अनामा। अज सच्चिदानन्द परधामा।।

व्यापक विश्वरूप भगवाना। तेहि धर देह चरित कृत नाना।।'[1]

भारतीय मनीषियों ने शाश्वत मूल्यों के रूप में सत्य को बहुत महत्व दिया है। मानव जीवन के ऊर्ध्वमुखी विकास के लिए सत्य सबसे बड़ा संबल होता है। वस्तुतः सत्य के आलोक में ही जीव आत्मा का साक्षात्कार करता है और सांसारिक बन्धनों से मुक्त होकर अखण्ड अनन्दानुभूति में निमग्न हो जाता है। सन्त कबीर ने स्पष्ट घोषणा की है–

'साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
जाके हिरदय साँच है, ताके हिरदय आप।।'

सत्य कभी असुन्दर नहीं होता है। जहाँ सत्य है वहाँ लोकमंगल अथवा शिवत्व की भावना है और जहाँ सत्य और शिव दोनों हैं वहाँ दिव्य सौन्दर्य की उपस्थिति स्वतः हो जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय वाङमय के तीन अनिवार्य तत्वों के रूप में सत्यं, शिवम् और सुन्दरम् को प्रतिष्ठित किया जाता है। विश्व कवि रवीन्द्र ने भी सत्य और सौन्दर्य की अभिव्यक्ति को कला का कार्य मानव के लिए सत्य और सौन्दर्य की सजीव सृष्टि करना होता है।

`The building of man's free world, the living world of truth and beauty, is the function of art.'

प्रसिद्ध दार्षनिक प्लेटो ने तो सौन्दर्य में आध्यात्मिकता के दर्षन किये हैं–

`Beauty is the spiritual making itself known sensually.'

शौफ्ट्स बरी ने तो ईश्वर और सान्दर्य को एक रूप माना है–

`Beauty is the God are one and same.'

भारतीय दर्शन जिस सत्यम् और सुन्दरम् की परिकल्पना करता है, उसकी पुष्टि करते हुए प्रसिद्ध पाश्चात्य कवि कीट्स लिखते हैं–

`Beauty is truth and truth is beauty.'

भारत में सौन्दर्य के इसी उदात्त रूप को महत्व दिया गया है। सौन्दर्य के साथ लोकमंगल की भावना की सुन्दरम् और शिवम् का दूसरा रूप है। शिवम् से युक्त सौन्दर्य चित्रण किस प्रकार विश्व सौन्दर्य का प्रतीक बन जाता है और इसमें किस प्रकार व्यष्टिमूलक शक्ति का रूप ले लेता है, इसे समझने के लिए कविवर विद्यापति की निम्नलिखित पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं–

''सखि, कि पूंछसि अनुभव योग।
से हो पिरित अनुराग बखानिये,
तिल तिल नूतन होय।
जनम अवधि हम रूप निहारल,
नयन न तिरपित भेल।
से हो मधु बोल स्रवनहिं सूनल,
स्तुति रथ परस न भेल।
कत मधु जामिनि रभस गयो ओल,
न बूझल कइसन केल।
लाख–लाख जुग हिय–हिय राखल,
वइयों हिय जुड़ल न गोल।
कत विदग्ध–जन सा अनुमोदई,
अनुभव काहू न पेख।
विद्यापति कह प्रान जुड़ाएत,
लखित न मिल एक।'

इस प्रकार सौन्दर्यबोध एक ऐसा मानवीय मूल्य है, जिससे युक्त होकर मानव न केवल जीवन के वास्तविक सौन्दर्य के स्वरूप का अनुभव करता है अपितु लोकमंगल की भावना से युक्त होकर वह उस सौन्दर्य की अभिव्यक्ति भी करता है। वस्तुतः लोकमंगल की भावना जब सौन्दर्य भावना के सहारे अभिव्यक्त होती है, तब वह और अधिक उदात्त और दिव्य हो जाती है।

विश्वबन्धुत्व –

विश्व प्राणियों में मानव की श्रेष्ठता का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी लोकोपकार की प्रवृत्ति भी है। भारतीय दर्शन, संस्कृति, साहित्य आदि का मुख्य आधार

समष्टि चेतना और लोक कल्याण की भावना है। संस्कृति, दर्शन और साहित्य तीनों के व्युत्पत्तिपरक अर्थ में भी लोक मंगल की भावना अन्तर्निहित है। जब कवि उदात्त आत्मा विश्वात्मभाव से तादात्म्य स्थापित कर लेती है, तब उसकी अनुभूति विश्व की अनुभूति बन जाती है और उसका अन्तःकरण विश्व का अन्तःकरण बन जाता है। ऐसी स्थिति में पहुँचा हुआ मानव सम्पूर्ण विश्व में ईश्वर का अंश देखता हुआ, उसके साथ स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में इसी स्थिति का सुन्दर चित्रण किया है–

'सियाराम मय सब जग जानी।
करहु प्रनाम जोरि जुग पानी।।'

प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञेय जी ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है–

'मैं स्वान्तः सुखाय नहीं लिखता। कोई भी कवि केवल स्वान्तः सुखाय लिखता है, यह स्वीकार करने में मैंने सदा अपने को असमर्थ पाया है। अपनी अभिव्यक्ति किन्तु किस पर अभिव्यक्ति इसलिए अभिव्यक्ति में ग्राहक, पाठक या श्रोता मैं अनिवार्य मानता हूँ।'[2]

इस प्रकार विष्व बन्धुत्व की भावना एक ऐसा शाश्वत मूल्य है, जो मानवता के अस्तित्व का प्रमुख आधार है। हमारी आदर्श परम्परा और भारतीय चिन्तन में इस शाश्वत मूल्य की स्थान–स्थान पर अभिव्यक्ति हुई है। इतना ही नहीं सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार भी लोकमंगल की उदात्त भावना है–

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्चिद् दुःखभागभवेत्।।'

प्रेम–

मनुष्य जीवन का प्रधान उपकरण प्रेम है। प्रेम की सरस और उदात्त भावना से समस्त मानव समाज आह्लादित और आप्लावित है। हृदय के समस्त सद्भावों के शान्त, स्थिर उद्गार का नाम प्रेम है। प्रेम बलिदान है, आत्म त्याग है और ममत्व का विस्मरण है। यह स्वर्गीय शक्ति का ऐसा जादू है, जिससे राक्षस भी देवता बन जाते हैं। प्रेम की पहली शर्त स्वार्थ भावना का परित्याग और पहली आवश्यकता बलिदान की भावना है। ऐसे प्रेम में मानव समाज को स्पंदित करने की क्षमता होती है। प्रेम का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। यह न केवल मानवता को शुद्ध करता है वरन् मानव जीवन के दुर्भाग्य से मुक्ति भी दिलाता है। लोकमंगल के लिए यह एक अनिवार्य साधन है। आधुनिक समाज में बढ़ती हुई घृणा तथा हिंसा के विरुद्ध यह एक प्रभावकारीशस्त्र है। इसकी सर्वव्यापकता के कारण ही इसे ईश्वर का रूप कहा गया है।

आधुनिक समाज की जटिलता एवं विषमता रूपी रोग की प्रधान औषधि प्रेम ही है। सुप्रसिद्ध कवि पन्त की दृष्टि में वास्तविक प्रेम एक अलौकिक पदार्थ है। उसे पाने के लिए निष्काम मन चाहिए, विमल बुद्धि चाहिए, इन्द्रिय निग्रह चाहिए। यही कारण है कि पन्त जी धरती पर ऐसे स्वर्ग की स्थापना चाहते हैं जहाँ प्रेम की भावना से युक्त मानव समाज में मानव रूपी ईश्वर का वास हो।

स्वामी विवेकानन्द जी ने इसीलिए प्रेम को एक ऐसा महान शस्त्र बताया है जिसके द्वारा मानवता को विजयी बनाया जा सकता है–

'प्रेम ही मैदान जीतेगा। क्या तुम अपने भाई–मनुष्य जाति को प्यार करते हो। ईश्वर को कहाँ ढूंढने चले हो, ये सब गरीब, दुखी, दुर्बल मनुष्य क्या ईश्वर नहीं हैं। इन्हीं की पहले पूजा क्यों नहीं करते। गंगा तट पर कुआँ खोदने क्यों नहीं जाते हो। प्रेम की असाध्य साधिनी शक्ति पर विश्वास करो।'[3]

नैतिकता –

नैतिकता की व्युत्पत्ति करने से पता चलता है कि यह शब्द नैतिक शब्द की भावनात्मक संज्ञा है। नैतिक शब्द की संरचना नीति षब्द से हुई है, जिसका सम्बन्ध 'णीय' धातु से है। इस धातु का अर्थ है 'ले जाना' या पथ–प्रदर्शन करना। इस प्रकार नीति शब्द का धातुगत अर्थ है– आगे ले जाना। हिन्दी साहित्य कोश के नीति शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है–

'समाज को स्वस्थ एवं सन्तुलन पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति करने के लिए जिन विधि–निषेधमूलक, सामाजिक, व्यवहारिक, आचरित, धार्मिक तथा राजनैतिक आदि नियमों का विधान देशकाल और पात्र के सम्बन्ध में किया जाता है, उसे नीति शब्द से अभिहित करते हैं।'[4]

नैतिकता एक ऐसा मानव मूल्य है, जिसका सम्बन्ध मानव मात्र से है। यह देशकाल से परे है।

'नैतिकता की भावना को बदलने का पहला कारण हुआ है, धर्म भावना का अथवा ईश्वर की परिकल्पना का रूप परिवर्तन जिसके कारण सृष्टि का या कम से कम मानव के उससे सम्बन्ध का केन्द्र ईश्वर न रहकर स्वयं मनुष्य हो गया है।'

हिन्दी साहित्य में नैतिकता के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इस मानवीय मूल्य के व्यापक अभिव्यक्ति की गयी है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं–

'चुन चुन रे ले कल कल से जगती की सजग व्यथा,
रह जायेगी कहने को जनरंजनकारी कथा।
जगती का कलुष अपावन तेरी विदग्धताएँ,
फिर निखर उठे निर्मलता यह पाप–पुण्य हो जाए।।'[5]

'यह नहीं अच्छा कि कि मन का राग
मन में ही दफ़न हो जाय
अंकुर दो उसे :
फूटे, उठे, ऊपर चढ़े,
सब लोग छाया में खड़े हों और सुस्ताएं,
करें चर्चा प्रकृति की और मानव की,
यही तो काव्य का आनन्द है।'[6]

कर्मठता –

मानव जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। कर्म एक ऐसा सोपान है जिसका सहारा लेकर मनुष्य ऊर्ध्वगमन कर सकता है अथवा अधोगमन। दोनों की स्थितियाँ कर्म के स्वरूप पर निर्भर हैं। उत्कृष्ट कर्म में आस्था, मानव समाज की प्रगति और उत्थान का समर्थ साधन है, तो निकृष्ट कर्म उसके अधःपतन के कारण हैं। अतः भारतीय मनीषियों ने जब मानवीय मूल्य के रूप में कर्म के महत्व को स्वीकार किया तो उसके निष्काम स्वरूप को ही अनिवार्य और उपयोगी माना है। गीता में इसी निष्कार्म कर्म के महत्व का निरूपण है। योगीराज कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि–

'कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।'[7]

अर्थात् निष्काम कर्म ही मनुष्य का अधिकार है, उसके उसके फल की आशा नहीं करनी चाहिए। आधुनिक योगी विवेकानन्द जी भी कर्म को ही पूजा माना है– `Work is worship.'

निर्भयता –

आदिम युग के गुहा मानव से लेकर चन्द्रमा पर पैर रखने वाले आधुनिक मानव तक की महायात्रा में निर्भयता रूपी पाथेय का महत्वपूर्ण योगदान है। भय रहित होकर ही मनुष्य प्रगति के पथ पर पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास से बढ़ता है। भय संशय को जन्म देता है और संशय से मनुष्य की चेतना नष्ट होती है। भयमुक्त आत्मा ही सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को पार करती हुई अवरोधों से ही ऊर्जा ग्रहण करती हुई अपने गन्तव्यों तक पहुँचने में सफल होती है।

मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु से है। व्यक्ति चाहे जितना भी समर्थ और शक्तिशाली क्यों न हो, मृत्यु से सदैव भयभीत रहता है। भारतीय संस्कृति और दर्शन जीवन को इस भय से मुक्त कराते हैं। वेदान्त के महावाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि' तथा 'तत्वमसि' इस सत्य का उद्घाटन करते हैं कि परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा अजर और अमर है। इसे न तो कोई मार सकता है और न ये किसी को मारता है। न तो इसे शस्त्र द्वारा खण्डित किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा धोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है–

'नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेयन्त्यापो न शोषयति च मारुतः।।'[8]

अतः स्पष्ट है कि निर्भयता एक ऐसा मानवीय मूल्य है, जो जीवात्मा को सद्वृत्तियों से आवेष्टित करता हुआ लोकमंगल के लिए सम्प्रेरित और सक्रिय करता है। योगीराज कृष्ण कुरूक्षेत्र में कुन्ती पुत्र अर्जुन को इसी निर्भयता का उपदेश देते हुए कहते हैं–

'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।।'[9]

अक्रोध–

अक्रोध का अर्थ है 'क्रोधरहित होना'। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है, जो सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि और विवेक को भस्म कर देती है और यह करणीय और अकरणीय के भेद को भूल जाता है। क्रोध के ऐसे विषदन्त से आहत व्यक्ति भले–बुरे के ज्ञान को खो देता है और उसका स्वभाव पशुतुल्य हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसके आत्मीय सम्बन्ध वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक आदि छिन्न–भिन्न हो जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति का कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ सामंजस्य नहीं बन पाता है। फलतः उसका पारिवारिक जीवन तो विषाक्त होता ही है, वह स्वयं भी अकेला पड़ जाता है।

क्रोध असभ्यता का लक्षण है। क्रोध उसी व्यक्ति को होता है जिसका मन क्षुद्र और भययुक्त होगा। क्रोधी व्यक्ति का मानसिक तनाव बढ़ जाता है जिससे वह अपना सन्तुलत खो देता है। क्रोध से केवल मानसिक सन्तुलन ही नहीं बल्कि शारीरिक कष्ट भी उत्पन्न होते हैं। क्रोध में दुःख, द्वेष और अहंकार समाहित होते हैं। क्रोधाग्नि में जलते हुए व्यक्ति की क्षुधा कम हो जाती है और वह

रक्तचाप से पीड़ित हो जाता है, यहाँ तक कि उसे उन्मादि रोग भी घेर लेते हैं।

अतः स्पष्ट है कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और अक्रोध के महत्व को समझते हुए मन को शान्त रखना चाहिए। क्रोधहीन व्यक्ति शान्त और स्थिर मन, प्रेम पूर्ण हृदय और बुद्धि सम्पन्न तथा विवेकशील मस्तिष्क के द्वारा अपने जीवन का सर्वतोन्मुखी विकास करने में तो सक्षम होता ही है, साथ में अपने समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। जिसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है, वह समस्त विश्व को अपना परिवार मानने लगता है और मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रवृत्त रहता है। इस सम्बन्ध में गौतम बुद्ध का दृष्टान्त है–

महात्मा बुद्ध का एक आलोचक उनको बहुत ही भद्दी–भद्दी गालियाँ दे रहा था। वे मुस्कुराते रहे और आलोचक की ओर शान्त और प्रेमभाव से देखते रहे। आलोचक के पास जब भद्दे–भद्दे शब्द न रहे, तब वह स्वयं ही भगवान बुद्ध से पूछने लगा, कि मैंने आपको इतना बुरा कहा है, परन्तु आपको तनिक भी क्रोध नहीं आया। आप बिलकुल ही विचलित नहीं हुए।

इस उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मानव के वैयक्तिक जीवन में ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति के उत्थान और कल्याण के लिए अक्रोध नाम मानवीय मूल्य का महत्वपूर्ण स्थान है।

सेवा–

सेवा एक अनमोल मानवीय मूल्य है। वस्तुतः समस्त मानव जाति के अस्तित्व के प्रमुख आधारों में से एक का नाम सेवा है। सेवा का प्रारम्भ परिवार से ही हो जाता है। सेवा एक ऐसा मानवीय मूल्य है जो मनुष्य–मनुष्य के बीच एक संवेदनात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है। सेवा का भाव मनुष्य–मनुष्य के मध्य भेदक तत्व कारणों को मिटा देता है। केवल मनुष्यता का सम्बन्ध रह जाता है।

मानव मात्र की सेवा की प्रखर भावना का ही परिणाम है कि आज सम्पूर्ण विश्व में दुःखियों, असहायों, षोषितों, गरीबों आदि की सहायता के लिए अनेक संस्थायें कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न षाखाएँ, विष्व के किसी भी कोने में आपदा, संकट की स्थिति में सहायता के लिए आगे आ जाती हैं। संसार में कहीं भी बाढ़, तूफान, भूकम्प, दुर्भिक्ष आदि भीषण त्रासदी उत्पन्न होने पर सभी राष्ट्र संघ मुक्त हाथों से सहायता के लिए आगे आते हैं। अतः सेवा रूपी यह मानवीय मूल्य समस्त मानव जाति की अनमोल निधि है, सभी धर्मों का आधारभूत तथ्य है।

मानवीय मूल्यों का ह्रास–

आधुनिक युग मूल्यों के क्षरण का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विषमताएँ, विरूपताएँ और विसंगतियाँ दिखाई देती हैं। उनके मूल्य में मूल्यों का क्षरण हुआ है। स्वतन्त्रता सेनानियों ने घोर परिश्रम और सर्वस्व बलिदान करते हुए देश को स्वतन्त्र कराया। ये मानवीय मूल्यों में उनकी आस्था का ही परिणाम था कि वे हँसते–हँसते ब्रिटिश शासकों द्वारा दी गयी यातनाएँ सह लेते थे। मस्ती भरे गीत गाते हुए फाँसी के फन्दों पर लटक जाते थे। परन्तु आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के बासठ वर्षों बाद अपने देश की जो स्थिति है, उससे यही लगता है कि आजादी के दीवानों का खास परिश्रम बेकार गया।

मानवीय मूल्यों से युक्त भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार समन्वय की यातना थी। इसके द्वारा विषम और विरोधी तत्वों में सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्हें एक दूसरे का पूरक बना दिया जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समन्वय का अमोघ मन्त्र लेकर 'रामचरितमानस' की रचना की। समन्वय की इसी विराट चेष्टा के कारण मानस देशकाल की सीमा को पार करता हुआ विश्व वन्द्य और कालजयी हो गया। परन्तु आधुनिक युग में समन्वय की यह भावना क्षीण होती जा रही है। मानव जाति विभिन्न वर्गों, स्तरों, सम्प्रदायों आदि में विभक्त हो रही है। धरती का हृदय विभिन्न राष्ट्रों के कटु और निर्लज्ज स्वार्थों से क्षत–विक्षत हो रहा है, शोषण उस चरम स्थिति पर पहुँच गया है जहाँ जंगल का कानून 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' सही सिद्ध हो रहा है। वस्तुतः स्वतन्त्रता का लाभ शोषितों–निर्धनों और समाज के दुर्बल वर्गों को न मिलकर शक्तिशाली लोगों को ही मिल रहा है। इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द जी का कथन दृष्टव्य है–

'भारत के सत्यानाश का मुख्य कारण यही है कि देश की सम्पूर्ण विद्या, बुद्धि, राजशासन और देश केवल मुट्ठीभर लोगों के एकाधिकार में रखी गयी है।'[10]

'भारत के दरिन्दों, पतितों और पापियों का कोई साथी, कोई सहायता देने वाला नहीं है।, वे कितनी ही कोशिश क्यों न करें, उनकी उन्नति का कोई उपाय नहीं है। वे दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं। क्रूर समाज उन पर जो लगातार चोटें कर रहा है, उसका अनुभव तो खूब कर रहे हैं, पर वे जानते नहीं कि वे चोटें कहाँ से आ रही हैं।'

मानवीय मूल्य मानव को एक व्यापक उदारवादी

दृष्टि प्रदान करते हैं। परन्तु मूल्यहीनता की स्थिति में मनुष्य की दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। ऐसी दृष्टि से युक्त मनुष्य न तो अपनी उन्नति कर सकता है और न समाज की। इतना ही नहीं संकीर्ण मनोवृत्ति से अंधविश्वास, भेदभावना, धर्मान्धता, साम्प्रदायिक विद्वेष आदि विकारों का जन्म होता है जो सम्पूर्ण मानव समाज के लिए वेदना का कारण बनता है। विद्वान पुरुष इससे बचने के लिए समय–समय पर मनुष्य को सावधान करते हैं–

'वही स्वार्थ कटु राग–द्वेष जन–जन में,
दुःख–दैन्य, स्पर्धा, हिंसा पर लांछन।
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय, संशय,
सावधान करते जिनके प्रति बुध जन।।'[11]

समस्त मानव जाति के लिए शाश्वत मानवीय मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है। यदि भारत के संस्कृति गौरव को सुरक्षित रखना है, राष्ट्र का सर्वतोमुखी विकास करना है, मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा करनी है तो धर्म, अध्यात्म, त्याग, सेवा, एकता, आस्था, सत्य आदि शाश्वत मूल्यों से जीवन को सम्प्रेरित और संचालित करना होगा। इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द जी के कुछ विचार अवलोकनीय हैं–

'भारतवर्ष का प्राण धर्म ही है,
उसके जाने पर भारत नष्ट हो जायेगा।।'[12]

अतः भारत में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने से पहले धर्म प्रयास आवश्यक है। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाये।'

'भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैंः त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जायेगा।'[12]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुमित्रानन्दन पन्त ग्रन्थावली भाग, गांधी जी के संस्मरण, पृष्ठ–537।
2. उत्तरा प्रस्तावना, पृष्ठ–10।
3. युगवाणी – सुमित्रानन्दन पन्त, पृष्ठ–44।
4. उत्तरा – सुमित्रानन्दन पन्त, पृष्ठ–6।
5. युगान्त – सुमित्रानन्दन पन्त, पृष्ठ–11।
6. युगपथ – सुमित्रानन्दन पन्त, पृष्ठ–46।
7. श्रीमद्भगवद्गीता – अध्याय–2।
8. श्रीमद्भगवद्गीता – अध्याय–13।
9. सौपर्ण – सुमित्रानन्दन पन्त, पृष्ठ–51।
10. बीडिंग एण्ड नमिंगनेस – जे. पी. शात्र, पृष्ठ–36।
11. लोकायतन – सुमित्रानन्दन पन्त, पृष्ठ–506।
12. लोकायतन – सुमित्रानन्दन पन्त, पृष्ठ–224।
13. अतिमा अस्तित्ववाद – सुमित्रानन्दन पन्त, पृष्ठ–128।

◈◈

विज्ञापन एवं निवेदन

रिसर्च जर्नल में विज्ञापन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध सम्पादक के पते पर सम्पर्क करें। **'अभिनव गवेषणा'** (मल्टी डिस्लनरी क्वार्टरली इण्टरनेशनल रेफ्रीड/पियररिव्यूड रिसर्च जर्नल) आप सभी की एक? स्ववित्त पोषित पत्रिका है, अतः पत्रिकी के? लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग सराहनीय होगा।? कृपया अपनी सहयोग राशि चेक, ड्राप्ट अथवा आर टी जी एस के माध्यम से निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें। - सम्पादक? -

'अभिनव गवेषणा'
के-444, 'शिवराम कृ?पा' विश्व बैंक बर्रा,
कानपुर-208 027 (उत्तर प्रदेश, भारत)

प्रबन्धन एवं सम्पादन

'अभिनव गवेषणा' (मल्टी डिस्लनरी क्वार्टरली इण्टरनेशनल रेफ्रीड/पियररिव्यूड रिसर्च जर्नल) में अपने शोध पत्रों की? प्रकी?शित क?राने हेतु नियमित स्थान प्रदान क?रने के लिए कृ?पया फु?ल स्के?प की?गज पर टाइप कि?या हुआ अथवा मेल किया हुआ शोध लेख अपनी स्वीकी?रोक्ति? के? साथ भेजें।?भेजने की? पता - सेक्टर के - 444, 'शिवराम कृ?पा' विश्व बैंक बर्रा - कानपुर-208 027 (उत्तर प्रदेश, भारत) मोबाइल नं0 8896244776, 9335597658 **E-mail super.prakashan@gamil.com** पर सम्पर्क करें। मिलने का समय- सप्ताह में 6 दिन 10.00 से 6.00 (रविवार अवकाश)।

ISSN : 2394-4366

Received: 13 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

भारत की कूटनीतिक सफलता

– डॉ. डी. के. उपाध्याय
विभागाध्यक्ष –
रक्षा एवं स्त्रातेजिक विभाग,
एल. एस. एम. विश्वविद्यालय
कैम्पस, पिथौरागढ़–262502,
(उत्तराखण्ड)

ई–मेलः
upadhyayaydk68@gmail.com

सारांश

भारत की कूटनीतिक विशेष सफलता पर दृष्टि डालते हुए हम हाल ही में सम्पन्न हुए नई दिल्ली स्थित 'मंडपम्' में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अन्य शामिल होने वाले देशों के राष्ट्रध्यक्षों में प्रमुख रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति जो वाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, आस्ट्रेलिया के प्रधान एंथनी अलबनिजी, चीन के प्रधानमंत्री लीक्यांग, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति जाको विडोडो, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज लूला डी–सिल्वा आदि राष्ट्राध्यक्षों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि के साथ–साथ 14 वैश्विक संगठनों के प्रमुख हैं। इस सम्मेलन की एक विशेष बात यह रही कि भारत ने कहा कि एक धरती, एक विश्व व एक भविष्य के साथ ही विकाशशील एवं गरीब देशों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। भारत द्वारा रखे गये सभी प्रस्तावों पर गहन विचार हुआ और सभी पर सहमति भी बन गयी चूँकि सभी प्रस्ताव भारत के सम्मुख सर्व सम्मति से पास हो गया इसलिए यह विशेष उपलब्धि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है।

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होने के साथ ही गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने सभी देशों से अपने अच्छे सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया। भारत ने सदैव अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों एवं सन्धियों को अक्षरशः पालन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। तत्कालीन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति हेतु निम्नलिखित तथ्यों का निर्धारित किया–

- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता द्वारा ही किये जाने का संकल्प लिया।
- विश्व के सभी राष्ट्रों से मधुर सम्बन्ध रखने का संकल्प।
- अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करना तथा राष्ट्रों की संन्धियों का अनुपालन करना।
- सैन्य सन्धियों एवं गुट बन्दियों में अपने को शामिल न करना तथा साम्राज्यवादी नीतियों तथा उपनिवेशवाद का विरोध करना।
- अपने राष्ट्रहित के लिए आपसी विश्वास एवं दूसरे देशों का सम्मान बनाये रखना।

भारत की विदेश नीति के मूलभूत तत्व –

गुटनिरपेक्षता, शान्ति की नीति, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व की नीति, पंचशील सिद्धान्त हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर भारत की विदेशनीति चलती

रही, किन्तु 1971 भारत–पाक युद्ध के समय जब अमेरिका ने पाक की ओर से पक्ष लेते हुए सातवाँ बेड़ा भेजने का संदेश भेजा तब भारत को लगा कि अब मेरी गुटनिरपेक्षता की नीति फेल हो रही है, किन्तु सोवियत रुस ने संरक्षण देकर भारत को सहारा दिया। सोवियत संघ के विभाजन के पश्चात् विश्व की स्थिति में भारी बदलाव आया और भारत को लगने लगा कि अब विश्व एक ध्रुवीय हो रहा है। भारत ने देखा कि अब ऐसे रहना उचित नहीं है। अतः भारत ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया और अटल जी की सरकार ने 1998 में परमाणु विस्फोट करके भारत का मनोबल बढ़ाया। पाकिस्तान भी पीछे कैसे रहता उसने भी परमाणु विस्फोट कर अपनी शक्ति प्रदर्शित की। इधर चीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भारत को घेरने का प्रयास किया। भारत में कांग्रेस सरकार ने इनसे निपटने की सोचती रह गयी किन्तु कोई ठोस उपाय न सोच सकी। भाग्यवस भारत में 1914 में मोदी सरकार आ गयी। मोदी सरकार ने आते ही सभी पड़ोसियों को अपने सपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि भारत सभी पड़ोसियों से अच्छे सम्बन्ध बनाना चाहता था और एक स्टेटमेन्ट दिया कि भारत किसी से भी नजर नीची करके या नजर उठाकर करके बात करना पसन्द नहीं करेगा वरन् आँख में आँख डालकर बात करना पसन्द करेगा।

भारत ने वही रास्ता अपनाया और जैसे ही पाकिस्तान ने भारत में आतंकी कार्यवाही की तुरन्त भारत ने पाक के घर में घुसकर सैनिक कार्यवाही की। जब पाक के आतंकियों ने 18 सितम्बर, 1916 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एल.ओ.सी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हमला किया इसमें 16 जवान शहीद हो गये थे। इसमें शामिल चार आतंकी मारे गये थे। इसके बदले में भारत ने 29 सितम्बर को सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया। पुनः जब पाक समर्थित आतंकी जैश–ए– मोहम्मद ने 14 फरवरी, 2019 को भारत के CRPF के काफिले पर अटैक किया। इसमें भारत के 40 जवान मारे गये थे। इसका बदला भारत ने 26 फरवरी, 2019 को एयर स्ट्राइक करके पाक के 200 से 300 आतंकियों को मार गिराया। वर्तमान सरकार की विदेश नीति इतनी प्रखर व शक्तिशाली हुई जिसमें G-20 सम्मेलन में भारत ने अध्यक्षता करके नई दिल्ली घोषणा पत्र 83 बिन्दुओं पर पूर्ण सहमति से घोषित किया।

रुस–यूक्रेन युद्ध के सम्बन्ध में मोदी का यह कहना रूस के राष्ट्रपति से कि यह युद्ध का काल नहीं है बड़ी बात हुई और भारत की ऐसी नीति जिसमें अमेरिका के साथ भी दोस्ती प्रगाढ़ रखना तथा रूस से सम्बन्ध अच्छा रखना बड़ी चुनौती थी, तब भारत ने यह करके दिखा दिया। रूस से जब सस्ते तेल लेने की बात आयी तो भारत ने किसी के दबाव में आये बिना यह स्पष्ट कर दिया कि भारत रूस से सस्ता तेल लेकर अपने राष्ट्रहित का संरक्षण अवश्य करेगा और जब G-20 के शिखर सम्मेलन में भारत पर यह दबाव था कि रूस को युक्रेन युद्ध के सम्बन्ध में घेरा जाए और सभी देश निन्दा प्रस्ताव पास करें, तब भारत ने फिर एक बार अपनी कूटनीतिक एवं दबंग छबि रखते हुए रूस के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव न पास करके अपनी निष्ठा पुराने साथी के प्रति सिद्ध कर दी। भारत ने पुनः यही दोहराया कि यह समय युद्ध का नहीं है अर्थात् युद्ध को रोका जाये इस पर सभी देशों ने सहमति व्यक्त कर दी।

9 सितम्बर, 2023 भारत के लिए युगान्तकारी कार्य करने का समय माना जायेगा। भारत की धाक ऐसी बनी जिससे सभी देश एक होकर एक साथ एक स्वर में घोषणा पत्र पर सहमति व्यक्त कर दिया। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का नाम तक नहीं आया वरन् समग्र एवं स्थायी शान्ति स्थापित करने का आवाहन किया गया। इस प्रकार यह कहा गया कि हर देश अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें तथा प्रत्येक देश की क्षेत्रीय अखण्डता, सम्प्रभुता और मानवीय मूल्यों का संरक्षण करना नितान्त आवश्यक समझा जाये।

भारत के नई दिल्ली स्थित मंडपम् में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो वाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, आस्ट्रेलिया के प्रधान एंथनी अलबनिजी, चीन के प्रधानमंत्री लीक्यांग, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति जाको विडोडो, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज लूला डी–सिल्वा आदि राष्ट्राध्यक्षों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि के साथ–साथ 14 वैश्विक संगठनों के प्रमुख सम्मिलित हुए।

भारत ने G-20 में धार्मिक घृणा के सभी कृत्यों की निन्दा का प्रस्ताव पास करवाया जिसमें धार्मिक ग्रन्थों, प्रतीकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपमान न किये जाने की बात कही गयी। धर्म और विश्वास की स्वतन्त्रता

सभी को होना चाहिए, साथ ही सभी को अपने मत रखने या अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सभी को शान्तिपूर्ण सभा करने और संघ बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार होना चाहिए। सभी धर्मों का आदर करना तथा सभी प्रकार की असहिष्णुता और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाना। आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करने के लिए सभी देशों को सहमत किया गया। इसमें यह भी माना गया कि एक समग्र दृष्टिकोण ही अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना कर सकता है। आतंकवाद को संरक्षण देना, उसके लिए धन जुटाना तथा अपनी भूमि का प्रयोग होने देना इन सभी बातों का विरोध करना सम्मिलित है। इसके अतिरक्त हथियारों की तस्करी पर भी रोक लगाना आदि के लिए सभी देशों का एकजुट होना इस पर सहमति व्यक्त किया गया।

भारत ने दूसरे देशों में रेल, सड़क व बंदरगाह बनाकर दूसरे देशों पर अपना अधिकार स्थापित करने की चीन की रणनीति की काट भारत और अमेरिका ने मिलकर निकाल ली है। भारत ने अमेरिका, सऊदी अरब तथा कुछ अन्य नेताओं के साथ मिलकर "भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप रेल कारिडोर परियोजना" बनाने की घोषणा की। इससे चीन का प्रभुत्व समाप्त हो जायेगा।

इस सम्मेलन की एक विशेष बात यह रही कि भारत ने कहा कि एक धरती, एक विश्व व एक भविष्य के साथ ही विकाशशील एवं गरीब देशों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। भारत द्वारा रखे गये सभी प्रस्तावों पर गहन विचार हुआ और सभी पर सहमति भी बन गयी चूँकि सभी प्रस्ताव भारत के सम्मुख सर्व सम्मति से पास हो गया इसलिए यह विशेष उपलब्धि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दैनिक जागरण – 10 सितम्बर, 2023 ।
2. डॉ. बी. एल. फड़िया – अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ।
3. डॉ. पुष्पेश पन्त – अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ।
4. दीनानाथ वर्मा – अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ।
5. पामर एण्ड परकिन्स – इण्टरनेशनल रिलेशन्स ।

सुपर प्रकाशन

(विश्वविद्यालय स्तरीय लाइब्रेरी पुस्तकों के प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता)

हम पुस्तकों को स्पष्ट शब्द सज्जा, डिजाइन एवं उत्तम कोटि की छपाई व अत्याधुनिक बाइंडिंग के साथ प्रकाशित करते हैं। विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रवक्ता, कवि, लेखक, रचनाकार - कहानीकार अपने संस्मरण, गीत, ग़ज़ल एवं कृतियाँ या अन्य किसी भी विधा पर उत्कृष्ट ग्रन्थ अथवा रिसर्च स्कालर (शोध कर्ता) थीसिस प्रकाशन हेतु तैयार हो तो मूल प्रति (Script) भेजकर एक माह में ही अपनी प्रति को पुस्तक के आकार में प्राप्त करें।

सुपर प्रकाशन देश-विदेश के समस्त शिक्षा जगत् से जुड़े डिग्री कालेजों (Higher Education) में यू जी सी के द्वारा उपलब्ध निर्धारित मानकों के अनुसार नेशनल एवं इन्टरनेशनल पियर रिव्यूड रिसर्च जर्नल में अपने शोध लेख (Research Paper) को **'दि गुँजन'** एवं **'अभिनव गवेषणा' (मल्टी डिसिप्लिनरी क्वार्टरली इण्टरनेशनल रेफ्रीड/पियर रिव्यूड रिसर्च जर्नल)** के द्वारा प्रकाशित कराने का अवसर उपलब्ध कराता है।

सुपर प्रकाशन द्वारा हिन्दी साहित्य - कला संकाय, कामर्स संकाय एवं विज्ञान संकाय तीनों फैकल्टी की पुस्तकों एवं इनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन एवं विक्रय विश्वविद्यालय लाइब्रेरी स्तर पर किया जाता है। हमें एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें।

- सर्वेश तिवारी 'राजन'

(प्रबन्ध संपादक - 'दि गुँजन' एवं 'अभिनव गवेषणा'

(मल्टी डिसिप्लिनरी क्वार्टरली इण्टरनेशनल रेफ्रीड/पियर रिव्यूड रिसर्च जर्नल)

के-444 'शिवराम कृपा' विश्व बैंक बर्रा, कानपुर-208 027 (उत्तर प्रदेश)

मो0- 09335597658, 08896244776 E-mail:super.prakashan@gmail.com

ISSN : 2394-4366

Received: 15 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

वैश्वीकृत हिन्दी कविता और साम्प्रदायिकता

– डॉ. प्रियंका कुमारी
पूर्व रिसर्च स्कालर–
हिन्दी विभाग,
भीमराव अम्बेडकर यूनीवर्सिटी,
मुजफ्फरपुर–842001 (बिहार)

ई–मेलः
1983kumaripriyanka@gmail.com

सारांश

वैश्वीकरण ने साम्प्रदायिता का नया रूप विकसित किया है। वह पहले से अधिक काइयाँ हो गयी है तथा चुपके से समाज में अपना शिकार ढूँढती है। वैश्विक ग्राम का नियन्ता मानने वाले अमेरिका ने समाज को यदि चमक–दमक दी है तो मानवता पर दीमक भी लगाया है। कवि दीपक नारायण मिश्र उसकी दो सौ छब्बीसवीं वर्षगांठ पर भूमण्डलीकरण की नीति पर व्यंग्य करते हैं। 11 सितम्बर, 2001 की त्रासदी के पश्चात् अमेरिका डरावने सपने देखने लगा है। साम्प्रदायिकता से जो खून बह रहा है उसकी कोई जाति, कौम या सम्प्रदाय नहीं है। यह खून है मानवता का, इंसानियत का और धर्म का। धार्मिक भावनाओं को भड़का कर वे राजनीतिक रोटियाँ चित्त की जा रही हैं, वे आम जन के रक्त से गीली हैं। वास्तव में दो विशिष्ट समुदाय के लोगों का आपस में कोई दंश नहीं है। तंत्र इन्हें सम्प्रदाय की संकीर्णता में कैद कर भावनायें भड़काता है और लड़ने को बाध्य करता है। इक्कीसवीं सदी की चाहे जितनी भी उपलब्धियाँ गिनाई जायें परन्तु कई क्षेत्रों में हम आगे की बजाय पीछे की ओर ढकेले गये हैं। आदमी सभ्य, सुसंस्कृत होकर भी मजहबी खून–खराबे को पोषित कर रहा है तथा यह पहले से अधिक क्रूर होता जा रहा है। इंसान और जानवर में विभेद करने वाली संवेदना और सोच को तिलांजलि दी जा रही है। संकीर्ण मानवता की विचारधारा आज की सभ्यता को घिनौनी और लिजलिजी बना देती है। बाहरी तामझाम बड़ा आकर्षक है परन्तु भीतर से वह और अधिक काइयाँ, संकीर्ण एवं धूर्तता को समावेशित करता गया है। सम्प्रदाय के पाखण्ड को वह मारकाट व हिंसा की अपनी दुकान चलाए रखना चाहता है। वैश्विक पूँजीवाद के इस नये धन्धे को समकालीन हिन्दी कविता अनावृत करती चलती है। सभ्यता की यह भेड़चाल कब तक हमारा भविष्य चौपट करेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। धर्म, वर्ण और सम्प्रदाय के नाम पर होने वाले संघर्ष में सर्वाधिक आहत महिलाएँ ही होती हैं। यहाँ तक कि अशोभनीय गालियाँ भी नारी को सम्बोधित कर दी जाती हैं।

भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता का विवेचन है। आज धर्म हमारे सामने धर्म संकट बनकर खड़ा हो गया है। यह एक ज्वलन्त प्रश्न है। मनुष्य जाति को आज इसने अपनी पूर्ण संकीर्णताओं एवं विद्रूपताओं के साथ परेशान कर दिया है। इसी के नाम पर समाज बांटा जा रहा है। साम्प्रदायिकता का विष वातावरण में घुला हुआ है। इस सामाजिक एकजुटता की जड़ों को धार्मिक विद्वेष व साम्प्रदायिक दंगे खोखला करने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में धर्म निरपेक्षता हास्यास्पद लगती है। कैसी धार्मिक स्वतन्त्रता है यह। सर्व धर्म समभाव से ढोंग तक का सफर ऐसी आजादी के दामन पर बदनुमा दाग ही तो है। धर्म के ठेकेदारों की चकरघिन्नी में फंसा भारतीय मानस धार्मिक

नेताओं से मुक्ति की कामना करे भी तो कैसे। साम्प्रदायिकता या साम्प्रदायिक फासीवाद अब इस देश का सबसे बड़ा यथार्थ होता जा रहा है। सारे यथार्थों और सारी वास्तविकताओं से ऊपर सबसे केन्द्रीय यथार्थ इसे बाकायदा लाया जा रहा है और स्थापित किया जा रहा है। यथार्थ के प्रवृत्ति होती है कि यह षडयंत्रपूर्वक या सायास नहीं जा सकता। स्थितियों–परिस्थितियों के स्वाभाविक के क्रमानुक्रम में वह स्वयं आता है। भूमण्डलीकरण ने संस्कृति को अपने अनुसार परिवर्तित करना शुरू किया है। जहाँ एक ओर आर्थिक तंगी का बोलबाला है, वहीं दूसरी और सामाजिक, धार्मिक और जातीय प्रसंग बदलते जा रहे हैं। जालसाजी, झूठ और अविश्वास ने सरोकारों को क्षरित किया है। धर्मसत्ता, साम्प्रदायिकता एवं आतंकवाद समाज की त्रासद कटु सच्चाइयाँ हैं। मस्तराम कपूर के अनुसार – 'धर्म साम्प्रदायिक तब बनता है, जब धर्म सत्ता के रूप में कार्य करने लगता है और इस प्रक्रिया में दूसरे धर्मों के साथ उसकी होड़ चलती है। एक ओर तो वह अपने को मजबूत बनाने के लिए कठोर कायदे–कानून बनाता है, दूसरी और अन्य धर्मों के मुकाबले अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वह आक्रामक रुख अपनाता है। दूसरे शब्दों में जब उसमें कट्टरता और आक्रामकता की प्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं तो धर्म अपना सौम्य रूप खो देता है और सामाजिक विकास में बाधक बनने लगता है।'[1]

अमेरिका और यूरोपीय सभ्यता, संस्कृति और सत्ता विश्व पर अपना वर्चसव बनाये रखना चाहते हैं। वह अपने किये किसी भी कृत्य–कुकृत्य पर स्पष्टीकरण देना सही नहीं समझते हैं। अपने कारनामों के पीछे उनके पास पूरा तर्क, चाल और शब्दों की बाजीगरी मौजूद है। मनुष्यता और इंसानियत को बचाने की भाषणबाजी थोथी है। भगवत रावत अमेरिका की इस लिजलिजी सफेदपोशी पर करारा वार करते हैं। वह कभी मनुष्यता, लोकतंत्र और कभी जैविक हथियारों की दलील देकर दुनियाँ के उस किसी भी देश को बमों से पाट देता है जो उसके हुक्म पर तालीम न करे। उसकी वैश्विक कल्याण की बात पूरी तरह बेमानी है। यदि उसकी सोच मानवता की पक्षधर होती तो वह एक सम्प्रदाय विशेष के खिलाफ अभियान न छेड़ता। उसकी ऐसी मनुष्यता का वर्णन भगवत रावत 'देश एक राग है' कविता में कहते हैं–

'मनुष्यता को बचाने उन्होंने हिरोशिमा पर बम डाला,
मनुष्यता को बचाने उन्होंने वियतनाम उड़ा डाला,
मनुष्यता को बचाने उन्होंने इराक किया तबाह,
मनुष्यता को बचाने उन्होंने अफगानिस्तान रौंद डाला,
मनुष्यता को बचाने उन्हें पता नहीं कब क्या करना पड़ जाये,
बेचारे मनुष्यता के पुजारी ने अपने स्वभाव से लाचार,
उनकी मनुष्यता अपरम्पार।'[2]

वैश्वीकरण ने साम्प्रदायिता का नया रूप विकसित किया है। वह पहले से अधिक काइयाँ हो गयी है तथा चुपके से समाज में अपना शिकार ढूँढती है। वैश्विक ग्राम का नियन्ता मानने वाले अमेरिका ने समाज को यदि चमक–दमक दी है तो मानवता पर दीमक भी लगाया है। कवि दीपक नारायण मिश्र उसकी दो सौ छबबीसवीं वर्षगांठ पर भूमण्डलीकरण की नीति पर व्यंग्य करते हैं। 11 सितम्बर, 2001 की त्रासदी के पश्चात् अमेरिका डरावने सपने देखने लगा है। इसको लक्ष्य करके कीर्ति नारायण मिश्र कहते हैं–

'सोए में नहीं डरावना सपना,
दोस्त न लगे दुश्मन,
दुश्मन न लगे अपना,
अल्ला की राह पर न आप भटकें,
गॉड आपके गले में न अटके,
फिर कभी न लगे 11 सितम्बर वाले झटके।'[3]

अपने समय की विसंगतियों से जूझती समकालीन हिन्दी कविता कठमुल्लों की पहचान कराती चलती है। साम्प्रदायिक उन्माद को भड़काने वाली चरित्रहीन राजनीति के पैंतरों का पर्दाफास उनकी पहली जरूरत है। कवि मदन कश्यप भूमण्डलीकरण को जाति'धर्म का ज़हर बेचने वाला मदारी बताते हैं। ऐश्वर्य और उपभोग की सभ्यता ने बुद्धिजीवी समुदाय को इस तरह अपने लपेटे में ले लिया है कि संघ, सम्प्रदाय भी लेन–देन के कारोबार में तब्दील हो गये हैं। यूरोप की मंडी साम्प्रदायिक उन्माद को नये रूप में विक्रय कर रही है–

'क्या सचमुच यह मुल्क मदारियों का है,
जो बजा रहे हैं भूमण्डलीकरण की डुगडुगी,
और उन सपेरों का,
जो बेच रहे हैं जाति–धर्म का ज़हर,
यूरोप के विचार बाजार में।'[4]

साम्प्रदायिक दंगे और जातीय संघर्ष को बढ़ाकर कठमुल्ले और कट्टरपंथी समाज को विकास और शिक्षा से मरहूम कर रहे हैं। तथाकथित राजनेता अपनी रोटी सेंकने के लिए आगजनी, मार–तोड़ और खून–खराबे से परहेज नहीं करते हैं। निश्छल जनसमुदाय भावनाओं में बहकर एक–दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है। एकान्त श्रीवास्तव खुलासा करते हैं कि बिना राजनीति 'सह' के बबेला नहीं किया जा सकता है–

'ये कौन लोग हैं,
त्रिशूल और खंजर लिए,
जो आ रहे हैं इस तरफ,
हिंसा, रक्तपात, दंगे, आगजनी के जिम्मेदार,
सत्ता व पुलिस की मिलीभगत से,
खेलते घिनौना खेल,
करते तोड़–फोड़ इतिहास के साथ।'[5]

साम्प्रदायिकता से जो खून बह रहा है उसकी कोई जाति, कौम या सम्प्रदाय नहीं है। यह खून है मानवता का, इंसानियत का और धर्म का। धार्मिक भावनाओं को भड़का कर वे राजनीतिक रोटियाँ चित्त की जा रही हैं, वे आम जन के रक्त से गीली हैं। वास्तव में दो विशिष्ट समुदाय के लोगों का आपस में कोई दंश नहीं है। तंत्र इन्हें सम्प्रदाय की संकीर्णता में कैद कर भावनायें भड़काता है और लड़ने को बाध्य करता है। कवि कुमार विकल सफेदपोश धर्म के ठेकेदारों से पूंछते हैं कि अपने इस कृत्य का मर्म तो बतायें–

'क्या तुम मुझे यह सब बता सकते हो,
इन रक्त सने कपड़ों,
फटे जूतों, टूटी साइकिलों,
किताबों और खिलौनों की कौम क्या है,
क्या तुम मुझे बता सकते हो,
स्कूल से कभी न लौटने वाली,
बच्ची की प्रतीक्षा में खड़ी,
माँ के आँसुओं का धर्म क्या है,
और हस्पताल में दाखिल,
जख़्मियों की चीजों का मर्म क्या है।'[6]

सोची समझी साजिश के अंजाम देते हुए साम्प्रदायिकता का विष समाज की नसों में भरा जाता है। सामान्य आदमी को आपस में बाँटकर नियंता अपनी रोटी सेंकता है। वैश्विक पूँजीवाद के रिमोट पर कथकली करने वाले हमारे नीति निर्धारक साम्प्रदायिक आग में भावनाओं से रंजित संकीर्णता की आहुतियाँ डाल रहे हैं। मजहबी फतवे और फरमान उन्हें इंसान के बीच भेद करना, बैर करना और खून करने की शिक्षा देते हैं। मानवता का गला घोंटने वाले खंजर भोंकने व त्रिशूल मारने को पहले जाति व धर्म का प्रमाण ले लेते हैं। दंगाई पूरी तरह आश्वस्थ हो जाना चाहते हैं कि वह जिसे हलाल कर रहे हैं, वह उसके दुश्मन सम्प्रदाय से ताल्लुक रखता है। कुमार अंबुज अपनी रचना 'किवाड़' में मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरिजाघर तक सिमटी संकीर्णता को आत्मसात् करने वालों को फटकार लगाते हैं। अंबुज जाति सम्प्रदाय की मानसिकता को दूषित–प्रदूषित मानते हैं–

'बताओ अपने धर्म,
और वंशावली के बारे में,
किस मस्जिद, किस मन्दिर किस गुरुद्वारे में,
किस चर्च में तुम करते हो प्रार्थनाएं,
तुम्हारी नहीं तो अपने पिता,
अपने बच्चों की जाति बताओ,
इस बार दंगों में रहोगे किस तरफ,
और मारे जाओगे,
किसके हाथों।'[7]

अयोध्या, गोधरा जैसे प्रकरण ने पूरे देश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक दिया। यहाँ इंसानियत और मानवता बार–बार शर्मसार हुई है। धर्म और मजहब के नाम पर नंगानाच देखने को मिला। लोगों को जिन्दा जलाया गया और माँ–बहनों की अस्मत लूटी गयी। क्या धर्म यही सिखाता है। इतिहास में दर्ज यह काली स्याह रात बीत चुकी है लेकिन प्रश्न ज्यों का त्यों मुँह बाये खड़ा है। क्या हम इसे ही सभ्यता कहते हैं। इतिहास की ओर मुड़ करके देखें तो ज्ञात होता है कि कर्म वही है जो मनुष्य होने की तमीज सिखाता है। न्याय का पक्ष लेना सिखाता है न कि किसी से अन्याय करना। गुजरात प्रकरण पर अनेक सशक्त रचनाएँ की गयी। भगवत रावत इस घिनौनी सोच का पर्दाफास करते हैं जो ईराक और गोधरा में एक जैसी दृष्टिगत होती हैं–

'गुजरात नहीं होता तो क्या इराक रुक जाता,
या कि इसके भी पहले इराक रुक जाता,
गुजरात ही रुक जाता,
यह सब तो होना ही था,
कोई आकस्मिक घटना, जैसे भूकम्प या,
सुनामी लहरों का हाहाकार,

हो या नहीं यह नरसंहार,
यह तो सोचे समझे?
विधि के विधान की तरह अटल था,
आखिरकार इस पृथ्वी पर किसी न किसी जगह,
इराक और गुजरात तो होना ही था।'[8]

अतीत कई बार अपने समकालीन क्रूरता को व्यंजित करने के लिए बेहद कारगर होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी सभ्यता, संस्कृति के आदर्श रहे हैं किन्तु उन्हीं के नाम पर ही मर्यादा भंग की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी जन्मस्थली अयोध्या को तार–तार करने वाले सफेदपोश साम्प्रदायिकत दलाल राम के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। संतोष कुमार चतुर्वेदी ने अयोध्या और गुजरात की घटनाओं पर अपनी रचनाएँ यथार्थ रूप में प्रस्तुत की हैं–

'बेबाक राय भी अयोध्या के उस राम के बारे में,
जो खयाल करते थे,
कदम–कदम पर मर्यादा का,
लेकिन अब हर जगह उद्दण्डता पसर रही है,
लोगों को अब वही अयोध्या,
बुरी तरह से अखर रही है।'[9]

धर्म की दुहाई देने वालों फैलाया गया दंगा–फसाद पूरे समाज की दशा–दिशा बदल देता है। काव्य प्रारम्भिक समय से ही साम्प्रदायिकत सद्भाव बनाये रखने की कोशिश करता रहा है। कबीर, तुलसी को लोग विस्मृत करते जा रहे हैं, जब कि इनकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी। वर्तमान समय में भी इनके दृष्टान्त भी मजहबी आग को ठंढा नहीं कर पाये हैं।। परिवर्तित साम्प्रदायिक परिवेश के दंश को बहुत गहरे मानवीय स्तर पर उगने वाले रचनाकार विष्णु खरे अपने काव्य संकलन 'काल और अवधि के दरमियान' में साम्प्रदायिकता के नये ढंग को रेखांकित करते हैं। गोधरा काण्ड के समय का त्रासद चित्रांकन करते हुए विष्णु खरे दंगे के काल में जन्में उन बच्चों का जिक्र करते हैं जो मुस्लिम शिविर में है। यदि वे गोधरा में सुलाए गये होते तो हिन्दू शिशु कहे जाते। दुधमुहों के प्रति कवि अपनी सोच को व्यक्त करते हुए कहता है–

'इन बच्चों को सिर्फ बचाना ही नहीं है,
वह खुशी कैसे बचे, वह मुस्कान कैसे,
जो अभ फकत अपने आस–पास महज,
इंसानों को देख इनके चेहरे पर है।'[10]

इक्कीसवीं सदी की चाहे जितनी भी उपलब्धियाँ गिनाई जायें परन्तु कई क्षेत्रों में हम आगे की बजाय पीछे की ओर ढकेले गये हैं। आदमी सभ्य, सुसंस्कृत होकर भी मजहबी खून–खराबे को पोषित कर रहा है तथा यह पहले से अधिक क्रूर होता जा रहा है। इंसान और जानवर में विभेद करने वाली संवेदना और सोच को तिलांजलि दी जा रही है। संकीर्ण मानवता की विचारधारा आज की सभ्यता को घिनौनी और लिजलिजी बना देती है। बाहरी तामझाम बड़ा आकर्षक है परन्तु भीतर से वह और अधिक काइयाँ, संकीर्ण एवं धूर्तता को समावेशित करता गया है। सम्प्रदाय के पाखण्ड को वह मारकाट व हिंसा की अपनी दुकान चलाए रखना चाहता है। वैश्विक पूँजीवाद के इस नये धन्धे को समकालीन हिन्दी कविता अनावृत करती चलती है। सभ्यता की यह भेड़चाल कब तक हमारा भविष्य चौपट करेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। धर्म, वर्ण और सम्प्रदाय के नाम पर होने वाले संघर्ष में सर्वाधिक आहत महिलाएँ ही होती हैं। यहाँ तक कि अशोभनीय गालियाँ भी नारी को सम्बोधित कर दी जाती हैं। गुजरात के इतिहास में स्याह पन्नों में दर्ज गोधराकाण्ड जो घिनौना खेल खेला गया, उस पर घायल महिला वर्ग का रेखांकन कवयित्री नीलेश रघुवंशी ने इस प्रकार लिखा है–

'सईदा पकड़ लिया है, उन्हे धर्मावलम्बियों ने,
पेट को फाड़कर भर दिये जलते चिथड़े,
गर्भ के संग मारकर,
गोद दिया माथे पर तुम्हारे 'ऊँ',
शहर के संग जल रही थीं जब तुम,
आई भले घर की स्त्रियाँ,
और जी भ लूटी उन्होंने दुकानें,
वे साड़ी और सिन्दूर में थीं,
और तुम बुरके में,
ले गई वे सारा सामान,
जो रातोरात मध्य वर्ग से निकाल कर,
पहुँचाता उन्हें उच्च वर्ग में,
दिखते हैं अब खून के छीटे,
इन्द्रधनुषी रंगों से भरे गरबे में।'[11]

समाज की भीषणतम समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए व्यवस्था जन सामान्य का ध्यान भावुक मुद्दों की ओर खींच ले जाती है। राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद, गोधरा काण्ड ऐसे प्रकरण है जिनसे आम आदमी का कोई भी भला होने वाला नहीं है। दो जून की रोटी, तन ढकने को कपड़ा

और रात्रि के ताप–शीत से बचने को एक आध छत की जरूरत पूरी करने की बजाय उसका ध्यान मन्दिर–मस्जिद के प्रकरण में उलझा दिया जाता है। विकराल जलजले के रूप में उदित नया साम्प्रदायिकत उन्माद सद्भाव और भाई–चारे को मटियामेट करता है। समाज में प्रचलित विभिन्न वर्ण, धर्म, सम्प्रदाय और पंथों की सार्थकता तभी है जब वे मानवता के पक्षधर नहीं हों। मानव–मानव के बीच घृणा फेलाने वाली संकीण विचारधारा पर अनिल कुमार सिंह रचना के माध्यम से वार करते हैं–

'जब पहली बार पवित्र ग्रंथों का ,
पाठ करने के कारण,
काट ली गयी थी किसी की जीभ,
डाल दिया गया था किसी,
निर्दोष के कानों में खौलता शीशा और,
रजो दर्शन से पहले ही,
करवाया था किसी बाप ने,
अपनी बेटी का बलात्कार।'[12]

निष्कर्ष–

निष्कर्षतः भारत में साम्प्रदायिकता बढ़ाने में हमारी दैनन्दिनी, हमारे रोजमर्रा के जीवन और नारी जाति के अलावा धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और मानवीय सौमनस्यता आपस में सम्बन्धित है। वैश्विक सभ्यता, संस्कृति ने वैश्विक स्तर पर भारत को गुलाम बना दिया है। सत्ता अपने धर्मानुयायियों को एक रूप और संगठित समुदाय में बदलने का उपक्रम करती है। इसलिए वह धर्म को विश्वास और नैतिक आदर्श से नहीं, निश्चित तौर पर विशिष्ट तरीकों से परिभाषित करती है। परिवर्तित साम्प्रदायिकता को पूर्व में व्याप्त साम्प्रदायिक घटनाओं से जीवन शक्ति मिलती है, जिनमें बौद्धों, ब्राह्मणों या मुसलमानों द्वारा सत्ता का उपयोग हुआ है। सत्ता अपने ढंग से साम्प्रदायिक हथियार का इस्तेमाल करती है। जातीयता व समुदाय का जहर स्त्री–पुरुष दोनों को प्रताड़ित करता है। आततायी मौके का फायदा उठाकर अपनी कुत्सित भावना और वासना की आग को ठंढा करने से भी नहीं चूकता। दंगा कैसा भी हो आततायी मौके की तलाश में रहता है कि उसकी ऐन्द्रिक क्षुधा किस तरह शान्त हो। वैश्विक दौर में सम्पूर्ण विश्व साम्प्रदायिकता की आग में झुलसता दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान रचनाकार इसे समाज के सामने यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने हेतु प्रतिबद्ध नजर आते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. क्या हमें चुप रहना चाहिए – सं. कुमार अंबुज, मध्य प्रदेश का प्रकाशन, 2002, पृष्ठ–110।
2. देश एक राग है – भगवत रावत, परिकल्पना प्रकाशन, 2009, पृष्ठ–94।
3. आलोचना सह सामग्री अंक–38, पृष्ठ–78।
4. नीम रोशनी में – मदन कश्यप, आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2000, पृष्ठ–94।
5. नागकेसर का देश यह – एकान्त श्रीवास्तव, प्रकाशन संस्थान, 2006, पृष्ठ–101।
6. निरुपमा दत्त : मैं बहुद उदास हूँ – कुमार विकल, आधार प्रकाशन, 1993, पृष्ठ–28।
7. किवाड़ – कुमार अंबुज, आधार प्रकाशन, पंचकूला, 1993, पृष्ठ–28।
8. देश एक राग है – भगवत रावत, परिकल्पना प्रकाशन, लखनऊ, 2009, पृष्ठ–32।
9. पहली बार – संतोष कुमार चतुर्वेदी, भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली, 2009, पृष्ठ–43।
10. काल और अवधि के दरमियान – विष्णु खरे, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ–54।
11. पानी का स्वाद – नीलेश रघुवंशी, किताबघर प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2007, पृष्ठ–71।
12. पहला उपदेश – अनिल कुमार सिंह, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2001, पृष्ठ – 44।

ISSN : 2394-4366

Received: 19 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

भारतीय ग्रामीण विकास में (नाबार्ड) की भूमिका : संगठन, प्रबन्धन, सुविधायें एवं प्रगति के सिद्धान्त

– डॉ. पूजा सिन्हा
एसोसिएट प्रोफेसर –
अर्थशास्त्र विभाग,
डी. ए. वी. कालेज,
कानपुर–208001 (उत्तर प्रदेश)

ई–मेलः
poojasinha.n.k@gmail.com

सारांश

केन्द्रीय बैंक के रूप में एक अप्रैल, 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हो जाने के बाद, इस बैंक ने कृषि विकास के लिए विशेष प्रयास किए। सरकारी कार्यों में वृद्धि से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यों में भी वृद्धि हुई, जिसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास की ओर विशेष ध्यान देने में अपने आपको समर्थ समझने लगा तथा इस बैंक ने यह अनुभव किया कि देश के कृषि के विकास के लिए पृथक से एक वित्तीय संस्था स्थापित की जाये, जिसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) स्थापित किया गया। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विगत 35 वर्षों से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की भूमिका उदाहरणीय रही है। इस शीर्षस्थ बैंक की स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत की गयी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण प्रबन्धन की समीक्षा करते हुए मार्च, 1979 में श्री वी. वी. शिवराम की अध्यक्षता में एक समिति क्रेफिकार्ड का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण प्रणाली की एक धुरी के रूप में की गई थी। नाबार्ड को अन्य बातों के अतिरिक्त वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त निधि उपलब्ध कराना था। साथ–साथ इस संस्था को कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की संरचना और परिचालनों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। ग्रामीण ऋण परिदृश्य की समीक्षा के पश्चात् उपरोक्त समिति ने कई सिफारिशें की तथा ऋण के माध्यम से सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक संस्था संस्थापित करने की सिफारिश की। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप संसद में दिसम्बर, 1981 में एक प्रस्ताव पारित किया गया और 12 जुलाई, 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई।

नाबार्ड की आवश्यकता एवं उदय –

भारत एक विकासशील देश है, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी हुई है। देश की अधिकांश जनसंख्या के कृषि में संलग्न होने के कारण यह आवश्यक है कि देश के विकास के लिए कृषि विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाये। केन्द्रीय बैंक के रूप में एक अप्रैल, 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हो जाने के बाद, इस बैंक ने कृषि विकास के लिए विशेष प्रयास किए। सरकारी कार्यों में वृद्धि से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यों में भी वृद्धि हुई, जिसके

कारण रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास की ओर विशेष ध्यान देने में अपने आपको समर्थ समझने लगा तथा इस बैंक ने यह अनुभव किया कि देश के कृषि के विकास के लिए पृथक से एक वित्तीय संस्था स्थापित की जाये, जिसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त इस बैंक की स्थापना की आवश्यकता कृषि, ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाने के लिए, ग्रामीण विकास हेतु अनुकूल नीतियों, पद्धतियों एवं नवोन्मेषी प्रणालियों के सम्वर्धान एवं सहायता के लिए एवं संस्थागत विकास के माध्यम से ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अनुभव की गई।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विगत 35 वर्षों से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की भूमिका उदाहरणीय रही है। इस शीर्षस्थ बैंक की स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत की गयी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण प्रबन्धन की समीक्षा करते हुए मार्च, 1979 में श्री वी. वी. शिवराम की अध्यक्षता में एक समिति क्रेफिकार्ड का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण प्रणाली की एक धुरी के रूप में की गई थी। नाबार्ड को अन्य बातों के अतिरिक्त वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त निधि उपलब्ध कराना था। साथ–साथ इस संस्था को कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की संरचना और परिचालनों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। ग्रामीण ऋण परिदृश्य की समीक्षा के पश्चात् उपरोक्त समिति ने कई सिफारिशें की तथा ऋण के माध्यम से सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक संस्था संस्थापित करने की सिफारिश की। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप संसद में दिसम्बर, 1981 में एक प्रस्ताव पारित किया गया और 12 जुलाई, 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम (1981) की प्रस्तावना में नाबार्ड की भूमिका का उल्लेख किया गया था जिसके अनुसार नाबार्ड का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण विकास के संवर्धन तथा ग्रामीण समृद्धि लाने की दृष्टि से कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। नाबार्ड ने अपनी स्थापना से ही भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों तथा तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को अपना लिया।

नाबार्ड का संगठन एवं प्रबन्ध –

(क) प्रबन्धन – नाबार्ड अधिनियम 1981 के अनुसार नाबार्ड का सामान्य पर्यवेक्षण, दिशा निर्देश, प्रबन्धन कार्य का अधिकार, निदेशक मण्डल में निहित होगा। इस निदेशक मण्डल में अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक भी सम्मिलित होंगे।

(ख) शेयर पूँजी – नाबार्ड की शेयर पूँजी 2000 करोड़ रूपये की है, जिसमें भारत सरकार (रू. 550 करोड़) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (रू. 1450 करोड़) का अंशदान है। नाबार्ड ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की आस्तियों व देयताओं को अपने पास ले लिया है। अतः इसे कुछ आरक्षित निधियाँ भी प्रदान की गयी हैं। अल्पावधि परिचालनों के लिए नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक से सामान्य ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत राशि उधार लेता है। मियादी ऋण परिचालन के लिए नाबार्ड ने राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि मानक दो निधियों की स्थापना की है। पहले इन निधियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा गया था। इसके अतिरिक्त नाबार्ड अपने दीर्घावधि परिचालनों के लिए केन्द्र सरकार, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघों से भी निधियाँ आहरित करता है।

(ग) संरचना – नाबार्ड का प्रधान कार्यालय मुम्बई में स्थित है तथा 28 क्षेत्रीय एवं उप कार्यालय अपने–अपने क्षेत्रों में नाबार्ड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। सभी 28 क्षेत्रीय कार्यालय राज्यों की राजधानियों में कार्यरत है। तथा एक उप कार्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। नाबार्ड के देशभर में 330 जिला विकास प्रबन्धन कार्यालय है जिनमें जिला विकास प्रबन्धकों की नियुक्ति की गई है। नाबार्ड परिवार में लगभग 2853 कर्मचारी हैं जिनके पास पर्याप्त संख्या में अन्य कर्मचारी भी उपलब्ध हैं। इसका सबसे उच्च अधिकारी अध्यक्ष होता है, इसके इसका एक प्रबन्ध निदेशक, 12 नियुक्ति निदेशक होते हैं, 6 कार्यपालक निदेशक तथा एक प्रमुख तकनीकी सलाहकार होता है। इसमें वर्तमान में 34 मुख्य महाप्रबन्धक ग्रामीण विकास बैंक सेवा 4 मुख्य महाप्रबन्धक, तकनीकी/आर्थिक सेवा तथा 6 क्षेत्रीय कार्यालयों/

प्रशिक्षण संस्थानों के प्रभारी महाप्रबन्धक हैं।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक संगठनीय ढाँचा–

नाबार्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक निश्चित मिशन तथा अधिदेश के साथ की गयी है।

(घ) मिशन – "प्रभावी ऋण सहायता, सहयोजित सेवाओं, संस्था विकास और नवोन्मेषी पहलकदमियों के माध्यम से गतिमान एवं सम्यक कृषि और ग्रामीण समृद्धि।"

(इ) अधिदेश – वर्ष 1982 में स्थापित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और अन्य शिल्प तथा अनुषंगी कार्यकलापों के विकास हेतु वित्त पोषण और संवर्धन हेतु शीर्ष बैंक हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सहायक आर्थिक गतिविधियों को सहायता प्रदान करना समन्वित एवं टिकाऊ ग्रामीण विकास को सहयता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाना तथा इसी तरह से अन्य सम्बन्धित मामलों की देखभाल करना भी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिदेश में सम्मिलित है।

नाबार्ड के कार्यकलापों की प्रगति –

नाबार्ड के कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित हैं–

(क) ऋण आयोजना सम्बन्धी कार्य – नाबार्ड त्रिस्तरीय (राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय) ऋण आयोजना निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बनाती है –

(1) वार्षिक आधार पर जिलावार संभाव्यतायुक्त ऋण–योजनायें बनाना, जिनमें बैंक ऋण के माध्यम से कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के विकास हेतु उपलब्ध दोहन योग्य संभाव्यताओं को इंगित कया जाता है।

(2) आधार स्तरीय ऋण प्रवाह का अनुप्रवर्तन।

(3) ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आर. एफ. आई.) के लिए नीतिगत और परिचालनात्मक दिशा–निर्देश जारी करना।

नाबार्ड द्वारा ऋण आयोजना तीन स्तरों पर की जाती है –

(i) जिला स्तरीय आयोजना – नाबार्ड, देश के सभी जिलों की संभाव्यतायुक्त ऋण योजनायें (पीएलपी) तैयार करता है। इसमें जिले में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान विकास संभाव्यताओं का आंकलन करके, दीर्घकालीन भौतिक संभाव्यताओं, आधारभूत सुविधाओं, प्रसार सेवाओं और विपणन–सहायता की उपलब्धता और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आर. एफ. आई.) की विशेषताओं और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए ऋण आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है।

(ii) राज्य स्तरीय आयोजना – नाबार्ड प्रत्येक स्तर के राज्य के लिए स्टेट फोकस पेपर तैयार करता है, जिसमें कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य में उपलब्ध संभाव्यताओं का व्यापक विवरण दिया जाता है। इसमें इन क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश के लिए उपलब्ध संभाव्यताओं का मचित्र भी दिया जाता है। यह इन क्षेत्रों में निवेश के बैंकों और अन्य अभिकरणों हेतु कार्रवाई योजना में भी प्रयोग किया जा सकता है।

नाबार्ड वार्षिक रूप से राज्य ऋण संगोष्ठियाँ आयोजित करता है जिनमें राज्य में उपलब्ध संभाव्यताओं के विकास में कठिनाइयों को दूर करने के लिए नीतियों और किए जाने वाले परिचालनात्मक उपायों पर चर्चा हेतु सभी सम्बन्धित अभिकरण अर्थात् राज्य सरकार के अधिकारी, बैंकों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल होते हैं।

(iii) राष्ट्रीय स्तर पर आयोजना – कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रवाह के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेने में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता करता है।

(ख) वित्तीय सेवायें –

नाबार्ड वित्तीय सेवायें प्रदान करते समय निम्न सिद्धान्तों पर ध्यान देता है –

1– ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और उत्पादनपरक प्रयोजनों के लिए वित्त पोषण हेतु ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का पुनर्वित्त पोषण।

2– सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के सन्दर्भ में भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को ऋण।

3– गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य अनौपचारिक अभिकरणों द्वारा सूक्ष्म ऋण नवोन्मेषों के लिए सहायता।

4– वित्तपोषित परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन।

नाबार्ड द्वारा वित्तीय सेवायें निम्नलिखित अवधियों व कार्यों के लिए प्रदान की जाती हैं।

(i) अल्पावधि ऋण – यह ऋण नाबार्ड द्वारा 15

माह के लिए निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है–

1– सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को मौसमी कृषि परिचालनों (एस. ए. ओ.) हेतु।

2– सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को फसलों के विपणन हेतु।

3– सहकारी बैंकों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों इत्यादि जैसी निविष्टयों के विपणन और वितरण हेतु ।

4– सहकारी बैंकों को कुटीर, ग्राम्य और अति लघु औद्योगिक सहकारी समितियों की उत्पादन एवं विपणन गतिविधियों हेतु।

5– राज्य सहकारी बैंकों (रा. स. बैंकों) और वाणिज्य बैंकों को प्राथमिकता। शीर्ष बुनकर समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों की उत्पादन और विपणन गतिविधियों हेतु।

6– राज्य सहकारी बैंकों और वाणिज्य बैंकों द्वारा राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों (एस. एच. एन. डी. सी.) को उनकी उत्पादन और विपणन गतिविधियों हेतु ।

7– सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं हेतु ।

8– सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण, कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित किसी भी अन्य गतिविधि हेतु।

(ii) मध्यावधि ऋण – नाबार्ड द्वारा मध्यावधि ऋण 15 माह से 7 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्यों हेतु दिया जाता है –

1– सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधि परिवर्तन ऋण (प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नष्ट होने पर)।

2– सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के लिए मध्यावधि ऋण (गैर योजनाबद्ध)।

(iii) दीर्घावधि ऋण – नाबार्ड राज्य भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य किसी भी अनुमोदित वित्तीय संस्था को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। यह निम्न क्रियाकलापों में निवेश के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है – लघु सिंचाई, भूमि विकास, भूदृसंरक्षण, डेयरी विकास, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, कृषि यंत्रीकरण, वन्यीकरण, मत्स्य पालन, भण्डारण और बाजार प्रांगण, अवायुयान के जरिये कृषि सम्बन्धी परिचालन, बायोगैस, और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पशु और पशुचालित गड़ियाँ, वानस्पतिक खाद से सम्बन्धित उपकरण, पम्पसेट और अन्य कृषि गतिविधियाँ। ये ऋण 25 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं।

परिवर्तन और पुर्नव्यवस्था की सुविधायें –

सूखा, अकाल, या अन्य प्राकृतिक आपदाओं, सैन्य कार्रवाई, शत्रु राष्ट्र द्वारा आक्रमण आदि होने पर परिवर्तन और पुर्नव्यवस्था की स्थिति में नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधायें प्रदान करता है। ऐसी सुविधायें हस्तशिल्पियों लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों में भी प्रदान की जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को पुनर्वित्त प्रदान करना –

नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लघु, ग्राम और कुटीर उद्योगों को पुनर्वित्त सुविधायें प्रदान करता है।

संवर्द्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्य –

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास संवर्द्धन हेतु वाटरशेड विकास, पिछड़े क्षेत्रों का एकीकृत विकास, बागान में आने वाली समस्याओं के निराकरण के उपाय, औषधीय पौधों की खेती के संवर्द्धन, कृषि–निर्यात क्षेत्रों, जैव कीटनाशकों कृषि की अन्य सहायक गतिविधियाँ, एग्रीक्लीनिकों, कृषक सेवा केन्द्रों, रोजगार सृजन हेतु गैर कृषि क्षेत्रों का विकास और सूक्ष्म शक्ति संस्थाओं/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण वितरण प्रणाली की पहुँच में सुधार लाने तथा महिला विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बैंकिंग के लिए मानव संसाधन विकास और राष्ट्रीय बैंक से सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर भी ध्यान किया गया तथा उनके लिए सहायता दी गई। इन विकासात्मक कार्यों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सतत तथा कम खर्च पर उनके आय तथा रोजगार के अवसर जुटाकर उनके जीवन–स्तर को ऊँचा उठाना है। नाबार्ड के विकासात्मक कार्य निम्नलिखित हैं –

(i) ग्रामीण ऋण संस्थाओं का समन्वय करना।

(ii) ऋण वितरण व्यवस्था में क्षमता में सुधार के लिए संस्थायें बनाने में उपाय करना।

(iii) कृषि और गाँवों से सम्बन्धित समस्याओं के हल के लिए विशेषज्ञता विकसित करना।

(iv) सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं की उनके ग्रामीण विकास प्रयासों में मदद करना।

(v) नाबार्ड कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों में निगरानी कार्य के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के एजेण्ट के रूप में कार्य करता है।

(vi) नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों आदि के स्टॉफ को अनुसंधान व प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करता है। तथा अपनी आर एण्ड डी निधियों द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। ग्रामीण बैंकिंग कृषि और विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करने के लिए नाबार्ड ने लखनऊ, बोलपुर और मंगलौर में बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान और नेशनल बैंक स्टॉफ कालेज तथा पुणे में कृषि बैंकिंग कालेज खोले हैं।

(vii) नाबार्ड बैंकिंग और विकास से सम्बन्धित सूचना प्रदान करता है।

(viii) राज्य सरकारों की सहायता करता है ताकि वे राज्य सहकारी बैंकों की शेयर पूँजी अभिदत्त कर सके।

(ix) कृषि और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामलों में प्रत्येक ऋण प्रदान करता है।

(x) अपने लाभ में से सुलभ ऋण सहायता निधि रखता है ताकि उद्यमी ग्राम कुटीर और बहुत छोटे उद्योग पुनर्वित्त की सुविधायें प्राप्त करते हुए अंतरराशि भी ले सके, यह सुविधा ब्याज मुक्त दी जाती है और ऋण के पुर्नभुगतान के बाद वार्षिक किश्तों में वसूली की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार के विस्तार विभागों के सहयोग से ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत है। 05 नवम्बर, 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को राष्ट्र को समर्पित करते समय 36 स्वयं सेवकों के प्रथम दल को विकास वालंटियर वाहिनी के चिन्ह प्रदान किए। ये स्वयं सेवक प्रगतिशील किसान थे जिन्हें 17 राज्यों से चुना गया था और जिन्होंने "ऋण के माध्यम से विकास के लाभार्थियों को ऋण के सदुपयोग की महत्ता से परिचित कराने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवायें प्रदान की थीं।

नाबार्ड ने इस कार्यक्रम को बहुत उपयोगी मानते हुए इसे बैंकों तथा गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लगातार बढ़ावा दिया है।

ग्रामीण विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु, बैंकों, सरकार की विभिन्न विकास एजेन्सियों तथा गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से स्थापित कृषक क्लब के स्वयं सेवकों तथा बैंकों का अनुभव निःसन्देह सुखद रहा है। स्वयं सेवकों की सहायता से बैंकों और ग्रामीणों के बीच एक विश्वास की कड़ी कायम होती है जिसमें जहाँ एक ओर जरूरत मन्द ग्रामीणों को विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण तथा अन्य जानकारी मिलती है, वहीं शाखा की जमा पूँजी तथा ऋण व्यवसाय में वृद्धि के साथ–साथ वसूली भी बढ़ती है।

ऋण के माध्यम से विकास के पाँच सिद्धान्त –

1– ऋण का उपयोग विज्ञान व तकनीकी से सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली के अनुरूप किया जाना चाहिए।

2– ऋण की शर्तो (अथवा आर्थिक तकनीकी मानदण्डों) का पूर्णतयः अनुपालन किया जाना चाहिए।

3– कार्य को इतनी कुशलता से किया जाये जिससे उत्पादकता और आय में वृद्धि हो।

4– ऋण द्वारा सृजित अतिरिक्त आय का कुछ भाग अवश्य बचाना चाहिए।

5– ऋण प्रवाह को बनाये रखने के लिए ऋण की किश्तों की चुकौती समय पर और नियमित रूप से की जानी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दत्ता और सुन्दरम : भारतीय अर्थव्यवस्था ।
2. अग्रवाल, ए. एन. : भारतीय अर्थव्यवस्था।
3. अग्रवाल, ए. एन. : इण्डियन एग्रीकल्चर, नेचर, प्राब्लम एण्ड प्रोसेस।
4. मिश्रा एवं पुरी : भारतीय अर्थव्यवस्था।
5. त्रिपाठी, बद्री विशाल : भारतीय अर्थव्यवस्था।
6. शाह, एस. एम. : रूरल डेवलपमेण्ट प्लानिंग एण्ड रिफार्ल्स ।
7. बाधव, चरन डी. : रूरल बैंकिंग एण्ड रूरल डेवलपमेण्ट, मैकमिलन, नई दिल्ली।
8. सिंह, ए. के. : एग्रीकल्चर डेवलपमेण्ट एण्ड रूरल पावर्टी।
9. लेख, प्रतिवेदन, पत्र–पत्रिकायें –
   1. दुबे, संजीव : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
   2. नाबार्ड एक परिदृश्य।
   3. दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्र।
   4. अमर उजाला, दैनिक समाचार पत्र।

ISSN : 2394-4366

Received: 20 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

समकालीन हिन्दी दलित आत्मकथाओं में संघर्ष

– दिनेश कुमार
शोध छात्र – हिन्दी विभाग,
सर्वोदय पी. जी. कालेज, घोसी, मऊ–275304 (उत्तर प्रदेश)
सम्बद्ध– बीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर–222003 (उत्तर प्रदेश)

ई–मेल :
dinesh23uy91@gmail.com

सारांश

दलित आत्म कथा में दलितों के अपमानित, शोषित, आर्थिक तंगी, जनवरों से बत्तर जीवन जीने को मजबूर, कुपोषित पद–दलित जीवन के स्वानुभूति की गाथा है। जो आत्मकथा के माध्यम से एक बुलन्द आवाज बन कर खड़ी हुई है, दलित आत्मकथा दलित साहित्य की मूलजड़ है, एक दिन दलितों के हित में यह मील का पत्थर जरूर साबित होगा, दलित साहित्य के विकास के साथ–साथ दलितों के जीवन में उत्थान की अपार संभावनाएँ लिए हुए है।

भारत जैसे विकासशील देश के लिए संघर्ष शब्द कोई अतिश्योक्ति नहीं है। बिना संघर्ष के कुछ संभव नहीं है। संघर्ष से ही मानव चमकता है। संघर्ष से उसके भौतिक, रूप का परिर्माजन होता है, मानसिक रूप से प्रौढ़ता आती है और संघर्ष से ही देश व समाज का विकास होता है।

बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में हिन्दी में दलित विमर्श का उदय होता है। दलित चेतना और संवेदना हिन्दी साहित्य में काफी पहले उदित हो चुका था, लेकिन एक अन्दोलन के रूप में 20वीं सदी से ढाई दशक ही पुराना है। उसमे दलित लेखन के प्रारम्भ दलित आत्मकथाएँ सबसे ज्यादा चर्चित रही हैं।

दलित आत्मकथा में दलित उत्पीड़न की अनन्त गाथाएँ भरी पड़ी हैं। यही पर उनके विद्रोह एवं आक्रोश का स्वर गुंजायमान होता है। अपने सम्मान स्वाभिमान को जागृत करने के साथ–साथ सामाजिक विसंगतियों को भी उभारा गया है। दलित जीवन की आशा–निराशा, जय–पराजय संघर्ष, घुटन संत्रास, आदि का उल्लेख किया गया है। दलित आत्मकथा के विषय में डॉ. विमल थोराट ने लिखा है– "दलित आत्मकथाकार आज दलित समुदाय के विविध आयामों को अपने अन्दर समेट कर शोषण के उस हर पहलू की एक समाज शास्त्रीय चिकित्सक की दृष्टि से चीरफाड़ करके सामाजिक व्यवस्था और उसके अर्न्तसम्बन्धों की पड़ताल करता हुआ दिखाई देता है। दलित आत्मकथाओं में उपस्थित समस्या और प्रश्न व्यक्तिगत सन्दर्भों में नहीं बल्कि समुदायगत सन्दर्भों से जुड़कर उभरते हैं, जब दलित रचनाकार अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से दलित जीवन की त्रासदी को रचनात्मक अभिव्यक्ति देता है, तो वह सम्पूर्ण दलित समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सरोकारों को उजागर करता है।"[1]

डॉ. बच्चन सिंह ने दलित आत्मकथाओं के विषय में लिखते हैं– "हिन्दी का दलित साहित्य अभी विकास की पहली मंजिल है, इसमें भी आत्मकथाओं का महत्व अधिक है। ये आत्मकथाएँ, पारम्परिक आत्मकथाओं से भिन्न है। न इसमें किसी बड़े राजनेता की आत्मकथा है और न साहित्यकार

वैज्ञानिक की, इन कथाओं में शोषित, दमित, पीड़ित, दरिद्र, अपमानित, दलितों का भोगा हुआ कटु यथार्थ व्यक्त हुआ है।'' [2]

भारतीय साहित्य में दलित साहित्य का आरम्भ मराठी दलित साहित्य द्वारा हुआ है, उसी तरह दलित आत्मकथात्मक रचनाओं की शुरुआत भी मराठी दलित साहित्य में हुआ जिसको एक सशक्त विधा बनाने में दया पवार की 'बलूत', शरणकुमार लिम्बाले की – अक्करमाशी, लक्ष्मण गायकवाड़ का – 'उचत्या,' बेबी काम्बले –'जिन आमच', प्र. ई. सोनकाम्बले – 'आठ वणीचे पक्षी' लक्ष्मण माने–'उपरा' आदि प्रमुख हैं। दलित समुदाय के अतिरिक्त जो खानाबदोश जातियाँ हैं जिनका न कोई गाँव है, न ठिकाना। ऐसे समुदायों में जन्में लेखकों ने जीवन का त्रासद अनुभवों को अभिव्यक्ति करके सभी समाज मे व्याप्त व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष गाथा तैयार किया है।

दलित लेखन की सबसे चर्चित विधा आत्मवृत्त है– इसकी शुरुआत डॉ. अम्बेडकर ने 'मेरा जीवन, नाम से एक सम्पूर्ण आत्मवृत लिखने की योजना का जिक्र किया। डॉ. अम्बेडकर कहते हैं– ''सभी स्मृतियों को समेटकर एक आत्मकथा लिखने का मेरा विचार है। समग्र आत्मकथा न लिखूँ तो कम से कम 'मेरा बचपन' नाम से एक पुस्तक जरूर लिखूँगा।"[3]

दलित आत्मकथाओं में दुख दर्द की क्रमबद्धता दलितों की पीड़ा के स्वर के साथ–साथ सामाजिक जन चेतना को भी जगाने का काम किया।

हिन्दी दलित साहित्य में 1995 ई. में पहली दलित आत्मकथा' अपने – अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिशराय जी की प्रथम भाग आयी, हालांकि इससे पहले– 'मै भंगी हूँ' भगवान दास जी ने 1981 ई. में लिखा था– लेकिन उसे स्वयं भगवानदास जी उसे अपनी आत्मकथा नहीं मानते हैं। उसे पूरी जाति की आत्मकथा मानते हैं। ललिता कौशल ने इसे परिवर्तन की प्रेरणा की संवाहक कहा है– 'बाद के दौर में 'जूठन' तिरस्कार तथा दोहरा अभिशाप आत्मकथाएं प्रकाशित हुईं जो अपनी–अपनी तरह से दलित साहित्य के इतिहास मे प्रतिबिम्बित हुई। किसी अहिन्दी भाषी दलित महिला के रूप में कौशल्या बैसन्त्री की 'दोहरा अभिशाप' पहली आत्मकथा थी। उसके पश्चात महिलाओं ने लिखना शुरू किया।

हिन्दी दलित आत्मकथाएँ दलितों के जिन्दगी के प्रामाणिक दस्तावेज हैं, वे दलितों पर किये गये दीर्घकालिक अन्याय के साक्षी भी हैं। इन आत्मवृत्तों ने साहित्य की प्रकृति उसके तेवर और मिजाज को बदलने का काम किया है। दलितों के जीवन के सभी आयाम, सांस्कृतिक, धार्मिक राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक दृश्य प्रतिबिम्बित होता है, साथ ही साथ दलित जातियों के बीच (भीतर) मौजूद जातिवाद भी पहचाना जा सकता है। उदाहरण स्वरूप कुछ दलित आत्मकथाओं का जिक्र आवश्यक है– जिसमें उनके जीवन की बड़ी दुःखद सघर्ष गाथा है–

मोहनदास नैमिशराय की आत्मकथा "अपने–अपने पिंजरे" यह एक संवेदनशील युवक की आत्मकथा है, जिसका उद्भव उत्तर प्रदेश के अपेक्षित चमार जाति के जीवन की गाथा है, जो विपरीत परिस्थिति में भी अपनी पढ़ाई जारी रखा, सरकारी नौकरी छोड़कर समाज की उन्नति हेतु, अन्याय को स्वर देने के लिए, लोगों को संगठित कर सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जीवन पर्यन्त संघर्षरत रहता है। इस आत्मकथा का एक पात्र नूर मोहम्मद कसाई के नजर में– "जानवर और औरत में इनके लिए कोई फर्क नहीं एक को काटते थे,दूसरें को पीटते थे।"[4]

मोहनदास नैमिसराय 'अपने–अपने पिंजरे' दूसरी जगह लिखते हैं– "वे अपनी आदत के गुलाम थे, हम उनके गुलाम थे।"[5]

'जूठन' ओमप्रकाश बाल्मीकि की आत्मकथा में रोटी उतनी समस्या नहीं है जितनी की आत्म सम्मान की है। ओमप्रकाश के स्कूल के हेडमास्टर उसे चूहड़े कह कर अपमानित करना, झाड़ू लगवाना, पिता द्वारा झाड़ू लगाते देखने पर झाड़ू झीन करके फेंकना, और उच्च स्वर में बोलना– "देखे कौन द्रोणाचार्य की औलाद है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है .....।" [6]

लेकिन बेटे की शिक्षा में बाँधा न हो इसलिए प्रधान से मिन्नत भी करता है, अन्तोगत्वा प्रैक्टिकल में फेलकर दिया जाना, माँ बहन की गाली, स्कूल की सफाई, जति सूचक गाली, मन को झकझोर कर रख देता है। 'तिरस्कृत' का प्रकाशन 2002 में होता है। इसमें सूरजपाल चौहान ने साहित्य को हथौड़ा कहता है, हथौड़ा की अवधारणा क्रीश हो गई, साहित्य संवेदना होती है। हथौड़ा नहीं .....। इनकी इस रचना ने अशिक्षा की बजह से समाज की कुरीतियों को उभरा है। प्रथा के अनुसार– 'रुमाली' की शादी के माथे पर सुअर के खून का टीका

लगाया जाता है। जिस वेबाकी से विसंगतियों को सूरजपाल चौहान ने रखा है, अन्यत्र दुलर्भ है। 'दोहरा अभिशाप' में एक स्त्री–पुरुष से पीड़ित तो दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था में स्त्री होने से। माता प्रसाद की 'झोपड़ी से राज भवन' में राजनीति ज्यादा होने के बावजूद आत्मविकास के लिए दलित संघर्ष उभारा है।

'शिकंजे का दर्द' में सुशीला टाक भौंरे अपने जिन्दगी का दर्द बयां किया है– स्त्री के लिए विवाह एक शिकंजा है, जिसमें कैद रहकर परिवार के लिए कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहने पर भी उसे कोई सुख नहीं मिलता। वे लिखती हैं– ''चाहे जितना पढ़ लूँ, जाहे जितने ऊँचे पद पर पहुँच जाऊँ, चाहे जितने बड़े शहर मे रहने चली जाऊँ फिर भी मेरी जाति वही रहेगी, 'अछूत भगी', मेरी जाति का अभिशाप मेरी पीछा नहीं छोड़ती।" [7]

"मेरा बचपन मेरे कन्धों पर श्यौराज सिंह बेचैन की 12 प्रकरणों में व्याप्त यह आत्मकथा अपने आप में अद्वितीय स्थान रखती है– जाति विभेद और सवर्ण मानसिकता दलितों के प्रति प्रतिकूल रवैये का चित्रण बड़े अनोखे ढंग से किया है। आर्थिक विसंगतियाँ पेट की क्षुधा अपराध करने पर मजबूर कर देती है। इस प्रकरण पर लिखते हैं– "ज्यों–ज्यों स्वतंत्रता की उम्र बढ़ती जा रही है, दलितों का दायित्व, दरिद्रता और सवर्ण की समृद्धि, सवर्णता और जातीय विद्वेष की भावना बढ़ती जा रही है।''[8]

'मणिकर्णिकाः' तुलसीराम द्वारा दो भागों में प्रकाशित उनके जीवन की दुःखद दशा को दर्शाती है, बचपन मे एक आँख की रोशनी चेचक के कारण चली जाती है, तब से जिसके कारण "कनवा" नाम से लोग उच्चरित करते थे। यह घोर जातिवाद का सामन्ती समाज का उत्पीड़न है, भारतीय जनता की धर्मान्धता है– तुलसी राम जी स्वयं लिखते हैं– ''बनारस में यह विचित्र स्थिति थी मकान तो किराये पर मिलता था, किन्तु जातिवाद मुक्त में।"[9]

"नागफनी" में रूपनरायण सोनकर ने नाटकीय रूप से कर्मकाण्ड, अन्याय, अत्याचार, दलितों को कुचलने का प्रयास सवर्ण मानसिकता को प्रतिबिम्बित किया गया है। वे लिखते हैं– ''मैं ब्राह्मणों की घिसी पिटी परम्पराओं, अप्रजातांत्रिक मर्यादा को बनाये रखने वाले इन्सान को इन्सान न समझने वाले नर पिशाच ..... हिटलर के आनुवांशिक उच्चता का विचार को मानने वाले ऐसे जल्लाद थे, जो एक नौजवान को फाँसी पर चढ़ाना चाहते थे, जिसने कोई अपराध नहीं किया था।''[10]

अन्य दलित आत्मकथाएँ– रमाशंकर आर्य– 'घुटन', डी. आर. जाटव – 'मेरा सफर मेरी मंजिल', भगवानदास की 'मै भंगी हूँ', सूरजपाल चौहन– 'संतप्त', श्यौराज बेचैन –'बेवक्त गुजर गया माली', किशोर शान्ता बाई काले– 'छोरा कोल्हाटी', डॉ. धर्मवीर–की 'मेरी पत्नी और भेड़िया', रूपनरायण सोनकर की 'मेरे जीवन की बाईबिल', आदि महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं। जो दलितो के जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्ति किया है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि दलित आत्म कथा में दलितों के अपमानित, शोषित, आर्थिक तंगी, जनवरों से बत्तर जीवन जीने को मजबूर, कुपोषित पद–दलित जीवन के स्वानुभूति की गाथा है। जो आत्मकथा के माध्यम से एक बुलन्द आवाज बन कर खड़ी हुई है, दलित आत्मकथा दलित साहित्य की मूलजड़ है, एक दिन दलितों के हित में यह मील का पत्थर जरूर साबित होगा, दलित साहित्य के विकास के साथ–साथ दलितों के जीवन में उत्थान की अपार संभावनाएँ लिए हुए है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. "दलित साहित्य में प्रमुख विधाएँ" – माता प्रसाद, पृष्ठ संख्या – 29–30।
2. "हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास" – डॉ. बच्चन सिंह, प्रकाशन वर्ष– 1996, पृष्ठ संख्या 517–518।
3. "अपेक्षा पत्रिका" – डॉ. तेज सिंह, प्रकाशन वर्ष– (जुलाई–सितम्बर) 2003।
4. "अपने–अपने पिंजरे भाग एक" – मोहन दास नैमिश राय, वाणी प्रकाशन, 1995 पृष्ठ संख्या – 19।
5. वही, पृष्ठ संख्या – 22।
6. "जूठन" – ओमप्रकाश वाल्मीकि, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष– 1997।
7. "शिकंजे का दर्द" – सुशीला टाक भौंरे, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष – 2011, पृष्ठ संख्या – 235।
8. "मेरा बचपन मेरे कंधों पर" – श्यौराज सिंह बेचैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष – 2009, पृष्ठ संख्या – 59।
9. "मणिकर्णिका" – डॉ. तुलसीराम, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या – 66।
10. "नागफनी"– रूपनारायण सोनकर, शिल्पायन प्रकाशन, गाजियाबाद, दिल्ली, पृष्ठ संख्या – 210।

ISSN : 2394-4366

Received: 02 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

वैदिक साहित्य में वर्णित व्यक्ति–व्यक्तित्व : एक खोज

– डॉ. सपना राठौर
असिस्टेन्ट प्रोफसर–संस्कृत विभाग,
महाराजा अग्रसेन हिमालयन,
गढ़वाल यूनिवर्सिटी – 246174
(उत्तराखण्ड)

ई–मेलः
drsapnarathore87@gmail.com

सारांश

यदि मनुष्य स्वयं का एवं विश्व का कल्याण करना चाहता है तथा कामना करता है कि सुख–समृद्धि एवं शान्ति का वातावरण सृजित हो, सभी सुखी हो, निरोगी हों तो एक दूसरे से जलन की भावना का त्याग करके अन्य व्यक्ति का भी कल्याण होते देखें। स्वयं के हृदय को शुद्ध और पवित्र रखें। सभी प्रकार के क्लेशों का अन्त तभी हो सकता है जब हम सभी प्रकार के अभावों से परे हो जायें किन्तु यह तभी संभव है जब व्यक्ति – व्यक्ति में समत्व के भाव हो। संसार में जो–जो निर्देश कर्म हम व्यक्तियों के लिए दिये गये है उन्हें करना चाहिए उससे भिन्न जो दोषयुक्त – निशिद्ध कर्म है, उनका कभी भूलकर स्वप्न में भी आचरण न करें। हम सब मिलकर चलें, परस्पर प्रेमपूर्वक वार्तालाप करें, हमारे मन एक जैसे विचार वाले हों। जैसे देव परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य कर रहें है, वैसे ही हम भी परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करें। हमारे संकल्प, हमारे हृदय तथा मन सभी समान हों जिससे अविरोधपूर्वक हम जीवनयापन कर सकें। सबके भीतर हम की भावना हो मैं की नहीं।

वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है। जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिन्दू धर्म के प्राचीनतम् स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम् स्त्रोत है। वस्तुतः वैदिक साहित्य के माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इस सृष्टि का निर्माण पंच महाभूतों (आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी) से हुआ है। लेकिन इससे बने पदार्थ जड़ अर्थात् निर्जीव होते हैं, सजीव बनने के लिए इसमें आत्मा को होना आवश्यक है। यदि आत्मा देह त्याग दे तो शरीर निर्जीव हो जाता है। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। विद् का अर्थ है जानना–

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।[1]

अर्थात् ज्ञान के सदृश अन्य वस्तु अप्राप्य है। ज्ञान के कारण ही व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे शुभ कर्मों की ओर अग्रसर करती है और वह अशुभ कर्मों से दूर करती है।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा।[2]

किसी व्यक्ति के विकास के लिए उसकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का होना ही व्यक्तित्व कहलाता है। वैदिक अवधारणा के अनुसार व्यक्ति शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा इन पाँचों तत्त्वों का संगठन है। अतः इन पाँचों का सम्मिलित विकास ही व्यक्तित्व का विकास होता है। वैदिक वांगमय का उद्देश्य श्रेष्ठ व्यक्तित्व के माध्यम से श्रेष्ठ समाज का

निर्माण करना है। वॉल्टन मिस्केल के अनुसार– व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न (जिसमें चिंतन एवं संवेग भी सम्मिलित है।) से होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता हैं।

व्यक्तित्व का अर्थ है कि व्यक्ति की वे सभी विशेषताएं हैं जो उसकी पहचान बनती हैं, उसे स्वयं के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से पृथक करती हैं। व्यक्ति गुणों, लक्षणों और वैशिष्ट्य के द्वारा समाज में स्वयं की पहचान बनाता है। उदाहरणार्थ– उसका नाम, जाति, रूप, वेशभूषा, बोलचाल, उसका आचार व्यवहार, गुण, विधा, कर्म, कौशल, दक्षता, अभिरुचि और प्रवृत्ति इत्यादि।

श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं व्यक्ति वही होता है। जैसे उसकी सोच, विचार या श्रद्धा होती है। अतः मनुष्य अपने व्यक्तित्व का स्वयं निर्माता होता है। कठोपनिषद् में मनुष्य किसी खेत में उगी फसल की भाँति पैदा होता, पकता है, काट लिया जाता है और फिर उत्पन्न हो जाता है।[3]

आचार्य यास्क ने निरुक्त में जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति अर्थात् क्रिया की 6 अवस्थायें बतलाई हैं– जन्म लेना, होना (सत्ता) बदलना, बढ़ना, घटना (क्षीण होना) और नष्ट होना।[4]

व्यक्तित्व के विकास के लिए यही श्रृंखला विद्यमान रहती है। आत्मा पुराने शरीर को त्यागकर नया शरीर धारण करती है। सफल व्यक्तित्व के लिए वैदिक वांगमय का प्रथम सूत्र है उन्नत लक्ष्य। अथर्ववेद में कहा गया है– उधानं ते पुरुष नावयानम।[5] हे पुरुष! तुम्हारा लक्ष्य और गति उत् यानं ऊपर की ओर हो अव यानं नीचे की ओर नहीं। जिस प्रकार अग्नि की लौ सर्वदा ऊपर की ओर ही उठती है कभी नीचे नहीं जाती। वैसे ही तेजस्वी व्यक्तित्व भी उन्नत लक्ष्य वाले होते है। ऊँचे लक्ष्य का निर्धारण कर उसके लिए सम्पूर्ण प्रयत्न करने वाला व्यक्ति ही उस लक्ष्य तक पहुँच पाता है। व्यक्ति को जीवन में सफल होने और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि हमारे सकंल्प शुभ और दृढ़ हो–

'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु'[6]

दुर्व्यसनों से मुक्ति भी दृढ. संकल्प से ही संभव होती है। दृढ़ संकल्प एक ओर व्यक्तित्व को पारित करती है तो दूसरी ओर सपनों को साकार। अतः उपनिषदों के अनुसार[7] संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि संकल्प ही वाणी बनती है, संकल्प ही मंत्र और संकल्प ही कर्म। दृढ़ संकल्प के सामने पर्वत के समान ऊँची बाधाएं भी नतमस्तक हो जाती हैं। काँटे पुष्प बन जाते हैं, चट्टानों से जलधारा बहने लगती है, बंजर भूमि में पुष्प खिल जाते हैं। यही दृढ़ संकल्प जब शुभ और शिव बुद्धि से प्रेरित होता है तभी लोकमंगल का साधक होता है। सामाजिक और लोक कल्याण तथा मानव–उत्थान हेतु सभी कार्य किसी न किसी शुभ और दृढ़ संकल्प से ही जुड़े होते हैं।

आत्मानं विद्धि[8]

स्वयं को, अपने सच्चे स्वरूप को तथा अपनी आत्मा की शक्ति को जानो यही उपनिषदों का संदेश है। आत्मविश्वास ही संकल्प को ताकत देता है और सपनों को नई उड़ान, जब पक्षी ऊँचे आकाश में उडान भरता है तब उसका पूरा शरीर एक निश्चित दिशा की ओर आत्मविश्वास से भरे तने होते हैं। सूर्य जब उदित होता है तब वह आत्मविश्वास के दिव्य आनन्द से भरा होता है क्रमशः उसका तेज और पराक्रम प्रखर होने लगता है। कार्य की समाप्ति पर भी, दिन के अवसान के समय वह विश्वास की आभा से अरुण ही होता है। विश्वास का दूसरा नाम आस्था है। व्यक्ति की जिसमें और जैसी आस्था होगी, वैसी ही उसकी प्रवत्ति, व्यवहार, आचरण और कर्म होगा। वस्तुतः यह जीवन यज्ञ आस्था से ही संपादित होता है। इस आस्था की महिमा को प्रतिपादित करते ऋग्वेद में कहा गया है–

श्रद्धायाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः।
श्रद्धां हृदय्याकूत्या.....।।[9]

यह आवश्यक नहीं है कि सदैव सफलता ही मिलती रहे असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच की पहचान है। जीवन में सफल से सफल व्यक्ति भी कभी न कभी असफल होता है परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि वह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाये, पश्चाताप में डूब जाये, उसी हार को बार–बार सोचकर दुखी होये, स्वयं पर से विश्वास उठ जाये या केवल भाग्य के भरोसे बैठ जायें। निरन्तर प्रयास करते रहने से सफलता जरूर मिलती है। उदाहरण के लिए– एक चींटी भी बार–बार गिरती है, उठती है, फिर गिरती है परन्तु वह हार नहीं मानती और अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है। सकारात्मक – चिन्तन प्रत्येक व्यक्ति को एक सही दिशा की ओर अग्रसर करता है। इसलिए सकारात्मक चिन्तन कर अर्थ यहाँ विषय–वस्तु के ज्ञान

और विचार से सम्बद्ध है, क्योंकि विचार सदैव बुद्धि द्वारा प्रवृत्त होता है और बुद्धि के द्वारा उत्पन्न ज्ञान से ही सकारात्मक चिन्तन में निपुणता प्राप्त होती है। अतः सबके कल्याण की कामना तथा सबकी भलाई में अपनी भलाई समझना इसका मुख्य सिद्धान्त हैं।[10] दूसरी ओर मनुष्य तो एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाला प्राणी है। व्यक्ति को मेधावी और ज्ञानवान बने रहने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इससे शरीर समृद्ध होता है और ज्ञान से बुद्धि प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए शेर जैसा शक्तिशाली प्राणी को भी भूख शान्त करने के लिए श्रम करना पड़ता है क्योंकि स्वयं मृग चलकर शेर की भूख मिटाने नहीं आयेगा।

गीता के तीसरे अध्याय में कहा गया है कि बिना यज्ञ किये खाने वाला चोर है। श्रम वस्तुतः अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह का ही साधन है। महात्मा गाँधी का यह विश्वास था कि बुद्धिमानीपूर्वक शरीर श्रम करना समाज की सच्ची सेवा है।[11] वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को आशावादी भी होना चाहिए जो सर्वदा व्यक्ति के आगे चलती हुई उसे उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है, जैसे रात्रि गुजर जाने के बाद नई सुबह आती है इसी आशा के साथ आज का दिन मंगलकारी होगा। चूँकि आशा एक धनात्मक शक्ति और एक सकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए व्यक्ति को प्रतिदिन एक नए उत्साह के साथ अपने कर्तत्य पथ पर चलना चाहिए। सदैव सत्य का मार्ग चुनें। रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ, अड़चनें आयें उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ें। मुण्डकोपनिषद् में कहा गया है–

सत्यमेव जयते, नानृतम।।[12]

अर्थात् सत्य की विजय होती है असत्य की नहीं। व्यक्ति को जीवन में विजय पाने के लिए स्वयं के अन्दर की आन्तरिक शक्तियों को मजबूत करना होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य मनुष्य के ऐसे 6 शत्रु हैं, जो स्वयं के अन्दर रहकर घात करते हैं। इनमें काम, क्रोध और लोभ। नरक के तीन द्वार हैं। महाभारत में कहा गया है कि लोभ ही पाप का अधिष्ठान है। वह मनुष्य को निगल जाने के लिए एक बड़ा ग्राह है। लोभ से ही पाप की प्रवृत्ति होती है। ज्ञातव्य है कि किसी समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मात्र नियम और कानून ही पर्याप्त नहीं है, अपितु मनुष्य में चारित्रिक गुणों का होना भी नितान्त आवश्यक है, जो आत्मिक विकास से ही संभव है। दूसरा, व्यक्ति समय के मूल्य को पहचानने , आज का काम कल और कल का काम परसों की आदत को त्यागें। कल किसी ने नहीं देखा हर क्षण परिवर्तनशील है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में कर्म की तत्परता और निष्ठा पर बल दिया गया है–

न स्वः श्वमुपासीत्। को हि मनुश्य श्वोवेद।।[13]

अर्थात् कल–कल न करें। कौन मनुश्य कल को जानता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रार्थना से, उपासना से, ध्यान से व योग से उस दिव्य शक्ति से जुड़ जायें तो लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाती है। क्योंकि हृदय की सच्चाई जब निर्मल ज्ञान से जुड़ कर लक्ष्य की ओर अग्रसर होगी तभी सफलता प्राप्त होगी। सत् और चित्त जहाँ होते हैं वहीं आनन्द की प्राप्ति होती है।

विद्या (ब्रह्मविद्या) और (अविद्या) दोनों को जानने वाला व्यक्ति अविद्या से मृत्यु को पारकर विद्या से अमृत को प्राप्त कर लेता है।

विद्या चाविद्या च यस्तद्वेद्वोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीत्रवा विद्ययाअमृतअमश्नुते।।[14]

श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण से श्रेष्ठ समाज और राष्ट्र का निर्माण वैदिक वांगमय का लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्रानुसार कार्य करना चाहिए उसे सदैव शान्त एवं सौम्य मधुर व संयत वाणी की व्यवहार करना चाहिए। यदि कभी मुख से अभद्र वाणी निकल जाये तो स्वयं का शान्त रखना चाहिए। उदाहरणार्थ– तपाया गया लोहा पानी में डालने पर शान्त हो जाता है। अध्ययन का महत्व– यदि कोई व्यक्ति दृढ़ लक्ष्य कर ले तो वह निश्चित ही जीवन में सफलता पाता है। हमारा संकल्प सुदढ़ हो तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी और हमें अपने कार्य से संतोष एवं आनन्द की अनुभूति होगी। इसी कारण जो विद्यार्थी उच्च आकांक्षा रखते हैं वे सफल जरूर होते हैं।

जीवन का वास्तविक लक्ष्य बाह्य तथा आभ्यन्तरित प्रकृति को वशीभूत करके अन्तर्निहित देवत्व को प्रकट करना होता है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयमित मन का होना आवश्यक है। संयमित मन मित्र और असंयमित मन शत्रु की भाँति होता है इसलिए अपने मन की प्रक्रिया के संदर्भ में एक सुनिश्चित धारणा का होना परम आवश्यक है। आत्मज्ञान से किसी भी प्रकार का राग–द्वेष समाप्त हो जाता है एवं सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होने लगती है। आज समाज में युद्ध–दंगा, चोरी लूट–पाट तेजी से अपने पैर पसार रही है इसका मुख्य कारण व्यक्ति के भीतर की आसुरी प्रवृत्ति है जिससे समाज, राष्ट्र आहत हो रहा है। यदि सभी व्यक्ति दैवी सम्पदा को अपना ले तो

संसार में व्याप्त बुराइयाँ स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी और संसार में सुख–शान्ति की स्थापना होगी।

यदि मनुष्य स्वयं का एवं विश्व का कल्याण करना चाहता है तथा कामना करता है कि सुख–समृद्धि एवं शान्ति का वातावरण सृजित हो, सभी सुखी हो, निरोगी हों तो एक दूसरे से जलन की भावना का त्याग करके अन्य व्यक्ति का भी कल्याण होते देखें। स्वयं के हृदय को शुद्ध और पवित्र रखें। सभी प्रकार के क्लेशों का अन्त तभी हो सकता है जब हम सभी प्रकार के अभावों से परे हो जायें किन्तु यह तभी संभव है जब व्यक्ति – व्यक्ति में समत्व के भाव हो। संसार में जो–जो निर्देश कर्म हम व्यक्तियों के लिए दिये गये है उन्हें करना चाहिए उससे भिन्न जो दोषयुक्त – निशिद्ध कर्म है, उनका कभी भूलकर स्वप्न में भी आचरण न करें। हम सब मिलकर चलें, परस्पर प्रेमपूर्वक वार्तालाप करें, हमारे मन एक जैसे विचार वाले हों। जैसे देव परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य कर रहें है, वैसे ही हम भी परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करें। हमारे संकल्प, हमारे हृदय तथा मन सभी समान हों जिससे अविरोधपूर्वक हम जीवनयापन कर सकें। सबके भीतर हम की भावना हो मैं की नहीं।

निष्कर्ष–

इस प्रकार मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के द्वारा उपहार मे दिये गये इस बहुमूल्य जीवन को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास द्वारा सार्थक बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए–

1. सफलता की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम एक लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए।

2. उस निर्धारित लक्ष्य पर पूर्ण श्रद्धा और लगन से कार्य करना चाहिए।

3. लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संकल्प का दृढ़ होना आवश्यक है।

4. मजबूत इरादा, दूर दृष्टि और कड़ा परिश्रम आवश्यक है।

5. इन सभी चारों के लिए प्रधान रूप से सकारात्मक – चिन्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है यही सभी का मूल है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भगवद्गीता 4/38।
2. भगवद्गीता 4/36।
3. कठोपनिषद् 1/6।
4. निरुक्त 1/1/2।
5. अथर्ववेद 6/1/6।
6. शुक्ल यजुर्वेद 34/16।
7. छान्दोग्योपनिषद् 7/4/1।
8. कठोपनिषद् 3/3।
9. ऋग्वेद 10/151/1।
10. गुरुकुल शोध भारती, सितम्बर–2012, अंक– 18, पृष्ठ संख्या–70, – प्रो. ईश्वर भारद्वाज।
11. डॉ. दशरथ सिंह : गाँधीवादी को विनोबा की देन, पृष्ठ संख्या–266 ।
12. मुण्डकोपनिषद 3/1/6।
13. शतपथ ब्राह्मण 2/1/4/9।
14. शुक्ल यजुर्वेद 40/11।

ISSN : 2394-4366

Received: 04 Jan., 2023; **Accepted:** 30 Jan.,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

पुराण साहित्य में माँ पार्वती चरित्र का विकास

– प्रो. दिनेश कुमार शुक्ल
प्रोफेसर – संस्कृत विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, बूँदी–323001
(राजस्थान)

ई–मेल :
dineshshuklakotacollege@gmail.com

सारांश

ब्रह्मवैवर्त्तपुराण में पत्नी सहित सभी देवतागण दक्ष के घर आये, किन्तु क्रोध और अभिमानवश गण सहित शिवजी वहाँ नहीं आये। सती ने मोहवश अपने पति को प्रयत्नपूर्वक वहाँ जाने के लिए समझाया, किन्तु उन्हें अपने निश्चय से डिगा न सकीं, तब स्वयं चंचल हो उठीं और बिना उनकी आज्ञा के ही स्वयं अभिमानवश पिता के घर आ गयीं। सती के घर पहुँचने पर पिता ने उनसे बात तक नहीं की। वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं किया। तब पति का निश्चय सुनकर अभिमानवश उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया।

वेदों के पश्चात् पार्वती चरित्र का विकास पुराण साहित्य में पूर्णतः प्राप्त होता है। वहाँ पर उनके जीवन की सम्पूर्ण घटनायें दक्ष के यहाँ जन्म, उनकी बाल लीलायें, शिव के साथ उनका विवाह, सुदीर्घ काल तक भूतभावन शिव के साथ निवास, दक्ष का यज्ञ, पार्वती की अवमानना, यज्ञ–विध्वंस, सती का देहत्याग, पुनः हिमवान के यहाँ जन्म, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या, पार्वती–शिव विवाह, कार्तिकेय तथा गणेशोत्पत्ति आदि दिव्य कथाओं का विस्तार के साथ वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार पुराणों में उनके सम्पूर्ण चरित्र का सांगोपांग वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में भी उन्हें दक्ष कन्या, शिव–पत्नी, स्कन्द, गणेश की माता के रूप में स्वीकार किया गया है।

अतः सर्वप्रथम ब्रह्मपुराण में ही जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ प्रारम्भ किया था, उस यज्ञ में दक्ष ने सब कन्याओं को बुलाकर सत्कार किया। केवल सती को उस यज्ञ में आमन्त्रित नहीं किया। तब ''सब बहनें पिता के घर गईं हैं – यह जानकर सती बिना बुलाये ही पिता के घर चली गयीं।'' पिता ने और कन्याओं की अपेक्षा सती का कम आदर किया।

जगाम साऽप्यनाहूता सती तु स्वपितुर्गृहम्।
ताभ्यो हीनां पिता चक्रे सत्याः पूजामसम्भताम्।।

प्रस्तुत पुराण में यह कथा इस प्रकार आयी है –

श्रीमद्भगवत पुराण में भी यज्ञ का वर्णन इस प्रकार आया है कि इस समय आप के ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। ये सब देवता वहाँ जा रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मीयों से मिलने के लिए मेरी बहिनें भी अपने–अपने पतियों के साथ वहाँ अवश्य आयेंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आप के साथ वहाँ जाकर माता–पिता के दिये हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहिनों, मौसियों और स्नेहाद्रहृदया माता को

देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। अजन्मा प्रभो! आप जगत् की उत्पत्ति के हेतु हैं। ''आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक संसार आप ही मैं भासित हो रहा है, किन्तु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने के लिए मैं बहुत उत्कंठित हो रही हूँ।''

त्वययेतदाश्चर्यमजात्ममायया
विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम्।
तथाप्यहं योशिदतत्वविंच तें
दीनादिदृक्षे भव में, भवक्षितिम्।।

यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटायेगा। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए, तभी तो परमज्ञानी होकर भी आप ने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया।

इस प्रकार सुनकर शिव जी ने सती से कहा – मैं जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपेन पिता से सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी, यह तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि कोई किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपने आत्मीय लोगों के द्वारा अपमान होता है, त बवह तत्काल मृत्यु का कारण हो जाती है।''

यदि व्रजिश्यस्यतिहाय मदवचो
भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति।
सम्भावितस्य स्वजनात्परा भवो
यदा स सद्यो मरणाय कल्पते।।

अतः मद्भागवत की यह कथा ब्रह्मपुराण से बदलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ब्रह्मपुराण में सती अपनी इच्छानुसार ही पिता के यज्ञ में गई थीं और इसमें वह शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन कर पिता के घर को गयी। यहाँ पर सती ने पिता के यज्ञ में जाने के लिए प्रार्थना तो की है, किन्तु साथ ही साथ उन्होंने अपनी जन्मभूमि देखने की भी इच्छा की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सती (पार्वती) को अपनी जन्मभूमि से भी प्रेम था।

ब्रह्मवैवर्त्तपुराण में पत्नी सहित सभी देवतागण दक्ष के घर आये, किन्तु क्रोध और अभिमानवश गण सहित शिवजी वहाँ नहीं आये। ''सती ने मोहवश अपने पति को प्रयत्नपूर्वक वहाँ जाने के लिए समझाया, किन्तु उन्हें अपने निश्चय से डिगा न सकीं, तब स्वयं चंचल हो उठीं और बिना उनकी आज्ञा के ही स्वयं अभिमानवश पिता के घर आ गयीं। उनके शाप से सती का अभिमान चूर्ण हो गया।''

सती पतिं च मोहेन बोधयामास यत्नतः
न तं चालयितुं शक्ता बभूव चंचला स्वयम्।।
आजगाम् पितुर्गेहं दर्पात्तस्य बिनाऽऽज्ञया।
तस्य शापेन तस्याश्च दर्पभंगो बभूव ह।।

''सती के घर पहुँचने पर पिता ने उनसे बात तक नहीं की। वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं किया। तब पति का निश्चय सुनकर अभिमानवश उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया।''

नहि संभाषणं चक्रे वाङ्मात्रेण पिता च ताम्।
श्रुत्वा च निन्दां र्भतुश्च देहं तत्याजमानतः।।

प्रस्तुत पुराण में भी सती (पार्वती) पति की बिना आज्ञा के पिता के यज्ञ में अभिमानयुक्त होकर हो गयी थीं। पिता द्वारा सत्कृत न होने पर उनका अभिमान चूर्ण हुआ। इससे यह कथा बिल्कुल ही अलग प्रतीत होती है।

स्कन्दपुराण में – कनखल तीर्थ में जो वर्तमान यज्ञ हो रहा था, उस समय में दक्ष ने उस यज्ञ का सम्पादन करने के लिए दीक्षा ली थी और कौतुक मंगल किया था। ब्राह्मणों के सहित उसने अपनी भार्या को साथ लेकर बहुत ही अधिक स्वसपयम किया था। उस अवसर पर वह सदा सुहृदयों के द्वारा परिवारित होकर बहुत ही महत्त्व के साथ सुशोभित हुआ था। ''इसी बीच गन्धमादन पर्वत पर धारागृह में विमान के द्वारा सखियों से घिरी होती हुई उस समय में महादेवी दाक्षायणी विमान के मध्य में स्थित होकर कन्दुक आदि से सहस्त्रों अनेक क्रीड़ायें कर रहीं थीं।''

एतिस्मिन्नन्तरे तत्रपर्वतेगन्धमादने।
धारागृहे विमानेन सखीभिः परिवारिता।।
दाक्षायणी महादेवी चकार विविधास्तदा।
क्रीडाविमानमध्यस्था कन्दुकाया सहस्त्रशः।।

यह देखकर हे विजये! यह चन्द्रदेव कहाँ जायेंगे। यह शीघ्र पूछो, ऐसी महासती ने विजया से कहा था। इस तरह करने पर विजया देवी ने उससे यथोचित पूछा था। उसने दक्ष के यज्ञ आदि के विषय में सभी कुछ कह दिया था।

विजया से यह सुनकर ''निश्चय करने वाली होती

हुई आज भगवान शंकर से इसका कारण पूछूँ – यह विचारकर अपनी सखियों को वहीं पर छोड़ करके वह सती देवी शिव जी के पास आ गयीं।

पृच्छामि शंकरं चाऽय कारणं कृतनिश्चयाः
स्थापयित्वा सखीस्तत्र आगता शंकरम्प्रति।।

उनके वचनों के द्वारा पूछा – हे सुमध्यमे! इस समय में यहाँ पर आपके आगमन का क्या कारण है, मुझे शीघ्र बतलाओ। जब इस प्रकार से सती से कहने लगी तो वह बोली हे प्रभो! मेरे पिता के इस महायज्ञ में किस कारण से आपको अच्छा नहीं लगता है? सुहृदयों का यह धर्म है कि सुहृदयों के साथ संगति की जाये। सभी प्रयत्नों के द्वारा बिना बुलाये हुए भी आप वहाँ पर जाइये। आज तो मेरे पिता के यज्ञगृह में अवश्य जाइये।

उन सती के इस वचन को सुनकर भगवान शिव बोले – हे भद्रे! तुमको इस दक्ष के भजन अर्थात् यज्ञ की ओर नहीं जाना चाहिए। ''उसके जो भी मानीगण हैं, वे सब सुर–असुर और किन्नर उस यज्ञ में पहुँच गये हैं जो कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ का समारम्भ किया हैं – इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं हैं।

तस्य ये मानिनः सर्वेः ससुरासुर किन्नराः।
ते सर्वे यजनं प्राप्ताः पितुस्तव न संशयः।।

पिता के घर बिना बुलाये नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इस दक्ष के यज्ञ में तुमको नहीं जाना चाहिए।

शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहने से सती ने रोष से भरा हुआ वचन कहा – यज्ञ सत्य स्वरूप है और आप वही हैं जो कि लोक में देवताओ में श्रेष्ठों के भी स्वामी हैं। इस समय में दुष्ट आचरण वाले मेरे पिता ने आपको नहीं बुलाया है, तो उस दुष्ट आत्मा वाले की समस्त इस दुर्भावना को जानना चाहती हूँ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ब्रह्मपुराण – 34/13।
2. मद्भागवत पुराण, तृतीय स्कन्ध – 4/11।
3. मद्भागवत पुराण, तृतीय स्कन्ध – 4/25।
4. ब्रह्मवैवर्त्तपुराण – 38/8–9।
5. ब्रह्मवैवर्त्तपुराण – 38/10।
6. स्कन्ध पुराण – 2/37–38।
7. स्कन्ध पुराण – 2/43।
8. स्कन्ध पुराण – 2/57।

The Gunjan

Multi Displinary Quarterly International Refreed/Peer Reviewed Research Journal

ISSN : 2349-9273

`The Gunjan'

(in Multi Language : Hindi + English + Sanskrit)

Multi Displinary Quareterly International Refreed/Peer Reviewed Research Journal

Sector-K-444, `Shiv Ram Kripa' World Bank Barra-Kanpur-208027

Contact- 08896244776, 09335597658,

E-mail: mohittrip@gmail.com

Visit us: www:thegunjan.com, abhinavgaveshna.com

ISSN : 2394-4366

Received: 24 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

घरेलू कार्यों के सम्बन्ध में कार्य सरलीकरण पर किये गये शोध कार्य : एक अध्ययन

– डॉ. रंजू कुशवाहा
एसोसिएट प्रोफेसर एवं
विभागाध्यक्ष–
गृहविज्ञान विभाग,
जुहारी देवी गर्ल्स (पी.जी.)
कालेज,
कानपुर–208004 (उत्तर प्रदेश)

ई–मेलः
ranjukushwaha@gmail.com

सारांश

सामान्यतः देखा जाता है कि अधिकांश गृहणियाँ दिन भर घर के कामों में लगी रहती हैं, फिर भी उनका कार्य पूरा नहीं होता है क्योंकि उन्हें कार्य सरलीकरण की जानकारी नहीं होती है तथा सामान्यतः दिन–प्रतिदिन के कामों में यह भी देखा गया है कि अधिकांश गृहणियाँ अनावश्यक एवं अनुप्रोगी कार्य भी करती हैं। जैसे–खाना पकाने के तल पर पॉलिस करना, धूल न होने पर भी रोज धूल साफ कर करना आदि। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री के कार्यकर्ताओं में केवल 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत कार्यकर्त्ता योग्य होते हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निश्चित ही अधिकांश गृहणियाँ पूर्णतः योग्य नहीं होती। कार्य सरलीकरण का महत्व यूँ तो सभी के लिए है किन्तु सबसे पहले अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने शारीरिक रूप से अपंग स्त्रियों के लिए इसका महत्व स्पष्ट किया। वास्तव में शारीरिक रूप से स्त्रियों के पास या तो ऊर्जा की मात्रा कम होती है अथवा साधारण कार्य के लिए भी उन्हें अधिक प्रयास करना पड़ता है। बीमारी के कारण वे अधिक कमजोर होती हैं और सामान्य कार्यों को भी करने में उन्हें कष्ट होता है।

कार्य सरलीकरण से हमारा अर्थ कार्य करने का ऐसा ढंग जिसमें समय और शक्ति की बचत हो, इसके लिए कार्य करने के तरीके को जितना अधिक सरल बनाया जायेगा, उतना ही उसमें शक्ति एवं समय कम व्यय होगा। कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है।

कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ है– कार्य को सरल ढंग से करना और कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य सरलता से किया जाए जिससे वह शीघ्रतापूर्वक सुविधापूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके। अतः कार्य सरलीकरण का अर्थ है– निर्धारित समय और शक्ति की मात्रा के अन्तर्गत अधिक कार्य सम्पादित करना अर्थात् कार्य को निश्चित मात्रा में सम्पन्न करने के लिए समय और शक्ति अथवा दोनों की ही मात्रा को कम करने की प्रक्रिया अर्थात् कार्य सरलीकरण के अन्तर्गत जानबूझकर कार्य की सबसे सरल, आसान एवं शीघ्रता से सम्पन्न करने की विधि को सम्मिलित करते हैं।

कार्य सरलीकरण से हमारा तात्पर्य कार्य करने का ऐसा ढंग जिसमें समय और शक्ति को बचत हो इसके लिए कार्य करने के तरीके को जितना अधिक सरल बनाया जायेगा उतना ही उसमें शक्ति एवं समय कम व्यय होगा। कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ कार्य को सरल ढंग से करना है और कार्य सरलीकरण का सामान्य अर्थ है–कार्य को इस तरीके से किया जाए जिससे

वह शीघ्रतापूर्वक सुविधामय तरीके से सम्पन्न हो सके। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के तरीके को सरल बनाने का प्रयास करता है तो वह समय एवं शक्ति के व्यय कम करने की कोशिश करता है तो वह कार्य सरलीकरण का महत्व भी सीख लेता है।

कार्य सरलीकरण की परिभाषाएँ–

1. "कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि को सचेततापूर्वक खोज करना।" **–निकिल एवं डार्सी**

2. "किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय एवं शक्ति उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं।" **–राजामल सी. देवदास**

3. "कार्य के सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि निर्धारित समय एवं शक्ति की मात्रा में अधिक कार्य सम्पादित करना अथवा कार्य की निश्चित मात्रा को सम्पन्न करने के लिए समय या शक्ति अथवा दोनों की मात्रा को कम करने का प्रयत्न करना।" **–ग्रास एवं क्रेण्डल**

इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि कार्य सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्था को मिश्रित कर दिया जाता है। यह सच है कि यदि किसी कार्य को करने में लगने वाले समय में कमी जाती है तो शक्ति के व्यय में भी स्वतः कमी आ जाती है किन्तु यह अत्यन्त आवश्यक है कि कार्य की समान ही रहनी चाहिए। कार्य सरलीकरण का प्रारम्भ में उद्योगों में प्रयोग होता था। कुछ समय बाद अर्मेजैसे विकसित देशों में इसका प्रयोग करना आरम्भ हुआ और धीरे–धीरे अब भारतवर्ष में भी इसका प्रयोग होने लगा है।

कार्य सरलीकरण का महत्व –

कार्य सरलीकरण का महत्व यूँ तो सभी के लिए है किन्तु सबसे पहले अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने शारीरिक रूप से अपंग स्त्रियों के लिए इसका महत्व स्पष्ट किया। वास्तव में शारीरिक रूप से स्त्रियों के पास या तो ऊर्जा की मात्रा कम होती है अथवा साधारण कार्य के लिए भी उन्हें अधिक प्रयास करना पड़ता है। बीमारी के कारण वे अधिक कमजोर होती हैं और सामान्य कार्यों को भी करने में उन्हें कष्ट होता है। कार्य सरलीकरण का सिद्धान्त अपंग स्त्रियों और सामान्य महिला हेतु समान ही होता है किन्तु अपंग महिला को किसी भी कार्य को करने के लिए विशिष्ट गतियों की आवश्यकता होती है, यद्यपि कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जिन्हें सामान्य महिलाओं के समान ही अपंग स्त्रियाँ भी अपना सकती हैं।

कार्य सरलीकरण केस में रुचि जाग्रत करना–

सामान्यतः देखा जाता है कि अधिकांश गृहणियाँ दिन भर घर के कामों में लगी रहती हैं, फिर भी उनका कार्य पूरा नहीं होता है क्योंकि उन्हें कार्य सरलीकरण की जानकारी नहीं होती है तथा सामान्यतः दिन–प्रतिदिन के कामों में यह भी देखा गया है कि अधिकांश गृहणियाँ अनावश्यक एवं अनुप्रोगी कार्य भी करती हैंः जैसे–खाना पकाने के तल पर पॉलिस करना, धूल न होने पर भी रोज धूल साफ कर करना आदि। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री के कार्यकर्ताओं में केवल 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत कार्यकर्त्ता योग्य होते हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निश्चित ही अधिकांश गृहणियाँ पूर्णतः योग्य नहीं होती। निम्नलिखित तरीके से कार्य सरलीकरण के सम्बन्ध उनमें रुचि जाग्रत की जा सकती है–

1. कार्य सरलीकरण के उद्देश्यों की जनकारी होना– यदि कार्य सरलीकरण के उद्देश्यों की स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाये और उसके महत्व को जाना जाये तो कार्य सरलीकरण में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कार्य सरलीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

(1) इससे समय और शक्ति को बचत होती है अर्थात् किसी भी कार्य में लगने वाला समय और शक्ति में कमी आती है।

(2) विशिष्ट कार्य में गतियों के प्रकार में कार्य सरलीकरण द्वारा सुधार होता है।

(3) कार्य सरलीकरण द्वारा लम्बे समय तक एक से कार्य तथा कार्य को एक–सी आदत के होने वाली सम्पूर्ण नीरसता दूर होती है।

(4) इसमें अनावश्यक गतियों को हटा दिया जाता है।

(5) यह कार्य की प्रभावशीलता के अभाव में होने वाली कुण्ठाजन्य थकान को दूर करने में सहायक होता है।

2. प्रेरणा – कार्य सरलीकरण में किसी भी कार्य को उपयुक्त ढंग से करना आवश्यक है, जिससे समय और शक्ति की बचत हो सके, इसके लिए उस विधि को सीखने को सोच उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा को आवश्यकता होती है और इसके साथ उस उपयुक्त विधि द्वारा कार्य करने के लाभ और महत्व को भी समझना आवश्यक है। सामान्यतः व्यक्ति परम्परागत विधि द्वारा कार्य करता आता

है और पुरानी आदत को बदलने में कठिनाई होती है और समय भी नष्ट होता है साथ ही नये विचारों एवं ढंगों के प्रति आदत डालना कठिन होता है। कार्य को नये तरीके से करने में कभी–कभी आलोचना भी हो सकती है। किसी भी नये तरीके से कार्य को सीखने में पहले कार्य धीरे–धीरे होता है और समय लगता है किन्तु बाद में कार्य सरलतापूर्वक और शीघ्रतापूर्वक होता है, अतः कार्य सरलीकरण में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. जीवन–चक्र की धारणा की जानकारी होना– जीवन–चक्र को धारणा का यदि कम आयु की स्त्रियों को ज्ञान करा दिया जाये और उन्हें यह समझा दिया जाये कि विस्तृत परिवार की अवस्था में कार्यभार बढ़ जाता है और उस समय शक्ति और समय का अत्यधिक दबाव पड़ता है तो उनमें कार्य सरलीकरण के प्रति रुचि जाग्रत हो सकती है। विस्तृत परिवार की अवस्था में जब छोटे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती हो तो नये और प्रभावशाली कार्य करने के तरीकों को खोजना सम्भव नहीं होता है और इस कार्य हेतु समय एवं शक्ति का अभाव रहता है।

4. पत्र–पत्रिकाओं द्वारा– पत्र–पत्रिकाओं में कार्य सरलीकरण से सम्बन्धित लेख प्रकाशित होते रहते हैं जिनसे गृहिणी में कार्य सरलीकरण एक रुचि उत्पन्न हो सकती है। इन पत्रिकाओं में कार्य सरलीकरण का महत्त्व, लाभ और उद्देश्यों के अतिरिक्त कार्य सरलीकरण सम्बन्धी जानकारी चित्रों द्वारा दी जानी चाहिए और इन पत्रिकाओं का प्रचार–प्रसार भी होना आवश्यक है।

5. फिल्मों द्वारा – कार्य सरलीकरण में रुचि उत्पन्न करने का फिल्में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माध्यम है। फिल्मों द्वारा अशिक्षित महिलाएँ भी कार्य सरलीकरण की विधियों को सीख सकती हैं और देख सकती हैं कि कार्य सरलीकरण की कौन–कौन सी विधियाँ विकसित हैं। उन्हें समझने में फिल्मों से सरलता रहती है। कार्य सरलीकरण हेतु उपकरण बनाने वाली कम्पनियाँ अपने विज्ञापन द्वारा यह स्पष्ट करती हैं कि इस यंत्र के प्रयोग द्वारा समय और शक्ति की बचत होती है। वास्तव में फिल्मों द्वारा दिये गये विज्ञापन अप्रत्यक्ष रूप से कार्य सरलीकरण का ही प्रचार करते हैं।

6. प्रदर्शन द्वारा – कार्य सरलीकरण की नई विधियों का प्रदर्शन द्वारा समझाया जाना चाहिए। इसके लिए समूह में थोड़ी महिलाओं को एकत्र करके प्रदर्शन किया जाना चाहिए और उन्हें कार्य को स्वयं करने का भी अवसर दिया जाना चाहिए। इससे सरलतापूर्वक वे विकसित विधियों को सीख सकती हैं। उपकरण उत्पादन करने वाली कम्पनियाँ प्रायः वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर आदि की कार्य पद्धति का प्रदर्शन करती हैं जो उनके उत्पादन को ही प्रचलित नहीं करता वरन् अप्रत्यक्ष रूप से कार्य सरलीकरण सिखाता है।

इस प्रकार कार्य सरलीकरण की विभिन्न विधियों के सम्बन्ध में प्रचार एवं प्रसार द्वारा गृहणियाँ में रुचि जाग्रत की जानी चाहिए। ऐसी महिलाएँ जो शारीरिक रूप से अपंग हैं अथवा अधिक बच्चों वाली महिलाएँ क्रम योग्य (सक्षम) महिलाएँ था मनोवैज्ञानिक थकानग्रस्त महिलाएँ, वृद्ध महिलाएँ और विशेषकर कार्य करने (आर्थिक उपार्जन) करने वाली महिलाओं के लिए कार्य सरलीकरण का अत्यधिक महत्व है और कार्य सरलीकरण द्वारा वे अपना जीवन सुविधामय का बना सकती हैं। आज जिन्दगी की दौड़ में महिलाएँ भी घर के बाहर काम करने के लिए निकलती हैं। यह एक आवश्यक विषय है या इसे प्रचलित करने के लिए सही प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता है।

कार्यसरलीकरण की तकनीक –

प्रयोगशाला अनुसन्धान द्वारा कार्य करने की विधियों में सुधार हुआ। कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो स्पष्ट रूप से शक्ति व्यय में सुधार लाती हैं। प्रयोगशाला विधियाँ न केवल धीमी ही हैं वरन् अधिक उदय व्यय साध्य भी हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू अनुसन्धानों हेतु सीमित मात्रा में धन उपलब्ध रहता है तथा जिन परिस्थितियों में परिणाम निकाला जाता है, वह भी भिन्न–भिन्न होता है तथा बाजार में नये–नये उत्पादन एवं उपकरणों के आ जाने के कारण इसमें परिवर्तन भी आता रहता है। कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीकी हैं–

(1) औपचारिक तकनीक।
(2) पैन–पैन्सिल तकनीक।

कार्यसरलीकरण की तकनीक

औपचारिक तकनीक	पैन–पैन्सिल तकनीक
(i) सायकल ग्राफ विधि	(ii) प्रोसेस चार्ट
(ii) माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण	(ii) ऑपरेशन चार्ट
(iii) स्टॉफ वाच तकनीक	(iii) पाथ वे चार्ट
(iv)मेमोमोशन अध्ययन	(iv)मल्टीमैन चार्ट

कार्य सरलीकरण पर किये गये शोध कार्य

कार्य सरलीकरण के घरेलू कार्यों के सम्बन्ध में हुए अध्ययन उद्देश्यों, उपयोग में लायी गयी विधियाँ तथा शोध की गुणवत्ता में भिन्न–भिन्न होते हैं। सन् 1930 में कार्य

सरलीकरण के सम्बन्ध में सर्वप्रथम अध्ययन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन अध्ययनों में तेजी आयी किन्तु बाद में उनकी कमी हो गयी। इस क्षेत्र में बाद में जो अध्ययन हुए वह किसी विशेप घरेलू कार्य के सम्बन्ध में नहीं थे। कार्य से सम्बन्धित बाजार में आने वाले नये–नये उपकरणों पर हुए प्रत्यक्ष रूप से कार्य सरलीकरण पर नहीं किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से इसी प्रभावित करने वाले उपकरणों पर हुए क्योंकि इस सम्बन्ध में ऐसे सिद्धान्त विकसित हो चुके थे जो वास्तव में उत्तम हैं तथा बाजार में नई–नई वस्तुओं के विकास के कारण कुछ घरेलू कार्य बिना अनुसंधान के ही सरल होने लगे। अधिकांश अध्यापन हुआ उनमें भोजन बनाना, वस्त्र धोना, बर्तन मांजना, घर की सफाई, बिस्तर लगाना तथा रसोईघर एवं भण्डार घर के क्षेत्र प्रमुख थे।

1943–1947 तक पाँच विदेशी विद्वानों ने शोध कर अपने परिणाम प्रस्तुत किये। सर्वप्रथम 1943 में हैनर ने कार्य किया।

1. **भोजन बनाना** – हैनर ने कुचले आलू बनाने पर 1943 में अध्ययन या। उन्होंने इस विधि के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग कर उनसे सम्बन्धित व्यय होने वाले समय का अध्ययन किया तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समय एवं शक्ति बचत में उपकरणों की अपेक्षा कार्य करने की विधि एवं क्रियाओं का समूहीकरण अधिक सहायक होता है। इसके अन्तर्गत कार्य केन्द्र का संगठन एवं कार्य की विधि का सरलीकरण भी सम्मिलित किया गया है।

2. **खीरकेम्प** ने वर्ष 1947 में सुबह के नाश्ते को तैयार करने सम्बन्धी अध्ययन किया। इस अध्ययन में पूर्व समय एक ही रसोई व्यवस्था रखी गयी। आधुनिक उपकरणों के साथ व्यवस्था भी उत्तम थी, रसोईघर का आकार सुविधाजनक था, कार्य हेतु पर्याप्त स्थान था। कार्य की सभी माँगों को स्थिर रखा गया किन्तु आहार तालिका में परिवर्तन किया गया।

नाश्ता तैयार करने से पूर्व कार्य की विधि के अनुसार वैधानिक क्रम में व्यवस्थित कर लिया गया और सुधार भी किया गया जब समय की बचत होती या कार्य की विधि में परिवर्तन करने से गतियों में सुधार होता तथा प्रत्येक बार नाश्ता करते समय की गणना स्टॉप बॉच द्वारा की गयी तथा गतियों का निर्धारण फ्लोर पर चार्ट बनाकर चरणों की गणना द्वारा किया गया।

इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुआ–

(1) सुबह का नाश्ता तैयार करने की किसी भी विधि में सुधार सम्भव है तथा गृहिणी अपने कार्य में सुधार लाकर समय तथा शक्ति में बचत कर सकती है।

(2) कोई भी विशिष्ट सम्पूर्ण विधि गृहिणी के उपयोग हेतु निर्धारित नहीं की जा सकती। किसी भी विधि को अपनी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर तथा कार्य सरलीकरण के सिद्धान्त के आधार पर ही उपयोग किया जा सकता है।

(3) 1947 में जीन लिण्डमैन ने ग्रामीण घरों में हरी सेम की फली को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने कार्य करने के क्षेत्र, संग्रह क्षेत्र एवं कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों में परिवर्तन कर तथा कुछ प्रक्रियाओं को करके यह निष्कर्ष निकाला गया कि संशोधित पद्धति में पहली पद्धति की अपेक्षा 30 मिनट की बचत हुई। इसक्रिया के अध्ययन के समय निम्नलिखित वस्तुओं को प्रयुक्त किया–

(i) नये उपकरणों का प्रयोग किया गया।

(ii) अनावश्यक उपकरणों के प्रयोग पर विचार किया गया।

(iii) कार्य सरलीकरण के लिए अलग प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया गया।

(iv) कार्य आरम्भ करने से पहले आने–जाने के साधनों पर विचार किया गया।

(v) अनावश्यक प्रक्रियाओं को छोड़ दिया गया।

2. **वस्त्रों की धुलाई** – वर्ष 1951 में आर्यस एवं एलिजाबेथ ने वस्त्र धोने की क्रिया पर जो शोध किये उसमें तीन विभिन्न सेटों में शोध किया और प्रत्येक सेट में चार क्रियाएँ– 1. वस्त्र छाँटना, 2. वस्त्र धोना, 3. कलफ लगाना, 4. वस्त्र सुखाना।

प्रथम दो सेटों में कार्य करने वाला व्यक्ति दायें से बायें ओर जा रहा था जब कि तीसरी क्रिया में बायें से दायीं ओर जा रहा था। इन तीनों सेटों में चलते समय कदमों की संख्या में कोई अन्तर नहीं पाया गया किन्तु आने–जाने के चक्कर तथा गति की दृष्टि से दायें से बायें (एक रेखीय इकाई) विधि उत्तम पायी गयी।

वस्त्र धोने की विधियों पर जो शोध किये गये उसके पारिणाम इस प्रकार हैं–

(1) वस्त्र भिगोने, धोने एवं साफ करने में सर्वाधिक गतियाँ हुईं।

(2) वस्त्रों में कलफ लगाने और खंगालने में मध्य संख्या की गति हुई।

(3) वस्त्रों को छाँटने एवं डुबोने में सबसे कम प्रकार की गतियाँ हुईं।

इन शोध कार्यों से ज्ञात होता है कि वस्त्र धोते समय वस्त्रों को डुबोने एवं धोने की क्रिया में सबसे अधिक गति का प्रयोग होता है तथा वस्त्रों को खंगालने एवं कलफ करने में मध्यम गति तथा लटकाने और छाँटने की क्रिया में सबसे अधिक गति का प्रयोग होता है।

केवल वस्त्र धोने पर ही शोध कार्य नहीं हुए वरन् वस्त्र सुखाने एवं उन पर प्रेस करने पर भी शोध कार्य हुए। सन् 1953 में फ्रेजियर ने हाथ से वस्त्र सुखाने तथा मशीन द्वारा वस्त्र सुखाने को विधि पर शोध कार्य किया। वस्त्रों में सुखाने की क्रिया में वस्त्रों की देखरेख को चार विधियों में लगने वाली शक्ति तथा समय मूल्य का अध्ययन किया गया। इसमें दो प्रकार के तत्वों का विशेषकर अध्ययन सम्मिलित किया गया। प्रथम उपकरण जैसे– रस्सी, रील तथा स्वचालित वस्त्र सुखाने की मशीन तथा दूसरे गीले वस्त्रों को रखने की टोकरी की स्थिति के सम्बन्ध में। इनमें समय तथा पहुँचने और मुड़ने को गति की संख्या को रिकॉर्ड किया गया तथा गतियों हेतु उपयोग किये गये ऑक्सीजन को गणना की गयी। इस अध्ययन के परिणामनिम्नवत् रहे–

(1) स्वचालित वस्त्र सुखाने की मशीन सभी विधियों से उत्तम है।

(2) दोनों विधियों में प्रयुक्त समय, पहुँचने व मुड़ने की क्रिया में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

(3) गीले वस्त्रों की टोकरी को फर्श की अपेक्षा कोर्ट पर रखने से ऑक्सीजन की कम आवश्यकता होती है।

3. बर्तनों की स्वच्छता – वर्ष 1948 में गोबल द्वारा बर्तन धोने की विधियों के सम्बन्ध में शोध कार्य किया गया जिसके अन्तर्गत पाँच विभिन्न विधियों को प्रयुक्त किया और उनके विश्लेषण द्वारा निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किये गये–

सिंक पद्धति में 8 प्रतिशत और सिंक रहित पद्धति में 23 प्रतिशत समय की बचत हुई। इसमें श्रीमती गोबल का विश्लेषण करके प्राप्त हुआ। इन विश्लेषणों के आधार पर उन्होंने सिफारिश की–

(1) बर्तनों की सरल ढंग से गति करने के लिए उन्हें वृत्ताकार गति से धोना चाहिए।

(2) बर्तनों को जल के तल पर धोना चाहिए जिससे बर्तन तक जल लाने के लिए श्रम में बचत हो सके।

(3) बर्तन गहरे में डुबोकर जल के तल तक डुबाये जाने चाहिए।

(4) धोने की प्रक्रिया के अन्तर्गत बर्तन को घुमाने के लिए बायें हाथ का उपयोग करना चाहिए। दोनों हाथों से उसे नहीं घुमाना चाहिए।

(5) बर्तन को बायें हाथ से ग्रहण नहीं करना चाहिए। बर्तन धोने का कपड़ा दायें हाथ से पकड़ें।

(6) एक बर्तन को धोकर दूसरे बर्तन को हाथ से पकड़ना चाहिए।

(7) जो हाथ बर्तन रखने का टोकरी के सबसे अधिक निकट हो उसी हाथ से धुले बर्तन टोकरी में रखे जाने चाहिए अन्यथा समय एवं गति व्यर्थ होगी।

(8) बर्तनों को सुखाते समय गति की बचत हेतु प्रत्येक हाथ में तौलिया का एक सिरा पकड़ना चाहिए और दोनों हाथों को पास–पास रखना चाहिए और उन्हें बर्तनों के समीप रखना चाहिए।

वर्ष 1930 में सर्वप्रथम हैनर एवं बैडर ने बर्तन धोने की विधि के सम्बन्ध में अध्ययन किया जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षित निरीक्षण कर्ता द्वारा गतियों की गणना की गयी तथा समय हेतु स्टॉपवाच को प्रयुक्त किया गया। समय के अध्ययन में कई चर थे किन्तु विभिन्न चरों के प्रभाव को अलग नहीं किया गया।

वर्ष 1947 में नेल्लान द्वारा बर्तन खंगालने के लिए गहरे एवं उथले सिंक का तुलनात्मक अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गहरे सिंक के प्रयोग करने से उथले सिंक की अपेक्षा गति और समय दोनों में बचत होती है।

4. स्वच्छता – इसमें विभिन्न विद्वानों ने रहने के कमरे, सोने के कमरे, दरवाजों, दीवारों को सफाई और स्वच्छता हेतु प्रयुक्त झाड़ू आदि पर अध्ययन किये गये।

वर्ष 1940 में बानर्स ने सफाई के यंत्र एवं ऑफिस तथा फैक्टरी को स्थितियों हेतु स्वच्छता प्रक्रिया पर अध्ययन किया जिसके परिणामों को घरों में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह निष्कर्ष इस प्रकार रहा–

(1) अच्छी डिजायन वाली चपटी आयताकार झाड़ू बराबर वजन वाली मोटी गोल झाड़ू को अपेक्षा 30 प्रतिशत अधिक फर्श के सम्पर्क में आती है और हत्थे लगी झाड़ू अधिक प्रभावशाली होती है।

(2) यदि कार्यकर्ता अपने सामने की ओर एक साइड से दूसरी साइड की ओर आंशिक रूप से एक वक्र बनाते हुए झाड़ू लगाता है तो अधिक अच्छा होता है, वजाए

इसके कि झाड़ू को खींचकर और देखकर लगाया जाये। खींचकर तथा ढकेलकर लगाने से प्रत्येक गति के बाद दूसरी गति में आने पर थोड़ा–सा समय लगता है तथा गति बेकार हो जाती है।

(3) चौड़ाई में झाड़ू लगाने के स्थान पर लम्बाई में झाड़ू लगाने से शक्ति की अधिक बचत होती है।

वर्ष 1946 में एवरेड एवंग्रॉस ने 25 गृहणियों पर अध्ययन किया। उन्होंने दरवाजों की सफाई कर अध्ययन किया। गृहिणी अपने तरीके से दरवाजे साफ करती रही और उसने उनका निरीक्षण किया और अवलोकन तथा निरीक्षण से प्रत्येक कार्य हेतु औसत विधि का विकास किया गया। उत्पाद इस विधि फिल्म बनाकर उसका विश्लेषण किया गया तथा उपयुक्त विकसित मिली–जुली पद्धति का विकास किया गया और उसकी पुनः फिल्म बनायी गयी। इस संशोधित विकसित विधि में 10 प्रतिशत समय में कमी पायी गयी।

वर्ष 1950 में बिल्डर ने रहने के कमरे की सफाई का अध्ययन किया और इस परिणाम पर पहुँचे कि यदि योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है तो 75 प्रतिशत समय की बचत होती है। दैनिक सफाई में संशोधित विधि का उपयोग करने से समय में 53 प्रतिशत की बचत हुई और इसी प्रकार साप्ताहिक सफाई में संशोधित विधि का उपयोग करने से मौलिक विधि की अपेक्षा 650 गतियों में 660 फीट चलने में 53 क्रियाओं में और समय में 33 मिनट की बचत हुई।वर्ष 1950 में हैनिमैन ने दीवारों की सफाई के सम्बन्ध में अध्ययन किया और यह शोध मौलिक तथा संशोधित क्रिया के सम्बन्ध में माइक्रोमोशन विश्लेषण द्वारा किया गया। कार्य के तरीके में सुधार करने से उत्पादन 29 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा उन्होंने अपनी प्रक्रिया में निम्नलिखित सुधार किये–

(1) कार्य शुरू करने से पहले बड़ी चपटी सतह को साफ किया।

(2) पूर्व निर्धारित तरीके का उपयोग दीवार तक पहुँचने के लिए किया।

(3) कार्य करने में सबसे बड़े उपकरण का प्रयोग किया।

6. बिस्तर करना – वर्ष 1949 में बिस्तर बनाने के सम्बन्ध में म्यूज द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। उन्होंने बिस्तर बनाने में लगने वाले समय और कदमों का अध्ययन किया। इसके अन्तर्गत व्यक्ति विश्लेषण, प्रोसेस चार्ट एवं पाथवे चार्ट तकनीक का उपयोग करके छैः विभिन्न विधियों का विश्लेषण किया। उन्होंने अनुभव किया तथा कदमों को बचाने के लिए कोई भी एक संशोधित विधि ढूँढ़ पाना मुश्किल है क्योंकि बिस्तर बनाने में गलत लगने वाला समय औरचरणों की संख्या विभिन्न तत्वों के संयोग पर निर्भर करती है। इन तत्वों के अन्तर्गत विस्तर का उपयोग में लायी जाने वाली चादर तथा अन्य सामान की संख्या और प्रकार, कार्य करने की विधि तथा कार्य कितनी कुशलता से किया गया और कार्यकर्त्ता की गति सम्मिलित है।

6. रसोईघर एवं भण्डारपर के क्षेत्र – सर्वप्रथम वर्ष 1934 में न्यूज ने रसोईघरों के विभिन्न आकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने रसोई भर के उपकरणों में परिवर्तन करके अध्ययन किया। उन्होंने भी कई प्रकार के रसोई घरों का अध्ययन किया जिनमें पाँच व्यक्तियों को रात्रि का भोजन तैयार किया गया। परिणामस्वरूप उन्होंने देखा कि रसोईघर के उपकरणों में परिवर्तन करके समय एवं कदमों की बचत होती है । यदि उपकरणों को पुर्नव्यस्थित किया जाए तो भी समय और कदमों की बचत हो सकती है।

वर्ष 1946 में हैवर एवं मैक्कलीफ ने संग्रह करने की दूरी का अध्ययन किया। उन्होंने निष्किर्ष प्राप्त किया कि एक 5 फुट 4 इंच की औसत ऊँचाई की महिला के लिए 72" की ऊँचाई उपयुक्त होती है और बिना किसी विशेष कठिनाई से यह वहाँ तक पहुँच सकती है। फर्श से उँगलियाँ के पारों तक माप करीब–करीब 28" का होता है तथा अधिकतम कार्यक्षेत्र घोड़ा अण्डाकार क्षेत्र होता है जिसमें 48 इंच तथा 44 इंच की पहुँच ऊपर से नीचे तक होती है। इस चित्र में दिखायी गयी कार्य–क्षेत्र की सीमा–

वस्तुओं को अधिकतम कार्य–क्षेत्र की सीमा में हाथों को बिना मोड़े, ऊँचा करें अथवा अधिक तनाव को संग्रह करके रखा जा सकता है।

वर्ष 1947 में विले ने विभिन्न प्रकार के रसोईघरों पर मुख्य उपकरणों तथा कार्यकेन्द्रों की स्थिति पर अध्ययन किया। उन्होंने छैः प्रकार के रसोईघरों को अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किया तथा आहार तालिका को तीन बार बनवाया गया। उन्होंने U आकार को, टूटे हुए U का आकार का द्वि–दोवारीय रसोईघर – इन तीनों प्रकार के रसोईघरों का प्रयोग किया। छः रसोईघर जो विभिन्न घरों में स्थित थे, वह सभी समाप्त आकार के थे। सभी में फ्रिज, कुकिंग रेंज, सिंक और मिश्रण केन्द्र विभिन्न स्थितियों में स्थित थे किन्तु बर्तनों की संख्या, प्रकार तथा उपयोग की गयी वस्तुएँ समान थीं। इस अध्ययन द्वारा वे इस परिणाम पर पहुँचे कि रसोईघर में खाना बनाने में सबसे कम गतियों की आवश्यकता पड़ी। आकार के रसोईघर में सबसे कम कदमों की आवश्यकता हुई तथा टूटे हुए U आकार के रसोईघर में सबसे कम चरणों को आवश्यकता हुई।

संग्रहस्थल एवं काउण्टर हेतु सुझाव

मिश्रणकेन्द्र – यूनतम 42'', इच्छित 48''। यदि मिश्रण केन्द्र पर उपकरण भी रखे जाते हैं– 54''।

कुकिंग रेंज केन्द्र– बर्तन से 24''। सटा हुआ संग्रहस्थल हेतु।

सिंक केन्द्र – दायें 36'' जिससे उपयोग हुए बर्तन भी रखे जा सकें। बायें से 39–36'' जिससे साफ किये गये बर्तन रखे जा सकें।

परोसने का केन्द्र – परोसने का उपकरण एवं सामान को व्यवस्थित करने के लिए तथा तश्तरियों से भोजन परोसने के लिए 24 ''।

फ्रिज – सिटकनी की ओर से 18'' जिससे सामान व्यवस्थित किया जा सके।

प्रथक ओवन – 18 '' ओवन से गर्म तश्तरियों को व्यवस्थित करने के लिए।

आधार आलमारी– अधिकांश वस्तुओं को संग्रह करने के लिए ड्रावर ऊँचाई की होनी चाहिए। निकाली जा सकने वाली शैल्फ को द्वितीय क्रम में बनाना चाहिए।

दीवार की आलमारी– आधार एवं दीवार की आलमारी के मध्य 15 '' की दूरी होनी चाहिए जिससे पर्याप्त कार्य किया जा सके और उपकरणों का उपयोग किया जा सके। समायोजित की जा सकने वाले शैल्फ का उपयोग एवं छोटी वस्तुओं को रखने के लिए दरवाजों पर सँकरी शैल्फ बनाकर संग्रह किया जा सकता है।

विल्सन, रॉबर्ट तथा थैयर ने कार्य सतह की ऊँचाई का अध्ययन किया तथा यह अध्ययन 312 ऑरगिन एवं 250 वाशिंगटन की महिलाओं पर किया गया तथा यह शरीर के नाप से सम्बन्धित था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Khanuja Reena (2018), Grah Vayastha evom Grah Sajja, Agarwal Publications, Agra.
2. Palni Manju & Sharma Lalita, Grah Prabandh, Star Publication, Agra.
3. Moorthy G. (Ed.-1985), Home Management, New Delhi, Arya Publishers,.
4. Mullick P., Text Book of Home Science, Ludhiyana, Kalyani Publishers.
5. Gross and Crandall, E. H. (1967), Management for Modern Families, New Delhi, Sterling Publishers.
6. Varghese, M. A. Household Equipment Manual, S. N. T. D. Women's University, Mumbai.
7. Grah Prabandh Evam Grah Sajja, Shiva Prakashan, Indore (2004).
8. Grah Vayavstha Evom Grah Kala - G. P. Shairy (2007).
9. Grah Prabandh - Dr. B. D.Harpalani, First Edition.
10. Internet & New Papers.

ISSN : 2394-4366

Received: 24 Feb., 2023; **Accepted:** 28 March,-2023, **Published:** April - June, 2023, Issue

बुन्देलखण्ड के रासो काव्यों में बुन्देली लोक संस्कृति

– डॉ. आशुतोष त्रिपाठी
पूर्व प्राध्यापक – हिन्दी विभाग,
रामकृष्ण परास्नातक महाविद्यालय,
कुरारा, हमीरपुर–210505

ई–मेलः
drashutripathi35@gmail.com

सारांश

बुन्देलखण्ड के रासो काव्यों में तत्कालीन बुन्देली लोक संस्कृति के प्रेरक तत्वों की झाँकी प्रतिबिम्बित होती है। तत्कालीन बुन्देलखण्ड में राजघरानों के स्तर पर अन्तर्विरोधों ने युद्धों का रूप ले लिया था। ये अन्तर्विरोध किसी मान–मर्यादा या आन–बान को अक्षुण्ण रखने के परिणाम स्वरूप हुए और इनसे उपजे युद्धों ने जन–जीवन को आन्दोलित किया, जिससे एक ओर जहाँ समाज में बिखराव की स्थितियाँ पैदा हुई, वहीं दूसरी ओर हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिक सद्भाव के अवसर भी सामने आये। सत्ता संघर्ष की संकटापन्न घड़ियों में सहयोग की भावना भी विकसित हुई। बुन्देलखण्ड की प्रमुख रियासतों के अधिपति मुगलों के मनसबदार थे। दतिया नरेश दलपतराव मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में आजम शाह की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुये थे। दूसरी तरफ इन रासो काव्यों में वर्णित घटनाओं से ज्ञात होता है कि ओरछा, झाँसी, दतिया रियासतों में मुसलमान कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे।

वीरभूमि बुन्देलखण्ड अपनी शौर्य गाथाओं के लिये इतिहास प्रसिद्ध है। वीर बाँकुरे छत्रसाल, आल्हा–ऊदल, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से कौन अपरिचित है। छत्रसाल ने मुगलों को नाकों चने चबवा दिये थे, वे कभी बुन्देलों की सीमा पार नहीं कर सके। इसी तरह रानी झाँसी ने 1857 ई. में अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिये थे। आल्ह खण्ड तो वीर काव्य है ही। इतिहास गवाह है कि बाहर की लड़ाई भले ही तलवारों, तोपों और रॉकेटों की रही है, पर भीतर की लड़ाई तो सांस्कृतिक ही बनी रही। तलवार, तोप और रॉकेट नहीं लड़ते; मनुष्य लड़ता है, मनुष्य के भीतर का मनुष्य। मध्य युग में भी भीतर के मनुष्य को लड़ना पड़ा। लोक संस्कृति ने ही विदेशी संस्कृतियों के हमलों को नाकाम किया। मुगलकाल के पूर्व, मुगलअत्त के समसामयिक एवं मुगलकाल के पश्चात् बुन्देली में लिखे गये रासो काव्यों की समृद्ध परम्परा पायी जाती है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं–

1. परमाल रासो – चन्दवरदायी
2. दलपतराव रासो – जोगीदास, 1683 से 1707
3. करहियाको रासो – गुलाब कवि 1770 ई.
4. शत्रुजीत रासो – किशुनेश 1762 से 1801
5. शत्रुजीत रासो – कवि साहेबराय 1762 से 1801
6. पारीछत रासो – श्रीथरसन् 1816
7. बाघाट रासो – प्रधान बाजूराय सन् 1816
8. बाघाअकौ समय – प्रधान बाजूराय सन् 1816

9. भगवन्त सिंह रासो – प्रधान बाजूराय सन् 1816
10. झाँसी की रानी सिंहकुड़ए – प्रधान कल्याण सन् 1866
11. महारानी लक्ष्मीबाई रासो 'मदनेश' – पं. मदनमोहन द्विवेदी सन् 1604
12. भिलसांय की कटक – भैंरोलाल
13. पारीछतफौ फटक – द्विज किशोर
14. झाँसी की फटक – भग्गी बाऊजू 'श्याम'
15. छंधूदर रासो
16. गाउररासो
17. पूसरासो – पृथ्वीराज

विवेच्य रासो काव्यों में तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृति स्वरूप प्रतिबिम्बित होता है। रहन–सहन, रीति–रिवाज, व्रत–त्योहार, पूजा–पद्धति, शिल्प–स्थापत्य एवं ललित कलायें संस्कृति का आधार हैं। ये सांस्कृतिक आधार बुन्देलखण्ड की लोक संस्कृति का प्राण है। तत्कालीन बुन्देलखण्ड में राजघरानों के स्तर पर अन्तर्विरोधों ने युद्धों का रूप ले लिया था। ये अन्तर्विरोध किसी मान–मर्यादा या आन–बान को अक्षुण्ण रखने के परिणाम स्वरूप हुए और इनसे उपजे युद्धों ने जन–जीवन को आन्दोलित किया, जिससे एक ओर जहाँ समाज में बिखराव की स्थितियाँ पैदा हुई, वहीं दूसरी ओर हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिक सद्भाव के अवसर भी सामने आये। सत्ता संघर्ष की संकटापन्न घड़ियों में सहयोग की भावना भी विकसित हुई। बुन्देलखण्ड की प्रमुख रियासतों के अधिपति मुगलों के मनसबदार थे। दतिया नरेश दलपतराव मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में आजम शाह की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुये थे। दूसरी तरफ इन रासो काव्यों में वर्णित घटनाओं से ज्ञात होता है कि ओरछा, झाँसी, दतिया रियासतों में मुसलमान कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। अंग्रेजों की शक्ति का सामना हिन्दू और मुसलमानों ने संगठित होकर किया था–

इक दिन हिन्दुस्थान में, हिन्दू और पठान।
बदल गये अंगरेज से, सकल फौज के ज्वान।।[3]

धर्म अटूट आस्था और दृढ़ विश्वास के रूप में जन–भावना को सदा समर्थन देता रहा है। इन रासो काव्यों में विभिन्न देवी–देवताओं की पूजा, व्रत–उपवास, शकुन–विचार, वेद विहित क्रिया विधियों के पालन में धर्म के प्रति जन–आस्था का परिचय मिलता है। पशु–पक्षियों की बलि के भी उदाहरण विवेच्य रासो काव्यों में हैं–

जय इष्ट मंत्र अरिष्ट नासक ध्यान त्रिपुटी कीजियो।
रिष पित्र रवि के होत भूपजला–जुली तह दीजियो।।
तरवारि पूजी प्रेम सों हरनाम राम उचारिकै।
कर दीपदान सहोम की नैमित्त दान सम्हारिकै।।4

बड़े देवी–देवताओं के साथ भूमियाँ, गुरैया माता, सती और आसो की मनौतियाँ भी बुन्देलखण्ड की जन–आस्था का प्रतीक हैं–

हाथ जोर कुंजी कहै, भुमियाँ ध्याऊँ तोइ।
अब क्रपाल हो वेग दै, सुख्ख दीजिये मोइ ।।
जीत साहु–जब हीं घर आवै, जबै गुरैये रोट चढ़ावें।
गाइ बताइ सती कौं पूजें, आइ सहाई संकटै हूजै ।।
पूजा उसार आसो की परी, कैयौ विधि सौं सेवा करौं ।5

पूजन पद्धतियों के अतिरिक्त वेद विहित सामाजिक आचारों में पशु–पक्षियों की इति, श्रीफल की बलि को कार्य सिद्धि की कामना का आधार माना जाता रहा है। बलि से देवता के प्रसन्न हो जाने का अंधविश्वास उस समय विद्यमान था। परमाल रासो में कौआ बध की परम्परा न मालूम किस देवता को बलि देकर प्रसन्न करने के साथ श्रीफल की बलि का भी उल्लेख है–

कराइकें पारथ पूजन अन्हा अग्गिन कौ आ
वध दै तत्काल ।6
'फेर दंडवत कीनी, श्रीफल की बल दिबवाय।।7

अन्त्येष्टि क्रिया का विशिष्ट स्वरूप बुन्देलखण्ड की संस्कृति का अनोखापन है। हास्त्रोक्त विधि से शौच क्रिया करके फूल (अस्थि–अवशेष) तीर्थों में ले जाकर पवित्र नदी में प्रवाहित करने की परम्परा आज भी अक्षुण्ण है। ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया के अंसीसी सेनानायक पीस (पैरोन 1801 ई.) के साथ युद्ध करते हुए दतिया नरेश शत्रुजीत के वीरगति प्राप्त करने पर उनके उत्तराधिकारी महाराजा पारीछत के द्वारा उनकी अन्त्येष्टि क्रिया का उल्लेख शत्रुजीत रासो में है–

सुचि क्रिया वेद विधि सहित कीन।
तीरथन फूल पठवाइदीन ।।8

युद्धों ने सामान्य जन–जीवन को सदा अस्त–व्यस्तता ही प्रदान की। अपनी आन को सुरक्षित रखने के लिए राजाओं द्वारा किये इन युद्धों में जनता को घोर संकटों का सामना करना पड़ता था। शत्रु दल द्वारा

खेती उजाड़ देने, गाँव जला डालने, लूटपाट और मारकाट से त्रस्त समाज में अभाव, भुखमरी और मंहगाई आदि व्याप्त हो जाना सहज संभाव्य था। परमाल रासो, दलपतराय रासो, बाघाट रासो, पारीछत रासो तथा लक्ष्मीबाईर ासो में आगजनी व लूटपाट की घटनाओं के विवरण सुरक्षित हैं–

मसलत करिबाहिर कड़े ऊदल आलन रेस।
रइयत कहै पुकारकैं, चौड़ दहायव देस ।।
जारे गांउज नारिकै, लूटी रिंधि अघेत।
उत्तरी लरी चंदेल तुम, चोरे–जोरै हेत ।।9

बाधाट रासो तथा बाघाट समय में आगजनी और लूट की घटनाओं का संकेत इस प्रकार है–

'आगि लागी गांड में कीनी कहा अब तै दई।
सजि भीर सुदौर दिमान करी पुतरी नगरी पर आन अरी।
तिहि लूटि सुबारि दई जबही सबके मन फूल भई तबही।10

निष्कर्ष–

शारतः कहा जा सकता है कि बुन्देलखण्ड के रासो काव्यों में तत्कालीन बुन्देली लोक संस्कृति के प्रेरक तत्वों की झाँकी प्रतिबिम्बित होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बुन्देली भाषी क्षेत्र के स्थान, अभिधानों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन – डॉ. कामिनी, पृष्ठ संख्या – 27।
2. बुन्देलखण्ड के रासो काव्य – डॉ. श्याम बिहारी श्रीवास्तव, पृष्ठ संख्या – 61।
3. लक्ष्मीबाई रासो – पं. मदनमोहन द्विवेदी 'मदनेश', पृष्ठ संख्या –2।
4. शत्रुजीत रासो – किशुनेश, पृष्ठ संख्या – 163।
5. गाउर रासो, छन्द 23, 24, 25।
6. लक्ष्मीबाई रासो, पृष्ठ संख्या – 37।
7. शत्रुजीत रासो, पृष्ठ संख्या – 181।
8. परमाल रासो – चन्दवरदाई, पृष्ठ संख्या – 22।
9. बाघाट रासो, प्रधान आनन्दसिंह कुड़रा, पृष्ठ संख्या – 75।
10. बाघाट समय – प्रधान बाजूराय, छन्द पृष्ठ संख्या – 15।

The Gunjan

Multi Displinary Quarterly International Refreed/Peer Reviewed Research Journal

ISSN : 2349-9273

`The Gunjan'

(in Multi Language : Hindi + English + Sanskrit)

Multi Displinary Quareterly International Refreed/Peer Reviewed Research Journal

Sector-K-444, `Shiv Ram Kripa' World Bank Barra-Kanpur-208027

Contact- 08896244776, 09335597658,

E-mail: mohittrip@gmail.com

Visit us: www:thegunjan.com, abhinavgaveshna.com

शोधपत्र लेखकों को निर्देश

'अभिनव गवेषणा' मल्टी डिस्प्लिनरी क्वार्टरली इण्टरनेशनल रेफ्रीड/पियररिव्यूड रिसर्च जर्नल है, जिसमें सभी उपविषयों के? मौलिक? शोध पत्र, शोध समीक्षा, विचार, लेखों आदि की प्रकाशन किया जाता है। शोधकर्त्ता हिन्दी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत भाषा में अपने शोध पत्र भेज सकते हैं। शोध पत्र भेजते समय कृपया निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दें-

◈लेखक अपना शोध-पत्र सर्वेश तिवारी (राजन) प्रबन्ध संपादक?- **'अभिनव गवेषणा'** के-444, 'शिवराम कृपा' विश्व बैंक बर्रा-कानपुर-27 को अथवा **super.prakashan@gmail.com** पर प्रेषित करें। ◈प्राप्त शोध पत्र पत्रिका में प्रकाशन के पूर्व पुनर्निरीक्षित किये जायेंगे। स्वीकृत शोध पत्र कहीं और प्रकाशित नहीं होना चाहिए और न ही उस शोध पत्र का कोई भी भाग सम्पादक के अनुमति के बिना कहीं और प्रकाशित किया जा सकता है।

◈अपने शोधपत्र की पाण्डुलिपि निम्न भागों में तैयार करें- शीर्षक, सारांश, पाण्डुलिपि, पुस्तक संदर्भ-सूची। कृपया पुनर्निरीक्षण की गुणवत्ता में सहायता करने हेतु अपना नाम, पता पाण्डुलिपि पर न दें।

◈**शीर्षक** - शीर्षक पाण्डुलिपि पर अवश्य दें, किन्तु अपना पूरा नाम, पता, संस्था जहाँ पर अध्ययन अथवा अध्यापन कार्य सम्पादित किया गया हो, आपका विषय, दूरभाष-मोबाइल, फैक्स, ई-मेल पत्राचार हेतु अलग पृष्ठ पर अवश्य दें। उपर्युक्त तथ्य आपके शोध पत्र के शब्द सीमा के अन्तर्गत ही माना जायेगा। ◈**सारांश** - कृपया शोधपत्र का सारांश अधिकतम 200 शब्दों में दें।

◈**पाण्डुलिपि** - इसके अन्तर्गत मुख्य पाठ्य सामग्री होगी जो 5 से 10 पृष्ठ तक होनी चाहिए। शोध पत्र 10 पृष्ठ से (सारांश, शब्द संक्षेप, सूची समेत) अधिक प्रकाशन हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा। अन्यथा वृहद् शोध पत्र (10 से पृष्ठ से अधिक) प्रकाशन में देर भी हो सकती है। लेखक को यह बात स्वीकार होनी चाहिए कि शोध पत्र पुनर्निरीक्षण के दौरान किये गये संशोधन उन्हें मान्य होंगे। शोध पत्र प्रकाशन के दौरान त्रुटि की सम्भावना न बने इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, फिर भी कोई त्रुटि पाये जाने पर लेखक संशोधित री-प्रिन्ट प्राप्त कर सकता है। पत्रिका में संशोधन की व्यवस्था नहीं है।

◈ **सन्दर्भ वर्णमालाक्रमानुसार** - शोध पत्र के समापन पर कृपया संदर्भ वर्ण माला क्रमानुसार ही दें। पत्रिका का वर्ष, लेखक, पृष्ठ संख्या, भाग इत्यादि विस्तार से दें। पुस्तक या पत्रिका शीर्षक इटैलिक दें। ◈ **पुस्तक** - प्रकाशक का नाम, संस्करण, संख्या, प्रकाशन वर्ष, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, पृष्ठ संख्या। ◈ **पत्रिका** - पत्रिका नाम, लेख का शीर्षक, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, अंक संख्या, माह, वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक अथवा मासिक जो भी हो स्पष्ट करें। ◈ **संदर्भ ग्रन्थ सूची** - कृपया शोध पत्र में कम से कम 8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची अवश्य दें। ◈ **समाचार पत्र** - प्रकाशक, तिथि, सन्, पृष्ठ संख्या। ◈ **इण्टरनेट** - वेबसाइड, पृष्ठ संख्या, मुख्य शीर्षक, अन्तः शीर्षक।

◈ **मानचित्र एवं सारणी** - मानचित्र एवं सारणी अथवा चित्र शोध पत्र की समाप्ति के अन्त में दें। यह ब्लैक एण्ड व्हाइट ही होना चाहिए। इसका स्पष्ट संकेत पाण्डुलिपि में दें (उदाहरण, सारणी संख्या)।

◈ **विशेष** - कृपया अपना शोध पत्र ई-मेल करने के बाद डाक से अवश्य भेजें। अपने शोध पत्र के साथ-साथ बायोडाटा, फोटो, अपना पता लिखा लिफाफा (20 रुपये टिकट सहित) भेजें। शोध पत्र हिन्दी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत भाषा में ही होना चाहिए। शोध पत्र यदि हिन्दी-संस्कृत में है तो (कृतिदेव-हिन्दी फान्ट 14) में अंग्रेजी में है तो (एरियल - अंग्रेजी फान्ट 12) में तैयार सीडी के साथ दें। शोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लेखक को स्वीकृति पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा। ई-मेल **(super.prakashan@gmail. com)** से प्राप्त शोध पत्र हेतु ई-मेल से स्वीकृति भेजी जायेगी। शोध पत्र प्रेषित करने से पूर्व प्रबन्धक से दूरभाष पर अवश्य सम्पर्क करें। सम्पादक मण्डल अथवा सलाहकार समिति में सम्मिलित करने का अन्तिम निर्णय संस्था का होगा।

◈ **सुझाव** - लेखकों एवं पाठकों को यह अंक कैसा लगा, इस सम्बन्ध में अपने-अपने विचार अवश्य भेजें, इससे मुझे अपनी त्रुटियों को जानने और भावी योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

◈ **विनम्र निवेदन**- सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि अपने माध्यम अधिकतम सदस्यों को पत्रिका परिवार से जोड़कर संस्था का सहयोग करें।

अभिनव गवेषणा

मल्टी डिसिप्लिनरी क्वार्टरली इण्टरनेशनल
रेफ्रीड/पियर रिव्यूड रिसर्च जर्नल

Abhinav GAVESHNA

Multi Disciplinary Quarterly International
Refreed/Peer Reviewed Research Journal

ISSN - 2394-4366

E-mail : super.prakashan@gmail.com

कार्यालय : सेक्टर के-444 'शिवराम कृपा' विश्व बैंक बर्रा, कानपुर-208027

सदस्यता फार्म

श्रीमान् सम्पादक महोदय,
'अभिनव गवेषणा'
(मल्टी डिसिप्लिनरी क्वार्टरली इण्टरनेशनल रेफ्रीड/पियर रिव्यूड रिसर्च जर्नल)
सेक्टर-के-444, 'शिवराम कृपा' विश्व बैंक बर्रा, कानपुर-208027 (उ. प्र.) भारत

महोदय / महोदया,

निवेदन है मैं / हमारा महाविद्यालय आपके 'सुपर प्रकाशन' द्वारा प्रकाशित 'अभिनव गवेषणा' (मल्टी डिसिप्लिनरी क्वार्टरली इण्टरनेशनल रेफ्रीड/पियर रिव्यूड रिसर्च जर्नल) परिवार का ..... वर्षीय / आजीवन / व्यक्तिगत / संस्थागत सदस्य बनना चाहता हूँ / चाहती हूँ? मैं / हमारी संस्था 'सुपर प्रकाशन', विश्व बैंक बर्रा, कानपुर-27 के नाम सदस्यता शुल्क ..... रुपये नकद / मनीआर्डर / चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट खाता क्रमांक (सुपर प्रकाशन - 52570200000355) IFS Code No. BARB0BUPGBX बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा- विश्व बैंक बर्रा (कर्रही) कानपुर-27 के नाम से दे रहा हूँ।

ZERO

नाम (श्री / श्रीमती) डॉ. : .....

पद का नाम (जहाँ वर्तमान में कार्यरत हैं) : .....

संस्था / निवास का नाम : .....

पत्र व्यवहार का पूरा पता (पिनकोड सहित) :.....

: .....

फोन / मोबाइल नं. : .....

स्थान व दिनांक : .....

- हस्ताक्षर

प्रबन्ध सम्पादक : सर्वेश तिवारी 'राजन'
मो. : 8896244776

सम्पादक : ***डॉ. जया मिश्रा***
मो. : 9984578999